(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक–4 विधान सभा के चतुर्थ सत्र का सत्ताइसवां दिवस संख्या–13

मंगलवार,

18 अप्रेल, 1995

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री शांतिलाल चपलोत, अध्यक्ष, पदासीन।)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री परसादी लाल मीणा।

जिला दौसा में अवैध शराब की दुकानें

357. **श्री परसादीलाल मीणा** (लालसोट) एवं **श्री हरिसिंह** (महुआ) : क्या मुख्य (आबकारी) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि दौसा जिले में अवैध शराब की दुकानें होने की शिकायतें सम्बन्धित अधिकारियों को मिली हैं ? यदि हां, तो शिकायतों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) दौसा जिले में देशी एवं अंग्रेजी शराब की कुल कितनी अधिकृत दुकानें हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि लालसोट-कोथून सड़क पर मोरेल नदी पर अवैध शराब की दुकानें सड़क के किनारे काफी समय से चल रही हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि सड़क के किनारे शराब की अवैध दुकानों के कारण मोटर दुर्घटनाएं अधिक होती हैं ?

(5) क्या सरकार सड़कों के किनारे शराब की दुकानों को बन्द करने का विचार रखती हैं ?

राज्य मन्त्री, आबकारी (श्री अनंग कुमार जैन) : (1) जी हां, दौसा जिले के कुछ गांवों में मदिरा की अनधिकृत दुकानें चलाने की शिकायत दिनांक 29-9-94 को प्राप्त हुई थी। इस शिकायत पर शिकायतकर्त्ता के हस्ताक्षर नहीं थे, फिर भी इसकी जांच करायी गयी। जांच के परिणामस्वरूप शिकायत तथ्यहीन पायी गयी। शिकायती पत्र की प्रति संलग्न परिशिष्ट'क'प्रस्तुत है।

(2) दौसा जिले में वर्ष 1994-95 में देशी मदिरा की 65 दुकानें एवं अंग्रेजी मदिरा (आई.एम.एफ.एल.) की 11 दुकानें स्वीकृत थीं, जिसकी सूची संलग्न परिशिष्ट 'ख' है। बन्दोबस्त वर्ष 1995-96 के लिये देशी मदिरा की 67 दुकानें एवं भारत निर्मित विदेशी मदिरा की 13 दुकानें स्वीकृत हैं जिनमें नव-स्वीकृत दुकानों के स्थान निश्चित किये जाने शेष हैं।

(3) जी नहीं। मौके की जांच कराने पर लालसोट–कोथून सड़क पर मोरेल नदी पर अवैध शराब की दुकान चलती नहीं पायी गयी।

(4) जी नहीं, सड़क के किनारे शराब

(श्री अनंग कुमार जैन)

की अवैध दुकानें होने एवं उनके कारण मोटर दुर्घटनाएं अधिक होने की कोई प्रमाणिक सूचना सरकार को प्राप्त नहीं है ।

(5) शराब की दुकानें राजस्थान आबकारी नियम, 1956 के नियम 75 के अनुसार स्वीकृत की जाती हैं । प्रति परिशिष्ट 'ग' संलग्न है । इसके अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग एवं राज्य–राजमार्ग के मध्य से दोनों और 150 मीटर की दूरी तक दुकान लगाना प्रतिबंधित है, परन्तु नगर निगम/नगर परिषद्/नगरपालिका क्षेत्रों में पड़ने वाले ऐसे मार्गों पर यह प्रतिबन्ध लागू नहीं होता है । इसके अतिरिक्त इस नियम के अन्तर्गत विशेष परिस्थितियों में प्रतिबन्ध से छूट देने हेतु आबकारी आयुक्त अधिकृत हैं । सड़क के किनारे इस नियम के विरुद्ध दुकानें पायी जाने पर उन्हें हटाने की कार्यवाही की जाती हैं ।

(शिकायत पत्र एवं विवरण की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी ।)

श्री परसादीलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री जी ने जो जवाब दिया है, शिकायत के बारे में कहा है कि शिकायत तथ्यहीन पायी गयी मैं माननीय मन्त्री जी, शिकायतों में जो दुकानें बतायी गई हैं उनमें एक भी स्थान ऐसा नहीं है जहां पर शराब की दुकान आज की तारीख में भी नहीं चल रही हो, सभी स्थानों पर, केवल लालसोट तहसील में 2–4 स्थानों पर आपकी अधिकृत दुकानें हैं , और अंग्रेजी शराब की दुकान केवल एक जगह अधिकृत है । मैं कल सुबह ही गांव से आया हूं, कोथून रोड से होकर मेरा आना-जाना रहता है । मैं आपको अभी भी कह सकता हूं कि कोथून रोड मोरेल नदी के किनारे दौसा और टौंक सीमा पर, लालसोट तहसील में दुकानें आज भी और अब भी चल रही हैं । आपने जो जवाब दिया है वह बिलकुल गलत जवाब दिया है । दूसरी आपकी मंडावरी में कोई भी अंग्रेजी शराब की दुकान नहीं है लेकिन कन्या शाला और सैकण्डरी स्कूल के सामने आज भी, अभी भी शराब की दुकान चल रही है और आप कह रहे हैं कि आपको जानकारी नहीं है । क्या आपने सारे इलाके को ही ठेकेदारों को बेच दिया है ? क्या आपके अधिकारी ठेकेदारों से मिले हुये हैं ? मैं माननीय मन्त्री जी, आपको गम्भीरता से कह रहा हूं कि मोरेल और कोथून रोड पर जो दुकानें चल रही हैं वह दो साल से चल रही हैं और अभी भी चल रही हैं । अगर आप हिम्मत करें तो मेरे साथ चलिये दुकानें बताता हूं अभी आपको कि ये दुकानें चल रही हैं । मंडावरी में दुकान चल रही है और आप कहते हैं कि दुकान नहीं चल रही हैं । आपके अधिकारी, शराब के इंस्पेक्टर जिला आबकारी अधिकारी, आयुक्त सब ठेकेदारों से पैसे लेते हैं और ठेकेदारों से मिलकर एक दुकान की जगह सैकड़ों दुकानें चलाते हैं । आपने कहा कि 150 मीटर के फासले पर होनी चाहिये । एक भी दुकान; आप चलिये मेरे साथ,- मैं आपको 50 मीटर तो क्या 40 मीटर पर दुकान बता दूंगा राष्ट्रीय राजमार्ग पर. क्या बात कर रहे हैं ? सारा जवाब जो आपने दिया है वह बिलकुल तथ्यों से परे हैं । माननीय मन्त्री जी आप नये हैं. मुख्य मन्त्री जी को जवाब देना चाहिये । यह जो जवाब दिया

(श्री परसादीलाल मीणा)

है बिलकुल गलत दिया है और इसकी जांच होनी चाहिये। आप चलिये मेरे साथ लालसोट अभी, मोरेल नदी पर अभी भी आपको दुकान आज की तारीख में बता सकता हूं।

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : अध्यक्ष महोदय, दौसा जिले के अन्तर्गत बांदीकुई में मेन मार्केट में नयी दुकानें अभी जो खुली हैं उनकी दूरी मात्र 10 गज रखी गयी है। सरकार का क्या मापदंड है कि स्कूल के सामने, अस्पताल के सामने, भीड़ भरे बाजार के सामने....(व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, मंडावरी में....(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : सरकार कोई मापदंड तो निश्चित करे और यह बताये कि ये शराब की दुकानें भीड़ भरे बाजार में नहीं होंगी, स्कूल के पास नहीं होंगी, अस्पताल के सामने नहीं होंगी....

श्री परसादीलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, मंडावरी में अंग्रेजी शराब की दुकान कन्या शाला के सामने चल रही है जबकि सरकार ने कोई लाइसेंस नहीं दिया है, क्यों चल रही है, मोरेल नदी पर क्यों चल रही है? मन्त्रीजी आप बता दीजिए। सैंकड़ों जगहों पर आपकी अंग्रेजी की दुकानें लालसोट तहसील में चल रही हैं और आपने जवाब दिया है आप उसकी गम्भीरता से जांच करें और जिन अधिकारियों ने आपको यह जवाब दिया है उनके खिलाफ कार्यवाही करें।....(व्यवधान)

श्री अनंगकुमार जैन : मेरे अधिकारी जाएंगे आपके साथ।

श्री शैलेन्द्र जोशी : मन्त्री महोदय, बस स्टैंड पर चल रही है जहां पर हमेशा एक हजार आदमी रहते हैं।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, भीलवाड़ा जिले में भी इस तरह की दुकानें चल रही है मन्त्री महोदय बताने का कष्ट करेंगे कि....(व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : मन्दिर के पास चल रही है, स्कूल के पास चल रही है, जवाब दिलवायें साहब उनसे।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती इन्दिरा मायाराम।.... आप बिराजिये, माननीय सदस्य।

श्री शैलेन्द्र जोशी : अध्यक्ष महोदय, हर मन्दिर के सामने, हर बस स्टैंड के सामने एक शराब की दुकान हैं राजस्थान में ....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये। श्रीमती इन्दिरा मायाराम।

श्री परसादीलाल मीणा : आप जवाब दिलवाइये सरकार से पहले।

श्री अध्यक्ष : आप जवाब दे रहे हैं? (व्यवधान)....

श्री किशनाराम नाई (डूंगरगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैंने 1992 में 295 का नोटिस दिया था कि डूंगरगढ़ में एक शराब की दुकान नियमित नहीं चल रही है क्योंकि उसके पास स्कूल भी है, मन्दिर भी है। उसका आदेश हुआ, जांच हुई और

(श्री किशनाराम नाई)

जांच के बाद सरकार ने आदेश दिया कि उसे हटा दिया जाय लेकिन आज भी वह बदस्तूर चल रही है। उसमें पुलिस और आबकारी विभाग वाले सब मिले हुये हैं। इसलिये सरकार का आदेश होने के बावजूद आज के दिन भी उस जगह पर वह दुकान चल रही है।

श्री परसादीलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, पहले जवाब दिलवाइये।

श्री अनंग कुमार जैन : हां, जवाब दे रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : दे रहे हैं आप बिराजिये दो मिनट।

श्री अनंग कुमार जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार स्वयं इस बारे में हमेशा चिन्तित रहती है और राज्य सरकार इस बात का पूरा ध्यान रखती है कि अवैध शराब की दुकानें नहीं चलें। राज्य सरकार ने इस बारे में चिन्तित होने के कारण तत्परता से एक्शन लिया कि एक प्रार्थना-पत्र बिना दस्तखत, जिस पर लिखा है कि आम जनता तहसील लालसोट व दौसा; जिस पर किसी एक व्यक्ति के भी हस्ताक्षर नहीं हैं, लेकिन जिस पर किसी के हस्ताक्षर नहीं हैं उस प्रार्थना-पत्र पर भी राज्य सरकार ने एक्शन लिया। तत्काल मौके पर, उस जगह पर अधिकारियों को भिजवाया, जांच करवाई और उसके अन्दर जो जगह लिखी गई थी वहां पर कोई भी अवैध शराब की दुकान नहीं पायी गयी। फिर भी मेरा आपके माध्यम से माननीय सदस्य और सदन से निवेदन है कि यदि कहीं अवैध शराब की दुकान चल रही है उसके सम्बन्ध में आप लिखकर देंगे और वह वहां पर पायी जायेगी तो उस जगह से उस दुकान को तत्काल हटा दिया जाएगा और नियमों में उस व्यक्ति के खिलाफ....(व्यवधान)....

श्री परसादीलाल मीणा : मैं कह रहा हूं अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा हूं लिखकर देने की क्या बात है ?....

श्री अनंग कुमार जैन : उस व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये। ....(व्यवधान)....

श्री परसादीलाल मीणा : मैं खुद कह रहा हूं इस बात को, आपने पैरा 3 में जो जवाब दिया है....(व्यवधान)....

श्री हीरालाल सहरिया (किशनगंज) : शराब की दुकानें चल रही है, मन्त्री महोदय कोई मापदंड तो बता दें।....(व्यवधान)

श्री अनंग कुमार जैन : माननीय सदस्य कहें तो मैं हमारे यहां के अतिरिक्त आयुक्त, आबकारी को उनके साथ भेजने के लिए तैयार हूं, अभी तत्काल भेजने के लिए तैयार हूं यदि मोरेल नदी पर दुकान पाई गई और रिपोर्ट असत्य पाई गई तो मैं निश्चित तौर पर उनके खिलाफ एक्शन लूंगा और उस दुकान को भी तत्काल हटा दिया जाएगा।

श्री अध्यक्ष : साफ कह दिया कि अतिरिक्त आबकारी आयुक्त को भेज रहे हैं।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय

(श्री रामनारायण चौधरी)

ने जो उत्तर दिया, सरकार का उत्तर है उसको प्रश्नकर्ता माननीय सदस्य ने चुनौती दी है और चुनौती यह दी है कि ये तथ्य कुछ बता रहे हैं और इन्होंने दूसरे तथ्य बताये हैं। इस सम्बन्ध में मैं आपसे व्यवस्था चाहता हूं कि जब सरकारी उत्तर को माननीय सदस्य द्वारा चुनौती दी जाए उस पर गम्भीर चुनौती दी गयी है और सदन का रुख भी यही है कि माननीय मंत्री महोदय का उत्तर संतोषजनक नहीं है। इस सम्बन्ध में आपकी व्यवस्था दी जाए ताकि सदन को संतोषजनक उत्तर मिले।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी ने कह दिया कि वह डिप्टी कमिश्नर या असिस्टेंट कमिश्नर रैंक के अधिकारी को भेजने के लिये तैयार हैं और जो अवैध शराब की दुकानें होंगी उनको बन्द करवा देंगे।.... (व्यवधान)

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : आपके साथ जाने के लिए तैयार हैं।....(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : अध्यक्ष महोदय, बस स्टैण्ड पर बांदीकुई में 3–4 दुकानें खुली हुई हैं। मंत्री महोदय ये मदिरालय तो पूजालय तक पहुंच गये हैं, मन्दिर के पास, अस्पताल के पास, बस स्टैंड के पास है....(व्यवधान)....कहां-कहां से हटायेंगे। बांदीकुई बस स्टैंड पर चार शराब की दुकानें हैं।

श्री अमराराम (धोद) : जैसा हमारे मंत्रीजी यह कह रहे हैं कि कोई अवैध शराब की दुकान की सूचना हमारे पास नहीं है....

श्री शैलेन्द्र जोशी : मन्दिरों के पास तक है।

श्री अमराराम : सीकर जिले में 1000 गांव हैं।

श्री अध्यक्ष : सीकर की बात नहीं हो रही है। अभी बात दौसा जिले की हो रही है।

श्री अमराराम : ऐसा कोई गांव नहीं है जहां अवैध शराब की दुकान नहीं हो और सीकर जिले के हर गांव में....

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये। बिराजिये आप।

श्री अमराराम : हर गांव में अवैध शराब की दुकान है और जैसा मेरे कहने के बाद भी....

श्री अध्यक्ष : श्री हरिनारायण बैरवा।

श्री कन्हैयालाल मीणा (बस्सी) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि वास्तव में यह अवैध शराब की दुकान का जो मामला है, यह गयी बार भी विधान सभा में उठाया गया था लेकिन (व्यवधान)

श्रीमती कमला (बैराठ) : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहती हूं माननीय मंत्रीजी से, एक जगह एक प्रश्न का जवाब देकर के और उसके लिये किसी अधिकारी की नियुक्ति की घोषणा करके इसकी इतिश्री कर दी है....

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप।

श्रीमती कमला : मैं आपके माध्यम से

(श्रीमती कमला)

मंत्री महोदय और माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहती हूं कि आज सारे राजस्थान में अवैध शराब की बिक्री जहां-जहां हो रही है, वह तो एक अलग बात है लेकिन जो शराब की दुकानें वैध रूप से आपने दे रखी हैं और जिनके लिये पाबन्दी लगी हुई है कि वे किसी स्कूल के पास, किसी मन्दिर के पास, किसी सार्वजनिक स्थान पर इतनी दूरी से हों, नजदीक में कोई दुकान नहीं होगी। आप हरेक क्षेत्र में 2–2, 3–3 विधायकों की एक-एक कमेटी बनाकर पता करवा लीजिये कि सारे राजस्थान भर में स्कूलों के पास, मन्दिरों के पास, सार्वजनिक स्थान के पास खुले आम शराब की बिक्री हो रही है और कोई जगह बाकी नहीं है जहां पर इस तरह की बिक्री नहीं हो रही हो। मैं निवेदन करूंगी कि आपकी निर्धारित नीति की पालना के लिये तो कम से कम व्यवस्था करावें।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये, बिराजिये।

श्री कन्हैयालाल मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो अवैध शराब की दुकानें हैं या वैध दुकानें हैं, यह वैध दुकान की परिभाषा क्या है और इसमें अवैध शराब की दुकान की परिभाषा क्या है? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप।

श्री कन्हैयालाल मीणा : वैध दुकान तो जहां 6 होती हैं और 100-200 दुकानें अवैध खुली हुई होती हैं।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप।

श्री कन्हैयालाल मीणा : वास्तव में बात सही है कि....

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : मैंने पर्टिकुलर जगह के बारे में कहा है और मैं अब भी आपको कह रहा हूं कि....(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : सरकारें से घोषणा करवाइये।

श्री परसादीलाल मीणा : मैं कल सुबह आया हूं। मोरेल नदी पर कोथून रोड के पास अवैध शराब की दुकान आज से दो साल पहले से चल रही है और अगर इन्होंने आज रात को बन्द कर दी होगी तो मैं नहीं कह सकता पर मैं दावे से कह सकता हूं, अध्यक्ष महोदय, मैं हमेशा उधर से आता-जाता हूं। मैंने कल सुबह भी उस दुकान को देखा है.... (व्यवधान) आप कह रहे हैं, आप जांच करवा देंगे। आप अभी अपने अधिकारी को भेज दीजिये। दुकान एक नहीं है। मैं मण्डावरी की कह रहा हूं जहां का मैं रहने वाला हूं। वहां कन्या शाला के सामने शराब की अवैध दुकान है। मण्डावरी में कोई लाइसेंस नहीं है। आपकी दुकान चल रही है।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये, बिराजिये।

श्री परसादीलाल मीणा : आप दो बातों की जांच करवा लें।

श्री अध्यक्ष : श्री हरिनारायण जी बैरवा।

श्री परसादीलाल मीणा : नहीं, मेरे जवाब का क्या हुआ, अध्यक्ष महोदय?

श्री अध्यक्ष : जवाब इन्होंने दिया है।

श्री परसादीलाल मीणा : क्या जवाब है इसका, कोई जवाब नहीं है।

श्री अध्यक्ष : जवाब यह दिया है कि....

श्री परसादीलाल मीणा : कैसा जवाब, कुछ भी नहीं है इनका। आप जवाब दिलवाइये।

श्री अध्यक्ष : आप मंत्रीजी को बतायेंगे और फिर वे भेज देंगे, असिस्टेंट कमिश्नर रैंक के अधिकारी को भेज रहे हैं।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम (सांगानेर) : आप इसका जवाब दीजिये कि आप इसमें क्या कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, इसका जवाब इनको देना पड़ेगा कि स्कूल के सामने अवैध दुकान क्यों हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नहीं, इससे ज्यादा सरकार और क्या कर सकती है, मुझे बताओ आप। (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़) : पूरे प्रान्त में अवैध शराब की दुकानों की समस्या बढ़ रही है।

श्री परसादीलाल मीणा : मैं ठेकेदार नहीं हूं, अध्यक्ष महोदय,.... (व्यवधान)

श्री अमराराम : नहीं, उनकी लाइबिलिटी होनी चाहिए, उसका इंस्पेक्शन हो। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : सरकार अवैध शराब की दुकानों पर क्या कार्यवाही करने जा रही है ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये।

श्री रामनारायण चौधरी : नहीं, आप यह व्यवस्था करवा दीजिये कि सरकार अवैध दुकानों के बारे में क्या कार्यवाही करने जा रही है। (व्यवधान)

श्री अमराराम : आप सिद्धान्त रूप से यह तय करवा दीजिये, जिस इंसपेक्टर के इलाके में अवैध शराब की दुकान मिलेगी, उस पर एक्शन होगा और उसको सस्पेण्ड कर दिया जायेगा, सरकार यह आश्वासन दे दे।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, खास कर युवा वर्ग में शराब पीने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। पूरे प्रान्त में जगह-जगह देखा गया है कि स्कूलों के पास, मन्दिरों के पास, धार्मिक स्थल के पास शराब की दुकान लगी हुई हैं। ऐसे में क्यों नहीं सरकार एक निर्णय लेकर जिला कलक्टर पर सीधी जिम्मेदारी डाले, जिस भी जिले के अन्दर इस प्रकार की घटना पायी जायेगी, जिला कलक्टर सीधे रूप से जिम्मेदार माना जायेगा। सदन की भावना का आदर करते हुए सरकार को इसकी निश्चित रूप से घोषणा करनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री शैलेन्द्र जोशी : भीड़ भरे हुए बाजार में शराब की दुकान नहीं होगी, बस स्टैण्ड पर नहीं होगी।....(व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं, इसमें मैं एक

(श्री परसादीलाल मीणा)

पर्टिकुलर जगह की शिकायत कर रहा हूं। आप उसमें अधिकारी अपोइंट करिये और आप अभी भेज दीजिये।

श्री अध्यक्ष : अभी माननीय मंत्रीजी ने बहुत ही स्पेसिफिकली उत्तर दे दिया है।

एक माननीय सदस्य : यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मसला है।

श्री परसादीलाल मीणा : क्या उत्तर दे दिया है इन्होंने ? (व्यवधान).... क्या दे दिया उत्तर, आप क्यों बीच में आ रहे हैं ? आप मंत्रीजी....

श्री अध्यक्ष : उत्तर यह दिया है कि नहीं है दुकान, आप उनके ध्यान में लायेंगे तो जरूर भेज देंगे और असिस्टेंट कमिश्नर को भेज देंगे।

श्री परसादीलाल मीणा : मैं ध्यान में नहीं लाया, मैंने शिकायत की है। मैंने सवाल लगाया है इसी बात के लिये।.... (व्यवधान)

श्रीमती कमला : और कैसे लाया जाता है ध्यान में ? (व्यवधान) आप मंत्री महोदय, घोषणा करें कि इस जगह माननीय सदस्य के कहने से अधिकारी जाएंगे।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये। (व्यवधान) आप बिराजिये, बिराजिये (व्यवधान) अब आप बिराजिये। (व्यवधान) अंकित नहीं करें। अब अंकित मत करना।

श्री शैलेन्द्र जोशी ×××

श्री जगदीप धनखड़ : ×××

श्रीमती कमला : ×××

श्री परसादीलाल मीणा : ×××

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप।

श्री जगदीप धनखड़ : ×××

श्री परसादीलाल मीणा : ×××

श्री शैलेन्द्र जोशी : ×××

श्री अध्यक्ष : अब आप बिराजिये।

श्री शैलेन्द्र जोशी : ×××

श्री जगदीप धनखड़ : ×××

श्री अध्यक्ष : अब आप बिराजिये।

श्री शैलेन्द्र जोशी : ×××

श्री अध्यक्ष : असिस्टेंट कमिशनर रैंक के आदमी को भेज देंगे।

श्री शैलेन्द्र जोशी : ×××

श्री रामनारायण चौधरी : ×××

श्री जगदीप धनखड़ : ×××

श्री परसादीलाल मीणा : ×××

श्री अमराराम : ×××

श्री अध्यक्ष : आप सुनेंगे नहीं तो कैसे चलेगा ? शैलेन्द्र जी, बिराजिये आप। माननीय मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं, आप उनको सुनना नहीं चाहते हैं। (व्यवधान)

××× अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री परसादीलाल मीणा : ××××

श्री शैलेन्द्र जोशी : ×××

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये आप।

श्री शैलेन्द्र जोशी : ×××

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप। (व्यवधान)

श्री अनंग कुमार जैन : अध्यक्ष महोदय, यह सवाल विधान सभा में हमेशा उठता रहा है, सभी माननीय सदस्य इस विषय पर चिन्तित हैं और राज्य सरकार भी इस विषय में चिन्तित है। जिस प्रकार सदन के सभी माननीय सदस्य इस बात पर चिन्तित हैं कि अवैध शराब की दुकान नहीं चलनी चाहिए, राज्य सरकार ने भी इस विषय को गम्भीरता से लिया है और उसी क्रम में हमेशा राज्य सरकार इस बात के लिए तैयार रहती है। यदि कोई शिकायत प्राप्त होती है, तो उच्च स्तरीय अधिकारी भेज कर जांच भी करवाती है। माननीय सदस्य परसादी लाल जी ने फरमाया, मोरेल नदी के बारे में, मैंने 16.4.95 को भी जिला आबकारी अधिकारी को....(व्यवधान) अजी सुनिये पहले आप।

श्री अध्यक्ष : पूरा सुनिये, माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, बिराजिये आप। परसादी लाल जी, बिराजिये आप।

श्री अनंग कुमार जैन : जवाब सुनिये आप।

श्री अध्यक्ष : परसादी लाल जी, बिराजिये। शैलेन्द्र जी, बिराजिये आप। (व्यवधान) आप बात ही नहीं सुन रहे हैं किसी की। आप नहीं सुनेंगे तो प्रश्न का उत्तर कैसे आयेगा? पहले पूरा सुनिये आप। आप 16.4.95 की बात सुन लीजिये पहले।

श्री अनंग कुमार जैन : 16.4.95 को भी....

श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही) : 1977 में पूर्ण नशाबन्दी हो गयी थी, इन्होंने 1980 में वापस शराब चालू की, 1986 में जैन मन्दिर के पास में इन्होंने दुकान खुलवा दी। मैं उन दिनों नगरपालिका अध्यक्ष थी। उस दुकान के लिए हमने आन्दोलन किया, झगड़े किये....

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये।

श्रीमती तारा भण्डारी : जैन मन्दिर के पास दुकान बन्द नहीं हुई। सारी व्यवस्था बिगाड़ करके आप +++ करते हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये। बिराजिये आप। माननीय सदस्या, बिराजिये। (व्यवधान)

श्री किशनाराम : यह किस्सा आज का नहीं है, 40 साल से चल रहा है। 40 साल से चल रहा है। न तो इनसे हुआ, न इनसे होगा।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये, माननीय सदस्य।

××× अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।
+++ शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री अनंग कुमार जैन : जैसा मैंने निवेदन किया है, 16-4-95 को भी....

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी की पूरी बात सुनिये।

श्री अनंग कुमार जैन : जिला आबकारी अधिकारी को भेजकर जांच करवायी। उसके बाद भी यदि माननीय सदस्य का यह कहना है कि वहां दुकान अब भी चल रही है, मैं फिर दुबारा उच्च स्तरीय एडिशनल कमिशनर लेवल के आदमी को भेजकर जांच करवा लूंगा। यदि वहां दुकान पायी गयी तो निश्चित रूप से कार्यवाही होगी। माननीय सदस्य यदि साथ जाना चाहे, आप तारीख और समय तय करें, मेरे विभाग के एडिशनल कमिशनर आपसे सम्पर्क स्थापित करेंगे, आपको साथ लेकर जायेंगे।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप। श्री हरिनारायण बैरवा।....(व्यवधान)

श्री हरिनारायण बैरवा : प्रश्न संख्या 358.

श्री अनंग कुमार जैन : दूसरा, इसके अलावा भी राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है, दुकान की लोकेशन के बारे में जब माननीय सदस्य बहुत चिन्तित हैं, तो माननीय सदस्य को भी उस कमेटी में रखा है और जिला स्तरीय कमेटी बनायी है जिसके सदस्य जिला कलक्टर, क्षेत्र के सम्बन्धित विधायक, जिला पुलिस अधीक्षक, जिला आबकारी अधिकारी हैं, ये सब उसके सदस्य हैं। क्षेत्र के सम्बन्धित विधायक भी उसके सदस्य रहेंगे। इसके आदेश जारी कर दिये गये हैं।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : अभी तक कोई कमेटी नहीं बनी है।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप।

श्री अनंग कुमार जैन : वे उस कमेटी के अन्दर भी इस मामले को रख सकते हैं और....

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये। श्री हरिनारायण बैरवा।

ग्राम अल्लापुर (खण्डार) के प्राचीन शिलालेख की चोरी

358. **श्री हरिनारायण बैरवा** (खण्डार) : क्या पुरातत्व राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम अल्लापुर (खण्डार) में एक ऐतिहासिक कुण्ड बना हुआ है और उस पर लगा हुआ प्राचीन शिलालेख चोरी हो गया है ?

(2) क्या यह भी सही है कि 20 जनवरी, 1994 को प्रकाशित "राजस्थान पत्रिका" में "आओ गांव चलें" शीर्षकान्तर्गत यह उल्लेख है कि इस शिलालेख को कोई समाज कंटक, जो सवाईमाधोपुर का निवासी है, ले गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राज्य मंत्री, पुरातत्व, कला एवं संस्कृति (श्रीमती नरेन्द्र कंवर) : (1) यह सही है कि ग्राम अल्लापुर (खण्डार) में आबादी के मध्य एक प्राचीन कुण्ड बना हुआ है। यह कुण्ड पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग द्वारा राजस्थान स्मारक पुरावशेष स्थान तथा

(श्रीमती नरेन्द्र कंवर)

प्राचीन वस्तु अधिनियम, 1961 के तहत संरक्षित स्मारक घोषित नहीं है ।

(2) कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, सवाईमाधोपुर एवं तहसीलदार, तहसील खण्डार की रिपोर्ट के अनुसार "राजस्थान पत्रिका" दिनांक 20.1.1994 में प्रकाशित सूचना "आओ गांव चलें" शीर्षक के अन्तर्गत उल्लेखित इस कुण्ड पर शिलालेख होने व उसके चोरी होने बाबत स्थानीय पुलिस से भी पूछताछ की गयी लेकिन किसी व्यक्ति विशेष/ग्रामवासी/ग्राम पंचायत द्वारा कोई रिपोर्ट दर्ज न कराने के फलस्वरूप किसी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री हरिनारायण बैरवा : अध्यक्ष महोदय, अल्लापुर का प्राचीन कुण्ड पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग द्वारा राजस्थान स्मारक पुरावशेष स्थान तथा प्राचीन वस्तु अधिनियम, 1961 के तहत संरक्षित स्मारक घोषित नहीं है, यह जवाब में आया है । इसका मतलब यह तो नहीं है कि जो प्राचीन स्मारक इस प्रकार के हैं उनको नष्ट हो जाने दें और यह भी कहा कि पुलिस में रिपोर्ट नहीं की, पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने जाते हैं तो घर में चोरी हो जाती है उनकी ही नहीं सुनती जल्दी से । इसमें छपा हुआ है, 20 जनवरी, 1994 "आओ गांव चलें" में, खूब छपा हुआ है, यह रिपोर्ट नहीं है, सरकार ने इसके ऊपर ध्यान क्यों नहीं दिया, कलक्टर ने इसकी जांच क्यों नहीं करवायी ? और जो भी प्राचीन स्मारक हैं, इसमें सारथोर का जो किला है उसकी तोप गायब है, खण्डार का जो किला है उसकी मूर्तियां गायब हैं । ऐसे जो प्राचीन स्मारक हैं उनको पुरातत्व विभाग में लिया क्यों नहीं जा रहा आज दिन तक ?

श्री अध्यक्ष : बिराजिये ।

श्रीमती नरेन्द्र कंवर : अध्यक्ष महोदय, अल्लापुर गांव का जो कुण्ड है यह पंचायत के एरिया में आता है और इसको पंचायत देखती है, पंचायत में है, तो अच्छा होगा कि अगर यह रिपोर्ट दर्ज करा कर फिर इस पर करें और जो दूसरी जगह का कह रहे हैं यह....

एक माननीय सदस्य : "आओ गांव चलें" में प्रकाशित हुआ है ।

श्रीमती नरेन्द्र कंवर : "पत्रिका" में लिखा गया है इसके लिए कलक्टर को भी बोल दिया है लेकिन इसकी कोई कम्पलेंट नहीं होने की वजह से, और मैंने इनको बोल दिया है कि आप कम्पलेंट कर दीजिये उसकी कार्यवाही कर देंगे ।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये । श्री गोविन्द सिंहजी ।....(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, कम्पलेंट तो हुई है । माननीय अध्यक्ष महोदय, हाई कोर्ट पत्र के आधार पर अखबार में प्रकाशित पत्रिका....(व्यवधान)

श्रीमती नरेन्द्र कंवर : अध्यक्ष महोदय, सूचना और कम्पलेंट में बहुत फर्क है ।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये । रामनारायण जी साहब, बात हो गयी है, बिराजिये अब ।

श्री मोहनलाल मोदी (नीमकाथाना) :

(श्री मोहनलाल मोदी)

सूचना को ही कम्पलेंट मान लीजिये, सूचना भी तो कम्पलेंट का ही रूप है ।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये ।

केन्द्रीय समर्थन मूल्यों से वंचित जिन्सों का समर्थन मूल्य

359. **श्री गोविन्द सिंह गुर्जर** (नसीराबाद) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

क्या सरकार किसानों की उन जिन्सों का समर्थन मूल्य देने का विचार रखती है जिनका समर्थन मूल्य केन्द्र द्वारा नहीं दिया जा रहा है यथा: फल, प्याज, जीरा, लहसुन, सब्जी आदि ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राज्य मंत्री, कृषि (श्री ज्ञानसिंह चौधरी) : जी नहीं । फल व प्याज, जीरा, लहसुन, सब्जी आदि का राज्य सरकार द्वारा कोई समर्थन मूल्य निर्धारित नहीं है और न ही इस विषय में कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय का ध्यान वर्तमान मुख्य मन्त्री और 1988 में प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय शेखावत साहब की चार लाइनों की ओर, अपना जो भाषण उन्होंने स्थगन प्रस्ताव के ऊपर दिया था, दिलाना चाहता हूं । "राजस्थान में धनिया, लहसुन, सरसों के भाव बहुत नीचे चले गये हैं इनके भारत सरकार द्वारा समर्थन मूल्य निर्धारित करने की, इनकी खरीद करने की व्यवस्था की जावे ताकि किसानों को उनकी उपज की कीमत मिल सके ।" यह प्रश्न 1988 में आया था और उसके ऊपर काफी लम्बी-चौड़ी बहस हुई । उस समय श्री नाथूराम जी मिर्धा भी यहां थे जो कि एग्रीकल्चर कमीशन के चैयरमैन रहे हुए हैं और उस समय कुछ कोशिश तत्कालीन सरकार ने की थी और उस कोशिश के फलस्वरूप 1990-91 में गंगानगर जिले में, आपके जिले में खरीद की गयी । जैसा कि आपने एक प्रश्न के उत्तर में मेरे को बताया है और उसमें कुछ घाटा लगा 22 लाख का, यह बंद कर दी । मेरा आपसे निवेदन है कि जब तक आप कोई व्यवस्था नहीं करेंगे कि कोई इस तरह की एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की मार्केटिंग की कोई पालिसी हो, तब तक किसानों को उन जिन्सों का समर्थन मूल्य, जो अपने आप पैदा हों, नहीं मिल पायेगा और नतीजा यह होगा कि काश्तकार उन जिन्सों को बोना छोड़ कर दूसरी फसलों की तरफ चला जाएगा और जो एक क्वालिटी है हमारे यहां, वह क्वालिटी खतम हो जाएगी । इसी सम्बन्ध में मैं आपका खुद का ध्यान भी आपके खुद के बयान की ओर ले जाना चाहता हूं । मुझे दुःख हुआ जब अपने प्रश्न का उत्तर दिया कि इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है या तो आपके अधिकारियों ने आपको पूरी फाइल पढ़ने के लिए नहीं दी या आपने कष्ट नहीं किया । मैं आप ही का बयान पढ़ रहा हूं । "किसानों को अच्छे भाव मिलें तो उसके लिए सारे के सारे इन्फ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हम विचार कर रहे हैं ।" आप विचार कर रहे हैं, यह आपका भाषण है 3-3-90 का ।

श्री जुबेर खान (रामगढ़) : तब तो नये-नये मंत्री बने थे, जोश था ।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : "उसके लिए स्टोरेज की व्यवस्था हो, फाइनेंस की व्यवस्था हो, उसके प्रोसेसिंग की व्यवस्था हो, इस पर सरकार विचार कर रही है।" 94 है, 3-3-94। प्रोसेसिंग की व्यवस्था हो, इस पर सरकार विचार कर रही है।

श्री रामनारायण चौधरी : 3.3.94 का आपका भाषण है।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : "और एक टीम हम महाराष्ट्र में भेज रहे हैं जहां इस प्रकार की विपणन व्यवस्था को देखकर निश्चित रूप से किसानों को अच्छे भाव मिलें और समर्थन मूल्य देना पड़े उसके बारे में हम कोशिश कर रहे हैं, यह सारे का सारा विचाराधीन है और यह मैं विश्वास दिलाता हूं कि अगले साल," अगला साल खतम हो रहा है, "अगले साल आप महसूस करेंगे कि काश्तकार को हर हालत में विपणन की व्यवस्था की जाएगी और उसे अच्छे भाव मिलें इसके लिए राज्य सरकार की ओर से पूरा प्रयत्न किया जाएगा।" अब इस सम्बन्ध में आपने क्या किया, यह आप बता दीजिये।

श्री ज्ञानसिंह चौधरी : अध्यक्ष महोदय, जैसा अभी माननीय सदस्य ने मेरे विधान सभा के भाषण का भी उदाहरण दिया, जहां तक हमारी फल और सब्जी की विशेष रूप से जिन्स हैं, जो खराब होने वाली जिन्स हैं, इनमें काश्तकार को कैसे अच्छे भाव मिलें, इसके लिए मैंने पिछले साल में, जो अभी गोविन्दसिंहजी ने पढ़ कर सुनाया, मैंने कहा। फल और सब्जी उत्पादों के लिए हमने पिछले साल 24 जून को इस बात का निर्णय किया कि राजस्थान में जहां फल-सब्जी मण्डियां हैं, जहां फल और सब्जी की ज्यादा आवक हो, राजस्थान में कोल्ड स्टोरेज चालू करने का फैसला किया। उसके अन्दर चाहे व्यापारी हो, चाहे प्राइवेट संस्था हो, उनको हम जमीन देंगे और आवश्यकता पड़ी तो मार्केटिंग बोर्ड और वित्त एजेन्सियों से उसके ऋण की व्यवस्था करेंगे। तो इस व्यवस्था को भी हम बहुत जल्दी लागू करने जा रहे हैं और इसके साथ-साथ हमारी यह भी एक बहुत बड़ी इच्छा है कि राजस्थान में जैसा कि हरकसर का हमारा पैटर्न है बैंगलोर के अन्दर, हमारी किसान मण्डी योजना चले, किसान मण्डी योजना से क्या होगा कि काश्तकार सीधा मण्डी प्रांगण के अन्दर अपने फल सब्जी ला पायेगा और उसको सीधा व्यापारी या जो भी उपभोक्ता है, खरीद पाएगा। तो यह किसान मण्डी योजना नोर्दर्न इण्डिया में सबसे पहले, 7 मई से पहले राजस्थान की राजधानी जयपुर में चालू करने जा रहे हैं। इससे हमारा शोषण खतम हो जाएगा। जहां तक अन्य बातों का, जो इन्होंने बताया कि बाजार दखलंदाजी योजना के तहत 1990–91 के अन्दर गंगानगर जिले में हमारी किनू की खरीद हुई, उसके अन्तर्गत अब किनू की खरीद हुई लेकिन उससे करीबन 11,180 क्विंटल किनू खरीदा भी गया, उसमें करीब साढ़े पच्चीस लाख का हमारा घाटा हुआ, उस घाटे को आधा राज्य सरकार और हमारी दिल्ली सरकार ने वहन किया और वह योजना आगे नहीं चल पाई क्योंकि उस समय और आज भी हम महसूस करते हैं कि हमारी यह योजना जब तक फल-सब्जी के भण्डारण की व्यवस्था नहीं होगी, कोल्ड

(श्री ज्ञानसिंह चौधरी)

स्टोरेज नहीं होंगे, ट्रांसपोर्ट की सही व्यवस्था नहीं होगी और जब तक कम्युनिकेशन की हमारी सही व्यवस्था नहीं होगी, उस समय तक यह योजना चल नहीं पाएगी। आज हम कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था करने जा रहे हैं, हमारी जो भी सहकारी समितियां फल-सब्जी की जयपुर में हैं, टोंक में हैं और हमारे विभागन का यह निर्णय है कि ज्यादा से ज्यादा हमारी फल-सब्जी की सहकारी समितियां बनें और सरकार और कृषि विभाग उसको अनुदान के जरिये, चाहे हमारे ट्रक के लिए अनुदान हो, चाहे फल-सब्जी खरीदने के अनुदान हो, वह अनुदान देने का भी हमने निर्णय किया है जिससे कि ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था भी हो सके, उसको अच्छे ऋण की सुविधा मिल सके और उसके साथ-साथ हम राजस्थान की जो मुख्य मण्डियां हैं उन मण्डियों को कम्प्यूटर्स के जरिये हमारे होर्टिकल्चर का जो बोर्ड है, दिल्ली के सहयोग से हम एक व्यवस्था करने जा रहे हैं जिससे कि अजमेर के काश्तकार को, सब्जी वाले को यह भाव मिल सके कि आज क्या भाव है जिससे वह ट्रांसपोर्ट के जरिये मण्डियों में जाकर अपने फल-सब्जी बेच सके और खराब होने वाली जिन्स की समय रहते व्यवस्था कर सके। जैसा मैंने कहा, इसके अन्तर्गत यह योजनाएं हमारे राजस्थान में हमने फल-सब्जी के अन्दर चालू की हैं। जहां तक हमारी कृषि नीति जो बनने जा रही है उसमें कृषि विपणन नीति के तहत मुख्य मुद्दा मुख्य मंत्री जी के निर्देशन से हम इस बात का पूरा प्रयास कर रहे हैं कि फल-सब्जी के कैसे अच्छे भाव मिल सकें, किस प्रकार से फल-सब्जी की नयी मण्डियां बन सकें।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : मैं समर्थन मूल्य की बात कर रहा हूं।

श्री रामनारायण चौधरी : मैं मंत्री जी के भाषण में इन्टरवीन नहीं करता लेकिन मैं चाहता हूं आपसे, आपका भाषण बहुत सुन्दर है और आपकी मंशा बहुत अच्छी है लेकिन आप क्या यह बतायेंगे कि मंत्रिमंडल लेवल पर किसी स्टेज पर या आपके विभाग में किसी स्तर पर इस मामले पर विचार होकर क्या कोई आपका कार्यक्रम बना है ? यही जवाब दीजिये, भाषण की आवश्यकता नहीं इस मामले में।

श्री अध्यक्ष : माननीय बिराजें।

श्री रामनारायण चौधरी : आपके विभाग के स्तर का....

श्री रामनारायण डूडी (भोपालगढ़) : अध्यक्ष महोदय, कृषि मंत्री जी बहुत ही विस्तार से कृषि नीति से पूर्व....

श्री रामनारायण चौधरी : आपने या आपकी सरकार ने क्या किया और क्या करने के लिए जा रही है ?

श्री रामनारायण डूडी : हम तो केवल यह चाहते कि कृषि मंत्री जी आपकी जो कृषि नीति बन रही है, खनिज नीति बन रही है, फलां नीति बन रही है, नीतियां बन रही हैं क्रियान्विति के आधार पर आप केवल यह बता दीजिये, क्योंकि काश्तकार का जैसे जीरा है, लहसुन है, प्याज है और आप कोल्ड स्टोरेज वगैरह

(श्री रामनारायण डूडी)

फल-सब्जी रखने के लिए बनवा रहे हैं। यह आपने शायद तय किया होगा मगर अभी तक जो मैं निवेदन कर रहा हूं, अध्यक्ष महोदय, लहसुन के भावों में उतार-चढ़ाव से काश्तकार को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, जीरे के भावों से काश्तकार को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है और आपकी जो मार्केटिंग के अन्दर सहभागिता योजना है वह सहभागिता योजना आपने लागू कर रखी है, परन्तु कितने सदस्य आपने मार्केटिंग सोसायटीज के अू बनवाये ? कहां-कहां आपने इस प्रकार की जिंसों को रखा ?

श्री अध्यक्ष : बिराजें। एक साथ 10 तो प्रश्न पूछते हैं, मंत्री जी पूरी बात कह रहे हैं और आपका भाषण हो रहा है। आप बिराजें।

श्री किशनाराम नाई (डूंगरगढ़) : आपके जो मूल प्रश्न हैं उनके उत्तर आ चुके हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री भंवरसिंह जी।.... बिराजें आप।

श्री भंवरसिंह चौधरी (मेड़ता) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने अनुमति दी, कृपा आपकी। सब्जी की बात तो अलग है, मेड़ता मण्डी में सपोर्टिंग प्राइस पर गेहूं खरीदने वाला कोई नहीं है।

श्री अध्यक्ष : बिराजें।

श्री भंवरसिंह चौधरी : जो मण्डी जीरा और सरसों की हो गयी है और गेहूं काश्तकार लाता है। अब कोई मोल लगाने वाला नहीं है। क्या सरकार इसकी व्यवस्था करेगी ? सीधा प्रश्न है इतना ही उत्तर देना है आपको।

श्री अध्यक्ष : बिराजें।

श्री मांगीलाल मेघवाल (केशवराय-पाटन) : माननीय अध्यक्ष महोदय, 320 में किसान से गेहूं खरीदा जा रहा है और उचित मूल्य की दुकान से सरकार की तरफ से नहीं खरीदने से किसान लुट रहा है और किसान को शादियों के पहले मजबूर होकर गेहूं बेचने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है। किसान का लाखों का नुकसान हो रहा है।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें।

श्री मांगीलाल मेघवाल : मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री महोदय से आग्रह करूंगा कि तुरन्त प्रभाव से वहां व्यवस्था की जाए।

श्री अध्यक्ष : आपकी भावना पहुंच गयी, बिराजें आप।

श्री मांगीलाल मेघवाल : प्रश्न है वो सही कीमत पर खरीदा जाए।

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्री जी की बात पूरी सुनें फिर कहें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (चौमूं) : अध्यक्ष महोदय, एक बात मैं कह दूं। प्रश्न काल में जो चर्चा आ रही है। यह प्रश्न काल में जवाब पूरा नहीं आ सकता और इसकी आप व्यवस्था ऐसी करें कि जो फसलों के भाव कम हो रहे हैं। काश्तकारों की यह

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

वास्तव में समस्या है, इस पर कोई अन्य प्रस्ताव के द्वारा विचार करवा दें तो सदन की सारी भावनाएं आ जाएंगी और काम भी हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष : कृषि विभाग की जो डिमांड होगी उस पर आप चर्चा करें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : नहीं अलग से चर्चा करवा दें।

श्री रामनारायण चौधरी : इस मामले में उत्तर तो दिलवा दीजिये मन्त्री महोदय से।

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप।

श्री कालूलाल गुर्जर (माण्डल) : यह किसानों का मामला है और अभी वास्तव में गेहूं के भाव बहुत ज्यादा सस्ते हो गये हैं।

श्री अध्यक्ष : बिराजें।

श्री कालूलाल गुर्जर : बहुत बड़ा भारी नुकसान हो रहा है।

श्री रामनारायण डूडी : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न का उत्तर नहीं आता है, हम उत्तर चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य बिराजें। उसमें आ चुके हैं। बिराजें।

श्री रामनारायण डूडी : अध्यक्ष महोदय, खरीद वगैरह नहीं हो रही है और आप कह रहे हैं कि कटौती प्रस्तावों पर चर्चा कर लीजिये। चर्चा से क्या होगा? इस पर सरकार विचार रखती है या नहीं गेहूं वगैरह खरीदने के लिए?

श्री ओमप्रकाश शर्मा (बून्दी) : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहूंगा। यह सही है कि समर्थन मूल्य राजस्थान में सभी जिंसों के लिए हैं? यदि नहीं, तो कौन-कौन से? और क्या यह सही है कि बून्दी जिले में वर्तमान में समर्थन मूल्य पर गेहूं बिक रहा है और नहीं बिक रहा है, तो क्यों नहीं बिक रहा है?

श्री अध्यक्ष : बिराजें। माननीय मन्त्री जी को सुनें आप।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मेरा बहुत स्पेसिफिक सवाल है कि जिन जिंसों का केन्द्र सरकार समर्थन मूल्य नहीं दे रही है....

श्री कालूलाल गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, यह चर्चा के लिए सौंप दिया जाए।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : उनका समर्थन मूल्य देने के लिये राजस्थान सरकार कोई विचार रखती है? अब आपने कई बातें तो बताई, कोल्ड स्टोरेज बन रहे हैं, इसकी जरूरत नहीं है। लहसुन के लिये कोई कोल्ड स्टोरेज की जरूरत नहीं है, जीरे के लिये कोई कोल्ड स्टोरेज की जरूरत नहीं है, ईसबगोल के लिये कोई कोल्ड स्टोरेज की जरूरत नहीं है। मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री जी जवाब देना चाहते हैं। आप बिराजें।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : मैं वही बोलना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बिराजें तो वह जवाब दें।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : जो आप बता रहे हैं क्या यह प्रश्न मंत्रिमण्डल की बैठक में आया था, एजेंडा में था, कोई निर्णय हुआ और एक साल में क्या कार्यवाई हुई ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य बिराजें।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : वह टीम वहां जाकर आयी। महाराष्ट्र में आज प्याज का समर्थन मूल्य है, हिमाचल प्रदेश में सेव का समर्थन मूल्य है तो हमारे यहां क्यों नहीं है।

श्री अध्यक्ष : 5–7 माननीय सदस्यों ने 25 प्रश्न पूछ लिये, अब मन्त्रीजी जवाब देंगे तो फिर आप कहेंगे कि भाषण हो गया। माननीय मन्त्री जी को सुनें आप।

श्री ज्ञानसिंह चौधरी : जहां तक अभी सदस्यों ने बताया कि यह हमारी जो मसालों की जिन्स वगैरह हैं उन पर अभी हमको समर्थन मूल्य वगैरह नहीं मिल रहा है। जहां तक हमारी राज्य सरकार का और हमारे विभाग का सवाल है हमने केन्द्रीय सरकार को भी इस बात के लिए निवेदन किया है कि हमारे ग्वार, मोंठ वगैरह और मसालों की जिस हैं, उनका भी समर्थन मूल्य दिया जाए, क्योंकि समर्थन मूल्य कृषि मूल्य आयोग, इस बात का....

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय उसकी एक प्रक्रिया है जब तक आप उस प्रक्रिया से केन्द्र सरकार को नहीं लिखेंगे तब तक यह केवल निवेदन करने से नहीं होने वाला है।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें। माननीय सदस्य बीच में नहीं बोलें।

श्री ज्ञानसिंह चौधरी : गोविन्दसिंह जी ने सुझाव दिया, निश्चित प्रक्रिया को भी हम देखेंगे कि प्रक्रिया के तहत उसमें लिखा गया है या नहीं लिखा गया है और मेरी खुद की यह भावना है कि वास्तव में काश्तकारों को उचित मूल्य मिलना चाहिये था वह नहीं मिल रहा है। सरकार इसके लिए चिन्तित है। हम हर स्तर पर हमारी कृषि विपणन नीति के जरिये हमारे विभाग के जरिये हम यह प्रयास करेंगे कि राजस्थान के काश्तकारों को जिंसों का फल-सब्जी के कैसे अच्छे से अच्छा भाव मिले और अलग से अलग इस पर चर्चा हो सके, जैसे अभी भाई घनश्याम तिवाड़ी ने कहा, तो हम और भी अच्छे तरीके से इस बात को एक्सप्लेन कर पाएंगे, माननीय सदस्यों के सुझाव हमारे सामने आ जाएंगे कि किसानों के सामने जो समस्या है इसको कैसे हल किया जाय।

श्री अध्यक्ष : बिराजें। श्री महावीर जी भगोरा। बिराजें आप।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : अध्यक्ष महोदय, यह काश्तकारों से रिलेटेड मामला है और मंत्री जी बार-बार भारत सरकार का नाम ले रहे हैं। क्या राजस्थान सरकार इस मामले में कुछ भी नहीं करने जा रही है ?

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें।

श्री रामनारायण मीणा : भारत सरकार की बात करते हो आप।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य बिराजें।

श्री रामनारायण मीणा : आप सरकार से कह दें कि काश्तकार परेशान हैं।

श्री ओमप्रकाश शर्मा : 320 के हिसाब से गेहूं किसान से खरीदा जा रहा है।

श्री रामनारायण मीणा : मेरा निवेदन करना यह है कि यह अहम मसला है इसके लिए एक दिन निश्चित कर दें।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य बिराजें आप।

श्री रामनारायण मीणा : एक दिन इसके लिए निश्चित कर दें। यह बहुत बड़ा अहम मसला है आप सरकार से कह दें और एक दिन निश्चित कर दें। काश्तकार परेशान हैं काश्तकार बरबाद हो रहे हैं। इस राज में काश्तकार बरबाद हो रहा है, उसकी सुनवाई नहीं हो रही है।

श्री अध्यक्ष : आपकी सुनवाई हो रही है, आप बिराजें।

श्री रामनारायण मीणा : उसकी लागत के पैसे नहीं मिल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : अब आप बिराजें। श्री महावीर जी भगोरा।

जन जाति उप योजना क्षेत्र के बेरोजगार

360. श्री महावीर भगोरा (गोगुन्दा) : क्या जन जाति क्षेत्रीय विकास राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या सरकार ने जन जाति उप-योजना क्षेत्र के जनजाति के बेरोजगार लोगों को वेतन शृंखला 01 से 06 में 50 प्रतिशत आरक्षण कर भर्ती करने सम्बन्धी नीतिगत निर्णय लिया है ? यदि हां, तो यह किस तिथि से लिया गया ?

(2) क्या निर्णयानुसार क्रियान्विति के आदेश जारी नहीं किये गये हैं ? यदि हां, तो इस तरह के आदेश कब तक जारी कर दिये जाएंगे ?

राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास (श्री नन्दलाल मीणा) :(1) राज्य सरकार ने जन जाति उप योजना क्षेत्र के जन जाति के बेरोजगार लोगों के लिए वन विभाग में वन संरक्षकों, पुलिस विभाग में कांस्टेबलों, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों, ड्राइवरों, कनिष्ठ लिपिकों तथा सहायक अध्यापकों की भर्ती में 45 प्रतिशत पद आरक्षित करने का नीतिगत निर्णय लिया है। इस सम्बन्ध में अधिसूचना दिनांक 22.3.95 को प्रकाशित की जा चुकी है।

(2) निर्णय अनुसार दि. 22.3.95 को अधिसूचना जारी की जा चुकी है।

श्री महावीर भगोरा : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में जनजाति उप योजना क्षेत्र 1975 से लागू हुआ। 1975 से 1995, 20 वर्ष तक किसी सरकार ने इसकी ओर ध्यान नहीं दिया है. परन्तु इस सरकार ने, जो जन जाति के व्यक्तियों और परिवारों के प्रति संवेदनशील है, ध्यान दिया। इसके लिए इस सरकार का और माननीय भैरोंसिंह जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। जैसा कि इस उप-योजना क्षेत्र में....

श्री अध्यक्ष : प्रश्न पूछिए माननीय सदस्य ।

श्री महावीर भगोरा : हां प्रश्न पूछ रहा हूं । जैसा कि उप योजना क्षेत्र में इसकी भावना थी कि जन जाति के लोग देश की मुख्यधारा से जुड़ें और उनके समकक्ष आकर खड़े हों, तो इसके लिए जो नीतिगत निर्णय लेने थे उसके सम्बन्ध में मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार, जैसा कि इन सेवाओं में आरक्षण किया गया है उसी तरह से इससे ऊपर की सेवाओं में भी आरक्षण करने का विचार रखती है या नहीं ? जैसी नीति में भावना है कि उस क्षेत्र के लोगों के उत्थान के लिए उस क्षेत्र के लोगों के द्वारा ही उनकी सेवाएं दी जायं और सेवाएं की जायं तो क्या उन जिलों में जहां जनजाति की जितनी आबादी है उस आबादी के अनुपात में इन सेवाओं में भर्ती करने का विचार सरकार रखती है ?

श्री नन्दलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, यह एक ऐसा गम्भीर सवाल है, उस वर्ग का है....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, सुनिये ।

श्री नन्दलाल मीणा : जिस वर्ग के नाम पर आजादी के बाद से अब तक राजनैतिक रोटियां सेकी जाती रहीं । आरक्षण के नाम पर आदिवासियों को गुमराह किया जाता रहा । मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार और खास तौर पर माननीय मुख्य मंत्री जी के प्रति उस वर्ग का होने के नाते उन आदिवासी समुदायों की ओर से आभार प्रकट करता हूं और धन्यवाद प्रकट करता हूं कि राजस्थान में पहली बार इस संवेदनशील सरकार ने जो पहले 12 प्रतिशत आरक्षण था....(व्यवधान)

श्री महावीर भगोरा : सुनो तो सही कम से कम । सुनने का माद्दा भी रखो ।

श्री अध्यक्ष : सुनने दें आप, बिराजिये ।

श्री नन्दलाल मीणा : उस 12 प्रतिशत की भी पूर्ति नहीं की जाती रही और, अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़े आश्चर्य की बात तो यह है कि आज जो यह बंधु बोल रहे हैं राजस्थान के आदिवासियों....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये ।

श्री हरेन्द्र मिर्धा (नागौर) : अध्यक्ष महोदय, यह फंक्शन में भाषण दे रहे हैं, यह विधान सभा है या जवाब दे रहे हैं सदन में ?

श्री अध्यक्ष : बिराजिये ।

श्री हरेन्द्र मिर्धा : आभार प्रकट कर रहे हैं, वे भी आभार प्रकट कर रहे हैं ।

श्री नन्दलाल मीणा : जो पद सेंक्शन होते थे वे गैर आदिवासी इलाके के आदिवासियों से भरे जाते थे । यह पहला मौका होगा जब स्थानीय आदिवासियों के माध्यम से यह पद भरे जायेंगे । मुझे पूरा विश्वास है कि राजस्थान के उप योजना क्षेत्र में रहने वाले आदिवासी जो लम्बे समय से सरकारों के सामने मांग करते रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पहली बार उनकी मांग को गम्भीरता से सुना है और कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस के प्रतिनिधियों को मैं कहना चाहता हूं (व्यवधान) कि आज....(व्यवधान) इस बात का कि

(श्री नन्दलाल मीणा)

आदिवासियों के उत्थान के लिए (व्यवधान) इस बात के लिये....

श्री मोहनलाल मोदी : अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी को उत्तर देना है या सरकार का गुणगान करना है ।

श्री परसादीलाल मीणा : मंत्रीजी को सीधा जवाब देना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये, माननीय सदस्य ।

श्री शैलेन्द्र जोशी : अध्यक्ष महोदय, यह अभिशंसा काल है या प्रश्नोत्तर काल है ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी सरकार के पार्ट हैं, आप बिराजिये माननीय सदस्य ।

श्री शैलेन्द्र जोशी : अध्यक्ष महोदय, आप यह बतायें कि यह प्रश्नोत्तर काल है या अभिशंसा काल ? ...(व्यवधान)

श्री जुबेर खान : माननीय मंत्री महोदय, कितने संवेदन हैं आप....(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : यह महिमा मंडित करने का समय है, अभिशंसा काल है या प्रश्नोत्तर काल है, पहले इस बारे में व्यवस्था दीजिये आप ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये । बिराजिये । माननीय जुबेर खानजी, बिराजिये ।

श्री जुबेर खान : यह आदिवासियों के लिये और आप कह रहे हैं....

श्री शैलेन्द्र जोशी : अध्यक्ष महोदय, पहले इस बात की व्यवस्था दीजिये कि यह अभिशंसा काल है, महिमा मंडित करने का काल है या प्रश्नोत्तर काल है । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये । माननीय परसादीलाल जी, आप बिराजिये ।

श्री नन्दलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, मुझे अच्छी तरह से मालूम है इस सदन में मैं तीसरी बार चुनकर आया हूं । आदिवासियों के लिये जो 12 प्रतिशत आरक्षण हुआ था, राजकीय सेवाओं में कांग्रेस के राज में 12 प्रतिशत के बजाय एक प्रतिशत की भी पूर्ति नहीं की । आज यह पहला मौका है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक दृढ़ निश्चय के साथ निर्णय लिया है....

श्री महावीर भगोरा : हम अपेक्षा करते हैं कि आगे भी आबादी के हिसाब से आरक्षण होना चाहिये । यह हमारी मांग है ।

श्री अध्यक्ष : माननीय दयाराम जी ।

श्री नन्दलाल मीणा : हम आभारी हैं शेखावत साहब के इस बात के लिये कि यह पहला कदम इस सरकार ने उठाया है....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय दयाराम जी (व्यवधान).... माननीय दयाराम जी बोल रहे हैं । पहले उन्होंने हाथ उठाया....

श्री दयाराम परमार (खैरवाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से 2 प्रश्नों का जवाब चाहता हूं....

श्री जुबेर खान : अकेले मंत्री बन कर क्यों बैठे हो, बाकी आदिवासियों को भी बना लो।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये।

श्री भंवरसिंह चौधरी (मेड़ता) : कृपया आप सुनने का माद्दा तो रखिये। बोलते ही बोलते हैं आप सुबह से शाम तक। यह कोई तरीका है, आप ही आप बोलें।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। माननीय सदस्य, बिराजिये।

श्री दयाराम परमार : माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री महोदय से दो प्रश्नों का जवाब चाहता हूं। पहला तो यह कि आपने 22 तारीख को अधिसूचना जारी कर दी और 23 तारीख को राज्यपाल महोदय का अभिभाषण हुआ। उसके अन्तर्गत आपने फोरेस्ट गार्ड, चतुर्थ श्रेणी और पुलिस विभाग के सिपाही इन तीन पदों के लिए आपने कहा कि हमने 45 प्रतिशत रिजर्वेशन कर दिया। आपने जब 22 तारीख को अधिसूचना जारी की थी, उसमें थर्ड ग्रेड के टीचर भी हैं, ड्राइवर भी हैं, कनिष्ठ लिपिक भी हैं, तो उनको इस सूची में समावेश क्यों नहीं किया? पहली बात। दूसरा मेरा प्रश्न यह है कि आपने 50 प्रतिशत रिजर्वेशन करने की पहले घोषणा की थी फिर 45 प्रतिशत कर दिया, तो 45 प्रतिशत किस आधार पर किया? ट्राइबल पापुलेशन है 68.24 प्रतिशत तो आपने 45 प्रतिशत रिजर्वेशन करने का आधार क्या बनाया? यह मैं जानना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। श्री चुन्नीलाल जी।

श्री रामनारायण चौधरी : पहले उनके प्रश्न का उत्तर तो दिलवा दीजिये।

श्री चुन्नीलाल गरासिया (उदयपुर ग्रामीण) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं....

श्री अध्यक्ष : वह आ जायेगा। सबका साथ ही दे देंगे।

श्री रामनारायण चौधरी : यह डायल्यूट हो रहा है। पहले इसका जवाब तो दिलवा दीजिये।

श्री अध्यक्ष : नहीं, कोई डायल्यूट का मतलब नहीं है। आप बिराजिये।

श्री जुबेर खान : बड़ा पाइंटेड प्रश्न है, अध्यक्ष महोदय, इन्होंने पाइंटेड क्वेश्चन पूछा है। पहले इसका जवाब दिलवायें आप। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये, जुबेर खान जी! हर चीज के एक्सपर्ट नहीं हैं आप, हर बार खड़े हो रहे हैं आप।

श्री चुन्नीलाल गरासिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रतिपक्ष में बैठने वाले माननीय सदस्यों से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह जनजाति से सम्बन्धित प्रश्न है। जरा गम्भीरता से सोचें, इसको डायल्यूट न करें। (व्यवधान) हमारे में एक....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप भाषण न करें। आप प्रश्न पूछिये।

श्री चुन्नीलाल गरासिया : लेकिन आप

(श्री चुन्नीलाल गरासिया)

इस गम्भीरता को तोड़ रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा, मेरा इसी से सम्बन्धित एक प्रश्न है 372, लगा हुआ है। एक से छह तक आपने जनजाति क्षेत्र में 50 प्रतिशत रिजर्वेशन किया है। आपके ही विभाग में कार्यरत एक से छह स्केल के लोग जो कांट्रेक्ट बेसिस पर काम कर रहे हैं। हाईकोर्ट से वह लोग जीत गये हैं। आपने प्रश्न का जवाब दिया हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट में अपील कर रहे हैं। आपके विभाग का ही मामला है। क्या उन लोगों को जो एक से छह के स्केल में आते हैं, उनको स्थायी करेंगे ?

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। मंत्रीजी।

श्री नन्दलाल मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, खैरवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने दो सवाल उठाये हैं कि राज्यपाल के अभिभाषण में केवल तीन पदों के बारे में 45 प्रतिशत आरक्षण देने की बात कही गयी है। मैं माननीय सदस्य को स्पष्टीकरण इस रूप में करना चाहता हूं, जो प्रश्न के जवाब में मैंने बताया है कि ये छह पद हैं और इन छह पदों के लिए 45 प्रतिशत आरक्षण आदिवासी जिला क्षेत्रों में किया गया है। जहां तक....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बोलने दीजिये, माननीय सदस्य। आप बोलने दीजिये।

श्री नन्दलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, एक बात और मैं निवेदन करना चाहता हूं कुछ और पदों के बारे में भी बात कही है और उदयपुर ग्रामीण से आने वाले.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : जुबेर खानजी, आप बिराजिये। हर काम के एक्सपर्ट नहीं हैं आप, बिराजिये।

श्री जुबेर खान : ज्यादा संख्या है उसके आधार पर आरक्षण क्यों नहीं दे रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप। जुबेर खान जी की बात को अंकित न करें आप।

श्री जुबेर खान : × × ×

श्री महावीर भगौरा : आप बैठिये.... (व्यवधान) ... आरक्षण दिया ही नहीं है। आपने तो 12 प्रतिशत भी आरक्षण नहीं दिया....

एक माननीय सदस्य : कहां की बात कर रहे हो आप ?

श्री नन्दलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, आदिवासी क्षेत्र में प्रतिशत कितना है और कितना प्रतिशत आरक्षण देना चाहिए, यह पहला प्रयास है, राजस्थान में ही नहीं, राजस्थान में पहला प्रयास हैं जब 45 प्रतिशत आरक्षण दिया है। आजादी के बाद से अब तक हिन्दुस्तान में केवल आन्ध्र प्रदेश ही एक ऐसा राज्य था जहां पर 1986 में कांग्रेस के खिलाफ सरकार बनी थी एन.टी.आर. की, उस सरकार ने भी केवल शिक्षकों के लिए, आदिवासी इलाके में स्थानीय आदिवासियों के लिए आरक्षण किया था। मैं इस बात के लिए सदन को एक और निवेदन करना चाहता हूं कि यह

× × × अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री नन्दलाल मीणा)

ऐसा मसला है कि आज आदिवासी नौकरियों के लिए दफ्तर-दफ्तर के दरवाजे खटखटा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यह प्रयास किया है इसकी आपको सराहना करनी चाहिए, इसकी आपको प्रशंसा करनी चाहिए। आपकी जो सरकारें रही हैं, आपने उनके साथ केवल + + + बहाये हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो हमारा कदम है....

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। हो गया।

श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक ही लाइन का सवाल आपके माध्यम से मंत्रीजी से पूछ रहा हूं....

श्री नन्दलाल मीणा : भविष्य में इसकी क्या रूप रेखा होगी और भी यदि आवश्यकता अनुभव की जाएगी उसके आधार पर आगे विचार होगा। राजस्थान के अन्य भागों में जहां पर 12 प्रतिशत आरक्षण आदिवासियों के लिए....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री तैयब हुसैन जी। श्री तैयब हुसैन जी।

श्री विष्णु मोदी : एक मिनट साहब। एक लाइन का सवाल है, माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्रीजी यह बताने का कष्ट करेंगे आपकी जो सरकार है....

श्री मोहनलाल मोदी : पहले जो सवाल पूछे हैं उनका जवाब ही नहीं आया, उनका जवाब तो आने दीजिये। (व्यवधान)

श्री चुन्नीलाल गरासिया : मेरा जवाब तो आया नहीं, सर....(व्यवधान) आज नहीं आएगा।

श्री अध्यक्ष : विराजिये आप।

श्री विष्णु मोदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल है....

श्री हीरालाल सहरिया (किशनगंज) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि सहरिया आदिवासी जाति को 45 प्रतिशत में क्यों नहीं शामिल किया जा रहा है, 45 प्रतिशत आरक्षण में क्यों नहीं शामिल किया गया ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये। (व्यवधान)

श्री नन्दलाल मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, संविधान के पांचवें शिड्यूल में राज्यपाल को, जो यह सुरक्षित क्षेत्र है, उप योजना क्षेत्र के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार है। संविधान के उस प्रावधान के अनुसार ट्राइबल सब-प्लान एरिये में यह व्यवस्था की गयी है।

श्री विष्णु मोदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री तैयब हुसैन जी। अब हो गया। इस पर एक घंटे डिबेट भी होगी तो कुछ नहीं होगा। (व्यवधान) श्री तैयब हुसैन जी, बिराजिये आप।

श्री विष्णु मोदी : अध्यक्ष महोदय,....(व्यवधान) 45 प्रतिशत काश्त का कर

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री विष्णु मोदी)

दिया। ओ.बी.सी. को क्या भूल ही गये इसमें आप ?

श्री अध्यक्ष : और किसी माध्यम से उठाना। बिराजिये आप। श्री तैयब हुसैन जी।....(व्यवधान) बिराजिये आप। श्री तैयब हुसैनजी बोल रहे हैं, बिराजिये आप।

श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, हर बार बिठा देते हैं। कभी तो मौका दिया करो।

श्री अध्यक्ष : आप जब डिमांड आये उस समय या और किसी जगह पर उठा लीजिये। बिराजिये, अभी बिराजिये।

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, उधर से माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा था उसका तो जवाब दिलवायें आप। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : उनका उत्तर आ गया। बिराजिये आप। श्री तैयब हुसैनजी। (व्यवधान)

श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मामूली-सा है। मंत्री महोदय ने जवाब दिया है सैकंड पैरा में, उसमें यह है कि क्या निर्णयानुसार क्रियान्विति आदेश जारी नहीं किये गये हैं ?

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा) : क्रियान्विति की बात कही है जबकि मंत्रीजी ने यह कहा है कि 22.3.95 को अधिसूचना जारी की है तो क्रियान्विति मानें या क्या मानें ?

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये।

श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा) : इसकी क्रियान्विति कब से होगी ?

श्री नन्दलाल मीणा : नोटिफिकेशन का मतलब, हमको पालना करनी है हर हालत में।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप। श्री तैयब हुसैन जी। आपकी बात सुन ली। श्री तैयब हुसैन जी।

कामां (भरतपुर) के न्यायालयों में लम्बित मुकदमे

361. श्री तैयब हुसैन (कामां) : क्या विधि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) कामां सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ खण्ड) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय में कितने मुकदमात लम्बित हैं ?

(2) क्या कामां में सरकार अन्य न्यायालय का सृजन करना चाहती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राज्य मंत्री, विधि (श्रीमती शशि दत्ता): (1) कामां सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ खण्ड) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में दिनांक 31.3.1995 को सभी प्रकार के कुल 2158 वाद लम्बित हैं।

(2) जी नहीं, लम्बित वादों की संख्या को देखते हुए कामां में अन्य न्यायालय खोले जाने का औचित्य नहीं है।

श्री तैयब हुसैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये यह मालूम करना

(श्री तैयब हुसैन)

चाहता हूं कि इनमें कितने तो फौजदारी मुकदमे हैं, कितने दीवानी मुकदमे हैं, इनमें तीन साल से पुराने कितने हैं और पांच साल से पुराने कितने हैं ?

श्रीमती शशि दत्ता : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने मूल प्रश्न में मुझ से यह जानना चाहा था, सरकार से यह जानना चाहा था कि कामां सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ खण्ड) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय में कितने मुकदमात् लम्बित हैं ? जिनकी सूची मैंने आपको दे दी । अब आपका प्रश्न है, आप यह जानना चाहते हैं कि सिविल और क्रिमिनल कितने हैं ? तो शायद आप भी वकील रहे हैं और मैं भी पेशे से वकील रही हूं, it is very difficult procedure to collect all the information कि कितने वाद लम्बित हैं ? कल आप मुझ से यह पूछेंगे कि कितनों में डिसीजन हो गया, कितनों में एविडेंस हो गयी और कितनों में चालान पेश हो गये । **It is very difficult.** आप मुझसे क्या पूछना चाहते हैं ?

श्री तैयब हुसैन : माननीय अध्यक्ष, यह तो....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : हो गया आपका प्रश्न, बिराजिये ।

श्री तैयब हुसैन : नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गलत है, बहुत नामुनासिब जवाब है ।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : नार्म्स बनाने के लिए कितने....(व्यवधान)....

श्री शैलेन्द्र जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय को यह मालूम नहीं है कि राजस्थान की न्यायपालिका में हर तीन महीने बाद एक कलेंडर बनता है, जिसमें यह होता है कि कितने केस रिकार्ड हुए, कितनों का डिसीजन हुआ, कितनों का डिस्पोजल हुआ, कितने इन्टेरोगेशन हुए, यह मैं आपको मेरी जानकारी के आधार पर बता रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये ।

श्री शैलेन्द्र जोशी : इस तरीके से कालम होते हैं, इस तरीके का एक चार्ट होता है, बाकायदा जाता है और हजारों लोग उसको तैयार करते हैं । आपको प्रारम्भिक जानकारी भी नहीं है, मुझे अफसोस है ।

श्री अध्यक्ष : हां, माननीय मंत्रीजी ।

श्री तैयब हुसैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस तरह से इस सवाल को टालने की कोशिश करने से कोई फायदा नहीं होगा, इसमें कामां से मुतल्लिक ही पूछा जा रहा है अगर किसी और जिले का है या और किसी कोर्ट का पूछा जाए तो बात समझ में आती है । एक नोट फोर दी पेड सारी डिटेल इंफोर्मेशन मंत्री महोदय को दी जाती है और वह इसीलिये होती है कि उसमें से यह सारे जवाब दें, इसको टालने की कोशिश नहीं करें और अगर 2158 मुकदमे हैं, मैं जो अर्ज कर रहा हूं आपसे, यहां सात-सात, आठ-आठ, दस-दस साल से मुकदमे पेंडिंग हैं और फैसले नहीं हो रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष : सभी जगह हैं, बिराजिये आप।

श्री तैयब हुसैन : और 2158 का आंकड़ा तो दे दिया, क्या यह मुनासिब नहीं है, यह तो रिलेवेंट क्वश्चन है, आप जवाब दिलवाइये।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। श्री हरजीराम बुरडक। श्री हरजीराम जी बुरडक।

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक सप्लीमेंट्री है। माननीय सदस्य ने जो प्रश्न संख्या 361 पूछा है, उनकी मंशा इससे यह है कि जो लम्बित मामले हैं, 2158 मामले लम्बित हैं, यह सात-सात, आठ-आठ साल से लम्बित हैं। प्रश्न पूछने का मतलब यह है कि इनका डिस्पोजल कैसे होगा ? Justice delayed is justice denied का सिद्धान्त, माननीय अध्यक्ष महोदय, आप तो खुद विद्वान हैं, प्रसिद्ध एडवोकेट हैं, आप कृपा करके यह बता दीजिये, मंत्री महोदय से यह कहलवा दीजिये कि यह जो पेंडिंग केसेज हैं, उन लोगों को फौरी तरीके से कैसे इन्साफ मिल सकेगा, क्या व्यवस्था कर रहे हैं ? क्या वहां एडिशनल कोर्ट लगवायेंगे, या क्या व्यवस्था करेंगे ? 10-10 साल से जो पेंडिंग केसेज हैं, 2158 केस पेंडिंग हैं, एक छोटे से दायरे के अन्दर, उनका डिस्पोजल आप कैसे करवाएंगे, इस सम्बन्ध में सरकार क्या व्यवस्था करने जा रही है ?

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्रीमती शशि दत्ता : माननीय अध्यक्ष महोदय, कामां में, जो इन्होंने अपने मूल प्रश्न में पूछा कि कुल कितने वाद लम्बित हैं और माननीय सदस्य शायद पेशे से वकील रहे हैं, मुझे पूरी जानकारी नहीं है.... (व्यवधान)....मैं बता दूंगी। I will clear each and everything. हमारे नार्म्स के हिसाब से जो न्यायालय हम खोलते हैं, वह अब....(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : आप सुनें, माननीय सदस्य।

श्रीमती शशि दत्ता : आप थोड़ा पेशेंस रखिये।.... (व्यवधान).... Please, have patience. माननीय सदस्य को मैं यह बता देना चाहूंगी कि किसी भी स्थान पर अनुमानतः चार हजार या उससे अधिक वाद लम्बित हों उस स्थिति में हम नया कोर्ट खोलते हैं....(व्यवधान)

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : अध्यक्ष महोदय, जब तो किसान मर जाएगा.... (व्यवधान)....

श्रीमती शशि दत्ता : अध्यक्ष महोदय, देखिये....(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : क्या बात कर रहे हैं आप ?....(व्यवधान)

श्रीमती शशि दत्ता : माननीय अध्यक्ष महोदय, वास्तव में यह जवाब लेना नहीं चाहते हैं। मैं बता रही हूं कि नार्म्स के हिसाब से चार हजार वाद अगर लम्बित हैं, तो हम उसके हिसाब से नया न्यायालय खोलते हैं।

दूसरी बात, आप इस बात से भी अच्छी तरह से वाकिफ हैं कि आप राज्य

(श्रीमती शशि दत्ता)

सरकार को अपनी अभिशंसा भेजते हैं और उसके बाद हम हाईकोर्ट को आपकी अभिशंसा मार्क करके भेजते हैं। हाईकोर्ट उसका सर्वे कराती है अगर नार्म्स के हिसाब से वहां सही पाया जाता है, तो हाईकोर्ट हमें लिखता है कि वहां न्यायालय खोल दिया जाए। फिर भी मैं आपकी भावनाओं की कद्र करती हूं अगर आप यह चाहते हैं कि झगड़े और उससे कोर्ट ले लेंगे तो this is not possible यह आप चाहते हैं, मैं आपकी भावनाओं की कद्र करूं, आपके इलाके के विकास को ध्यान में रखते हुए nothing is impossible. Everything is possible. But if you will say then it is impossible. अगर आप चाहते हैं तो सरकार यह निश्चित आश्वासन देगी, I will open the court but.... (interruptions)....

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : इनके अधिकार क्षेत्र में कोर्ट खोलना है या नहीं? यह तो बताइये।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये-बिराजिये। माननीय श्री बुरड़क साहब। श्री बुरड़क साहब का प्रश्न आ रहा है।

शिक्षकों के स्थानान्तरण के सन्दर्भ में प्राप्त शिकायतें

362. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या अध्यापकों के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में जारी प्रक्रिया नीति अपनायी जा रही है? यदि हां, तो इस सम्बन्धी आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) स्थानान्तरण नीति के विरुद्ध किये गये स्थानान्तरणों के सम्बन्ध में कौन-कौन सी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और उसका निराकरण किस प्रकार किया गया?

शिक्षा मंत्री (श्री गुलाबचन्द कटारिया) : (1) जी, हां। नीति निर्देशों की प्रति सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(2) स्थानान्तरणों के विरुद्ध 1179 शिकायतें प्राप्त हुईं। इनमें से 335 का निस्तारण प्रत्येक मण्डल स्तर पर गठित परिवेदना समितियों द्वारा किया गया है। शेष शिकायतों को इन समितियों ने स्वीकार नहीं किया। परिवेदना समितियों का गठन निम्नानुसार हुआ था :-

पुरुष सेट-अप

1. मण्डल अधिकारी	अध्यक्ष
2. जिला शिक्षा अधिकारी (छात्र)	सदस्य
3. जिला शिक्षा अधिकारी (प्राथमिक शिक्षा)	सदस्य

महिला सेट-अप

1. मण्डल अधिकारी	अध्यक्ष
2. जिला शिक्षा अधिकारी (छात्रा)	सदस्य

(निर्देशों की प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री हरजीराम बुरडक : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जो स्थानान्तरण नीति प्रस्तुत की है, उसमें एक तो यह कोई व्यवस्था नहीं है कि अधिक से अधिक एक अध्यापक एक स्कूल में कितने समय तक रहेगा। पांच साल, दस साल, पन्द्रह साल, कोई न कोई आपको सीमा निर्धारित करनी चाहिये थी। अगर अधिक समय तक कोई शिक्षक एक जगह रहेगा तो वह सही तरीके से काम नहीं कर पाएगा इसलिये ज्यादा से ज्यादा कितने समय तक रह सकेगा, ऐसी आपको इसमें कोई व्यवस्था करनी चाहिये।

दूसरा, आपने प्रश्न के भाग दो में कहा कि 1179 शिकायतें प्राप्त हुई और इनमें से 335 का निस्तारण किया, तो यह शिकायतें किस प्रकार की थीं, अधिकतर शिकायतों में क्या उनको तकलीफ थी और जो निराकरण आपने किया उनमें किस तरह की शिकायतों का निराकरण किया ? यह आप बताने की कृपा करें।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, साधारणतया शिक्षा में अधिक ठहराव कोई बाधक नहीं होता है। अधिक ठहराव से कई बार शिक्षण अच्छा भी होता है लेकिन उनकी गुणवत्ता तो उनके परीक्षा परिणाम के आधार पर होती है। यदि उनका परीक्षा परिणाम लगातार तीन वर्षों से, बोर्ड के परीक्षा परिणाम से भी कम है तो हम उनको निश्चित रूप से हटाते हैं, यह इस नीति निर्देश में हमने पिछले साल ही डाला है, उनके अनुसार हमने कार्यवाही की है और जिनका पांच साल से लगातार अच्छा रिजल्ट है, उनको उनकी च्वाइस की जगह पर देने का भी प्रावधान इसमें रखा है। मैं सोचता हूं कि इसकी गुणवत्ता के आधार पर तो हमने रखा है लेकिन अगर कोई ऐसी बात आयेगी कि अधिक ठहराव के कारण से कोई वहां शिक्षण कार्य में किसी प्रकार का कोई गतिरोध आ रहा है, तो उसके बारे में जनरल नहीं, पर्टिकूलर व्यक्ति के बारे में जरूर विचार किया जा सकता है, उनको वहां से हटाया जा सकता है। जो शिकायतें हमें प्राप्त हुई, जो नीति-निर्देश हमने जारी किये थे, उन नीति-निर्देशों को छोड़कर जो स्थानान्तरण किये गये, जैसे किसी का रिटायरमेंट दो साल में ही हो रहा है और उसमें उनका ट्रांसफर हो गया और उन्होंने कहा कि चूंकि मेरा रिटायरमेंट दो साल के बाद ही हो रहा है, मेरा ट्रांसफर होना गलत हो गया या कोई गम्भीर बीमारी थी और उसको ध्यान में रखकर उनका ट्रांसफर हो गया, जो नीति निर्देश हमने जारी किये हैं, उनके तहत अगर उनमें कोई गलती रहकर किसी का स्थानान्तरण हो गया, तो हमने पहले से ही नीति-निर्देशों में परिवेदना समितियां भी साथ में गठित करके रखी थीं। ताकि वह जाकर के अपनी शिकायत करें और उसमें अगर कोई गलती पायी जाती है तो उनको राहत मिले। उसी के तहत हमने यह 335 लोगों को राहत दी।

श्री हरजीराम बुरडक : अब आने वाले सत्र में यही नीति रहेगी या आप इसमें कोई परिवर्तन करेंगे ? एक बात। दूसरी बात, आपने अधिक ठहराव वाली बात जो कही है....

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

श्री हरजीराम बुरडक : एक उत्तर तो आने देते, छोटा सा उत्तर तो आने देते।

श्री अध्यक्ष . आपकी सारी बातें माननीय मंत्रीजी बहुत सुनते हैं और आप खुद ही तारीफ करते हैं।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट 1 देखें।)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

स्टाम्प विक्रेताओं को मिलने वाली कमीशन राशि

536. श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं): क्या मुख्य (वित्त) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य में स्टाम्प विक्रेताओं को मौजूदा समय में सरकार द्वारा क्या कमीशन दिया जा रहा है ?

(2) वर्तमान दरें कब से लागू है तथा इससे पूर्व क्या दर प्रभावी थी व उसे बदलने के क्या कारण रहे ?

(3) क्या सरकार से स्टाम्प विक्रेताओं की ओर से यह मांग की जा रही है कि मौजूदा व्यवस्था अर्थात् कमीशन की दरें बढ़ाने व मौजूदा व्यवस्था को बदला जाय ? यदि हां, तो कब और क्या-क्या मांगे प्राप्त हुई ? सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की और क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

(4) क्या यह भी सही है कि पूर्व में स्टाम्प विक्रेताओं को कम पूंजी निवेश करना पड़ता था और कमीशन ज्यादा मिलता था जबकि मौजूदा व्यवस्था में अधिक पूंजी लगाने पर कमीशन मिलता है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों और इस संबंध में सरकार कब तक क्या कदम उठायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(5) स्टाम्प विक्रेताओं को मौजूदा समय में क्या-क्या सुविधाएं दी जा रही हैं और सरकार क्या-क्या सुविधाएं बढ़ाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) वर्तमान में स्टाम्प विक्रेताओं को देय कमीशन की दर सभी स्थानों पर प्रति सैंकड़ा निम्नानुसार है :—

1. नॉन जुडिशियल स्टाम्पों पर :

(अ) 1.00 से 400/– रु. तक 2.00 रु.

(ब) 401/–रु. से 5000/रु. तक 0.50 रु.

(2) जुडिशियल स्टाम्पों पर :

(अ) 1.00 रु. से 400/– तक 2.00 रु.

(ब) 401/–रु. से 5000/– तक 0.50 रु.

(2) वर्तमान दरें न्यायिकेत्तर (नॉन जुडिशियल) स्टाम्पों पर दि 23.6.1992 से तथा न्यायिक (जुडिशियल) मुद्रांकों पर दिनांक 15.5.1993 से लागू की गयी है। इससे पूर्व कमीशन की दरें निम्नानुसार थी :—

(अ) (1) 400/– रु. तक के न्यायिकेत्तर (नॉन जुडिशियल) मुद्रांकों पर :–

1. समस्त जिला मुख्यालयों पर 2.75 रु. प्रति सैंकड़ा

2. समस्त उपखण्ड मुख्यालयों के कस्बों पर 4.25 रु. प्रति सैंकड़ा

(मुख्य (वित्त) मंत्री)

3. अन्य स्थानों पर : 5.50 रु. प्रति सैंकड़ा

(ब) 400/– रु. से 1000/– रु. तक के (न्यायिकत्तर) नॉन जुडिशियल स्टाम्पों पर :–

1. समस्त जिला मुख्यालयों पर 1.20 रु. प्रति सैंकड़ा

2. समस्त उपखण्ड मुख्यालयों के कस्बों पर 1.90 रु. प्रति सैंकड़ा

3. अन्य स्थानों पर 2.50 रु. प्रति सैंकड़ा

(स) (1) 400/–रु. तक न्यायिक (जुडिशियल) मुद्रांक पर :—

1. समस्त स्थानों पर 1.50 रु. प्रति सैंकड़ा

2. 400/– रु. से 1000/–रु. तक न्यायिक मुद्रांकों पर समस्त स्थानों पर 0.70 रु. प्रति सैंकड़ा

समस्त विक्रेताओं के प्रतिनिधियों द्वारा राज्य सरकार को अभ्यावेदन देकर विक्रय सीमा बढ़ाने एवं कमीशन की दर बढ़ाने की मांग कई बार की गई थी। मुद्रांक विक्रेताओं के प्रतिनिधियों के साथ विचारविमर्श करने के पश्चात् विभाग द्वारा राज्य सरकार को विक्रय सीमा 5000/– रु. बढ़ाने एवं कमीशन की दरें सभी स्थानों पर समान रूप से लागू करने के प्रस्ताव भेजे गये। जिन पर विचार कर राज्य सरकार द्वारा कमीशन की दरों में संशोधन करने से पूर्व एवं संशोधन करने के बाद जो राशि कमीशन के रूप में दी गयी उसका तुलनात्मक विवरण निम्नानुसार है :—

जुडिशियल एवं नॉन जुडिशियल मुद्रांकों की सभी स्थानों पर कमीशन दर 1.00 रु. से 400/– रु. तक 2.00 रु. एवं 401 से 5000/– रु. तक 0.50 रुपये कर दी गयी तथा विक्रय सीमा 1000/– रु. से बढ़ाकर 5000/– रु. कर दी।

(3) सरकार से मुद्रांक विक्रेताओं द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर यह मांग की जा रही है, कि राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 23-6-1992 के द्वारा विक्रय सीमा 1000/– रु. से बढ़ाकर 5000/– रु. की गयी साथ ही कमीशन की दरों में भी संशोधन करके दर कम कर दी गई। विभाग द्वारा मुद्रांक विक्रेताओं के अभ्यावेदनों पर विचार करके राज्य सरकार को मुद्रांक विक्रय पर देय कमीशन की दरों में वृद्धि करने के प्रस्ताव 8-1-1993 से भिजवाया जाकर यह भी प्रस्ताव भेजे गये हैं, कि कमीशन की दरों में वृद्धि करने से राज्य सरकार पर वित्तीय भार अत्यधिक बढ़ता है, इसलिए विक्रय पर कमीशन क्रेताओं से ही लेने का प्रावधान नियमों करना उचित रहेगा। इससे कमीशन के रूप में सरकार द्वारा दी जाने वाली राशि की भी बचत होगी तथा बढ़ी हुई दर से क्रेता से जो कमीशन लिया जाएगा उसे मुद्रांक विक्रेता को अच्छी आय होने के कारण अनियमित वसूली पर भी अंकुश रहेगा। उक्त प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है।

(4) जी नहीं, सम्पत्ति के बाजार मूल्य बढ़ने से छोटी जगहों पर भी अधिक वैल्यू

(मुख्य (वित्त) मंत्री)

के मुद्रांक की बिक्री होती है, तथा विक्रय सीमा बढ़ने से कमीशन की दर नॉन-जुडिशियल पर कम होने के बावजूद अधिक कमीशन स्टाम्प वेण्डर्स को मिलता है, तथा जुडिशियल स्टाम्प पर देय कमीशन की दर बढ़ाने से भी इनकी बिक्री पर अधिक कमीशन उन्हें मिल रहा है।

न्यायिक :-वर्ष 1991-92 में 2.67 लाख कमीशन के रूप में दिये गये जो संशोधित दरों के बाद 1992-93 में 4.30 लाख हो गया।

न्यायिकेत्तर :-वर्ष 1991-92 में 26.90 लाख के मुकाबले 1992-93 में 40 लाख का भुगतान किया गया।

अतः यह कथन सत्य नहीं है, कि विक्रय सीमा बढ़ाकर कमीशन की दरों में कमी करने से मुद्रांक विक्रेताओं को नुकसान हुआ है। वस्तुस्थिति यह है, कि सरकार द्वारा पूर्व की अपेक्षा अब मुद्रांक विक्रेताओं को अधिक राशि कमीशन के रूप में दी जा रही है। इसके अतिरिक्त मुद्रांक विक्रेताओं को मुद्रांक की बिक्री पर देय कमीशन की प्रक्रिया को बदलने के प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है।

(5) मुद्रांक अधिनियम के नियम 3 के तहत मुद्रांक विक्रेताओं को अनुज्ञा-पत्र जारी किया जाता है, विभाग द्वारा नियम 22 के तहत मुद्रांक विक्रेताओं की संख्या का निर्धारण एवं पदों का सर्जन किया जाता है, अनुज्ञाधारी को जिस स्थान पर कार्यरत मुद्रांक विक्रय हेतु अनुज्ञा-पत्र जारी किया जाता है, उस स्थान का नाम अंकित किया जाता है, सम्बन्धित कार्यालय (तहसील उपखण्ड मुख्यालय एवं जिला स्तर) पर बैठकर विक्रय करने की समुचित सुविधायें प्रदान की जाती हैं, इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार की सुविधाए प्रदान किये जाने का नियमों में प्रावधान नहीं है।

सराड़ा तहसील (उदयपुर) में स्वतन्त्र उपकोष

537. श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा) : क्या मुख्य (वित्त) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि उदयपुर जिले के सराड़ा तहसील में उपकोष नहीं है? यदि हां, तो क्या सरकार वहां पर स्वतन्त्र उप-कोष प्रारम्भ करने की विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी हां, सराड़ा तहसील में स्वतन्त्र उपकोष नहीं है। परन्तु वहां सामान्य उपकोष स्थापित है जो तहसीलदार के अधीन कार्यरत है। अभी सराड़ा में स्वतन्त्र उपकोष की स्थापना का कोई विचार नहीं है, क्योंकि वहां प्रशासनिक दृष्टि से इसकी आवश्यकता नहीं पायी गयी है।

समाज कार्य अनुसंधान, तिलोनिया को मिलने वाला आर्थिक सहयोग

538. श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़) : क्या मुख्य (सामान्य प्रशासन) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री जगदीप धनखड़)

(1) समाज कार्य अनुसंधान, तिलौनिया (अजमेर ज़िला) गैर सरकारी संस्थान को गत 5 वर्षों में कहां-कहां से किस-किस संस्था से किस-किस कार्य के लिए सहायता या आर्थिक सहयोग मिला है ? वर्षवार विवरण देवें और विदेशों से मिली सहायता को अलग से दर्शावें ।

(2) राज्य सरकार के भवन और भूमि (जो पूर्व में ग्राम सेवक ट्रेनिंग सेन्टर था) को तिलौनिया में इस संस्था को कब से और किन शर्तों पर और किस विधिक आधार पर उपलब्ध करवा रखा है ? पूर्ण दस्तावेज सदन की मेज पर रखें । उक्त सम्पत्ति का अब तक कितना किराया इस संस्था से लिया जा चुका है । विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) समाज कार्य एवं अनुसंधान केन्द्र, तिलोनिया (जिला अजमेर) गैर-सरकारी संस्था को वर्ष 1989-90 से वर्ष 1993-94 तक 5 वर्षों में निम्नानुसार सहायता प्राप्त हुई है :—

वर्ष	विदेशों द्वारा दी गई सहायता	सरकारी सहायता		योग
		केन्द्र सरकार	राज्य सरकार	
89-90	54,65,988.87	45,95,495.47	1,22,572.50	1,01,84,056.84
90-91	61,28,454.32	39,02,846.85	99,831.00	1,01,31,132.17
91-92	60,10,322.00	98,42,959.00	1,16,360.00	1,59,69,641.00
92-93	1,83,10,317.53	15,67,111.00	6,81,915.00	2,05,59,343.53
93-94	1,14,68,971.66	52,97,412.00	19,27,847.00	1,86,94,230.66
योग	4,73,84,054.38	2,52,05,824.32	29,48,525.50	7,55,38,404.20

वर्ष 1994-95 में प्राप्त एवं उपयोग की गई सहायता राशि का अंकेक्षण करवाया जा रहा है । केन्द्र एवं राज्य सरकार तथा विदेशों से प्राप्त आर्थिक सहायता जिन कार्यों के लिए दी गयी है, का वर्षवार विवरण परिशिष्ट 1 से 15 पर उपलब्ध है । तदनुसार व्यय की गयी राशि के उपयोगिता प्रमाण-पत्र सम्बन्धित संस्थाओं को प्रस्तुत कर दिये गये हैं ।

(2) राज्य सरकार के भवन एवं भूमि जो पूर्व में टी. बी. सेनीटोरियम था, बाद में ग्राम सेवक ट्रेनिंग सेंटर रहा । इससे बाद खाद बीज भण्डार के लिए उपयोग हुआ करता था । तिलोनिया में इस संस्था को वर्ष 1972 में विकास विभाग, राजस्थान

मुख्य (सामान्य प्रशासन) मन्त्री

जयपुर से संस्था को ग्रामीण विकास संबंधी गतिविधियों के संचालन हेतु हस्तान्तरित किया गया है। वर्तमान में इस भवन का उपयोग लोक जुम्बिश एवं शिक्षा कर्मी योजना के लिए प्रशिक्षण केन्द्र के रूप में हो रहा है। संस्था द्वारा इसका कोई किराया का भुगतान नहीं किया जा रहा है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

मेवात विकास बोर्ड के विकास कार्यों के लिए क्षेत्रीय विधायक की सहमति

539. श्री गोपीचन्द (नगर) : क्या मुख्य (सामान्य प्रशासन) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या मेवात विकास बोर्ड में विकास कार्यों के लिए क्षेत्रीय विधायक की सहमति लेना आवश्यक है? यदि हां, तो क्या सम्बन्धित क्षेत्रीय विधायक से सहमति ले ली गयी?. यदि नहीं, तो क्यों। विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

मेवात क्षेत्र में लिए जाने वाले विकास कार्यों के प्रस्ताव सम्बन्धित जिले के जिला ग्रामीण विकास अभिकरण की शासकीय समिति द्वारा अनुमोदित किये जाते हैं और सम्बन्धित क्षेत्र के विधायक महोदय भी शासकीय समिति के सदस्य होते हैं। मेवात क्षेत्रीय विकास मण्डल में भी सम्बन्धित क्षेत्र के विधायक बोर्ड के सदस्य होते हैं। अतः अलग से सुझाव या सहमति लेने की आवश्यकता नहीं रहती।

नगरपालिका पुष्कर (अजमेर) क्षेत्र में अतिक्रमण

540. श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) नगरपालिका पुष्कर क्षेत्र में अतिक्रमण के कितने व कौन-कौन से मामले कब से विचाराधीन हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) अतिक्रमण के प्रत्येक मामले में अतिक्रमण को हटाने के लिए अथवा उसके नियमन के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गयी है? तथा उसमें कितनी सफलता मिली? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार अतिक्रमण के नियमन योग्य मामलों को विशेष अभियान चलाया जाकर 'आन दी स्पॉट' निर्णय करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक एवं नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) नगरपालिका पुष्कर क्षेत्र में अतिक्रमियों के निम्न मामले विचाराधीन है :-

(अ) नगरपालिका पुष्कर क्षेत्र में राजकीय राजस्व भूमि पर 114 मामले अतिक्रमण के 1991 में उप तहसील पुष्कर में दर्ज हुए हैं, 78 प्रकरण 1994 में, तथा 35 प्रकरण वर्ष 1995 में दर्ज हुए हैं, सूची संलग्न है। (परिशिष्ट—1)

(ब) नगरपालिका भूमि पर अतिक्रमण के 171 मामले नगरपालिका पुष्कर में

(राजस्व मन्त्री)

वर्ष 1981 से विचाराधीन है, जिसकी सूची संलग्न है। (परिशिष्ट—2)

(2) राजस्व विभाग की भूमि पर अतिक्रमण के प्रत्येक मामले में नायब तहसीलदार, पुष्कर द्वारा राजस्व एवं भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही की जाकर तीन मामले उप खण्ड अधिकारी, अजमेर को नियमन की कार्यवाही हेतु अग्रेषित किये गये तथा 110 मामलों में बेदखली के आदेश पारित किये गये हैं। बेदखली से निर्णित 110 मामलों में मौके पर मकान, बाड़े होने के कारण मौके पर से बेदखली की कार्यवाही अभी तक नहीं हो पाई है। एक प्रकरण में सिविल न्यायालय से स्थगन है।

नगरपालिका भूमि पर हुए अतिक्रमणों में 5 चिन्हित कच्ची बस्तियां, सांसी कालोनी, लौहार कालोनी, हरिजन बस्ती, हाई स्कूल के पीछे नायब कालोनी के 99 प्रकरण नियमन हेतु वर्ष 1981 से विचाराधीन है इनमें से 14 प्रकरणों में राशि जमा कराकर नियमन किया जा चुका है। शेष 85 प्रकरणों में राशि जमा कराने के प्रयास किये जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त विविध 72 मामलों में से 15 मामलों में बेदखल किया जाकर अतिक्रमणियों को नियोजित रूप से बसा दिया गया है। शेष प्रत्येक मामले की कार्यवाही परिशिष्ट-3 में अंकित की गयी है।

(3) कार्यवाही नियमानुसार की जा रही है। वर्तमान में विशेष अभियान की आवश्यकता नहीं है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

जेत सागर तालाब (बूंदी) के कैचमेन्ट एरिया में भूमि का आवंटन

541. श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जेत सागर तालाब बून्दी के कैचमेन्ट एरिया में किसी व्यवसायी को निजी होटल हेतु भूमि आवंटित की गयी है? यदि हां, तो आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या आवंटित भूमि में वन विभाग की भूमि भी सम्मिलित है? यदि हां, तो आवंटन निरस्त करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है?

उत्तर

(1) जी हां, आदेश की प्रति सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(2) जी हां। आवंटन निरस्त नहीं किया जा रहा है अपितु प्रश्नगत सरक्षित वन घोषित भूमि को अनारक्षित करने के प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार को भेजे जा चुके हैं।

(प्रति के लिये कृपया परिशिष्ट-2 देखे)

सूरतगढ़ क्षेत्र की आबादियों का नियमन

542. श्री अमरचन्द मिढ्ढा (सूरतगढ़): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री अमरचन्द मिड्ढा)

(1) सूरतगढ़ विधान सभा क्षेत्र के सूरतगढ़, श्रीविजयनगर, अनूपगढ़, घड़साना तहसीलों में इन्दिरा गांधी नहर परियोजना से सिंचाई शुरू होने पर किस-किस तहसील के किस-किस गांवों को राजस्व गांव घोषित किया गया है ?

(2) इन गांवों में वर्ष 1971, 1981 व 1991 को जनसंख्या कितनी थी ?

(3) क्या यह सही है कि ऐसी आबादियां भी विकसित हो गयी हैं जो अभी तक मंजूर नहीं की गयी है ? यदि हां, तो इन आबादियों के चक के नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखें ।

(4) क्या सरकार ऐसी आबादियों को स्वीकृति देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) सूरतगढ़ विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत तहसीलवार घोषित राजस्व ग्राम /चक की सूची परिशिष्ट "क" पर संलग्न है ।

(2) प्रत्येक गांव/चक की जनसंख्या तहसीलवार उनके नाम के सामने संलग्न सूची "क" में दर्शायी गयी है ।

(3) जी हां । इन आबादियों की सूची परिशिष्ट 'ख" तहसीलवार संलग्न है ।

(4) जिन आबादियों की जनसंख्या 250 व इससे अधिक होगी, उनके प्रस्ताव सम्बन्धित जिला कलक्टर के द्वारा राजस्व मण्डल अजमेर के मार्फत प्राप्त होने पर राजस्व ग्राम घोषित करने की कार्यवाही की जा सकेगी ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी ।)

सोजत शहर (जिला पाली) में डोली, वक्फ व धार्मिक स्थल की भूमि

543. **श्री माधवसिंह दीवान** (सोजत): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

सोजत शहर व सोजत रोड जिला पाली के चक नं. 1 व चक नं. 2 में कितनी कितनी भूमि डोली, वक्फ, धार्मिक स्थल के तहत दर्ज है ? खसरा नं., रकबा, धार्मिक स्थान का नाम, नक्शे की प्रति सहित सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

सोजत शहर व सोजत रोड जिला पाली के चक 1 व चक 2 में स्थित डोली की भूमि, वक्फ, धार्मिक स्थल की सूची, खसरा नम्बर, रकबा की प्रति सदन की मेज पर रख दी गयी है । नक्शे की प्रतियां प्राप्त की जा रही है ।

(प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी ।)

ग्राम दुगारी (जिला बूंदी) को भूमि का नामान्तरकरण

544. **श्री रामगोपाल बैरवा**(पीपल्दा): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या नामान्तरकरण संख्या 450

(श्री रामगोपाल बैरवा)

ग्राम दुगारी, जिला बून्दी की भूमि जंगलात की दर्ज होने से अमल दरामद नहीं करने बाबत नोट अंकित किया गया है ? यदि हां, तो नामान्तरकरण की छाया प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त नामान्तरकरण में वर्णित भूमि 15 जून, 1973 को आवंटित की गई है ? यदि हां, तो आवंटन आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां, नामान्तरकरण संख्या 450 पर भूमि जंगलात की होने से अमल दरामद नही करने बाबत नोट अंकित है, जिस पर किसी कर्मचारी या अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है। नामान्तरकण की प्रति सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(2) जी हां। आबंटन आदेश की प्रति सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

ग्राम बस्सी सीतारामपुरा (जिला जयपुर) की कृषि भूमि का संपरिवर्तन

545. श्री महादेवसिंह (खण्डेला) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) ग्राम बस्सी सीतारामपुरा तहसील जयपुर के खसरा नम्बर 43 व 44 की कृषि भूमि जो अमानीशाह नाले पर है, में से कितनी-कितनी भूमि का किस-किस प्रयोजन हेतु कितनी-कितनी राशि किस-किस से लेकर संपरिवर्तित किया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इस कृषि भूमि का किस-किस के द्वारा कितनी-कितनी राशि कब-कब कन्वरशन चार्ज के रूप से जमा करवाई गयी ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) ग्राम बस्सी सीतारामपुरा तहसील जयपुर के खसरा नम्बर 43 व 44 की कृषि भूमि का संपरिवर्तन नहीं किया गया क्योंकि यह जयपुर विकास प्राधिकरण की निरस्त योजनाओं में है।

(2) उप खण्ड अधिकारी कृषि भूमि रूपान्तरण (उत्तर) जयपुर के कार्यालय में उक्त योजना में 65 आवेदकों ने स्वतः निर्धारण कर रूपान्तरण शुल्क जमा कराये हैं, जिनकी कुल राशि रुपये 1,39,021.70 पैसे हैं, सूची संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

तहसील दौसा के ग्राम खैरवाल के गैर मुमकिन रास्ते में अतिक्रमण

546. श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि तहसील दौसा के ग्राम खैरवाल के रिकार्ड में आराजी खसरा नम्बर 112, 104, 103 व 90 मुमकिन रास्ता एकीकरण वर्ष 1962 सम्वत् 2019 दर्शाया गया है।

(37)

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त गैर मुमकिन रास्ते पर 7 व्यक्तियों ने अतिक्रमण किया था और उनके विरुद्ध 28 नवम्बर 1985 को नायब तहसीलदार दौसा ने शास्ति तथा बेदखली के आदेश दिये थे ? यदि हां, तो उक्त आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या उक्त आदेश की पालना में शास्ति वसूल कर अतिक्रमणियों को बेदखल कर दिया गया है ? यदि हां, तो किस तारीख को तथा किस-किस से कितनी-कितनी शास्ति वसूल की गई ? यदि नहीं, तो क्यों तथा अब कब तक उन्हें बेदखल कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) जी हां । उक्त गैर मुमकिन रास्ते पर संवत् 2041 में सात व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमण किया गया था जिनके विरूद्ध नायब तहसीलदार दौसा द्वारा नियमानुसार कार्यवाही कर दिनांक 24.7.85 को बेदखली एवं शास्ति के आदेश दिये थे । न कि 28.11.85 को । शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(3) जी हां । उक्त आदेश की पालना में अतिक्रमियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित शास्ति की राशि वसूल की जाकर उन्हें मौके से बेदखल किया जा चुका है । वर्तमान में उक्त गैर मुमकिन रास्ते पर किसी व्यक्ति का अतिक्रमण नहीं है । सूची परिशिष्ट 'क' सदन के पटल पर रख दी गयी है ।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–3 देखें ।)

बेगूं विधान सभा क्षेत्र के विद्यालयों में छतों की मरम्मत

547. श्री चुन्नीलाल धाकड़ (बेगूं) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि बेगूं विधान सभा क्षेत्र के अधिकांश प्राथमिक विद्यालयों की छतें बरसात के दिनों में टपकती है ? यदि हां, तो किस-किस विद्यालय की ? पंचायत समितिवार विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या इन विद्यालयों की छतों को सुधारने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसे कब तक अन्तिम रूप दिया जाकर क्रियान्वित किया जा सकेगा ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बेगूं की पंचायत समिति बेगूं की 70 एवं पंचायत समिति, भैंसरोडगढ़ की 17 प्राथमिक विद्यालयों की छतें बरसात के दिनों में टपकती हैं । सूची सदन की मेज पर रख दी गयी हैं ।

(2) प्राथमिक विद्यालयों की छतों की मरम्मत कराने का मामला राज्य सरकार के विचाराधीन हैं, राशि उपलब्ध होने पर मरम्मत करावा दी जावेगी ।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-4 देखें ।)

टोडाभीम व नादौती तहसीलों में अध्यापकों के रिक्त पद

548. श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

सवाईमाधोपुर जिले की पंचायत समिति टोडाभीम एवं नादौती में कुल कितने अध्यापकों के पद स्वीकृत हैं ? कितने पद रिक्त हैं एवं रिक्त पदों को सरकार कब तक भरने का विचार रखती हैं ? विवरण-सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

सवाईमाधोपुर जिले की टोडाभीम एवं नादौती में स्वीकृत व रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है :–

	स्वीकृत पद			रिक्त पद		
	व्याख्याता	वरिष्ठ अध्यापक	अध्यापक	व्याख्याता	वरिष्ठ अध्यापक	अध्यापक
छात्रों के विद्यालय	46	174	109	04	–	–
बालिका विद्यालय	05	16	36	03	–	–
उच्च प्राथमिक विद्यालय	–	61	372	–	02	–
योग :	15	251	517	07	02	–

सवाईमाधोपुर जिले की टोडाभीम व नादौती पंचायत समिति क्षेत्र के उच्च प्राथमिक विद्यालय में 02 वरिष्ठ अध्यापक के पद रिक्त है, व्याख्याता के 07 पद रिक्त है। वरिष्ठ अध्यापक के पद वर्ष 95–96 की विभागीय पदोन्नति समिति से चयनित आशार्थी उपलब्ध होने पर भरे जा सकेंगे।

व्याख्याता के रिक्त पद लोक सेवा आयोग अथवा चयन समिति से चयनित आशार्थी उपलब्ध होने पर ही भरे जा सकेंगे।

मस्ट्रोल पर व्याख्याताओं की भर्ती

549. श्री शांति कुमार धारीवाल (हिण्डोली) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

(1) सरकार द्वारा मस्ट्रोल पर व्याख्याताओं की भर्ती का निर्णय कब लिया गया तथा उस समय व्याख्याताओं के कितने पद रिक्त थे ?

(2) मस्ट्रोल पर कितने व्याख्याताओं को नियुक्तियां दी गयी तथा वर्तमान में कितने पद रिक्त हैं ?

(3) मस्ट्रोल पर चयनित व्यक्तियों को भुगतान कितना और किस आधार पर किया जाना था ?

(4) क्या यह सही है कि अधिकतम कालांश के भुगतान के सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं किये जाने के कारण मस्ट्रोल पर व्याख्याताओं की नियुक्ति नहीं हो सकी ?

उत्तर

(1) मस्ट्रोल पर नहीं अपितु वर्ष 1994–95 में व्याख्याताओं के 487 रिक्त पदों के लिए संविदा पर रखने का निर्णय लिया गया था।

(2) 238 योग्यताधारी बेरोजगार प्रशिक्षित युवकों को संविदा पर रखा गया। शेष 249 पद रिक्त रहे हैं।

(3) संविदा पर रखे प्रशिक्षित बेरोजगारों को 20 रुपये प्रति कालांश अधिकतम 100/– रुपये प्रतिदिन की दर से भुगतान किया गया।

(4) अधिकतम कालांश के भुगतान के स्पष्ट निर्देश थे।

परियोजना अधिकारी (प्रौढ़ शिक्षा) का सेवानिवृत्ति प्रकरण

550. श्री गोपीचन्द (नगर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि श्री शिखरचन्द जैन, परियोजना अधिकारी, प्रौढ़ शिक्षा द्वारा उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका सं 1526/85 में न्यायालय के निर्णय की पालना चार माह में करनी थी ? यदि हां, तो क्या न्यायालय के आदेशों की पालना कर दी गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) न्यायालय के आदेशों की पालना न होने के लिए कौन अधिकारी उत्तरदायी हैं ? सरकार अब न्यायालय के आदेशों की पालना कब तक कराने का विचार रखती है ?

(3) क्या यह सही है कि श्री जैन को सेवानिवृत्ति पत्र जारी कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो कब तक जारी कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी हां। अवकाश प्रकरण विचाराधीन होने के कारण न्यायालय निर्णय की पालना नहीं हो पाई है।

(2) लम्बी अवधि के अवकाशों को स्वीकृत किये जाने का मामला नियमों के अधीन विचाराधीन है। विलम्ब के कारणों की जांच की जा रही है। न्यायालय के आदेश की पालना शीघ्र कर दी जायेगी।

(3) जी हां।

अतारांकित प्रश्न संख्या 551

(स्थगित)

ग्राम रामपुरा (डूंगरी खुर्द) तहसील फुलेरा में प्राथमिक विद्यालय

552. श्री रामेश्वर लाल भाटी (सुजानगढ़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि ग्राम रामपुरा (डूंगरी खुर्द) तहसील फुलेरा में प्राथमिक विद्यालय है ? यदि हां, तो यह विद्यालय कब खोला गया था तथा इसके साथ के खोले गये कौन-कौन से प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत कर दिया गया है ?

(2) क्या सरकार उक्त प्राथमिक विद्यालय को उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक एवं नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। यह विद्यालय वर्ष 1959 से पंचायत समिति के अधीन संचालित है। इस विद्यालय के साथ खोले गये विद्यालय जो निर्धारित मानदण्डों की पूर्ति करते थे, में से गुणावगुणा के आधार पर उपलब्ध प्रावधान को ध्यान में रखते हुए विद्यालय क्रमोन्नत किये गये है।

(2) जी नहीं। ग्राम रामपुरा ग्राम पंचायत डूंगरी खुर्द का ग्राम है। ग्राम डूंगरी खुर्द में उच्च प्राथमिक विद्यालय की सुविधा पहले से ही उपलब्ध है। ग्राम रामपुरा के निकट लगभग 5 कि. मी. की परिधि में ग्राम रायथल में माध्यमिक तथा डूंगरी कलां में उच्च प्राथमिक विद्यालय की सुविधा भी उपलब्ध है। राज्य सरकार प्रत्येक ग्राम पंचायत में उच्च प्राथमिक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु प्रयासरत है।

उच्च प्राथमिक शाला, खटवा (लालसोट) का क्रमोन्नयन

553. श्री परसादी लाल मीणा (लालसोट) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या सरकार दौसा जिले की लालसोट तहसील के आदर्श उच्च प्राथमिक शाला. खटवा को माध्यमिक शाला में क्रमोन्नत करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

वर्ष 1995–96 के लिए विद्यालय क्रमोन्नति के प्रस्तावों पर विचार करते समय लालसोट तहसील के आदर्श उच्च प्राथमिक विद्यालय, खटवा के प्रस्ताव प्राप्त होने पर तथा निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप होने पर, वित्तीय संसाधनों एवं लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए गुणावगुण के आधार पर क्रमोन्नति करने पर विचार किया जा सकेगा।

राज्य के व्यावसायिक शिक्षा के विद्यालयों में रिक्त पद

554. श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

(1) राज्य में व्यावसायिक शिक्षा के विद्यालयों में व्याख्याता, उप प्रधानाचार्य, प्रयोग शाला सहायक के कुल कितने पद वर्तमान में रिक्त हैं ?

(2) क्या सरकार इन पदों को भरने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(3) क्या यह भी सही है कि इन पदों के लम्बे समय से रिक्त रहने के कारण व्यावसायिक शिक्षा की प्रगति में रुकावट आई है ? यदि हां, तो इन पदों को रिक्त रखने के क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) व्यावसायिक शिक्षा के विद्यालयों के राज्य में 120 उप प्रधानाचार्य, 212 व्याख्याताओं, 232 प्रयोगशाला सहायकों के पद रिक्त हैं।

(2) जी हां। नियमों में संशोधन कर योग्यता निर्धारण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। योग्यता निर्धारण के पश्चात् व्याख्याता एवं प्रयोगशाला सहायक (व्यावसायिक शिक्षा) के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु कार्यवाही किया जाना सम्भव होगा। उप प्रधानाचार्य के रिक्त पद भरे जाने के लिये शीघ्र ही विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकें आयोजित की जाएगी।

(3) जी नहीं। रिक्त पदों से छात्रों के अध्ययन में आने वाली रुकावट को ध्यान में रखते हुए वैकल्पिक व्यवस्था की गयी है। जिसके तहत 80/- रुपये प्रति कालांश की दर से (अधिकतम 200 कालांश एक वर्ष में) व्यवसायियों से छात्रों को अध्ययन करवाया गया।

अजमेर के शिक्षा अधिकारियों द्वारा शिक्षकों के तबादले

555. **श्री किशन मोटवानी** (अजमेर पश्चिम) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1994-95 के सत्र के मध्य अजमेर के शिक्षा अधिकारियों ने भारी संख्या में शिक्षकों के तबादले किये हैं ? यदि हां, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) भारतीय संविधान की धारा 350-अ के अन्तर्गत संरक्षण प्राप्त अल्प भाषायी विद्यालय के पद की रक्षा के क्रम में शिक्षा निदेशक बीकानेर ने भी 22602/88 दिनांक 04-10-1988 द्वारा अल्प भाषायी पदों की कठोरता से सुरक्षा का निर्देश दिया ? यदि हां, तो फिर भी जिला शिक्षा अधिकारियों ने अवमानना कर अजमेर शहर से कितने अध्यापकों के स्थानान्तरण किये ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह भी सही है कि सिन्धी अध्यापकों का सामान्य विद्यालयों में स्थानान्तरण किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। सत्र के मध्य में छात्र संख्या के अनुपात से शिक्षक उपलब्ध कराने की दृष्टि से सुव्यवस्थीकरण के तहत किया गया।

(शिक्षा मंत्री)

(2) जी हां। निदेशक बीकानेर ने ऐसे आदेश जारी किये थे। जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा इस आदेश की अवहेलना किये जाने की कोई सूचना/शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(3) जी नहीं।

राज्य के व्यावसायिक शिक्षा उत्तीर्ण छात्रों की योग्यता को मान्यता

556. **श्री चुन्नीलाल गरासिया** (उदयपुर ग्रामीण) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या सरकार ने राज्य के व्यावसायिक शिक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों की योग्यता को मान्यता प्रदान की है ? यदि हां, तो किस तिथि से ?

(2) क्या इस मान्यता के आधार पर सरकार के विभिन्न विभागों में पदों की अनिवार्य योग्यता में इसे शामिल किया गया है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की नीति क्या है ?

उत्तर

(1) जी हां। 10+2 शिक्षा प्रणाली लागू करने के साथ-साथ अकादमिक व व्यावसायिक पाठ्यक्रम राज्य में लागू किया गया। वर्ष 1987 से व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम 10+2 स्तर पर लागू किया गया।

(2) जी नहीं।

हिन्दी साहित्य सम्मेलन इलाहाबाद द्वारा प्रदत्त डिग्रियों को मान्यता

557. **श्री राकेश मेघवाल** (परबतसर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या हिन्दी साहित्य सम्मेलन, इलाहाबाद द्वारा आयोजित प्रथमा समकक्ष दसवीं परीक्षा एवं मध्यमा समकक्ष स्नातक परीक्षा को सरकार द्वारा मान्यता प्रदान की गई है ? यदि नहीं, तो क्या इस संस्था द्वारा प्रदान की जाने वाली डिग्रियों को सरकार मान्यता प्रदान करने का विचार रखती है ?

(2) क्या सरकार ने इस संस्था द्वारा प्रदान की जाने वाली डिग्रियों की मान्यता समाप्त कर दी है ? यदि हां, तो कौन-कौनसी डिग्रियों की ?

(3) प्रथमा समकक्ष दसवीं एवं मध्यमा समकक्ष स्नातक की डिग्री की मान्यता सरकार द्वारा किस वर्ष में समाप्त की गई? आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। केवल हिन्दी स्तर तक ही।

(2) जी हां, कनिष्ठ लिपिक के पद पर नियुक्ति हेतु सभी संस्थानों की हिन्दी स्तर की समस्त परीक्षाओं की मान्यता समाप्त कर दी है।

(3) जी हां, वर्ष 1985 में। आदेश की प्रति सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट–5 देखें।)

तहसील राजसमन्द के उच्च प्राथमिक विद्यालयों की क्रमोन्नति

558. **श्री शांतिलाल खोईवाल** (राजसमन्द) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या सरकार राजसमन्द तहसील के ग्राम तांसोल, एमड़ी, पुनावली एवं सांकरोड़ा में संचालित उच्च प्राथमिक शालाओं को माध्यमिक शालाओं में क्रमोन्नत करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक एवं नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

वर्ष 1995–96 के लिए विद्यालय क्रमोन्नति के प्रस्तावों पर विचार करते समय राजसमन्द तहसील के ग्राम–तांसोल, एमड़ी, पुनावली एवं सांकरोड़ा के प्रस्ताव प्राप्त होने पर तथा निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप होने पर वित्तीय संसाधनों एवं लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए गुणावगुण के आधार पर क्रमोन्नति करने पर विचार किया जा सकेगा ।

मण्डावा (झुन्झुनूं) बालिका विद्यालय को आवंटित भू-खण्ड

559. **श्री जोगेश्वर गर्ग** (जालोर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही कि कस्बा मण्डावा (झुन्झुनूं) में बालिका विद्यालय भवन हेतु भूखण्ड का आबंटन किया गया है ? यदि हां, तो उक्त भूखण्ड कस्बे में किस स्थान पर स्थित है ?

(2) सरकार आवंटित भूखण्ड पर कब तक भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ कराने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी, हां । जिला कलक्टर झुन्झुनूं के द्वारा बालिका विद्यालय हेतु 2 एकड़ भूखण्ड आबंटित किया गया है जो कि मण्डावा कस्बे के वार्ड नं. 9 फतेहपुर रोड नये बस स्टेण्ड के पास स्थित है ।

(2) भूखण्ड पर दिसम्बर 94 में दानदाता श्री के. एल. ढाढणिया कलकत्ता निवासी की अनुमोदित नक्शे एवं तकनीकी रिपोर्ट के अनुसार भवन निर्माण की अनुमति प्रदान की गयी है ।

गिरधारीपुरा (जयपुर) कच्ची बस्ती प्रकरण

560. **श्री कुबेरसिंह** (फलासिया) : क्या देवस्थान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि गिरधारीपुरा कच्ची बस्ती, खजाने वालों का रास्ता जयपुर में देवस्थान विभाग की सम्पत्ति है ? यदि हां, तो वर्तमान में कौन-कौन व्यक्ति कब-कब से; कितनी-कितनी भूमि पर निवास कर रहे हैं ? नाम/पिता का नाम, निवास करने की तारीख, भूमि का क्षेत्रफल सहित विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या विभाग द्वारा उक्त निवासियों के नाम उक्त भूमि का आबंटन एवं नियमन कर दिया गया है ? यदि हां, तो किस-किस व्यक्ति के नाम कितनी-कितनी भूमि कब-

(श्री कुबेर सिंह)

कब आवंटित की गई ? नाम, पिता का नाम, भूमि का क्षेत्रफल तथा भूमि आबटन की तारीख सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार अब भूमि का आवंटन एवं नियमन करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। गिरधारीपुरा कच्ची बस्ती, खजाने वालों का रास्ता जयपुर में देवस्थान विभाग की कोई सम्पत्ति नहीं है।

(2) जी नहीं। वर्णित भूमि देवस्थान की सम्पत्ति नहीं है, इसलिये आवंटन एवं नियमन किया जाना अपेक्षित नहीं है।

(3) जी नहीं। वर्णित भूमि देवस्थान विभाग की सम्पदा नहीं होने के कारण भूमि का आबंटन एवं नियमन करने का विचार करना अपेक्षित नहीं है।

जिला पाली के मन्दिरों की भूमि का नामान्तरण प्रकरण

561. श्री खंगारसिंह चौधरी (खारची): क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या सरकार द्वारा पाली जिले के 283 मामलों में पुजारियों व राजस्व अधिकारियों की मिलीभगत से मन्दिरों की जमीन अपने व अन्यों के नाम दर्ज करवाने के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या 104 दिनांक 8.4.1994 के उत्तर में जांच कर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं ?

(2) क्या यह सही है कि देवस्थान/वक्फ एवं सैनिक कल्याण विभाग, जयपुर के आदेश दिनांक 29.10.1992 की क्रियान्विति हेतु विशेष अभियान चलाये जाने हेतु जिलाधीश, पाली ने 16.11.1992 को सभी तहसीलदारों को लिखा था ?

(3) प्रश्न के भाग (1) में दिये गये उत्तर की पालना में किन-किन मामलों की जांच की गई व क्या कार्यवाही की गयी ? विवरण सदन की मेज पर रखें। क्या प्रश्न के भाग (2) की पालना में कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

(4) पाली जिले में किस-किस गांव व कस्बे मेडोली की कृषि भूमि को अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग कब से व किस-किस खसरे का किस-किस के द्वारा किया जा रहा है ? तहसीलदार ने किन-किन के विरुद्ध राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 90 ए के तहत कार्यवाही कब-कब की तथा जिन मामलों में 90 ए की कार्यवाही नहीं की उसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) हां, यह सही है कि तारांकित प्रश्न संख्या 104 दि. 8.4.94 के उत्तर में पाली जिले के डोली के 283 मामलों में जांच कर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु लिखा गया था।

(2) हां, यह सही है कि देवस्थान/वक्फ एवं सैनिक कल्याण विभाग, जयपुर

(देवस्थान मंत्री)

के आदेश दि. 29.10.92 की क्रियान्विति हेतु विशेष अभियान चलाये जाने हेतु जिलाधीश, पाली ने 16.11.92 को सभी तहसीलदारों को लिखा गया था।

(3) प्रश्न के भाग (1) में वर्णित 283 मामले एवं उसके पश्चात् 17 मामले कुल 300 मामलों में जांच की गयी। तहसीलदार विवरण संलग्न है। प्रश्न के भाग (2) की पालना में की गई कार्यवाही का विवरण निम्नानुसार है :–

1– 58 मामलों में पुजारियों के नाम हटाये जाकर डोली के नाम अंकित किये गये।

2– 100 मामलों में राजस्व मंडल, अजमेर में धारा 82 राजस्थान भू-राजस्व 1956 के अन्तर्गत रेफरेंस किये गये।

3– उक्त 100 मामलों में से 94 मामलों में रा. म. अजमेर से निर्णय प्राप्त होने पर निर्णय की पालना हेतु तहसील को लिखा गया।

4– 6 मामले रा. म. अजमेर में विचाराधीन है।

5– 18 मामलों में रेफरेंस की प्राथमिक सुनवाई हेतु न्यायालय में (जिला कलक्टर) विचाराधीन है।

6– 124 मामलों में तहसीलदार बाली द्वारा रेफरेंस तैयार करने की कार्यवाही की जा रही है।

(4) पाली जिले में 3 डोलियों की कृषि भूमि को अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में लाने सम्बन्धी 86 मामलों की सूचियां संलग्न है। तहसीलदारों द्वारा 86 मामलों में धारा 90 (ए) की कार्यवाही की गयी। एक मामले में ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन नियम 1992 के अन्तर्गत 48 लोगों के नाम संपरिवर्तन करने से उनके विरुद्ध 90 (ए) की कार्यवाही नहीं की गयी।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

राजस्थान उच्च न्यायालय में हिन्दी भाषा के प्रयोग हेतु आदेश

562. श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : क्या भाषा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 (2) के अन्तर्गत राजस्थान उच्च न्यायालय में हिन्दी भाषा के प्रयोग को अधिकृत कर दिया गया है ? यदि हां, तो तत्सम्बन्धी आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) यदि नहीं, तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में जिससे कि हिन्दी भाषा का प्रयोग न्यायालयों में बढ़े, कोई आदेश निकालने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी, हां। आदेश की प्रति सदन की मेज पर रख दी है।

(2) आदेश निकाला जा चुका है। अब आदेश निकालने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-6 देखें।)

सहकारी संस्थाओं का ऑडिट

563. श्री रामपाल उपाध्याय(सहाडा): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह भी सही है कि विभागीय आडिटर्स से सहकारी संस्थाओं का ऑडिट कराना बन्द किया जाकर इन संस्थाओं को अन्यत्र ऑडिट कराने की छूट दी जा रही है ? इससे संस्थाओं को क्या लाभ होगा ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार का विभागीय ऑडिट, विंग को अधिक सक्षम बनाकर गुणात्मक अभिवृद्धि करने का विचार है ?

(3) क्या वर्तमान में सहकारी अधिकारी एवं कर्मचारी ऑडिट कार्य में लगे हुए हैं ? यदि हां, तो उनकी जिलेवार संख्या का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सहकारिता में वर्तमान में सभी सहकारी संस्थाओं का वार्षिक अंकेक्षण विभागीय अंकेक्षकों के माध्यम से किया जा रहा है। ऐसी शीर्ष सहकारी संस्थाएं जिनमें व्यवसायिक दृष्टिकोण के आधार पर अंकेक्षण आवश्यक है उनमें एवं ऐसी सहकारी संस्थायें जिसमें राज्य सरकार का विनियोजन नहीं हैं इनमें विभागीय अंकेक्षकों के स्थान पर प्रमाणित अंकेक्षकों से अंकेक्षण कराये जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है। इस व्यवस्था के लागू होने से सहकारी समितियों के अंकेक्षण में गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सकेगी।

(2) जी हां।

(3) जी हां। जिलेवार संख्या परिशिष्ट–1 पर संलग्न है।

(सूचना के लिए कृपया परिशिष्ट-7 देखें।)

क्रय-विक्रय सहकारी समिति सोजत रोड का चीनी परिवहन प्रकरण

564. श्री माधवसिंह दीवान (सोजत): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि क्रय-विक्रय सहकारी समिति सोजत रोड में चीनी परिवहन को लेकर जो बिल्टियां बनवाई गयीं थीं उसकी फोटो कॉपी साथ लगा कर सरकार को शिकायत की गयी थी ? यदि हां, तो शिकायत की प्रति व उस पर की गयी कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) पिछले एक वर्ष में उपरोक्त सहकारी समिति द्वारा कितनी-कितनी चीनी कहां-कहां से मंगवाई गयी तथा उसमें कितनी-कितनी दूरी दर्शायी गयी ? क्या दर्शायी गयी दूरी सही है ? दर्शायी गई दूरी की सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। श्री एन. आर. चौधरी, पूर्व स्टोर कीपर क्रय-विक्रय सहकारी समिति सोजत रोड द्वारा पंजीयक सहकारी समितियों को सम्बोधित शिकायत की थी जिसकी प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है जो परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। शिकायत की जांच संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, जोधपुर द्वारा कराई गई। संयुक्त, रजिस्ट्रार, जोधपुर ने पत्र दिनांक

(सहकारिता मन्त्री)

17.10.94 के द्वारा तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की जांच प्रतिवेदन की प्रति सदन की पटल पर रख दी गई है। (परिशिष्ट-2) उप पंजीयक पाली द्वारा भी इस प्रकरण में धारा 70 राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम, 1965 के अन्तर्गत जांच करवाई जाकर जांच परिणाम दिनांक 29.12.94 को जारी किये गये जिसकी प्रति सदन के पटल पर रख दी गयी है। (परिशिष्ट-3) हालांकि उपरोक्त जांच परिणामों में शिकायत के आरोपों को सही नहीं पाये जाने के निष्कर्ष दिये गये हैं परन्तु जांच में वर्णित मुद्दों को देखते हुए क्षेत्रीय अंकेक्षण अधिकारी पाली से पुनः विस्तृत जांच एवं विशेष आडिट कराई जा रही है। एवं प्रबंधक श्री मदनलाल लुहार से चार्ज हटा लिया गया है।

(2) पिछले एक वर्ष में उपरोक्त सहकारी समिति द्वारा मंगवायी गयी चीनी एवं दर्शायी गयी दूरी का विवरण निम्न प्रकार है :–

क्र. सं.	माह	मिल का नाम जहां से चीनी मंगवाई गई	मात्रा	दूरी (कि.मी)
1	2	3	4	5
1.	अप्रेल, 94	सायन	990	817
2.	मई, 94	सायन	990	817
3.	जून, 94	सायन	990	817
4.	जुलाई, 94	मढ़ी	990	857
5.	सितम्बर, 94	महुआ	990	891
6.	अक्टूबर, 94	खाद्य निगम अजमेर	1140	140
7.	नवम्बर, 94	खाद्य निगम ब्यावर	1140	86
8.	दिसम्बर, 94	खाद्य निगम अजमेर	990	140
9.	जनवरी, 95	मढ़ी	990	857
10.	फरवरी, 95	चलथान	990	820
11.	मार्च, 95	चलथान	990	820

दर्शाई गई दूरी की सत्यता की जांच की जा रही है।

(प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

क्रय विक्रय सहकारी समितियों का आडिट

565. **श्री बाबूलाल वर्मा** (डग) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) नियमानुसार क्रय-विक्रय सहकारी समितियों का आडिट कितने समय में होना अनिवार्य है? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें :

(2) क्या यह सही है कि क्रय-विक्रय सहकारी समिति लिमिटेड गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर का वर्ष 1980 से

(श्री बाबूलाल वर्मा)

अब तक आडिट नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) यदि नहीं, तो वर्ष 1980 से अब तक कब-कब आडिट कराया गया ?

(4) सरकार उक्त समिति का आडिट अब कब तक करवाने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम 1965 की धारा 68 (1) के अन्तर्गत क्रय-विक्रय सहकारी समितियों के लेखों का आडिट वर्ष में एक बार किया जाना अनिवार्य है। धारा 68 (1) नीचे उद्धत है :–

"धारा 68. अंकेक्षण (1) रजिस्ट्रार प्रत्येक सहकारी संस्था के लेखे का प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक बार, अंकेक्षण करेगा या उनका अपने द्वारा तदर्थ सामान्य या विशिष्ट लिखित आज्ञा द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति से अंकेक्षण करायेगा।"

(2) जी नहीं।

(3) इस समिति का अंकेक्षण वर्ष 1980 से अब तक प्रति वर्ष कराया जाता रहा है। आडिट रिपोर्ट जारी करने की दिनांक की सूचना परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(4) उक्त समिति का 1980 से 1993-94 तक का आडिट करवाया जा चुका है।

(सूचना के लिए कृपया परिशिष्ट-8 देखें।)

गंगापुर क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि. में दैनिक वेतन पर कार्यरत मंत्रालयिक/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी

566. **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) गंगापुर क्रय विक्रय सहकारी समिति लि. गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर में कितने मंत्रालयिक/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कब-कब से दैनिक वेतन पर कार्यरत हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) दैनिक वेतन पर कार्यरत कर्मचारियों में कितने कर्मचारी स्नातक हैं तथा उन्हें कब से कब तक क्या-क्या दैनिक मजदूरी दी गई? क्या उक्त दैनिक मजदूरी सरकार के न्यूनतम मजदूरी नियमों के आधार पर दी गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) इनमें से किस-किस को कब-कब वेतन श्रृंखला प्रदान की गई ? यदि नहीं, तो क्यों तथा अब कब तक समस्त कर्मचारियों को वेतन श्रृंखला में नियमित कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ? कारणों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्तमान में क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि. गंगापुरसिटी जिला सवाईमाधोपुर में कोई मंत्रालयिक/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी दैनिक वेतन पर कार्यरत नहीं है। पूर्व में नीचे वर्णित तिथियों के अनुसार दो कर्मचारी दैनिक वेतन पर नियुक्त रहे जो अब फिक्स्ड वेतन पर कार्य कर रहे हैं :–

(सहकारिता मंत्री)

1. श्री गोविन्द बल्लभ शर्मा, लिपिक
9.11.85 से फरवरी, 87 तक

2. श्री रामस्वरूप गुर्जर, क्लीनर
1.7.85 से फरवरी, 87 तक

श्री गोविन्द बल्लभ शर्मा, लिपिक स्नातक है तथा श्री रामस्वरूप गुर्जर क्लीनर, स्नातक नहीं है। इनको निम्न प्रकार भुगतान किया गया है :–

1. श्री गोविन्द बल्लभ शर्मा, लिपिक
9.11.85 से फरवरी, 87 तक
15 रु. प्रतिदिन
1.3.87 से 31.12.88 तक–
500 रु. फिक्स प्रतिमाह
1.1.89 से 31.12.89 तक की अवधि में नियमित वेतन शृंखला दी गयी। 1.1.90 से आज तक 500/– फिक्स वेतन पर कार्यरत है।

2. श्री रामस्वरूप गुर्जर, क्लीनर,
1.7.85 से फरवरी, 87 तक–
10 रु. प्रतिदिन
1.3.87 से 31.5.90 तक–
350 रु. फिक्स प्रतिमाह
1.6.90 से अब तक 572 रु. प्रतिमाह फिक्स वेतन दिया जा रहा है।

(2) दैनिक वेतन पर रखे गये कर्मचारियों को उक्त अवधि का वेतन सरकार के न्यूनतम मजदूरी नियमों के आधार पर नहीं दिया गया। संस्था की प्रबन्धकारिणी द्वारा समिति की खराब वित्तीय स्थिति के कारण कम दर से भुगतान किया है।

(3) श्री गोविन्दवल्लभ शर्मा को समिति द्वारा 1.1.89 को वेतन शृंखला प्रदान की गई थी जिसे संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, भरतपुर द्वारा उनके आदेश दि. 27.1.90 द्वारा समिति के हित को देखते हुए निरस्त कर दिया गया तथा जनवरी, 1990 से 500/– प्रतिमाह फिक्स वेतन पर भुगतान दिया जा रहा है। श्री रामस्वरूप गुर्जर, क्लीनर को नियमित वेतन शृंखला नहीं दी गई। इन्हें रु. 572/– प्रतिमाह फिक्स्ड दिया जा रहा है। समिति की आर्थिक स्थिति को देखते हुए नियमित वेतन शृंखला दिया जाना उचित नहीं समझा गया। वर्तमान में संस्था की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण नियमित वेतन शृंखला दिया जाना सम्भव नहीं है।

तहसील बस्सी (जयपुर) में बांसखोह-भूडला की विद्युत् लाइन

567. **श्री गोपीचन्द** (नगर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि तहसील बस्सी (जयपुर) में बांसखोह-भूडला फीडर में 11000 वोल्टेज की विद्युत लाइन गुजर रही है? यदि हां, तो कितने कुओं के ऊपर से?

(2) क्या सरकार कुओं का निरन्तर जल स्तर नीचे आने के कारण कृषकों द्वारा बोरिंग पाइप लगाने; निकालने के समय उक्त तारों को छू जाने से जान माल के खतरे का अनुभव करती है?

(3) क्या ग्राम–रोजवाड़ी स्थित ट्रांस-

(श्री गोपीचन्द)

फार्मर एवं उक्त विद्युत लाइन को हटाने के सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो इस बाबत क्या कार्यवाही की गई ?

(4) क्या सरकार प्राप्त शिकायतों एवं कृषकों की समस्या को दृष्टिगत रखते हुए उक्त विद्युत लाइन व ट्रांसफार्मर अन्यत्र स्थापित करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां, तहसील बस्सी में बांसखोह भूडला फीडर से 11 के. वी. लाइन गुजर रही है। उक्त फीडर के पास कुआ गोविन्द नारायण, जगदीश प्रसाद तिवाड़ी का आता है जो कि 11 के. वी. लाइन फीडर खींचने के बाद में बनाया गया है।

(2) मण्डल द्वारा लाइन खींचते समय यह पूरा ध्यान रखा जाता है कि किसी भी प्रकार की लाइन किसी कुएं या अन्य निर्माण के ऊपर से नहीं खींची जाये। अगर कोई व्यक्ति खींची हुई लाइन के नीचे अपना कोई कुआं या अन्य निर्माण कराता है तो यह विद्युत अधिनियमों का उल्लंघन है, व अन्य कार्य कानून सम्मत नहीं है। यथा संभव इस खतरे से समय-समय पर समाचार-पत्रों व सूचनाओं द्वारा जन-साधारण को आगाह किया जाता है कि चालू लाइनों के नीचे कोई निर्माण कार्य न किया जावें, क्योंकि इस कारण जान माल का खतरा हो सकता है।

(3) जी हां, ग्राम रोजवाडी में एक शिकायत श्री महेन्द्र तिवाड़ी पुत्र श्री जगदीश तिवाड़ी, तहसील बस्सी के द्वारा माह जनवरी, 1995 में प्राप्त हुई है, जिसका लाइन शिफ्टिंग का अनुमानक बनाने की प्रक्रिया जारी है। अनुमानक राशि प्रार्थी द्वारा जमा की जाने पर लाइन शिफ्ट करने की कार्यवाही की जा सकेगी।

(4) मण्डल द्वारा खींची गयी लाइनों के नीचे अगर कोई व्यक्ति अपना निर्माण कराता है तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी उसी की होती है। लाइन ट्रांसफार्मर अन्यत्र स्थापित करने के लिए अनुमानक बनाया जा रहा है। यदि उपभोक्ता नियमानुसार मांग-पत्र की राशि जमा करा देगा तो लाइन व ट्रांसफार्मर शिफ्टिंग की कार्यवाही कर दी जावेगी।

निर्वाचन क्षेत्र सिकराय के विद्युतीकृत ग्राम

568. श्री चुन्नीलाल धाकड़ (बेगूं) : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) सिकराय निर्वाचन क्षेत्र में किस-किस गांव का विद्युतीकरण किया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि विद्युतीकृत गांवों में डिमाण्ड नोटिस जारी कर दिये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि राजवास, रानीवास, मोटलास, उगलाव, सूरजपुरा, रामपुरा एवं रामसिंहपुरा गांवों का मौके पर जाकर विद्युत मण्डल के अधिकारियों द्वारा सर्वे किया गया है यदि हां, तो कब कब ?

(श्री चुन्नीलाल धाकड़)

(4) क्या सरकार उपरोक्त गांवों को प्राथमिकता प्रदान कर अविलम्ब विद्युत कनेक्शन देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक एवं नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) सिकराय निर्वाचन क्षेत्र में कुल 170 गांवों का विद्युतीकरण किया गया है । सूची प्रपत्र 'अ' में संलग्न है ।

(2) जी नहीं, 11 ऐसे गांव हैं जिन्हें विद्युतीकृत तो घोषित कर दिया है परन्तु उनमें मांग-पत्र जारी नहीं किये हैं । ऐसे गांवों की सूची मय पूर्ण विवरण के प्रपत्र 'ब' में संलग्न है ।

(3) किसी भी गांव को विद्युतीकरण करने के लिये कई बार सर्वे किया जाता है । सर्व प्रथम किसी गांव को स्वीकृत करने से पूर्व सर्वे एवं जांच कार्यालय द्वारा सर्वे किया जाता है । उसके पश्चात् सम्बन्धित सहायक अभियन्ता द्वारा 11 के. वी. लाइन खींचने हेतु सर्वे किया जाता है जिससे कि 11 के. वी. लाइन खींच कर ट्रांसफार्मर रखा जा सके । ट्रांसफार्मर रखने के पश्चात् प्राप्त प्रत्रावलियों के अनुरूप लाइन खींचने के लिये सर्वे किया जाता है । ठीक इसी प्रकार ग्राम राजावास, रानीवास, मोटवास, उगला, रामपुरा, सूरजपुरा एवं रामसिंहपुरा गांवों का भी मौके पर जाकर सर्वे किया गया है ।

(4) उपरोक्त गांवों को विद्युतीकृत करने के पश्चात् उनमें मंडल नीति/नियम एवं वित्तीय संसाधनों के अनुरूप कनेक्शन दिये जा रहे हैं । पूर्ण स्थिति प्रपत्र 'स' में संलग्न है ।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया ।)

तहसील रूपवास (भरतपुर) के गांवों का विद्युतिकरण

569. **श्री मोतीलाल** (रूपवास) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि तहसील रूपवास की पूरी तहसील को विद्युतीकृत दिखा रखा है जबकि तहसील रूपवास में अभी तक 30 प्रतिशत ही ग्राम ही ऐसे हैं जिनमें बिजली उपलब्ध करवायी गई है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

(2) क्या सरकार तहसील के पूरे गांवों को विद्युतीकृत करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) यह सही नहीं है कि तहसील रूपवास के सभी गांवों को विद्युतीकृत दिखाया गया है । जनगणना 1981 के अनुसार तहसील रूपवास में 157 गांव हैं, जिनमें से 142 गांव मार्च, 1995 तक विद्युतीकृत घोषित किये जा चुके हैं । शेष 15 गांवों को विद्युतीकृत करना शेष है ।

(2) शेष अविद्युतीकृत ग्रामों को संसाधनों की उपलब्धि के अनुसार ही आगामी वर्षों के 'ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम' में शनैः शनैः ही सम्मिलित किया जा सकेगा । सभी ग्रामों का एक साथ विद्युतीकरण किया जाना सम्भव नहीं हैं । समूचे राज्य

(ऊर्जा मन्त्री)

के विद्युतीकरण का औसत 82.85% है जबकि तहसील रूपवास में 90.44% ग्राम विद्युतीकृत हैं। अतः इस तहसील की स्थिति अपेक्षा-कृत बहुत अच्छी है।

तहसील भीम व देवगढ़ (राजसमन्द) के शेष रहे गांवों का विद्युतीकरण

570. श्री लक्ष्मणसिंह (भीम) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राजसमन्द जिले की भीम तथा देवगढ़ तहसीलों के कौन-कौन से गांवों को कब-कब विद्युतीकृत घोषित किया गया ? उक्त गांवों में ट्रांसफार्मर कब-कब लगाये गये ? बचे हुए गांवों में सरकार कब तक ट्रांसफार्मर लगाने का विचार रखती है ?

(2) उक्त तहसीलों के शेष गांवों को सरकार कब तक विद्युतीकृत करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) राजसमन्द जिले की भीम व देवगढ़ तहसीलों में जनगणना 1981 के अनुसार क्रमशः 94 व 133 ग्राम हैं, जिनमें से माह मार्च, 1994 के अन्त तक क्रमशः 94 व 118 ग्रामों को विद्युतीकृत घोषित किया जा चुका है। सूची 'अ' संलग्न है। यह गांव वर्षों पूर्व विद्युतीकृत किये गये थे इसलिए ट्रांसफार्मर लगाने की दिनांक उपलब्ध नहीं है। जिन गांवों में अभी तक ट्रांसफार्मर नहीं लगाये गये हैं उनके आगे सूची में अंकित कर दिया गया है।

(2) मार्च, 1994 के अन्त तक राज्य के कुल ग्रामों में से 80.82 प्रतिशत ग्राम विद्युतीकृत हैं, जबकि भीम व देवगढ़ तहसीलों में क्रमशः 100 व 80 प्रतिशत ग्राम विद्युतीकृत हैं जिनकी स्थिति राजस्थान के औसत से काफी अधिक है। सीमित संसाधनों के परिपेक्ष में सभी ग्रामों का विद्युतीकरण एक साथ किया जाना सम्भव नहीं है। विस्तार से अधिक आवश्यकता सुदृढ़ीकरण की है ताकि मौजूदा उपभोक्ताओं की सेवाओं में गिरावट नहीं आये।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

धौलपुर जिले हेतु सब स्टोर कार्यालय

571. श्री बनवारी लाल शर्मा (धौलपुर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि धौलपुर जिले के लिए एक सब स्टोर का कार्यालय खोलने के आदेश मण्डल द्वारा दिये गये हैं ? यदि हां, तो कब ?

(2) क्या स्वीकृत सब स्टोर ने अपना कार्य प्रारम्भ कर दिया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) सरकार इस कार्यालय को कब तक प्रारम्भ करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां, धौलपुर जिला मुख्यालय पर सब स्टोर खोलने के निर्देश मण्डल द्वारा पत्र क्रमांक आर. एस. ई. बी./एस-3/

(ऊर्जा मन्त्री)

एफ3(172)/डी.134 दिनांक 10-1-1995 द्वारा दिये गये हैं।

(2) जी नहीं। सब स्टोर के लिये वांच्छित कर्मचारी, स्थान व सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है।

(3) जी हां, शीघ्र ही धौलपुर सब स्टोर के लिये वांच्छित कर्मचारी, स्थान एवं सुरक्षा व्यवस्था का प्रबन्ध कर शीघ्र उप भण्डार कार्यालय प्रारम्भ करने के निर्देश दे दिये गये हैं।

विधान सभा क्षेत्र धौलपुर के विद्युतीकृत ग्राम

572. **श्री बनवारी लाल शर्मा** (धौलपुर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) वर्ष 1994-95 में धौलपुर विधान सभा क्षेत्र में कौन-कौन से ग्राम विद्युतीकरण में लिये गये हैं और कौन-कौन से ग्रामों को विद्युतीकरण किया गया? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) 15 मार्च, 1995 तक धौलपुर विधान सभा क्षेत्र में कौन-कौन से ऐसे ग्राम हैं, जहां पर डिमाण्ड राशि जमा कराने के बावजूद भी अभी तक इन ग्रामों को बिजली के कनेक्शन नहीं दिए गए हैं? ग्रामवार डिमाण्ड राशि जमा कराई गयी तिथियों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) धौलपुर विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 1994-95 में 6 गांव विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत लिये गये थे जो निम्न प्रकार है। फेस प्रोग्राम में ग्राम विद्युतिकृत किये गये ग्राम :–

1.	काजीपुरा	1.	काजीपुरा
2.	कूकपुर	2.	कूकपुर
3.	सेजरोली	3.	शाहपुरा
4.	केमारा	4.	केमारा
5.	भानपुर	5.	भानपुर
6.	पृथ्वीपुरा	6.	पृथ्वीपुरा

(2) धौलपुर विधान सभा क्षेत्र में 23 गांवों के 746 घरेलू आवेदकों द्वारा मांग-पत्र की राशि जमा की गयी, किन्तु आवेदकों द्वारा वांच्छित औपचारिकता पूर्ण नहीं किये जाने तथा कुछ आवश्यक मेचिंग सामान उपलब्ध नहीं होने के कारण कनेक्शन नहीं दिये जा सके। ग्रामवार राशि, जमा कराई गई तिथियों का विवरण प्रपत्र "अ" में संलग्न है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-9 देखें।)

कामां क्षेत्र के लम्बित विद्युत कनेक्शन

573. **श्री तैयब हुसैन** (कामां) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या कामां क्षेत्र में लम्बित विद्युत् कनेक्शनों की पूर्ति की जा चुकी है? यदि हां, तो किस प्रकार? यदि नहीं तो क्यों?

उत्तर

कामां क्षेत्र में विद्युत कनेक्शन हेतु विभिन्न श्रेणियों की पत्रावलियां निम्न प्रकार से लम्बित हैं :–

(ऊर्जा मंत्री)

क. सं.	आवेदन की श्रेणी	लम्बित पत्रावलियों की संख्या	मांग पत्र जारी	मांग पत्र जमा	तकमीने हेतु
1.	घरेलू कनेक्शन	1310	306	611	393
2.	व्यवसायिक कनेक्शन	67	51	3	13
3.	लघु उद्योग	3	—	3	—
4.	मध्यम उद्योग	2	1	1	—
5.	कृषि उपयोग	372	—	—	372

उक्त लम्बित पत्रावलियों में कृषि के अलावा जिन के मांग पत्र की राशि जमा हो चुकी हैं उनके कार्य आदेश जारी कर दिये गये हैं एवं लाइन कार्य प्रगति पर है। आवेदक द्वारा औपचारिकताएं पूर्ण करने पर कनेक्शन देने की कार्यवाही की जावेगी। कृषि कनेक्शन हेतु लम्बित पत्रावलियों को प्रत्येक वर्ष मण्डल द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुरूप आवंटित लक्ष्यों के अनुसार ही कनेक्शन दिये जा सकेंगे।

नौगांव (अलवर) में बीमारी से मारे गये राष्ट्रीय पक्षी मोर

574. श्रीमती मीना अग्रवाल (अलवर): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जिला अलवर के नौगांव में राष्ट्रीय पक्षी मोर किसी बीमारी से मारे गये ? यदि हां, तो कब व कितने मोर किस बीमारी से मारे गये ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा उक्त मामले की जांच की गई ? यदि हां, तो यह जांच कब व किसके द्वारा की गई ? जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें। यदि जांच नहीं की गयी, तो क्यों ? क्या सरकार अब इस मामले की जांच करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि दिनांक 23. 2. 95 से 28. 2. 95 तक अलवर जिले के नौगांव क्षेत्र में राष्ट्रीय पक्षी मोर की वायरल इनफैक्शन (संक्रमण) के कारण मृत्यु हुई है। इस बीमारी से 30 मोरों के मरने की पुष्टी हुई है।

(2) जी हां। यह जांच श्री बी. एन. प्रधान, वन संरक्षक (वन्य जीव) जयपुर के द्वारा की गई है। जांच की प्रति सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

वृक्षारोपण कार्यक्रमान्तर्गत लगाये गये पौधों पर व्यय

575. **श्री रूपाराम** (मकराना) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में विगत पांच वर्षों में वृक्षारोपण के तहत कितने पौधे लगाए गए? उन पर कितना व्यय हुआ ? वर्षवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या लगाये गये पौधों का भौतिक सत्यापन किया जाता है ? यदि हां, तो किस अधिकारी द्वारा ? यदि नहीं, तो क्या इसके अभाव में इस कार्यक्रम की सार्थकता है ?

उत्तर

(1) राज्य में विगत पांच वर्षों में विभाग द्वारा लगाये गये पौधों एवं उन पर व्यय राशि का वर्षवार विवरण सदन की मेज पर परिशिष्ट "क" के अनुसार रख दिया गया है।

(2) जी हां। रोपित पौधों का भौतिक सत्यापन कार्य स्थल प्रभारी, संबंधित क्षेत्रीय वन अधिकारी द्वारा किया जाता है तथा सहायक वन संरक्षक एवं उप वन संरक्षण द्वारा भी टेस्ट चैकिंग की जाती है। इसके अतिरिक्त वन विकास कार्यों का मूल्यांकन वन विभाग की मूल्यांकन इकाई एवं भारत सरकार द्वारा भी कराया जाता है।

(विवरण के कृपया परिशिष्ट-10 देखें।)

दिल्ली क्लाथ मिल, कोटा से प्रदूषण

576. **श्री प्रताप सिंह सिंघवी** (छबड़ा) : क्या पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि दिल्ली क्लाथ मिल, कोटा के संयंत्र यथा (1) सीमेन्ट प्लान्ट (2) डी. एम. प्लान्ट (3) यूरिया प्लांट (4) कास्टिक सोडा प्लांट (5) क्लोरीन एवं अमोनिया प्लांट (6) कार्बाइड प्लांट से कोटा शहर एवं आसपास के ग्रामों में प्रदूषण फैल रहा है? यदि हां, तो उसकी रोकथाम के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उत्तर

जी नहीं। दिल्ली क्लाथ मिल्स के कोटा स्थित उद्योग मैसर्स श्रीराम फर्टीलाइजर्स एण्ड केमिकल्स में स्थित विभिन्न इकाइयों में जल/वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक प्रदूषण नियन्त्रण उपकरण स्थापित एवं कार्यरत है।

फसलों हेतु बीज की उन्नत किस्म

577. **श्री नरेन्द्रसिंह भाटी** (ओसियां) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) मिर्च की फसलों की पौध में व्याधि/कीड़ों की रोकथाम के लिए विभाग ने क्या-क्या सिफारिशें की हैं? फफूंदनाशक या कीटनाशक का कितना प्रभाव मिर्च में रहता है तथा क्या उसका स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है ? यदि हां, तो सरकार इसकी रोकथाम हेतु क्या प्रयास कर रही है ?

(2) रायड़ा, जीरा व गेहूं की फसलों में बीज की उन्नत किस्मों व उपायों से

(श्री नरेन्द्र सिह भाटी)

कृषि की पैदावार में विगत 10 वर्षों में कितनी वृद्धि हुई ?

(3) 10 वर्ष पूर्व प्रति हैक्टेयर पैदावार कितनी थी और अब क्या है ?

(4) सरकार पैदावार बढ़ाने हेतु निकट भविष्य में क्या प्रयास कर रही है ?

उत्तर

(1) मिर्च की फसल के प्रमुख्य कीट

सफेद लट

सफेद मक्खी

हरातेला व मोयेला

व्याधियां :

आद्रगलन

छाछियां

एन्थ्रकनपेज

पर्ण कुंचन व मोजेक विषाणुरोग फफूंद नाशक दवाओं का प्रभाव

1. सिस्टेमिक

2. नोन सिस्टेमिक

फफूंदनाशी व कीटनाशक दवाओं का प्रभाव विभाग द्वारा इस हेतु किए जाने वाले प्रयास

रोकथाम हेतु विभागीय सिफारिश

कार्बोफूरान 3जी 25 कि.ग्रा. प्रति हैक्ट. की दर से भूमि में मिलावें

मोनोक्रोटोफास 30 एस.एल. या मेलाथियान 50 ई.सी. 500 मि.ली. प्रति हैक्ट. की दर से छिड़काव करें।

—बीजों की बुवाई पूर्व थाइरम 3ग्राम प्रतिकिलो बीज की दर से उपचारित करें।

केराथन एल.सी. 500 मि.ली. प्रति हैक्ट. की दर से छिड़काव करें।

—मेन्कोजेब 1 कि.ग्रा. प्रति हैक्ट. की दर से छिडकाव करें।

डाईमिथोएट 30 ई.सी. 500 मि.ली. प्रति हैक्ट. की दर से छिड़कावें।

10 से 15 दिन

15 से 25 दिन

4 से 10 दिन

प्रतिक्षा अवधि से पूर्व मिर्च का उपयोग करने पर इन दवाओं का प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

किसानों को प्रशिक्षण के मध्यम से दवाईयों का उपयोग कब और कैसे किया जाता है बताया जाता है, तथा ऐसे उपाय बताये जाते हैं, जिससे व्याधियों का प्रकोप कम हो और कम कीटनाशी एवं कवकनाशी दवाओं का उपयोग हो।

(2) उन्नत किस्म के बीजों व उपायों से विगत 10 वर्षों में राज्य में राई व सरसों, जीरा व गेंहू के उत्पादन में आशातीत वृद्धि हुई है। वर्ष 1984-85 में इन फसलों का उत्पादन क्रमशः 8. 74. 0. 19 व 27.92 लाख टन था वह बढ़कर वर्ष

(राज्य मंत्री, कृषि)

1993-94 में क्रमश: 16.52, 1.11 व 34.60 लाख टन हो गया।

(3) 10 वर्ष पूर्व एवं अब की प्रति हैक्टेयर उत्पादकता निम्न प्रकार है।

फसल	1984-85 (कि.ग्रा. प्रति हैक्टर)	1994-95 (विभागीय अनुमान)
राई व सरसों	809	1028
जीरा	453	459
गेहूं	1625	2517

(4) राज्य सरकार इन फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए तिलहन उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत सरसों के उन्नत किस्म के बीजों के मिनिकिट्स एवं प्रदर्शन आयोजित कर कृषकों को उन्नत कृषि विधियों को अपनाने हेतु प्रोत्साहित करेगी। गेहूं के अन्तर्गत उन्नत किस्म के बीजों के साथ-साथ फव्वारा सेट्स पर अनुदान उपलब्ध कराकर उपलब्ध पानी का समुचित उपयोग कर पैदावार बढ़ाने के प्रयास किये जावेंगे। जीरे की फसल को प्राकृतिक प्रकोपों एवं कीट व्याधि से बचाकर प्रति हैक्टर उत्पादन बढ़ाने के प्रयास किये जावेंगे। इसके अतिरिक्त प्रदर्शन क्षेत्रों में उन्नत कृषि विधियों के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु प्रशिक्षण दिया जावेगा।

कृषि उपज मण्डी समिति, डेगाना (नागौर) की आय

578. **श्री रिछपाल सिंह** (डेगाना) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) कृषि उपज मण्डी समिति, डेगाना (नागौर) की वर्ष 1989-90, 1990-91, 1991-92, 1992-93, 1993-94 एवं 1994-95 के दौरान कितनी आय हुयी ? ब्योरा सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त वर्षों के दौरान उक्त कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा सम्पर्क सड़कों के निर्माण के कोई प्रस्ताव सरकार की स्वीकृति हेतु नहीं भेजे गये ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) नागौर जिले में नई कृषि उपज मण्डी समितियों के यार्डों का निर्माण कहां-कहां पर प्रस्तावित है ? ब्योरा सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) कृषि उपज मण्डी समिति, डेगाना की वर्ष 1989-90 से 1994-95 की आय निम्न प्रकार है :–

क्र. सं. 1	वर्ष 2	आय (लाख में) 3
1.	1989-90	13.95
2.	1990-91	14.14
3.	1991-92	20.24

(राज्य मंत्री, कृषि)

1	2	3	
4.	1992-93	63.29	
5.	1993-94	21.72	(आय में परियोजना ऋण 21 लाख रुपये की राशि सम्मिलित है)
6.	1994-95	23.36	

(2) जी नहीं। शेष प्रश्न ही नहीं उठता है।

(3) नागौर जिले में कोई नवीन मण्डी यार्ड निर्माण की कार्यवाही प्रस्तावित नहीं है।

कृषि उपज मण्डी समिति, केकड़ी द्वारा किसानों से आढ़त-बट्टा

579. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि कृषि उपज मण्डी समिति, केकड़ी, जिला अजमेर द्वारा किसानों से आढ़त बट्टा काटा जाता है? यदि हां, तो कब से और क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि इसी सम्बन्ध में नाहटा कृषि फार्म और कृषि उपज मण्डी के बीच मामले भी चले? यदि हां, तो कब और उनका क्या नतीजा रहा?

(3) सरकार इस प्रकार की गैर कानूनी गतिविधियों को रोकने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

(3) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

राजाखेड़ा क्षेत्र में खाद्यान्न भण्डारण हेतु गोदामों का निर्माण

580. श्रीमती मनोरमा सिंह (राजाखेड़ा) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

किसानों को उचित मूल्य पर पर्याप्त खाद उपलब्ध कराने व खाद्यान्न भण्डारण के उद्देश्य से क्या सरकार का राजाखेड़ा में वेयर हाउस गोदाम के निर्माण की स्वीकृति देने का विचार है? यदि हां, तो कब तक? नहीं, तो क्यों?

उत्तर

राजाखेड़ा में निगम का भण्डार गृह प्रारम्भ करने की दृष्टि से माह दिसम्बर, 1994 में निगम द्वारा सर्वे करवाया गया था। राजाखेड़ा में पर्याप्त मात्रा में उपयुक्त किराये के गोदामों की अनुपलब्धता के कारण वहां पर निगम द्वारा भण्डार गृह प्रारम्भ किया जाना सम्भव नहीं है।

विधान सभा क्षेत्र अलवर में गुलाब के फूल की खेती

581. श्रीमती मीना अग्रवाल (अलवर) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या अलवर विधान सभा क्षेत्र में गुलाब के फूल की खेती को प्रोत्साहित करने

(श्रीमती मीना अग्रवाल)

और गुलाब उत्पादकों की सहायता प्रदान करने का सरकार विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी, हां। वर्ष 1995-96 के अन्तर्गत गुलाब की 25 प्रदर्शन इकाइयां (0.1 हैक्टेयर) अलवर जिले में 1000 रुपये प्रति इकाई अनुदान राशि के अन्तर्गत इच्छुक काश्तकारों के यहां लगायी जावेगी।

कृषि उपज मण्डी समिति, श्रीगंगानगर में रोस्टर से पदोन्नती

582. श्री राधेश्याम (गंगानगर) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि कृषि उपज मण्डी समिति श्री गंगानगर में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को रोस्टर प्रणाली से कनिष्ठ लिपिक के पद पर पदोन्नत करने की प्रक्रिया निर्धारित है ? यदि हां, तो क्या निदेशक कृषि विपणन बोर्ड ने अपने आदेश क्रमांक प-9 (1) का/क-5/91 दिनांक 24 अप्रेल, 1991 द्वारा रोस्टर प्रणाली से उपरोक्त पदोन्नति प्रक्रिया को निरस्त करने के आदेश दिये हैं ?

(2) क्या यह सही है कि निदेशक द्वारा दिये गये उक्त आदेश सरकार की नीति के विपरीत है ? यदि हां, तो क्या इन आदेशों की पालना मण्डी समिति श्री गंगानगर द्वारा की जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार अविलम्ब उक्त आदेशों को निरस्त कर भूतलक्षी प्रभाव से अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को कनिष्ठ लिपिक के पद पर पदोन्नति देने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या सरकार निदेशक, कृषि विभाग द्वारा दिये गये उक्त आदेश की अनियमितता के लिए निदेशक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं। मंडी समिति में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से कनिष्ठ लिपिक पद पर की जाने वाली पदोन्नति में रोस्टर प्रणाली लागू करने का कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं है।

(4) प्रश्न ही नहीं उठता है।

इन्दिरा गांधी नहर की सेम से प्रभावित भूमि

583. श्री अमरा राम (धोद) : क्या सिंचित क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) इन्दिरा गांधी नहर के प्रथम व द्वितीय चरण के क्षेत्र में कितनी एकड़ भूमि सेम आने से प्रभावित व बर्बाद हुई तथा सेम आने के क्या कारण हैं ?

(श्री अमराराम)

(2) सरकार ने इसकी रोकथाम के लिए अब तक क्या योजना बनायी है ?

उत्तर

(1) इन्दिरा गांधी नहर परियोजना स्टेज–I के क्षेत्र में 10,000 एकड़, द्वितीय चरण में 2500 एकड़ एवं लूनकरण लिफ्ट क्षेत्र में 1000 एकड़ भूमि सेम की समस्या से ग्रस्त है। इस समस्या को विभिन्न कारणों में से मुख्य कारण निम्नानुसार है :— (1) फसलों को आवश्यकता से अधिक पानी की उपलब्धि, (2) खेतों का असमतल होना, (3) पूर्व में अधिकतर खालों का कच्चा होना, (4) घग्घर की बाढ़ एवं घग्घर डांप्रेशन्स में पानी एकत्रित होकर खड़ा रहना, (5) मुख्य नहर का वर्ष भर चलना, (6) मुख्य नहर व वितरण प्रणाली से जल रिसाव, (7) पूर्व में काश्तकारों का सिंचित कृषि से अनभिज्ञ होना, (8) मुख्य नहर व वितरण प्रणाली में मिट्टी भरा होना इत्यादि।

(2) इस समस्या के निराकरण हेतु सम्पूर्ण परियोजना क्षेत्र के भूमिगत जल पर लगातार नजर रखी जा रही है जिसके तहत सम्पूर्ण परियोजना क्षेत्र में पीजोमीटर का नेटवर्क स्थापित किया गया है। सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों हेतु एक 3 वर्षीय कार्य योजना बनाई गई है जिस पर 869.32 लाख रुपये व्यय किये जायेंगे एवं इसके अन्तर्गत खेतों में खड़े पानी को निकालना अतिरिक्त पीजोमीटर लगाना, बायो-ड्रेनेज, भू-जल के उपयोग को प्रोत्साहित करने हेतु बिजली व डिजल पम्पों पर अनुदान, इम्प्रूव्ड वाटर एप्लीकेशन ट्रायल्स, जल निकासी (ड्रेनेज) सम्बन्धी विभिन्न तरह के प्रयोग मोगों के आकार को छोटा करना इत्यादि कार्य किये जायेंगे।

जनजाति उपयोजना क्षेत्र में बालिका शिक्षा

584. श्री महावीर भगोरा (गोगुन्दा) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जनजाति उप योजना क्षेत्र में बालिका शिक्षा का जिलेवार क्या प्रतिशत है ? उसमें से जन जाति की बालिकाओं का प्रतिशत कितना है एवं उनकी शिक्षा का क्या प्रतिशत है ?

(2) जनजाति बालिका शिक्षा के स्तर एवं शिक्षा प्रतिशत को बढ़ाने के लिए क्या विभाग कोई विशेष योजना बनाने पर विचार कर रहा है ? यदि हां, तो वह योजनाएं क्या-क्या हैं एवं कब से प्रारम्भ की जा सकेगी ?

उत्तर

(1) वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार जनजाति उपयोजना क्षेत्र में महिला शिक्षा एवं उसमें जनजाति महिलाओं की शिक्षा का जिलेवार प्रतिशत निम्नानुसार है :–

जिला	महिला साक्षरता प्रतिशत	
	सामान्य	जनजाति
1. डूंगरपुर	15.40	4.87
2. बांसवाड़ा	13.42	3.25

(राज्य मंत्री, क्षेत्रीय विकास)

1	2	3
3. चित्तौड़गढ़	17.13	अनुपलब्ध
4. सिरोही	7.77	,,
5. उदयपुर	10.84	,,

(2) वर्तमान में जनजाति बालिका शिक्षा के स्तर एवं शिक्षा प्रतिशत बढ़ाने के लिए शिक्षा विभाग एवं जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा कई योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। शिक्षा विभाग द्वारा सम्पूर्ण साक्षरता अभियान, शिक्षाकर्मी परियोजना, लोक जुम्बिश परियोजना, सरस्वती शाला योजना, कक्षा 1 से 8 तक की समस्त बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें, कक्षा 1 से 5 तक की बालिकाओं को मुफ्त पोशाकें तथा अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र एवं जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा आश्रम छात्रावासों का संचालन, शैक्षणिक परिसरों की स्थापना, उपचारात्मक शिक्षण, छात्रगृह योजना, उच्च एवं व्यावसायिक शिक्षा हेतु छात्रवृति आदि प्रमुख कार्यक्रम क्रियान्वित किए जा रहे हैं।

माडा योजना में चयनित पंचायत समितियों को आवण्टित राशि

585. **श्री परसादी लाल मीणा** (लालसोट) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य की किन-किन पंचायत समितियों के कौन-कौन से गांव माडा योजना में चयनित है? चयनित गांवों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) राज्य की माडा में चयनित पंचायत समितियों में कौन-कौन सी योजनाएं संचालित की जा रही हैं?

(3) माडा में चयनित पंचायत समितियों को पिछले तीन वर्षों में किस किस मद में कितनी-कितनी धन राशि आवंटित की गई? पंचायत समितिवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त पंचायत समितियों द्वारा पिछले तीन वर्षों में आवंटित राशि में से कितनी-कितनी धनराशि खर्च की गयी? खर्च की गयी धनराशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) चालू वित्तीय वर्ष में कुल कितनी धनराशि आवंटित की गयी एवं अब तक कितनी-कितनी धनराशि खर्च की गयी है?

उत्तर

(1) राज्य के 16 जिलों में 44 माडा लघु खण्ड हैं। इन माडा लघु खण्डों में पंचायत समितिवार चयनित ग्रामों की सूची परिशिष्ट–1 पर उपलब्ध है।

(2) माडा योजना में चयनित लघुखण्डों में संचालित की जा रही योजनाओं की सूची परिशिष्ट–2 पर उपलब्ध है।

(3) माडा में चयनित पंचायत समितियों को पिछले तीन वर्षों में आवंटित धनराशि का मदवार विवरण परिशिष्ट–3 पर उपलब्ध है।

(4) इन पंचायत समितियों द्वारा

(राज्य मंत्री, क्षेत्रीय विकास)

पिछले तीन वर्षों में मदवार खर्च की गई धनराशि का विवरण परिशिष्ट–4 पर उपलब्ध है।

(5) चालू वित्तीय वर्ष 1994–95 में 44 माड़ा लघुखण्डों के लिए 4.91 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित की गयी है जिसके विरुद्ध फरवरी, 1995 तक 313.39 लाख रुपये की धनराशि खर्च की गयी है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

जनजाति उप योजना क्षेत्र में वितरित पी. वी. सी. पाइप

586. श्री फूलचन्द (सलूम्बर) एवं **श्री महावीर भगोरा** (गोगुन्दा) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

जनजाति उप योजना क्षेत्र में वर्ष 1994–95 में कितने जनजाति के कृषकों को पी. वी. सी. पाइप वितरित किये गये? पंचायत समितिवार काश्तकारों के नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जनजाति उपयोजना क्षेत्र में वर्ष 1994–95 में 1052 जनजाति के कृषकों को पी. वी. सी. पाइप अनुदान पर वितरित किये गये। पंचायत समिति वार काश्तकारों के नाम सहित विवरण संलग्न है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

पाली जिले की ढाकरा योजना

587. श्री माधव सिंह दीवान (सोजत) : क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) पाली जिले में ढाकरा योजना कहां-कहां, कब-कब से चल रही है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) पंचायत समिति सोजत में इसे कब तक चालू करने का सरकार का विचार है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) ढाकरा योजना पाली जिले में वर्ष 1983 से क्रियान्विति की जा रही है। ढाकरा योजना के अन्तर्गत पाली जिले की पंचायत समितियां एवं योजना चालू होने का वर्ष निम्नानुसार है :–

क्र. सं.	पंचायत समिति का नाम	योजना चालू होने का वर्ष
1.	रायपुर	83-84
2.	पाली	83-84
3.	बाली	83-84
4.	खारची	86-87
5.	रानी	87-88
6.	रोहट	87-88
7.	सुमेरपुर	87-88

(2) पंचायत समिति सोजत में ढाकरा कार्यक्रम नहीं चल रहा है क्योंकि पाली

(राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास)

जिले में द्वाकरा कार्यक्रम हेतु अभी तक 7 पंचायत समितियों में समूह गठन की भारत सरकार यूनीसेफ एवं राज्य सरकार से अभ्यांश राशि प्राप्त हुयी है। वर्तमान में राज्य की केवल 143 पंचायत समितियों में यह योजना लागू की गई है। शेष पंचायत समितियों में द्वाकरा योजना लागू करने हेतु भारत सरकार के स्तर पर विचार किया जा रहा है। भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने पर ही अन्य पंचायत समितियों में द्वाकरा योजना प्रारम्भ की जा सकती है।

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण कर्मियों को पेन्शन-सुविधा

588. श्री महावीर भगोरा (गोगुन्दा) : क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जिला ग्रामीण विकास अभिकरण में कार्यरत सीधी भर्ती के कर्मचारियों हेतु पेंशन एवं ग्रेच्युटी की सुविधा नहीं है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या भारत सरकार ने इन कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना लागू करने की अनुमति दी है ? यदि हां, तो अनुमति की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त स्वीकृति पर सरकार ने कोई कार्यवाही प्रारम्भ की है ? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) इस कार्यवाही में अब और कितना समय लगेगा।

उत्तर

(1) जिला ग्रामीण विकास अभिकरण एक स्वायतशाषी संस्था होने के कारण इनमें कार्यरत कर्मचारियों को पेंशन सुविधा लागू नहीं है। अभिकरण में कार्यरत कर्मचारियों को ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के तहत ग्रेच्युटी देने का प्रावधान है।

(2) जी हां, भारत सरकार से प्राप्त पत्र की प्रति संलग्न है।

(3) जी हां, भारत सरकार से पत्र प्राप्त होते ही विभाग द्वारा एक समिति का गठन करके अन्य निगमों/विभागों में उनके कर्मचारियों हेतु लागू पेंशन नियम की प्रति प्राप्त करके, अभिकरणों में कार्यरत सीधी भर्त्ती के कर्मचारियों को पेंशन देने सम्बन्धी नियम तैयार कर कार्मिक/विधि/वित्त विभाग के अनुमोदन हेतु भिजवाये हुए हैं।

(4) उक्त विभागों से अनुमोदन प्राप्त होने पर शीघ्रता से कार्यवाही की जावेगी।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-11 देखें।)

जिला बीकानेर को विभिन्न योजनाओं हेतु आवंटित राशि

589. श्री भीमसेन चौधरी (कठूमर) : क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

जिला बीकानेर में ग्रामीण विकास सम्बन्धी विभिन्न योजनाओं के लिए कितनी-कितनी राशि वर्ष 1993–94 व 1994–95 में आवंटित की गयी है ? उसमें कितनी-कितनी राशि शेष रही ?

64

उत्तर

जिला बीकानेर में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा क्रियान्वित विभिन्न योजनाओं के लिए वर्ष 1993-94 एवं वर्ष 1994-95 में कुल मिलाकर 3620.78 लाख रुपये आवंटित किये गये। उक्त आवंटित राशि के विपरीत गत दो वर्षों में कुल 3642.61 लाख रु. व्यय किये जाने के फलस्वरूप अवशेष राशि ऋणात्मक रही जिनका वर्षवार एवं योजनावार विवरण साथ में संलग्न कर प्रस्तुत है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट–12 देखें।)

फागी (जयपुर) में इन्दिरा आवास योजना में अनियमिततताएं

590. श्री मोतीलाल (रूपवास) : क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) पंचायत समिति फागी में वर्ष 1990 में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के लोगों को कितने इन्दिरा आवास स्वीकृत हुए ?

(2) क्या यह सही है कि प्रति इन्दिरा आवास एक हजार रुपये पंचायत समिति में कार्यरत बाबू सूरजभान सिंह ने रिश्वत स्वरूप लिए जिसमें उसे दो लाख रुपये प्राप्त हुये ?

(3) क्या यह भी सही है कि इस भ्रष्टाचार में पंचायत समिति जीप चालक श्री शंकरसिंह भी बाबू के साथ रहा तथा इस संदर्भ में विकास अधिकारी, फागी ने विभाग को कई शासकीय पत्र भी लिखे ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी निष्पक्ष जांच करवाकर दोषियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) पंचायत समिति फागी में वर्ष 1990 में अनु. जाति व अनु. जनजाति के लोगों को 112 इन्दिरा आवास स्वीकृत हुए थे जिनकी सूची संलग्न कर प्रस्तुत है।

(2) परियोजना निदेशक, जि. ग्रा. वि. अभिकरण, जयपुर ने सूचित किया है कि इन्दिरा आवास की स्वीकृति के सम्बन्ध में पंचायत समिति–फागी मे कार्यरत बाबू श्री सूरजभान सिंह द्वारा रिश्वत लेने के सम्बन्ध में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(3) परियोजना निदेशक, जि. ग्रा. वि. अभिकरण, जयपुर ने सूचित किया है कि संदर्भित भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की शिकायत न तो विकास अधिकारी पंचायत समिति फागी को प्राप्त हुई है और न ही जि. ग्रा. वि. अभिकरण, जयपुर में प्राप्त हुई है। इसके अतिरिक्त इस भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में किसी प्रकार की शिकायत अथवा विकास अधिकारी, पंचायत समिति, फागी का कोई भी पत्र जि. ग्रा. वि. अभिकरण/जिला-परिषद/जिला कलक्टर कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है।

अतः इस सम्बन्ध में पंचायत समिति-फागी के किसी कर्मचारी को दोषी मानकर उसके विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–13 देखें।)

आयुर्वेद चिकित्सकों की नियुक्ति के मानदण्ड

591. **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या आयुर्वेद विभाग द्वारा पूर्व में आयुर्वेद चिकित्सकों के पदों पर नियुक्ति वरिष्ठता क्रम के आधार पर दिये जाने की परिपाटी में कोई परिवर्तन किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार पुनः वरिष्ठता क्रम के आधार पर नियुक्तियां करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जून 1990 से पूर्व विभाग द्वारा आयुर्वेद चिकित्सक के पदों पर तदर्थ नियुक्तियां बैच वाइज वरिष्ठता क्रम में मैरिट के आधार पर की जाती रही थी। जून 1990 के पश्चात बैच वाइज वरिष्ठता क्रम की बजाय रिक्त पदों की पूर्ति हेतु प्रकाशित विज्ञप्ति के क्रम आये समस्त आवेदन पत्रों की मैरिट सूची पूर्व के बैच में उत्तीर्ण छात्रों को 3 प्रतिशत बोनस अंक प्रतिवर्ष देते हुए सम्मिलित रूप से सूची तैयार की जाकर नियुक्तियां दी जाती रही हैं, ताकि विभाग को प्रतिभावान अभ्यार्थी प्राप्त हो सकें और पूर्व के बैच में उत्तीर्ण अभ्यार्थियों को भी राहत मिल सके।

(2) जी नहीं। वर्तमान में विभाग द्वारा तदर्थ नियुक्तियां नहीं की जा रही है। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के माध्यम से नियमित नियुक्ति की जा रही है, जिसके लिए दिनांक 22.3.95 को दैनिक नवज्योती (अजमेर संस्करण) में विज्ञापन प्रकाशित हो चुका है। आयोग द्वारा उनकी चयन प्रक्रिया के अनुसार ही अभ्यार्थियों का चयन किया जावेगा। आयोग की सिफारिश/मैरिट के अनुसार ही राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति दी जा सकेगी।

जिला कार्यालयों में मंत्रालयिक कर्मचारियों के पद

592. **श्री शम्भू दयाल बड़गूजर** (केकड़ी) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि वर्तमान में आयुर्वेद विभाग के जिला कार्यालयों में मंत्रालयिक कर्मचारियों के अन्य तकनीकी कर्मचारियों के अनुपात में कम पद सृजित हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि राजकीय आयुर्वेद "अ" श्रेणी चिकित्सालय, मऊ (सीकर) खेजरोली (जयपुर) में कनिष्ठ लिपिक के पद सृजित है ? यदि हां, तो राजस्थान आयुर्वेद "अ" श्रेणी चिकित्सालय चौमू व दौसा में यह पद क्यों स्वीकृत नहीं है ?

(3) क्या यह सही है कि "अ" श्रेणी औषधालय चौमू व दौसा के कनिष्ठ लिपिक पद की,-वहां के स्टाफ के अनुरूप आवश्यकता है ? यदि हां, तो क्या सरकार "अ" श्रेणी औषधालयों एवं जिला कार्यालयों में कनिष्ठ लिपिक के पदों को सृजित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) आयुर्वेद विभागान्तर्गत जिला कार्यालयों एवं अन्य स्तर पर संचालित कार्यालयों में तकनीकी कर्मचारियों एवं मंत्रालयिक कर्मचारियों के संवर्गों के स्वीकृत पदों के मध्य कोई अनुपातिक सह-सम्बन्ध नहीं है।

(2) राजकीय आयुर्वेद "अ" श्रेणी चिकित्सालय, मऊ (सीकर) एवं खेजरोली (जयपुर) में कनिष्ठ लिपिक का एक-एक पद सृजित है। "अ" श्रेणी चिकित्सालयों में पदों की आवश्यकता एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए पद स्वीकृत किये जाते हैं।

(3) "अ" श्रेणी चिकित्सालयों में पदों की आवश्यकता एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए पद स्वीकृत किये जाते हैं।

(12.00)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :–

(1) श्री हरिसिंह (कुम्हेर), सदस्य, विधान सभा की ओर से भरतपुर फीडर नहर में यमुना नदी से पानी नहीं आने के कारण कुम्हेर व हीरा तहसील के गांवों में सिंचाई एवं पशुधन के लिए पानी का संकट उत्पन्न होने के सम्बन्ध में।

(2) श्री परसादी लाल मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से दौसा जिले के लालसोट के गांव अलीपुरा (महारिया) में दिनांक 6 अक्टूबर, 1991 को हुई लूटपाट एवं मारपीट की वारदात के मामले में पुलिस द्वारा उपेक्षावृत्ति बरते जाने के सम्बन्ध में।

(3) श्री जगदीप धनखड़ एवं 3 अन्य, सदस्य, विधान सभा की ओर से सीमावर्ती जिले जैसलमेर के समीप कुलधरा गांव में कनाडा, अमेरिका और पैरी के नागरिकों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार करने की घटना से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं है अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं। क्रम संख्या 1 पर अंकित विषय पर माननीय सदस्य सिंचाई विभाग की अनुदान की मांग पर वाद-विवाद के समय बोल सकेंगे। क्रम संख्या 2 व 3 पर अंकित विषय पर माननीय सदस्य कल दि. 19 अप्रेल, 1995 को पुलिस विभाग की अनुदान की मांग पर वाद-विवाद के समय बोल सकेंगे।

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं

(1) श्री राजेन्द्र गहलोत, सदस्य, विधान सभा की ओर से जोधपुर के मण्डोर उद्यान का रख-रखाव समुचित नहीं होने एवं इसके विकास के लिए विशेष बजट राशि आवंटित करने के सम्बन्ध में।

(2) श्री उदयलाल आंजना, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र सादड़ी के कस्बे छोटी सादड़ी के नीमच सड़क को चौड़ा करने के अधूरे निर्माण कार्य को पूरा करवाने के सम्बन्ध में।

(श्री-अध्यक्ष)

(3) श्री रिछपाल सिंह मिर्धा, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र डेगाना के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं उप स्वास्थ्य केन्द्रों की दयनीय स्थिति के सम्बन्ध में।

(4) श्री अर्जुनलाल जीनगर, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र गंगरार के कतिपय गांवों में हुए अग्निकांड के पीड़ितों को उचित मुआवजा दिलवाये जाने के सम्बन्ध में।

(5) श्री गोपीरामजी, सदस्य, विधान सभा की ओर से जयसिंह फोर्ट, जयपुर के प्रबन्धकों द्वारा कर्मचारियों के साथ मारपीट करने, नौकरी से निकाल देने एवं उनके खिलाफ झूठे मुकदमे बनाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(6) श्रीमती इन्दिरा मायाराम, सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर शहर की मानसरोवर कालोनी में 100 बैड का अस्पताल बनवाये जाने के सम्बन्ध में।

(7) श्री रामस्वरूप मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्र टोडाभीम में महाविद्यालय खोले जाने के सम्बन्ध में।

(8) श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के गंगापुर सिटी बस स्टैण्ड की दुर्दशा के सम्बन्ध में।

(9) श्री हरिनारायण बैरवा, सदस्य, विधान सभा की ओर से राष्ट्रीय उद्यान सवाईमाधोपुर के वनों की अवैध कटाई रोकने के सम्बन्ध में।

(10) श्री रघुवीर सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से सार्वजनिक निर्माण विभाग का सहायक अभियन्ता कार्यालय सराड़ा जिला उदयपुर में स्थापित करने के सम्बन्ध में।

(11) श्री चुन्नीलाल धाकड, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र बेगूं में नन्दबाई से भैंरू घाटी सम्पर्क सड़क बनाकर चित्तौड़गढ़–बेगूं रोड की लम्बाई 14 किलोमीटर कम करने के सम्बन्ध में।

(12) श्री रामकिशन वर्मा, सदस्य, विधान सभा की ओर से रामगंज मंडी कस्बे की अनुसूचित जाति के व्यक्तियों एवं श्रमिकों की बस्ती सातलखेड़ी में पेयजल की गम्भीर समस्या के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गयी सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

श्री भरत सिंह।....(व्यवधान)

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

एक माननीय सदस्य : एक मेरा भी इम्पोर्टेंट प्रश्न था।

श्री हीरालाल सहरिया : अध्यक्ष महोदय, कल मेरा भी दिया हुआ है 295 में। (व्यवधान)....

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : हमने भी दे रखे हैं, आज 15 दिन हो गये....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप।

(68)

श्री हीरालाल सहरिया : अध्यक्ष महोदय, मैंने भी 295 का एक प्रस्ताव आपको दिया था।....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : वह प्रायोरिटी से लिये जा रहे हैं।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : अध्यक्ष महोदय, 15 दिन हो गये।

श्री अध्यक्ष : बीच में काफी दिन अवकाश रह गया इसलिए। माननीय सदस्य, बिराजिये आप।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : 15 दिन हो गये। अध्यक्ष महोदय, 15 दिन हो गये।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, जिन-जिन की प्रायोरिटी है उसी हिसाब से लिये जा रहे हैं। बीच में ऐसे दिन आ गये, काफी छुट्टियां हो गयी थीं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, मैंने भी कल 295 का प्रस्ताव दिया था।

श्री अध्यक्ष : आगे ले लेंगे। कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसका नहीं लिया जाएगा।

श्री भरत सिंह (खानपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं सामुदायिक विकास मंत्रीजी का ध्यान झालावाड़ जिले में....

श्री गोपीचन्द (नगर) : अध्यक्ष महोदय, मेरे यहां पी.एच.ई.डी. का एक बहुत ही जन महत्व का मसला है जिस पर मैं....

श्री अध्यक्ष : बिराजिये, माननीय सदस्य। नहीं, मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं अभी आप बोल रहे हैं, बिराजिये आप। आपको दूंगा मैं, बिराजिये आप।

श्री गोपीचन्द : अध्यक्ष महोदय, मैं यह स्पष्ट चाहता हूं कि इनके बाद मुझे समय दिया जाएगा ?

श्री अध्यक्ष : आपने लिखित में पहले भेजा होगा तो जरूर दिया जाएगा और आप एट रेंडम बोलना चाहेंगे तो नहीं दिया जाएगा। बिराजिये आप।

श्री गोपीचन्द : तो कोई दिक्कत नहीं मेरा कार्यवाही में नहीं लिखें, मैं पी.एच.ई.डी. के बारे में अपनी बात कहना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष : आप मुझे भेज दें, मैं देख लूंगा।

श्री गोपीचन्द : भेजता हूं जब भी नहीं आता है। मैंने प्रस्ताव और कालअटेंशन बहुत दिये हैं....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बिराजिये।

श्री गोपीचन्द : वह अभी तक एक भी कालअटेंशन नहीं आया इसलिए....

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप।

श्री गोपीचन्द : वह तो ठीक है। मैं अब मूल बात, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये। माननीय सदस्य, आप बिराजिये।

श्री गोपीचन्द : भरतपुर जिले में डीग

(श्री गोपीचन्द)

उपखण्ड में जो पी.एच.ई.डी. के एक्स.ईएन. लगे हुए हैं उन्होंने माल की नीलामी....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप विराजिये, मैं आपको अवश्य अवसर दूंगा।

श्री गोपीचन्द : +++ माननीय अध्यक्ष महोदय, +++

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप।

श्री रामनारायण मीणा : अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक के साथ ज्यादती की जा रही है दूसरे माननीय सदस्य के द्वारा।

श्री अध्यक्ष : क्या ?

श्री रामनारायण मीणा : उनको दबाया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये।

श्री रामनारायण मीणा : गोपीचन्द गुर्जर इस सदन के सम्माननीय सदस्य हैं....

श्री अध्यक्ष : मैंने आपको और उनको, दोनों को अभी अनुमति नहीं दी है, बिराजिये आप। अनुमति हो जब बोलें, बिराजिये आप।

श्री रामनारायण मीणा : माननीय, आप व्यवस्था दीजिये. इस तरह से ज्यादती हो, यह ठीक तो नहीं है।

श्री अध्यक्ष : समय खराब नहीं करें, रामनारायणजी, बिराजिये आप।

श्री रामनारायण मीणा : आसन भी इसको उचित नहीं मानता।

श्री अध्यक्ष : माननीय भरतजी को बोलने दीजिये आप।

श्री भरत सिंह (खानपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सामुदायिक विकास मंत्रीजी का ध्यान झालावाड़ जिले में सरड़ी सिंचाई योजना की तरफ दिलाना चाहता हूं जो डी.आर.डी.ए. के माध्यम से संचालित है और उसका काम डी.आर.डी.ए. के माध्यम से चल रहा है। सरड़ी सिंचाई योजना मनोहरथाना पंचायत समिति में दो योजना है, सरड़ी I और सरड़ी II। आपको जानकारी है कि सिंचाई योजना में 20 प्रतिशत राशि किसानों की जमा करने पर ही डी.आर.डी.ए. की योजना को क्रियान्वित किया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय, सरड़ी सिंचाई योजना की प्रथम की डेढ़ लाख रुपये की राशि काश्तकारों ने सरड़ी बैंक में जमा कर रखी है। इसी प्रकार सरड़ी II की 1,30,000 रुपये की राशि बैंक से जमा है। अध्यक्ष महोदय, इन योजनाओं के तहत जो पाइप खरीद कर इन साइट्स पर जाना था, जिला प्रशासन, झालावाड़ डी.आर.डी.ए. के वहां पर जो अधिकारी हैं उन्होंने सरड़ी सिंचाई योजना के 100 पाइप को सरड़ी सहकारी बैंक के अध्यक्ष ने ट्रक में भर कर, 1200 रुपया किराया देकर और 400 रुपये भराई के देकर जब वह सरड़ी गांव के लिए रवाना होने लगे तो क्षेत्रीय विधायक, जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, और यह पाइप जिन लोगों के गांव में जा रहे थे वह उनके

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री भरतसिंह)

प्रतिद्वंद्वी, जो चुनाव लड़े थे उनके समर्थक थे। अध्यक्ष महोदय, विधायक ने डी. आर. डी. ए. के सचिव को टेलीफोन किया और कहा कि यह पाइप सरड़ी नही जाएंगे। जो पाइप सरड़ी जाने के लिए लोड करे थे ट्रक में उन पाइप्स को विधायक के कहने पर दूसरी सिंचाई योजना, गरबोलिया सिंचाई योजना पर, वहां पर पाइप इश्यू नहीं हुए थे उसके बाद भी, क्योंकि क्षेत्रीय विधायक ने दबाव डाला और डी. आर. डी. ए. के अधिकारी ने कहा कि एम. एल. ए. का फोन आ गया और अब यह पाइप सरड़ी नहीं जाएंगी इस पाइप को आप गरबोलिया ले जाएं और जिस सोसायटी का पैसा जमा था वह 100 पाइप गरबोलिया जाकर जमा करा दिये गये। लोगों ने जिला कलक्टर को शिकायत की, धरने की चेतावनी दी और वह पाइप गरबोलिया से वापस सरड़ी गये। अध्यक्ष जी, मैं इस बात की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जिस गरीब को रक्षा कवच की सरकार बात करती है वह रक्षा कवच आपके विधायक ने पहन लिया और हमारी झालावाड के भ्रष्ट अधिकारियों ने पहन लिया है।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप। मैं, भाषण सुनने के लिए नहीं, आप पाइंटेडली बात कहिये और इमिजियेट आकरेन्स जो हुई है उसके बारे में बताओ आप। माननीय सदस्य, पुरानी-पुरानी बातें पता नहीं कब की कह रहे हैं आप।

श्री भरतसिंह : पुरानी बात नहीं कह रहा हूं। वह स्कीम जहां पर झालावाड़ जिले में पर्याप्त पानी है उसके बाद आज झालावाड़ जिले में सरड़ी सिंचाई योजना है कि जहां पर काश्तकारों ने पैसा जमा कर रखा है, डेढ़ लाख और सवा लाख रुपया जमा है उस स्कीम को इन लोगों ने रोक दिया, कि जब भारतीय जनता पार्टी में यह काश्तकार शामिल नहीं हो जाते, पटवारी क्षेत्र का जाता है और कहता है कि आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाओ यह योजना चालू हो जायेगी नहीं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जयपुर और दिल्ली तक बैठी हुई है।

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप। श्री अमराराम जी।

श्री अमराराम जी : आज हाउस में चार बजे माननीय मुख्य मंत्री जी का उत्तर आना है बजट पर, इसलिए मुझे आप सहयोग करें और अधिक से अधिक लोगों को मैं बुलाना भी चाहता हूं पर माननीय सदस्य कम से कम 25 पर्चियां आज आ गयी हैं।

श्री रामनारायण मीणा : आज मुख्य मंत्री जी तैयार ही नहीं है।

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप। माननीय बिराजें आप।

श्री भरतसिंह : मैं बैठ तो जाऊंगा पर इसकी व्यवस्था क्या होगी ?

श्री अध्यक्ष : अब बात हो गयी न आपकी।

श्री भरतसिंह : वह झालावाड़ जिले के मंत्री हैं....

श्री अध्यक्ष : अब बिराजें आप। अमराराम जी बोलेंगे। आपकी बात हो गयी। बिराजें आप।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार और परिवहन मंत्री का ध्यान राजस्थान रोडवेज वर्कर्स यूनियन निगम के उन हजारों कर्मचारियों, जिनकी कड़ी मेहनत से निगम ने पिछली बार 22 करोड़ का जो मुनाफा कमाया है उसके बावजूद भी वहां के कर्मचारियों के साथ सरकार और निगम द्वारा जो अन्याय और अत्याचार किया जा रहा है उसके खिलाफ राजस्थान रोडवेज वर्कर्स यूनियन के सैकड़ों कर्मचारियों विधान सभा के सामने धरना दे रखा है और वह इस बात के लिये कि जहां एक तरफ मुनाफा है वहीं दूसरी तरफ पांच-पांच, छह-छह साल से दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी, जिनको 180 दिन पूर्ण होने के बाद नियमित किया जाना चाहिये, कानून यह कहता है लेकिन इसके बाद भी छह-छह, सात-सात साल से रोज 40 रुपये प्रतिदिन की मजदूरी पर रखकर उनका शोषण किया जा रहा है दूसरी तरफ जहां निगम और अच्छी तरह से मुनाफा कमाये, आज राजस्थान निगम का हिन्दुस्तान की निगमों में अग्रणी स्थान है, इसके बावजूद भी उसको निजीकरण की तरफ धकेला जा रहा है। उसकी बुकिंग्स, उसके तमाम वाहन धुलाई, अन्य तमाम बसें डी. एस. के. पर चलाकर कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं करके ऐसे लोगों को प्राइवेटाइजेशन करके निगम को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ अवैध वाहन निश्चित रूप से इस राजधानी से हजारों की संख्या में रोज गमन करते हैं लेकिन उन पर प्रभावी अंकुश नहीं होने के कारण जहां राजकीय कोष को टैक्स के रूप में और निगम को आय के रूप में करोड़ों रुपये का नुकसान दिन-प्रतिदिन पहुंचाया जा रहा है। उसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। सरकार और निगम के उस सरकारी कोष के घाटे को रोकने की प्रबल व्यवस्था की जाए। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री शिवनाथसिंह जी।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : अध्यक्षजी, मैं आपके माध्यम से ऊर्जा मंत्री जी का ध्यान विद्युत मण्डल द्वारा किसानों पर ढहाये जाने वाले कहर की तरफ दिलाना चाहता हूं।

अभी कुछ दिन पहले चर्चा हुई थी और विद्युत मण्डल ने इस प्रकार के आदेश जारी किये थे। चर्चा के बाद में माननीय मंत्री जी ने विचार-विमर्श कर उन आदेशों को तो वापस ले लिया लेकिन अब एक नया तरीका उन्होंने निकाला है। जिन काश्तकारों के पास कुओं पर मीटर हैं, उनके जबरन मीटर हटवाकर और फ्लेट रेट से उनका चार्ज लगाया जा रहा है। काश्तकार लगातार बिल का पेमेंन्ट करते आ रहे हैं उनके मीटर में कोई फाल्ट नहीं है, लेकिन वह कहते हैं कि हमको तो ऊपर से आदेश हैं कि 70% कनेक्शन फ्लेट रेट से करने हैं। इससे माननीय अध्यक्ष जी, किसानों को यह दुविधा होगी कि फ्लेट रेट के चार्जेज और मीटर के चार्जेज में बहुत फर्क है। आज बिजली मिलती नहीं। कुओं में पानी नहीं है और दो-दो घंटे, तीन घंटे से अधिक कुआ चलता नहीं है। उसके

(श्री शिवनाथ सिंह)

मीटर का जो रेट आएगा, वह कम आएगा और फ्लेटरेट के हिसाब से आप उनसे अधिक चार्ज लेंगे। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं।

दूसरी बड़ी समस्या है कि लगातार किसान अपने मीटर का चार्ज देते आ रहे हैं। कभी जब बोर्ड को रुपया वसूल करने की फिक्र पड़ती है तो आडिट के नाम से किसानों के नाम पन्द्रह हजार और बीस हजार का बिल जारी करते हैं। झुन्झुनू जिले में इन दिनों एक अभियान लगा हुआ है और हर काश्तकार के, जिसके 10 हार्स पॉवर की मोटर है, किसी के अठारह हजार, किसी के पन्द्रह हजार आडिट के नाम से बिल लिया जा रहा है। पूछने पर पता लगता है कि हमको कुछ पता नहीं है, आडिट वालों के पास जाओ और आडिट वाले उनको कहां मिलेंगे। इसलिए, माननीय अध्यक्ष जी, यह दो प्रकार के प्रहार किसनों पर हो रहे हैं। मैं माननीय ऊर्जा मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि पहले जो उन्होंने थोड़ी सख्ती बिजली बोर्ड पर बरती थी उसके हिसाब से इस नादिरशाही कार्यवाही को रोकें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : बिराजें। श्री गोपीराम जी। (अनुपस्थित)। श्री शैलेन्द्र जी जोशी।

श्री गोपीचन्द (नगर) : मैं बोल रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय गोपीराम जी, हां, आप बोलिये।

श्री गोपीचन्द : अध्यक्ष साहब, मैं... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सबका आ जाएगा, बिराजिये आप।

श्री गोपीचन्द : आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : थोड़ी धीमी गति से कहें आप, जो दर्ज कर सकें हम।

श्री गोपीचन्द : डीग उप खण्ड के एक्स. ईएन. ने कण्डम माल की नीलामी की है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप। आ जाएगा। रोज बोलते हैं आप।

श्री गोपीचन्द : स्टाक में 2244 किलोग्राम माल में से 2063 नकारा माल साबित किया। नीलामी के ढेर, कानून में प्रति किलो या प्रति क्विटल का हिसाब होना चाहिये लेकिन उन्होंने ढेर से हिसाब से किया। एक्स. ईएन. ने आइटम-गन मैटल, मोटर का जला तार, सी. आई. का एम. एस. और ओरिजनल कम से कम 10 टन माल था, जिसको उन्होंने मात्र 2063 किलो में ही नीलाम कर दिया। उसकी एफ. आई. आर. भी लोज हुई है, अखबार में भी आया है। माननीय मंत्री महोदय ने उसकी जांच भी नियुक्त की है। लेकिन उस जांच में भी घपला हो रहा है और पी. एच. ई. डी. का सबसे नकारा एक्स. ईएन. है, जो डीग में लगा रखा है। कभी डीग में बैठता नहीं है। न मेरा ए. ईएन. बैठता है, सीकरी में कोई जे. ईएन. आज तक लगाया नहीं।

आपके माध्यम से एक और बात ध्यान

(श्री गोपीचन्द)

दिलाना चाहता हूं। पिछले साल पानी का ठेका दिया गया था टैंकों से 110 रुपये प्रति हजार के लीटर से और अब की बार दिया है वही 39 रुपये प्रति टन हजार से यानि 110 में दिया था, महंगाई बढ़नी चाहिये थी या घटनी चाहिये थी। इसी तरह से हैण्डपम्प जो नकारा सामान हो जाता है; उसकी सर्वे रिपोर्ट होने के बाद में उनका काम किया जाता है, करीब पांच लाख रुपये का फर्जी पेमेंट डीग के उस एक्स. ईएन. ने उठाया है। 31 मार्च में रात-रात में बटोरा कर लिया। अब माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो यह नहीं कहता कि यह पैसा मंत्री महोदय के पास आया है। लेकिन मैं यह भी नहीं कह सकता कि ये विभाग ईमानदार है....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजें। ....(व्यवधान) बिराजें आप। माननीय सदस्य, अपनी लिमिटेशन में बात किया करें।

श्री गोपीचन्द : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं साफ अलफाजों में कहना चाहता हूं उस नकारा अधिकारी को मत हटाओ, वहीं रख लो लेकिन....(व्यवधान) उसकी जांच हो।

श्री अध्यक्ष : माननीय गोपीचन्द जी। (व्यवधान)

श्री गोपीचन्द : माननीय अध्यक्ष महोदय, पी. एच. ई. डी. से ज्यादा घोटाला कहीं पर नहीं हो रहा है। माननीय पी. एन. भण्डारी जी को इसलिए हटाया गया कि घोटाले में तकलीफ पैदा हो रही थी, घोटाला नहीं कर पा रहे थे।

श्री अध्यक्ष : माननीय बिराजें आप।

श्री गोपीचन्द : (व्यवधान) तो यदि पी, एच. ई. डी. में सबसे अधिक घोटाला हो रहा है तो वह इस वर्ष हो रहा है, इन दिनों हो रहा है, इस वक्त हो रहा है।

श्री अध्यक्ष : गोपीचन्द जी गुर्जर मैं आपको वार्निंग दे रहा हूं। इस तरह से नहीं बोलेंगे आप।

श्री गोपीचन्द : ठीक बात है। मैं मेरे हृदय की पीड़ा कह रहा हूं....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : गोपीचन्द जी, मैं आपको वार्न कर रहा हूं फिर।

श्री गोपीचन्द : अध्यक्ष महोदय, मैं अपने हृदय की पीड़ा कह रहा हूं....(व्यवधान) उसकी आवाज कह रहा हूं। नगर की जनता पानी से प्यासी मर रही है, डीग की जनता पानी से प्यासी मर रही है ....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप।

श्री गोपीचन्द : और आप देखिये जयपुर में फव्वारे चल रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि एक बार माननीय मंत्री जी को नगर से विधान सभा का चुनाव लड़वा दो, पानी की बाधा तो दूर हो जाएगी। पैसा केवल जयपुर में लगता है....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इसमें तालियां और गड़गड़ाहट करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री गोपीचन्द : माननीय अध्यक्ष महोदय, सच तो सुनना पड़ेगा। हृदय की

(श्री गोपीचन्द)

पीड़ा है । इसको सदन में नहीं कहा जाएगा तो कहां कहा जाएगा ?

श्री अध्यक्ष : श्री शैलेन्द्र जी जोशी ।

श्री गोपीचन्द : और एक-एक के, माननीय अध्यक्ष मोहदय....

श्री अध्यक्ष : अब अंकित नहीं होगा इनका । अंकित न करें ।

श्री गोपीचन्द : X X X

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप, गोपीचन्द जी गुर्जर, मैं आपको वार्न कर रहा हूं ।

श्री गोपीचन्द : X X X

श्री अध्यक्ष : बहुत ज्यादा जोश दिखलाने की जरूरत नहीं है, माननीय सदस्य, बिराजें । माननीय सदस्य बिराज जाईये ।

श्री गोपीचन्द : X X X

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं करने के लिए कह दिया है, अंकित नहीं करें ।

श्री गोपीचन्द : X X X

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं होगा ।

श्री गोपीचन्द : X X X

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें । माननीय सदस्य, बिराजें । अनुमति देने का मतलब यह नहीं होता....(व्यवधान) आप बिराज जाइये अब ।

श्री गोपीचन्द : X X X

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजें आप । बैठ जाइये आप ।

श्री गोपीचन्द : X X X

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये अब ।

श्री गोपीचन्द : X X X

श्री अध्यक्ष : बैठिये अब ।

श्री गोपीचन्द : X X X

श्री अध्यक्ष : अब बिराज जाइये ।

श्री गोपीचन्द : X X X

श्री अध्यक्ष : एक घंटा बोलने के लिए नहीं है । आप बिराज जाइये ।

श्री गोपीचन्द : X X X

श्री अध्यक्ष : इस तरीके से आवाज नहीं सुनी जाती । माननीय सदस्य, बिराजें आप । आप बिराज जाइये ।

श्री गोपीचन्द : X X X

श्री अध्यक्ष : श्री शैलेन्द्र जी जोशी ।

श्री गोपीचन्द : X X X

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिए मैं अब शून्यकाल समाप्त कर रहा हूं 15 मिनट में सब आ जाएंगे । वह जो बोले हैं उसको एक्सपंज कर देना आप । माननीय शैलेन्द्र जी ।

श्री रामनारायण मीणा : आन ए पाइंट आफ आर्डर ।

X X X अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

श्री अध्यक्ष : There is no point of order, please sit down. श्री शैलेन्द्र जी बोल रहे हैं, कोई पाइंट आफ आर्डर नहीं है। उनको बोलने दीजिये शैलेन्द्र जी को अपनी बात कहने दीजिये। मेरे पास लिमिटेड टाइम है। आप मर्जी आये जब खड़े होकर बोलने लग जाते हैं।

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जन-स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि ग्रामीण क्षेत्र में कुछ स्कूल ऐसे होते हैं जो पंचायत समिति के अन्तर्गत चलते हैं और कुछ स्कूल ऐसे होते हैं जो सरकारी व्यवस्था के अन्तर्गत चलते हैं। दोनों ही तरह के स्कूल जो अधिकांशतया एक कक्षा से लेकर पांच कक्षा तक होते हैं, उनमें स्कूल के विद्यार्थियों के लिए पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। मेरे पश्चिमी क्षेत्र बांदीकुई में 5-6 स्कूलें ऐसी हैं मिवाई, धापावन, पंडितपुरा, सबरावली, जिनमें एक-एक किलोमीटर दूर तक पीने के पानी के लिए कोई हैण्ड पम्प नहीं है, कोई टंकी नहीं है और कोई व्यवस्था नहीं है। स्कूल के छात्र अध्यापकों से अनुमति लेकर घर जाते हैं और उनका पूरा समय पानी पीने जाने और आने में ही चला जाता है। ऐसी स्थिति में यह सरकार जन-स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग के द्वारा ऐसी व्यवस्था करे कि यदि स्कूल है तो पीने के पानी की भी व्यवस्था करे। यदि स्कूल है और छात्र पढ़ते हैं, तो वहां पर पीने के पानी की व्यवस्था आवश्यक रूप से और अनिवार्य रूप से हो यह जिला कलक्टर को प्राथमिकता के रूप में निर्देशित किया जाए। पेयजल के अभाव में विद्यार्थियों की पढ़ाई का हनन नहीं हो। यह एक संवेदनशील मामला है और मैं समझता हूं आपके माध्यम से मंत्री महोदय इस पर ध्यान देकर कोई न कोई ऐसी स्कीम बनायेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री हरिसिंह कुम्हेर।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : माननीय अध्यक्ष-महोदय, राजस्थान में आज बिजली का कट तो नहीं है। विद्युत आपूर्ति ठीक है लेकिन कुम्हेर इसके बिलकुल विपरीत है। कुम्हेर में किसानों की, गैर लोगों की, व्यापारियों की स्थिति बड़ी खराब हो गई है। वहां पर बिजली का संकट दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। इसका कारण यह है कि कुम्हेर के अन्दर जो ओ. सी. बी. लगी हुई है वह खराब पड़ी हुई है और ओ. सी. बी. के कारण फ्यूज भरतपुर से उड़ता है और जिसकी वजह से कई-कई घंटे तक सप्लाई बन्द रहती है।

दूसरा, श्रीमन्, सबसे बड़ा एक काम और किया है सरकार ने उसे कटे पर नमक छिड़कने वाली बात मैं कहूंगा। अब तक कुम्हेर का जूरिस्डिक्शन भरतपुर के एक्स. ईएन. के पास था अब इन्होंने भरतपुर से एक्स. ईएन. से हटाकर के डीग कर दिया, तो डीग ले जाएं मुझे कोई आपत्ति नहीं है लेकिन भरतपुर के अन्दर जो एक्स. ईएन. का आफिस है उसमें ही कुम्हेर के क्षेत्र का जूरिस्डिक्शन होना चाहिए। कुम्हेर का एस. डी. एम. भरतपुर में बैठता है, कुम्हेर का पानी का दफ्तर भरतपुर में है। कुम्हेर के लोग बाजार का सामान खरीदने के लिए भरतपुर आते हैं। अब

(76)

(श्री हरिसिंह)

कुम्हेर के किसान लोग बिजली के काम के लिए डीग जाएंगे तो उल्टे बांस बरेली वाली बात होगी। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कुम्हेर का जो जुरिस्डिक्शन है वह एक्स. ईएन. भरतपुर के पास होना चाहिए।

इसके अलावा इन्होंने करीब 160 तकनीकी कर्मचारियों के तबादले भरतपुर से बाहर कर दिए। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि एक तो कुम्हेर का जुरिस्डिक्शन भरतपुर के एक्स. ईएन. के पास रहे और जिन लोगों के तबादले किये हैं उनके तबादले निरस्त किये जाएं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष। श्री कालीचरण जी।

श्री कालीचरण सराफ (जौहरी बाजार): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से नगरीय विकास मंत्रीजी का ध्यान जयपुर शहर में मालवीय नगर क्षेत्र में पैट्रोल पम्प नहीं है, उसकी ओर दिलाना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, मालवीय नगर 1982 में बसा और आज मालवीय नगर क्षेत्र के पांच किलोमीटर की रेंज में कोई पैट्रोल पम्प नहीं है। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि माननीय मंत्रीजी ने तो आदेश कर दिए दिसम्बर में, परन्तु जयपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने अभी तक वहां पैट्रोल पम्प के लिए कोई भू-खण्ड आवंटित नहीं करवाया है। केन्द्रीय सरकार से तीन लोग पैट्रोल पम्प के लिए लाइसेंस भी ले आये, अनुमति भी ले आये, राज्य सरकार ने भी आदेश दे दिए, परन्तु अभी तक जयपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों की लापरवाही के कारण वहां कोई भूखण्ड आवंटित नहीं हो रहा। मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि वह जयपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को आदेश दें कि जल्दी से जल्दी वहां एक महीने में पैट्रोल पम्प खुले। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। श्री किशन जी मोटवानी।

श्री गोपीराम जाट (आमेर): अध्यक्ष महोदय, इसी सन्दर्भ में मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। झोटवाड़ा क्षेत्र में भी मालवीय नगर जैसी ही समस्या है। झोटवाड़ा से दस किलोमीटर की रेंज में कोई पैट्रोल पम्प नहीं है। एक तो अजमेर रोड पर है, एक कालवाड़ रोड पर है, वह भी करीब 6 किलोमीटर दूर है, विद्याधर नगर भी 6 किलोमीटर दूरी पर पड़ता है और बनीपार्क का पैट्रोल पम्प भी 6 किलोमीटर दूरी पर पड़ता है इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि झोटवाड़ा क्षेत्र के लिए भी पैट्रोल पम्प के लिए भू-खण्ड आवंटन की व्यवस्था करें।

श्री अध्यक्ष: माननीय मोटवानी जी।

श्री किशन मोटवानी (अजमेर पश्चिम): माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से पाइंटेड क्वश्चन स्वायत्त शासन मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि आप कब तक अजमेर की जनता पर बी. जे. पी. के बोर्ड का सांप बिठाए रखेंगे? मैं तो आपके समक्ष दो पत्र कल का और आज का पेश करूंगा। एक दरगाह जहां आप स्वयं जाते हैं, उसके बुलन्द दरवाजे के सामने का जो चित्रण है वह आप स्वयं देखें। एक सुंदरी मोहल्ला, हर रोज पिक्चर में आएगा, हर रोज एक

(श्री किशन मोटवानी)

पत्र में ऐसी पिक्चर आएगी और आपको मैं दिग्दर्शन कराऊंगा आपके बी. जे. पी. बोर्ड का। वह मैं सिर्फ आपके समक्ष पेश कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : बहुत-बहुत धन्यवाद। श्री रामनारायण जी मीणा।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवा) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बहुत ही अहम् मसले पर सदन का और सरकार के चिकित्सा मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, आज परिवार नियोजन राष्ट्रीय कार्यक्रम है इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप उस पर ध्यान दे रहे हैं। मैं कोई एलीगेशन नहीं लगाना चाहता। लेकिन गर्भवती महिलाओं के भी परिवार नियोजन के आपरेशन किये जा रहे हैं बिना जांचे, वह क्यों हो रहे हैं वह मंत्रीजी देखें। गर्भावस्था में होने के बाद उसका कोई सोल्यूशन होना चाहिए। जैसे सन्तरा नाम की एक महिला है, जरब्दा गांव की बूंदी जिले में नैनवा तहसील की, उसका कर दिया और वो ज्योंहि चिकित्सालय में गई वहां के चिकित्सा कर्मियों ने कोई दवाई डाल दी और उसको ऐसा कर दिया कि वह दो महीने से चिकित्सालय में पड़ी हुई है। सरकार न उसको मुआवजा दे रही है और दवाइयों का बिल भी देती है, तो बीस-तीस पर्सेन्ट। उसके खून चढ़ा पांच बोतल, पैसा नहीं दिया गया और वह मरणावस्था में है। ऐसे रेयर केसेज होते हैं। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि रेयर केसेज हैं लेकिन चूंकि राष्ट्रीय कार्यक्रम है इससे माहौल बिगड़ता है। दूसरा, एक महिला है गुड्डी, पत्नि भैरूलाल शर्मा, उसका नसबंदी आपरेशन हुआ, उसकी भी यही की यही हालत है। उसको सवाई मानसिंह अस्पताल में यहां रेफर किया गया है। इस तरह के जो केसेज होते हैं वह सारे वातावरण को बिगाड़ते हैं हालांकि रेयर केसेज हो रहे हैं। ऐसे मामले जहां भी हों सरकार उनको अनुग्रह राशि दे और ध्यान रखें। ऐसे चिकित्सा कर्मियों को जिन्होंने इन केसेज को बिगाड़ा है और उसके बाद सही ढंग से इलाज नहीं किया उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही हो ताकि ऐसे केसेज को वह नहीं करें और जिन चिकित्सा कर्मियों ने पैसे लिए हैं उसकी जांच हो; उनको दण्डित किया जाए ताकि आइन्दा से इस तरह के मामले में कोई बेईमानी और लापरवाही नहीं बरत सकें। धन्यवाद।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (राज्य मंत्री चिकित्सा) : आप मेरे को लिखकर दें। जो नाम आपने लिए हैं, जो बात आपने कही है वह लिखकर दे दें।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी कुछ बात कह रहे हैं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत मैं सदन से एक बात निवेदन करना चाहता हूं जैसे माननीय सदस्य कह रहे थे कि ऐसे केसेज बहुत रेयर हैं। मेरा आपके माध्यम से उनसे भी निवेदन है कि सदन में इस बात की चर्चा आने के कारण जो इसकी पब्लिसिटी होती है, परिवार नियोजन जैसे काम को बहुत बड़ा धक्का उससे पहुंचता है।

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

मेरा आपसे निवेदन है कि जब माननीय सदस्य अगर ऐसी घटनाओं को लिखकर उनको देंगे तो उन पर तुरन्त कार्यवाही होगी और कार्यवाही के कारण समुचित फायदा होगा। किन्तु कृपा करके इस अच्छे कार्यक्रम में इस प्रकार की बात के कारण जो नेगेटिविटी पैदा होती है, उसके बारे में न हो मेरा आपसे विनम्र निवेदन है।

श्री रामनारायण मीणा : सरकार बोली है इसलिए मैं एक लाइन में निवेदन करना चाहता हूं कि सन्तरा नाम की महिला के बारे में लिखकर दिया है, कलक्टर को दिया है, पुलिस में केस रजिस्टर हुआ है और पुलिस पर जानबूझ कर डाक्टरों ने दबाव डाला, जिला प्रशासन ने दबाव डाला, ऐसी भयंकर ज्यादतियां हो रही हैं; गरीबों की सुनवाई नहीं हो रही है। चूंकि लिखकर दे चुके हैं दरख्वास्त दे चुके हैं उनकी सुनवाई नहीं हुई इसलिए सदन में कहना पड़ा है। अध्यक्ष महोदय, आप तो परिवार नियोजन का विरोध कर के सरकार में आए हो, आपको तो बोलना ही नहीं चाहिए इस मामले में। आपने तो काम तो कुछ किया नहीं और परिवार नियोजन का नाम लेकर....

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : यह एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है, राष्ट्रीय कार्यक्रम के लिए आप पार्टीबाजी और में न फंसे।

...क्ष : बिराजिए माननीय सद... कार्यक्रम है परिवार नियो... बिराजिए, आप भी अप... श्रीमती मीना जी।

श्रीमती मीना अग्रवाल (अलवर) : आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं, राजस्थान में स्वास्थ्य मंत्रीजी को मैं बधाई देती हूं कि 1994–95 में गुजरात से भयंकर प्लेग की बीमारी, महामारी से हमारे राजस्थान की जनता को बचाने के लिए स्वास्थ्य विभाग का सराहनीय काम रहा। राजस्थान की जनता के लिए इसी प्रकार मलेरिया फैलने पर मंत्री जी ने अच्छे कार्य किये। अध्यक्ष जी, हमारे मुख्य मंत्रीजी और राठौड़ जी ने एड्स जैसी बीमारी से जनता को बचाने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा भारी प्रचार किया है इससे जनता स्वास्थ्य के प्रति समझने लगी है। जनता में किसी अनजान आदमी से खून लेने, पुराने इंजेक्शन आदि नहीं लगवाने के बारे में जागृति बढ़ी है। सबसे बड़ी बात इस प्रकार से यह भी है कि समाज में वेश्यावृत्ति जैसी बुराई पर अंकुश लगाने में भी सहायता मिलेगी। इस साल मंत्रीजी ने मलेरिया, प्लेग, एड्स जैसी बीमारियों का विशेष ध्यान रखा। उनकी जागरूकता और सेवा की भावना के सामने....

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप।

श्रीमती मीना अग्रवाल : अभी थोड़ा सा और है।

श्री अध्यक्ष : आपकी बात आ गयी, बिराजिये अब।

श्रीमती मीना अग्रवाल : मंत्रीजी का स्वागत ही अब है। उन्होंने बजट में कहीं कमी नहीं रखते हुए ज्यादा से ज्यादा बजट स्वास्थ्य विभाग को दिया है। राजस्थान सरकार ने पहले भी करीब दुगना खर्च

(श्रीमती मीना अग्रवाल)

करने के लिए दिया है जिससे बड़ी संख्या में स्वास्थ्य केन्द्रों से एम्बुलेंस, एक्स-रे दवाइयां उपकरण एवं सामान की संख्या बढ़ायी गयी है। अध्यक्ष जी, इसी तरह स्वास्थ्य केन्द्र में प्रति विस्तर पर मिलने....

श्री अध्यक्ष : विराजिये, विराजिये।

श्रीमती मीना अग्रवाल : वाला खर्चा भी दुगना किया गया है जिससे मरीज को भर्ती होने में....

श्री अध्यक्ष : अब माननीया, बिराजें आप। आपकी बात हो गयी।

श्रीमती मीना अग्रवाल : एक मिनट, मैं संक्षेप में कर देती हूं। मैं पूरा तो पढ़ूंगी। बड़ी संख्या में नये डाक्टर्स की भी भर्ती की गयी है जिससे गांवों में.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय, बोलने दें, बोलने दें।

श्रीमती मीना अग्रवाल : जनता को राहत मिलेगी। इसी तरह पिछले साल में तीन जिलों में लाखों रुपये के आई. सी. यू. वार्ड खोले गये हैं। अलवर अस्पताल भी इसी में शामिल है। इसी तरह अलवर अस्पताल में सोनोग्राफी की मशीन लगायी जिससे गरीब जनता को प्राइवेट सोनोग्राफी नहीं करानी पड़ रही है; अलवर अस्पताल में ही करवाते हैं। हर आदमी को; गरीब जनता को 300-400 रुपये की बचत हो रही है। इससे गरीब जनता नर्सिंग होम में जाने को मजबूर नहीं हो रही है।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। अब आप बिराजिये।

श्रीमती मीना अग्रवाल : इसलिये मैं, मंत्रीजी का हार्दिक स्वागत करती हूं। इसके अलावा भी मंत्रीजी ने इस साल इतना बढ़िया बजट रखा है....

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। हां बजट हो गया, बिराजिये।

श्रीमती मीना अग्रवाल : प्राइवेट नर्सिंग होम वगैरह में सरकारी डाक्टर्स को रोका जाए....

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्रीमती मीना अग्रवाल : मेरी मांग और है। एक मिनट....

श्री अध्यक्ष : हां बिराजिये।

श्रीमती मीना अग्रवाल : मेरी मांग है, मैं मांग पर आ रही हूं।

श्री अध्यक्ष : तो पहले आप मांग की बात करें।

श्रीमती मीना अग्रवाल : अध्यक्ष जी, मंत्रीजी ने युवा शक्ति की भावना से सेवा की है। इसलिये वह खुलकर बजट दे रहे हैं और इसलिए दे रहे हैं कि बीमारी नहीं फैले। मैं सीजनल बीमारी की चर्चा कर रही हूं और इस पर भी मंत्रीजी का स्वागत करती हूं। मैं मंत्रीजी से निवेदन करती हूं अलवर में बड़ी उम्र वालों के लिए स्वास्थ्य-केन्द्र खोले जाएं। बड़ी उम्र की कई ऐसी बीमारियां होती हैं इसीलिये यूरोलोजी डिपार्टमेंट भी अलवर में खोले जाएं।

(श्रीमती. मीना अग्रवाल)

स्वास्थ्य शिक्षा भी खोली जाए। मजदूर के लिए भी अस्पताल अलवर में खोले जाएं....

श्री अध्यक्ष : हां बिराजिये।

श्रीमती मीना अग्रवाल : क्योंकि अलवर में छोटे से लेकर बड़े मजदूर तक फैक्टरी एरियाज में हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अलवर है। 25 लाख की जिले में आबादी भी है। जिले में फैक्टरी एरिया बहुत है इसलिए मंत्रीजी से निवेदन करती हूं इस सब पर विचार करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री बनवारीलाल बैरवा।

श्री बनवारी लाल बैरवा (निवाई) : माननीय अध्यक्षजी, मैं आपके माध्यम से पंचायत राज मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं कि टौंक जिले के अन्दर सैंकड़ों अध्यापकों के पद रिक्त थे। 1993--94 के अन्दर जो आवेदन पंचायत राज मंत्रीजी द्वारा....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय, बोलने दें। आज समय बहुत कम है।

श्री बनवारी लाल बैरवा : 1993-94 में जो आवेदन-पत्र मांगे गये थे अध्यापकों के लिए और जो उसमें अनियमितताएं हुई थीं उसके खिलाफ कुछ अभ्यार्थी हाई कोर्ट में गये और हाई कोर्ट ने दिनांक 31. 1. 1995 को फैसला दिया और उस फैसले के तहत दिनांक 22. 2. 95 को निदेशक ने यह आदेश भेजे कि यह भर्ती की जाए और भर्ती के अन्दर 335 रिक्त स्थान हैं, उनके लिए व्यवस्था थी। जिसमें 40 अनुसूचित जाति के, 54 अनुसूचित जनजाति के, 241 सामान्य हैं। यह 335 रिक्त पदों के लिए 2. 4. 95 को वहां के सी. ओ ने राजस्थान पत्रिका के तहत सूचना भेजी और व्यक्तिगत रूप से अलग-अलग अध्यापकों को इतला दी कि आप उसके अन्दर आइये। इसका जो प्रोग्राम उन्होंने दिया था वह प्रोग्राम यह था कि 7 तारीख को अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए इंटरव्यू था, 10 को अनुसूचित जाति के लिए इंटरव्यू था, 11, 12, 15 यह तीन दिन सामान्य लोगों के लिए, यह प्रोग्राम तय करके यह सूचना दी थी। 6 तारीख को अचानक एक आदेश भेजा गया और वह सब स्थगित कर दिया गया। वह जो देहात से दूर से आये हुए अध्यापक हैं, जो गरीब तबके से बड़ी मुश्किल से पढ़ लिखकर आते हैं, 3-3, 4-4 साल उनको इन्तजार करना पड़ रहा है। बहुत से तो बी. एड. भी करके आ गये हैं। जब यह मौका आया है कि उनको अपाइंटमेंट दिया जाए तभी आपने स्थगन आदेश कर दिया। यही नहीं, इसके अलावा आप यह व्यवस्था और कर रहे हैं कि 1994–95 के लिए जो आपने दुबारा आवेदन मांगे थे उनके अन्दर चुपचाप अपाइंटमेंट दिये जा रहे हैं और उन सबको निरस्त किये जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। श्री उदयलाल आंजना।

श्री बनवारी लाल बैरवा : तो यह उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा और उनके साथ बहुत ज्यादती होगी। यह बहुत दुःखद बात है। आपको माननीय मंत्री महोदय से आश्वासन दिलाना चाहिये। मैं,

(श्री बनवारीलाल बैरवा)

आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से यह आश्वासन चाहता हूं कि 6 तारीख को जो स्थगन आदेश आपने दिया है उसे विदड्रा करें और इनका अपाइंटमेंट जारी करें।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री उदयलाल आंजना (निम्बाहेड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी मार्फत कृषि मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं....

श्री परसादीलाल मीणा : कुछ तो बोलिये मंत्रीजी।

श्री बनवारी लाल बैरवा : माननीय, जवाब तो दिलवाइये।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें (व्यवधान) बिराजिये आप, बिराजिये। आपका भी नम्बर आ जाएगा।

श्री परसादीलाल मीणा : सभी जिलों में जिला परिषदों में अध्यापकों की नियुक्तियां नहीं होने के कारण स्कूलें खाली पड़ी हैं। 31/1 को जो फैसला हाई कोर्ट का हुआ उसके बाद इन्होंने कहा कि हम नियुक्तियां देंगे....

श्री अध्यक्ष : माननीय, बिराजिये। उनकी पूरी बात हो गयी है।

श्री परसादीलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी मौन साध कर बैठे हैं और इंटरव्यू काल....

श्री अध्यक्ष : शिक्षा विभाग की डिमांड हो जब आप पूरी बात रखें। बिराजें आप। माननीय उदयलाल जी आंजना।

श्री परसादीलाल मीणा : उन छात्रों को इंटरव्यू काल के लिए बुलाया, उनके इंटरव्यू निरस्त कर दिये।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप, बिराजिये।

श्री बनवारी लाल बैरवा : मान्यवर, यह अन्याय अभी हो रहा है। उन लोगों को बुला लिया गया और उसके बाद उनके इंटरव्यू निरस्त किये जा रहे हैं।

श्री परसादीलाल मीणा : पंचायत राज मंत्रीजी बैठे हैं, हो सकता है उनको जानकारी हो....

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये।

श्री परसादीलाल मीणा : यह महत्वपूर्ण मामला है। स्कूलें खाली पड़ी हैं।

श्री अध्यक्ष : यह महत्वपूर्ण मामला है, तो परसों-तरसों डिमांड आने वाली है, आप बात रख देना....(व्यवधान) बिराजिये आप।

श्री परसादीलाल मीणा : पहले हाई कार्ट में उलझा दिया अब मंत्रीजी ने अपने....

श्री अध्यक्ष : तो क्या शून्यकाल में एक घंटा एक ही प्रश्न पर लगायेंगे ? बिराजिये आप।

श्री परसादीलाल मीणा : मंत्रीजी बैठे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप।

(श्री अध्यक्ष)

(व्यवधान) बिराजिये आप । उदयलाल आंजना । माननीय परसादीलाल जी बिराजिये आप। खड़े हैं ना आप, बिराजिये ।

श्री परसादीलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, अध्यापकों की नियुक्तियां नहीं होने के कारण स्कूलें खाली पड़ी हैं । माननीय मंत्रीजी ने अपनी व्यक्तिगत इच्छा से जोर नहीं दिया । नियुक्तियां इस माह में होने वाली थीं सबको रोक दिया है।

श्री अध्यक्ष : शून्यकाल 15 मिनट ऊपर जा रहा है । बिराजिये आप ।

श्री परसादीलाल मीणा : आप कहो ना मंत्रीजी ।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आंजना जी । बिराजिये । आज की आज तो सारी बातों का फैसला नहीं हो जाएगा । बिराजिये आप ।

श्री परसादीलाल मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, अब सरकार की मंशा है कि नियुक्तियां जून, जुलाई और अगस्त में करेंगे। आपने निवेदन अब ले लिये। (व्यवधान) हाई कोर्ट में मामला चला गया ।

श्री अध्यक्ष : माननीय परसादीलाल जी, चौथी बार यह बात आप कह चुके हैं। आपकी बात रेकार्ड हो चुकी है । बिराजिये आप ।

श्री परसादीलाल मीणा : हाई कोर्ट में फैसला होने के बाद सरकार ने उन नियुक्तियों को जानबूझकर जिला परिषदों में रोक दिया ।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप । अब अंकित नहीं करेंगे । अंकित नहीं करें ।

श्री परसादीलाल मीणा : ×××

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप ।

श्री परसादीलाल मीणा : ×××

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये । बिराजिये माननीय सदस्य । मैं जानता हूं आप अच्छा बोलते हैं । बिराजिये आप ।

श्री परसादीलाल मीणा : ×××

श्री अध्यक्ष : मेरी भी लिमिटेशन है । मेरी लिमिटेशन है ।

श्री परसादीलाल मीणा : ×××

श्री अध्यक्ष : आज माननीय मुख्य मंत्रीजी का 4 बजे उत्तर होगा उसके पहले मुझे प्रोसीडिंग्स तो करने दीजिये ।

श्री परसादीलाल मीणा : ×××

श्री अध्यक्ष : शून्यकाल समाप्त । नियम 295, श्री राजेन्द्र गहलोत ।....(व्यवधान) यह आपका प्रेरोगेटिव नहीं, बिराजिये आप । यह अध्यक्ष की मर्जी पर है कि किसको अनुमति दे और किसको नहीं दे । बैठिये आप । बिराजिये आप ।

श्री रामस्वरूप : इनका भी नम्बर था, मेरा भी नम्बर था और शून्यकाल समाप्त....

××× माननीय अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

श्री अध्यक्ष : अब आप किसी की सुनना ही नहीं चाहते । जब इच्छा आये, मर्जी हो खड़े हो जाते हो । अब बिराजिये आप ।

श्री रामस्वरूप : हमको मौका नहीं दिया....

श्री अध्यक्ष : रामस्वरूप जी विराजिये आप ।

श्री रामस्वरूप : हमको अवसर नहीं दिया और आपने कहा था मैं अवसर दूंगा और फिर भी हमको अवसर नहीं दिया । हम तीनों का पत्ता काट दिया ।

श्री अध्यक्ष : अब बिराजिये आप ।

श्री रामस्वरूप : हमारा भी नम्बर था, आपने हमें अवसर क्यों नहीं दिया ।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये ।

श्री रामस्वरूप : आपने शून्यकाल को बन्द कर दिया ।

अनेक माननीय सदस्य : नहीं किया है । बन्द नहीं किया है ।

श्री रामस्वरूप : रोजाना मेरे को टाल देते हो । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : 5–7 माननीय विधायक हाउस में बिना अलाउ किये बोलते रहते हैं, यह कोई अच्छी बात नहीं है ।

श्री रामस्वरूप : एक बार भी मुझे अवसर नहीं मिला ।

श्री अध्यक्ष : मैं बराबर सबको मौका दे रहा हूं, 20–25 लोग शून्यकाल में बोलते हैं ।

श्री रामस्वरूप : मैं चुपचाप बैठा हूं इसका मतलब यह नहीं है कि मेरा नम्बर काट दिया जाय । मैं सुबह से ही चुप बैठा हूं ।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये ।

श्री रामस्वरूप : आप मेरा नम्बर लीजिये, हमारे पीछे बैठने वालों का नम्बर लीजिये ।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये ।

श्री रामस्वरूप : हमको अवसर देना नहीं चाहते और दूसरों का बहाना लेकर आपने शून्यकाल खतम कर दिया ।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये ।

श्री रामस्वरूप : हमको अवसर दीजिये, बहुत महत्वपूर्ण मसला है । इस महत्वपूर्ण मसले के लिए अवसर दीजिये ।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये ।

श्री रामस्वरूप : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है....

श्री अध्यक्ष : आप विराजिये । समय बरबाद मत करिये । बिराजिये आप ।

श्री रामस्वरूप : आपने हां की थी कि आपको अवसर दूंगा उसके बाद भी आपने हमको अवसर नहीं दिया ।

श्री अध्यक्ष : आप बिराज जाइये ।

(श्री अध्यक्ष)

(व्यवधान) और जोर से उचकिये, पांच फीट और उचक जाइये ।

श्री रामस्वरूप : माननीय अध्यक्ष महोदय, बीज निगम में 60 लाख....

श्री अध्यक्ष : बिराजिये । मैंने माननीय उदयलालजी आंजना को बोलने के लिए कह दिया है ।

श्री रामस्वरूप : बीज निगम में 60 लाख के घोटाले का मैंने आपको दिया था और आपने कहा कि मैं जरूर अवसर दूंगा लेकिन आपने अवसर काट दिया । मेरा विनम्र निवेदन है आपसे कि अगर ऐसे महत्वपूर्ण मसले पर....

श्री अध्यक्ष : हां, तो आप विनम्र निवेदन एक घण्टे तक मत करिये । (व्यवधान) बिराजिये आप ।

श्री रामस्वरूप : एक मिनट का अवसर दे दीजिये ।

श्री अध्यक्ष : पहले आप बिराजिये । माननीय उदयलालजी ।

श्री उदयलाल आंजना (निम्बाहेड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कृषि मंत्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं, अभी प्रश्न के दौरान भी इस पर चर्चा हुई थी । गेहूं की नयी फसल आ गयी है और बाजार में बिकने लग गयी है । भगवान की दया से इस वर्ष फसल भी बहुत अच्छी हुई है पर सरकार द्वारा गेहूं की खरीद नहीं किये जाने की वजह से दिन पर दिन भाव गिरते जा रहे हैं और काश्तकारों को उनकी उपज का पूरा मूल्य नहीं मिल रहा है । इसी क्रम में निवेदन है कि निम्बाहेड़ा में आज की तारीख में मण्डी में 325 रुपये से 345 रुपये तक गेहूं बिक रहा है जबकि सरकार का समर्थन मूल्य 360 रुपये है । इसी तरह कल भी मैंने बजट भाषण के दौरान यह बात उठायी थी कि मध्य प्रदेश की मंडी जो निवाई के पास में लगती है वहां 400 रुपये तक गेहूं बिक रहा है । इसलिए मेरा सरकार से आग्रह है कि गेहूं को जल्दी से जल्दी सरकारी मूल्य पर खरीदा जाए ताकि काश्तकारों को आर्थिक नुकसान नहीं हो । धन्यवाद ।

श्री अध्यक्ष : माननीय राजेन्द्रजी चौधरी ।

श्री राजेन्द्र चौधरी (बिलाड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उच्च शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के राजस्थानी एम. ए. विषय के अन्दर धर्म युद्ध पाठ्य पुस्तक है, उसके पृष्ठ संख्या 5 पर जो कुछ नाटक में अंकित है उसकी कुछ आपत्तिजनक भाषा की तरफ आकर्षित करना चाहूंगा । पृष्ठ संख्या—5 पर जो बात कही गयी है इस नाटक के अन्दर वह एक पक्षीय है, उसके अन्दर नारी को कलंकित करने की बात और उनके लिए अपमानजनक शब्द इस्तेमाल किये गये हैं । मैं यह बताना चाहूंगा कि नाटक के अन्दर जो एक पक्षीय बात पदमा ने कही है वह यह है "जै कोई छोरी ब्याह नहीं करे तो उणरी कोई मान नहीं होवे और संत बाजै ब्याह नहीं करे मिनख तो उठै पूजी जै, ब्याह नहीं करने वाली लुगाई कूलंखणी बाजै" । धर्म युद्ध पृष्ठ संख्या—5 'पर यह

(श्री राजेन्द्र चौधरी)

एक पक्षीय बात उस एम. ए. की पाठ्य पुस्तक के अन्दर राजस्थानी में जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में पढ़ाई जा रही है। अध्यक्ष महोदय, यह आपत्तिजनक बात है। जो कोर्स कमेटी है, कुलपति हैं उनको हमने ज्ञापन भी दिया है। इस तरह की महिलाओं के बारे में बात कही गयी है जबकि राजस्थान के अन्दर हमारी संस्कृति में ऐसी बात नहीं है कि जो अविवाहित महिला है उसके बारे में इस तरह की बात मानी जाती हो, पर हमारे विश्वविद्यालय, जोधपुर के अन्दर इस तरह की बात पढ़ाई जाती है इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि इसकी जांच करके इसको हटायें।

श्री अध्यक्ष : माननीय बद्रीप्रसाद गुरुजी।

श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही) : माननीय सदस्य सही बात कह रहे हैं और यह नारियों का अपमान है।....

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये।

श्रीमती बीना काक (सुमेरपुर) : हम सब महिलाओं का अपमान है.... (व्यवधान)

श्रीमती तारा भण्डारी : अध्यक्ष महोदय, भारत देश में तो बड़े-बड़े संत हुए हैं। यहां पर तो अविवाहित और विवाहित संत भी हुए हैं। इसलिए यह बात जो उस पाठ्य पुस्तक के पैराग्राफ में है यह ठीक नहीं है। इसके लिए आप कार्यवाही करें।

श्रीमती बीना काक : अध्यक्ष महोदय, मेहरबानी करके इसकी जांच करवाइये।

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी (माण्डलगढ़) : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं बहुत ही संक्षेप में अपनी बात रख रहा हूं। मेरे यहां बिजोलिया में मण्डोर बांध से पेयजल की आपूर्ति होती है। डायरेक्ट बांध से आपूर्ति होने के कारण उसमें जो गन्दगी है वह पानी के साथ मिल कर आती है। फिल्टर प्लांट बना हुआ है, परन्तु गन्दे पानी के साथ मिट्टी आने के कारण प्लांट चौक हो जाता है और चौक होने की वजह से अब डायरेक्ट सप्लाई कर दी है उसकी वजह से पूरे गांव को गन्दा पानी पीना पड़ता है। मेरा निवेदन है कि यदि एक टैंक वहां पर बना दिया जाए तो स्वच्छ पानी मिल सकता है। मंत्री महोदय इस पर ध्यान देंगे।

श्री अध्यक्ष : माननीय मोहनलालजी।

श्री मोहन लाल मोदी (नीमकाथाना) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र नीमकाथाना में कोटपूतली सड़क जाती है जो नेशनल हाइवे को जोड़ती है। इस सड़क पर नीमकाथाने से 8 किलोमीटर की दूरी पर जीर की चौकी के पास सड़क की चढ़ाई पड़ती है। इस जगह हर साल 4-5 व्यक्तियों की एक्सीडेंट से मृत्यु हो जाती है, सैंकड़ों व्यक्ति घायल हो जाते हैं। अभी दिनांक 4.5.95 को बस नम्बर आर. एन. पी.–2564 जो जीण माता के मेले में जा रही थी जो दुर्घटनाग्रस्त हो गयी, जिसमें मदन पुत्र तारा चन्द उम्र 25 वर्ष की मृत्यु हो गयी और बहुत सारे लोग घायल हो गये। अब इस सड़क को स्टेट हाईवे कोट-

(श्री मोहनलाल मोदी)

पूतली सीकर तक बनाई जा रही है। मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चहूंगा कि इस चढ़ाई को समाप्त किया जाए और यह खड़ी चढ़ाई है जिसमें सिर्फ 5-7 मीटर तक की खुदाई यदि करा दी जाय तो ऐसी दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। मेरा सुझाव है कि पंचायत हैड क्वाटर डोकन से पंचायत हैड क्वार्टर मावण्डा को जोड़ दे तो इस दुर्घटना से बचा जा सकता है। अध्यक्ष महोदय, यह थोड़ी सी दूरी में ऐसी खड़ी चढ़ाई है, भयंकर दुर्घटनाएं होती रहती हैं और इस सड़क से काश्तकार अपनी गाड़ी वगैरह ले जाते हैं इसलिए इसको शीघ्र करवाया जाए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : माननीय रामचन्द्रजी।

श्री रामचन्द्र रावत (कोटपूतली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहूंगा। मेरे क्षेत्र कोटपूतली के अन्दर कृषि उपज मंडी का एक बहुत बड़ा दफ्तर है और उसके अन्दर करीब-करीब 3 साल से 32 दुकानें बन कर तैयार हो चुकी हैं। आज वे दुकानें किसी को भी अलाट नहीं की गयी हैं और खाली की खाली पड़ी हुई हैं। सब्जी मंडी को वहां शिफ्ट नहीं किया जा सकता। सब्जी मंडी कोटपूतली शहर के मेन सड़क पर लग रही है जिसके कारण से सड़क पर इतनी गन्दगी हो जाती है, सब्जी मंडी के कारण से आवारा पशुओं का घूमना, इकट्ठे हो जाना आम बात है और शहर में जाने के लिए और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कृषि मंत्रीजी को निवेदन करना चाहूंगा कि दुकानें अलाट कर दी जाये जिससे एक महीने के अन्दर 30 हजार रुपये प्रतिमाह सरकार को आमदनी हो सकती है। दो साल से दुकानें बनी हुई तैयार पड़ी हैं मगर सरकार इस बारे में सो रही है। अलाट क्यों नहीं कर रही है? मेरा आपसे निवेदन है कि इनको जल्दी से जल्दी अलाट किया जाए।

श्री अध्यक्ष : माननीय भीम सेनजी चौधरी। (अनुपस्थित)। माननीय रामस्वरूपजी।

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मैंने पढ़ा था कि भारतीय जनता पार्टी घोटालों के आधार पर चुनाव लडेगी इसलिए मैं आपके सामने बीज निगम में हुए घोटाले का निवेदन कर रहा हूं।....

श्री अध्यक्ष : आप अपनी बात कहिये, इधर उधर की बातें नहीं।

श्री रामस्वरूप : मैं अपनी ही बात कह रहा हूं। 60 लाख का घोटाला हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, बीज निगम में 40 किलोग्राम क्षमता वाले छह लाख ऐसे कट्टों की खरीद की गयी है जिनका नमूना तीन बार अस्वीकृत किया जा चुका है। ये कट्टे जयपुर की एक फर्म द्वारा सप्लाई किये गये थे। निगम का स्थानीय फर्मों से रेट कांट्रेक्ट पर खरीद करने का नीतिगत निर्णय भी किया गया था। परन्तु इस निर्णय को नजरअन्दाज करते हुए एक बार फिर स्थानीय फर्मों से तीन लाख कट्टे खरीदने की निविदा ज़ारी कर दी गयी है।

(श्री रामस्वरूप)

जुलाई, 1993 में कुल चार करोड़ रुपये के कट्टे, थैलियां, रसायन, बीज आदि की खरीद की निविदा जारी की गयी थी और 60 लाख रुपये के मूल्य के 6 लाख कट्टों की खरीद भी इसी में शामिल है। टेंडर के बाद जयपुर की एक फर्म संजय ट्रेडिंग कम्पनी की दर सबसे कम थी, परन्तु कम्पनी द्वारा दिये गये कट्टों के सैम्पल्स को निगम की क्रय समिति ने निर्धारित मापदण्ड के अनुसार नहीं मान कर अस्वीकृत कर दिया है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप 295 पढ़ रहे हैं या अपनी बात कह रहे हैं ?

श्री रामस्वरूप : अतः आपसे निवेदन है कि आज सारे अखबारों में इस बीज निगम के घोटालों के बारे में आया है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से विनम्र निवेदन है कि सरकार इसकी जांच कराये ताकि 60 लाख का जो घोटाला हुआ है वह पूरा हो सके और भविष्य में इस प्रकार का घोटाला नहीं हो। इन सारे अखबारों की कोपी मैं सदन के सामने पेश कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। श्री जगदीप जी धनखड़।

श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान राजस्थान में कृषि वैज्ञानिकों की बेरोजगारी की स्थिति के सम्बन्ध में आकर्षित करना चाहता हूं। राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय से अनेक कृषि स्नातक और पोस्ट ग्रेज्युएट कृषि वैज्ञानिक हैं जो लम्बे अर्से से रोजगार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। राजस्थान की अर्थ व्यवस्था कृषि पर आधारित है और कृषि के क्षेत्र में अनुसंधान नहीं हो पाएगा तो निश्चित रूप से कृषि क्षेत्र के विकास में बाधा पहुंचेगी। राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय में सैंकड़ों पद पिछले कई वर्षों से रिक्त पड़े हैं, क्योंकि उनकी नियुक्ति सम्बन्धित प्रक्रिया के विषय में अब तक कुछ नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति राजस्थान के कृषि विभाग की भी है। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करूंगा कि जहां एक ओर ऐसे सैंकड़ों पद हैं जो केन्द्र सरकार ने या केन्द्र सरकार की संस्थाओं ने राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय को दे रखे हैं जहां हमारे कृषि स्नातक वैज्ञानिक सही तरीके से, सुचारू रूप से नियुक्तियां ले सकते हैं. उन पदों पर नियुक्तियां नहीं देना राज्य के हितों पर कुठाराघात है। जैसा कि पूर्व में कुछ पद लैप्स हो गये हैं वैसी ही स्थिति इन सैंकड़ों पदों की हो सकती है। मान्यवर, कृषि विभाग में भी अनेक पदों के रिक्त होने के बावजूद नियुक्ति सम्बन्धी कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। आपके माध्यम से सरकार से मेरा अनुरोध है कि सरकार इस सम्बन्ध में, जो भी पद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय और कृषि विभाग में रिक्त हैं; उन पर तुरन्त नियुक्ति सम्बन्धी कार्यवाही करें ताकि राजस्थान के बेरोजगार कृषि स्नातकों का संकट कम हो सके।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये, 295 श्री राजेन्द्र जी गहलोत।

श्री भगराज चौधरी (आहोर) : अध्यक्ष

(श्री भगराज चौधरी)

महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया है और जिस समस्या की ओर ध्यान आकर्षित किया है वह बहुत ही गम्भीर मामला है और इस बारे में सरकार को सारी स्थिति की जानकारी करने के पश्चात् वक्तव्य देना चाहिए कि सरकार इस सम्बन्ध में क्या करने जा रही है। आज सैंकड़ों....

श्री रामनारायण चौधरी : यह तो यू ही गया अननोटिसली।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप, आपकी चर्चा बहुत हो चुकी है। श्री उदयलालजी आंजना, बिराजिये। (व्यवधान) बाद में आप दे दें, बात कर लेंगे। (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत पद लैप्स हो रहे हैं।....(व्यवधान) कृषि वैज्ञानिक परेशानी में हैं, सरकार क्या करने जा रही है ? (व्यवधान)

श्री भगराज चौधरी : अध्यक्ष महोदय, या तो इस प्रकार के प्रश्नों को आप अलाउ मत करिये....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजें, माननीय पूनमचन्दजी साहब कुछ बोल रहे हैं, फरमाइये।

श्री पूनमचन्द विश्नोई (फलौदी) : अध्यक्ष महोदय, यह जो मांग की गयी है वह तो उचित है ही लेकिन एक बात की ओर माननीय मुख्य मंत्रीजी और कृषि मंत्री जी का ध्यान खास तौर से आकर्षित करना चाहता हूं कि आज सही मायने में देखा जाए तो सबसे ज्यादा हालत मजदूर और कृषक की खराब हुई है। मैं अपने अनुभव के आधार पर बताता हूं और साक्ष्य के रूप में राज्य मंत्री श्री अर्जुन सिंहजी ताइद करेंगे। पिछले साल टमाटरों के भाव अच्छे रहे तो लोगों ने अनाप-शनाप टमाटर बोये। मैंने खेती के क्षेत्र में, टमाटर की खेती के लिए 20 हजार रुपये किलो के भाव से बीज खरीदा, 13 ट्रक खाद डाला। टमाटर जब आया तो पहले दिन 6 रुपये किलो, दूसरे दिन 3 रुपये किलो, तीसरे दिन रुपये किलो और उसके बाद आठ आने किलो का भाव हो गया। एक रुपया तो किराये वाला ही लेता था ट्रोली से कांटे तक जाने का। नतीजा यह हुआ कि सब टमाटर फेंकने पड़े। कई दिनों तक गायों ने खाये, फिर गायों ने भी नहीं खाये। यही ईसबगोल का होता है, यही जीरे का होता है। इसमें बहुत बड़ी साजिश है। पहली बात तो कृषि स्नातकों को स्थानीय विषयों पर अनुसंधान करना चाहिए। वह अनुसंधान नहीं हो पा रहा है। ईसबगोल पेट और स्वास्थ्य के लिए बढ़िया चीज है, आज संसार भर के डाक्टर मानने लगे हैं। हम राजस्थान में सबसे ज्यादा ईसबगोल पैदा करते हैं। बदकिस्मती यह है कि जब किसान के पास ईसबगोल होता है तब एक्सपोर्ट बन्द हो जाता है, हम यहां हो-हल्ला मचाते हैं, किसान के पास से तो वह बिचौलियों के पास चला जाता है। हम पर अहसान यह करते हैं कि आपने मांग की इसलिए अब हमने इसका एक्सपोर्ट चालू कर दिया है। हमारी मांग से नहीं हुआ है, बिचौलियों की मांग पर होता है। श्री अर्जुनसिंहजी जानते हैं कि इनके क्षेत्र से रोज 90 ट्रक टमाटर हिन्दुस्तान में जाते हैं और भाव आते हैं, कभी तो लहसुन

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

हो जाता है 80 रुपये किलो और किसान सोचते हैं, जब वह खूब बोते हैं तो उसका भाव 10 रुपये, 8 रुपये हो जाता है। यही प्याज और ईसबगोल में होता है। इसलिए प्रोसेसिंग इण्डस्ट्री ज्यादा लगाओ, खेती का आधुनिकीकरण करो, स्थानीय विषयों पर वैज्ञानिक अनुसंधान करें। आप जानते हैं कि फर्नीचर मेकिंग में बर्मा टीक का मुकाबला संसार भर में अगर कोई लकड़ी कर सकती है तो वह रोहिड़ा है लेकिन इस पर किसी ने अनुसंधान ही नहीं किया। ये कुछ बातें हैं जिन पर आप ध्यान दें तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री अध्यक्ष : विराजें। श्री राजेन्द्रजी गहलोत।

श्री परसादीलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्लिप दी है उसमें मैंने आपसे व्यवस्था चाही है कि 10 तारीख को जाकिर हुसैन हत्या कांड पर सरकार ने जो स्टेटमेंट दिया, मोरारजी भाई की मृत्यु होने के कारण, हमने स्टेटमेंट पर जो सवाल माननीय गृह मंत्रीजी से पूछे थे उनका वह जवाब वे नहीं दे पाये थे।

श्री अध्यक्ष : पूरे जवाब हो चुके हैं, माननीय सदस्य।

श्री परसादीलाल मीणा : हमारे एक भी सवाल का जवाब गृह मंत्रीजी नहीं दे पाये, क्योंकि मुख्य मंत्रीजी को सूचना मिली, मुख्य मंत्रीजी हाउस से चले गये उसके बाद हाउस आधा घंटे के लिए एडजोर्न हो गया। उस स्थिति के बाद हम कल मिले। मैंने आपको स्लिप दी है, हम व्यवस्था चाहते हैं कि हमने गृह मंत्रीजी से जो स्पष्टीकरण मांगे, जो-जो मांगें हमने की हैं, उन पर गृह मंत्रीजी अपना स्टेटमेंट दें। आप व्यवस्था दें कि आप हमको कब उस पर समय दे रहे हैं। बहुत गम्भीर मामला है। हमने पूछा है आज तक दो के अलावा अन्य अपराधी गिरफ्तार क्यों नहीं हुए, क्या यह भी सबजुडिस का मामला है? क्यों नहीं पुलिस उनको गिरफ्तार कर रही है? अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, वे मुझे भी टेलीफोन पर धमकियां दे रहे हैं कि आपने क्या कर लिया, कौनसी गिरफ्तारी कर ली, जब तक हम बैठे हैं राज में हमको कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता है। अध्यक्ष महोदय, यदि सरकार ने इसमें अपराधियों को समय पर गिरफ्तार नहीं किया तो हम को भी हमारी जान का खतरा हो सकता है। अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, सरकारी गाड़ियों में घूम रहे हैं, हम चाहते हैं आप व्यवस्था दें, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : मैं कल इस पर व्यवस्था दूंगा, बिराजिये आप।

श्री परसादीलाल मीणा : कल कब देंगे व्यवस्था हमको?

श्री अध्यक्ष : कल।

श्री परसादीलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था कल क्यों, आज ही जवाब दिलवाइये हमको।

श्री अध्यक्ष : मैंने आपको निवेदन कर दिया कि कल इस पर व्यवस्था दूंगा। अब आप बिराजिये।

श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डौली) : यह कल क्यों दें, जवाब दें आज, सदस्य को यह शंका है कि इनकी खुद की जान को खतरा है और आप कह रहे हैं कि कल देंगे।

श्री परसादीलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, हमारी खुद की जान को खतरा है। वे अपराधी जयपुर में घूम रहे हैं.... (व्यवधान)सरकार उनको गिरफ्तार करवाये, क्या यह भी सबजुडिस है ? (व्यवधान) गृह मंत्रीजी ने कोई कार्यवाही नहीं की है।

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप।

श्री जगदीप धनखड़ : हमारे स्टेटमेंट का जवाब आप दे रहे हैं ?

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : अध्यक्ष महोदय, उस रोज माननीय गृह मंत्रीजी ने जवाब तो दिया था और उन्होंने यह कहा कि यह मामला सबजुडिस है इसलिए मैं इस पर ज्यादा नहीं बोलूंगा लेकिन यह मामला, 6 मुलजिम तो गिरफ्तार ही नहीं हुए हैं, चालान भी पेश नहीं हुआ है और एफ.आई.आर. में भी उनके नाम हैं, डाइंग डिक्लेरेशन में भी उनके नाम हैं। उन मुलजिम को आपने बिलकुल मुलजिम ही नहीं माना है। यह मामला इतना गम्भीर है जिस पर निश्चित तौर पर आप अपना स्टेटमेंट दें, हमको इसका पूरा स्पष्टीकरण दें।

श्री अध्यक्ष : बिराजें।

श्री परसादीलाल मीणा : पढ़ने के लिए, उसके चश्मदीद गवाहों के बयान पढ़ने के लिए गृह मंत्रीजी, मरने वाले ने पुलिस के सामने जो बयान दिया है वह पढ़ कर सुना दो कि उसने क्या कहा, किसका नाम लिया, एक ट्रैक्टर ड्राइवर... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैंने निवेदन कर दिया है कि मैं कल इस पर व्यवस्था दूंगा, बिराजें आप। (व्यवधान) श्री राजेन्द्रजी गहलोत।

श्री परसादीलाल मीणा : नहीं, अध्यक्ष महोदय, आप मेहरबानी करके इस पर व्यवस्था आज ही दिलवायें। हम आपसे विनयपूर्वक....

श्री अध्यक्ष : समय की कमी है, मैं व्यवस्था दे दूंगा। बिराजिये आप। श्री राजेन्द्रजी गहलोत।

(13.00)

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

मण्डोर उद्यान का विकास एवं सौन्दर्यकरण

श्री राजेन्द्र गहलोत (सरदारपुरा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जोधपुर का प्राचीन ऐतिहासिक मण्डोर उद्यान का सौन्दर्य उद्यान विभाग की निष्क्रियता एवं लापरवाही के कारण समाप्त हो रहा है, हरियाली व पेड़ पौधे सूख रहे हैं। गत दस वर्षों में मण्डोर उद्यान के विकास के लिए व रख-रखाव के लिए विशेष वित्त राशि आवंटित नहीं की गयी। नियमित व्यय बजट में भी कटौती की गयी है और मण्डोर उद्यान में नये पेड़ पौधे व हरियाली रखने के लिए कोई भी कार्य नहीं किया गया है।

प्राचीन मण्डोर उद्यान सैंकड़ों वर्ष पुराना है और रावण की धर्मपत्नी मंदोदरी

(श्री राजेन्द्र गहलोत)

के नाम से मण्डोर नाम प्रचलित हुआ है। इस प्राचीन उद्यान में आज भी 400-500 वर्ष पुराने फलदार पेड़ जैसे आम, जामुन आदि के हैं जो रख-रखाव के अभाव में सूख कर नष्ट हो रहे हैं और हरियाली समाप्त होती जा रही है। मण्डोर उद्यान का मूल स्वरूप धीरे-धीरे नष्ट हो रहा है जिसको बचाना जरूरी है।

मण्डोर उद्यान के रख-रखाव सुरक्षा कर्मचारियों की कमी व साथ ही जो कर्मचारी सेवा निवृत्त हो चुके हैं उनके स्थान पर कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं की गयी जिसके अभाव में मण्डोर उद्यान में अव्यवस्था फैल रही है।

मण्डोर उद्यान में बन्दरों द्वारा भयंकर उत्पात मचाया जा रहा है और इनके द्वारा पेड़-पौधों को नष्ट किया जा रहा है। उद्यान से बन्दरों को भगाने के लिए उद्यान विभाग के पास कोई पर्याप्त व्यवस्था नहीं है।

मण्डोर उद्यान में वृक्ष व हरियाली के साथ पुरानी कलाकृतियां देश व विदेश के पर्यटकों व सेलानियों के लिए आकर्षण का केन्द्र हैं, जिसके कारण हजारों पर्यटक प्रति वर्ष यहां आते हैं। मण्डोर में तैंतीस करोड़ देवी-देवताओं की साल, जनानी ड्योढी, एक खंभे का महल, देवल और मण्डोर के प्राचीन दुर्ग के खण्डहर आज भी पर्यटकों को आकर्षित कर रहे है।

मण्डोर उद्यान की दुर्दशा पर जोधपुर की जनता में भारी आक्रोश है। अतः मैं राज्य सरकार से मांग करता हूं कि मण्डोर उद्यान के रख-रखाव व विकास के लिए विशेष बजट राशि आबंटित करें।

श्री अध्यक्ष : श्री उदयलाल आंजना।

छोटी सादड़ी से नीमच को जानेवाली सड़क को चौड़ा किया जाना

श्री उदयलाल आंजना (निम्बाहेड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में छोटी सादड़ी एक महत्वपूर्ण कस्बा होकर तहसील मुख्यालय भी है। इस कस्बे का ज्यादा व्यापार व्यवसाय नीमच मध्य प्रदेश है जिसकी दूरी 20 किलोमीटर है। 15 किलोमीटर राजस्थान और 5 किलोमीटर मध्य प्रदेश में है। 20 किलोमीटर की दूरी में कहीं-कहीं काली मिट्टी का क्षेत्र है, जिससे बरसात में कई दिनों तक आवागमन बन्द हो जाता है। 15 किलोमीटर पूरा सिंगल रोड है, पिछले 2–3 वर्षों से इस मार्ग पर यातायात भी तीन गुना हो गया है, इस मार्ग को चौड़ा करने हेतु गत वर्ष आदेश हुए थे जिसमें 6 किलोमीटर मार्ग चौड़ा किया गया शेष रहे 6 किलोमीटर को और पूरा किया जावे। साथ ही निवेदन है कि यह 12 किलोमीटर एक तरफा मार्ग चौड़ा हुआ है, दूसरी तरफ की पट्टी जो पूरी 12 किलोमीटर शेष है उसे भी पूर्ण करा जावे ताकि अन्तरराज्यीय सीमा के मार्ग बरसात में चालू रह सकें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री रिछपालसिंह मिर्धा।

डेगाना (नागौर) में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य की दयनीय स्थिति

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना) : माननीय अध्यक्ष महोदय, उपरोक्त विषय में निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र डेगाना (नागौर) में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

(श्री रिछपाल सिंह मिर्धा)

की हालत अत्यन्त दयनीय है। गांवों में जहां उप-स्वास्थ्य केन्द्र खोले हुए हैं वहां पर कर्मचारी नहीं हैं और जो भी कर्मचारी नियुक्त हैं वे गांवों में समय पर उपलब्ध नहीं रहते हैं। प्राइमरी हैल्थ सैंटर के इन्चार्ज, डाक्टर समय पर न तो उप-स्वास्थ्य केन्द्रों की देखभाल करते हैं और न ही किसी प्रकार की व्यवस्था सुधारने का कार्य करते हैं। नागौर जिले में कम्पा-उण्डर, ए. एन. एम. आदि के सैकड़ों पद वर्तमान में रिक्त पड़े हैं। जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से सांठ-गांठ करके जो भी कर्मचारी गांवों में नियुक्त हैं वे शहरों में पहुंच जाते हैं जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्रों की स्वास्थ्य सेवाएं अस्त-व्यस्त हो रही हैं। इस सम्बन्ध में अनेकों बार सम्बन्धित अधिकारियों को लिखा जा चुका है, परन्तु व्यवस्था सुधारने का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। डेगाना तहसील के अनेक उप–स्वास्थ्य केन्द्रों पर ए. एन. एम. के पद रिक्त पड़े हैं जिनमें बरणा, मिठ-डिया, सिरासना, राजोद, आन्तरोली, खुर्द, लूणियांस, सांबू, पालियात, चम्पाखेड़ी, नथावड़ा, ढाढरियांकला, इग्यासनी इनमें से अधिकांश स्थानों पर नर्सों की नियुक्ति नहीं होने से तथा वहां पर नर्से जो नियुक्त हैं वह अधिकांशतया ड्यूटी से नदारत रहती हैं इसके कारण इन गांवों में स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से प्रभावित हैं। अतः मैं आपके माध्यम से माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित कर पुरजोर शब्दों में ...ा हूं कि रिक्त पदों पर कर्म-...े नियुक्ति देकर चिकित्सा व्य-...ार कर गरीब ग्रामीण जनता को समय पर चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराएं।

श्री अध्यक्ष : श्री अर्जुनलाल जीनगर।

गंगरार में अग्नि पीड़ितों को सहायता

श्री अर्जुनलाल जीनगर (गंगरार) : अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र गंग-रार में अग्नि पीड़ितों को सहायता दिलाने हेतु विधान सभा के प्रक्रिया नियम 295 के अन्तर्गत आपके माध्यम से सहायता मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कर निवेदन है कि मेरे क्षेत्र के अग्नि पीड़ितों को अविलम्ब सहायता पहुंचाई जाने की कार्यवाही करावें।

(1) ग्राम उपरेड़ा तहसील रासनी में दिनांक 20.3.95 को रात्रि 2 बजे खलि-यान में भीषण आग लगने से वहां के किसानों की सरसों की फसल जलकर नष्ट हो गयी है। पटवारी रिपोर्ट के अनुसार लगभग 95 हजार का नुकसान हुआ है लेकिन आज तक उन्हें सहायता के नाम पर एक रुपया भी नहीं दिया गया है। अवि-लम्ब सहायता पहुंचाने की कार्यवाही कराएं।

(2) ग्राम बूड़ में दिनांक 12 4.95 को दिन के 4 बजे लगभग चार-पांच किसानों के खलिहानों में भीषण आग लगने से लगभग दो लाख रु. की गेहूं-चनों की फसल जलकर नष्ट हो गयी है। अविलम्ब सहायता पहुंचाने की व्यवस्था करावें।

(3) ग्राम दुहना में दो कीर जाति के मकानों में भीषण आग लगने से हजारों

(श्री अर्जुनलाल जीनगर)

रुपये का नुकसान हुआ है तथा एक भैंसा भी अग्नि में घायल हुआ है ।

(4) ग्राम आरणी में भी अप्रेल माह में दो मुस्लिम परिवारों के मकानों में आग लगी जिससे हजारों रुपये का नुकसान हुआ है व एक भैंसा घायल हुआ है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पुनः सहायता मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि ग्राम उपरेड़ा बूढ़, आरणी, पहुंना के सभी अग्नि पीड़ितों को अधिकतम सहायता राशि देकर राहत पहुंचाने का श्रम करावें तथा कीर व मुस्लिम जाति के लोगों को इन्दिरा आवास योजना में मकान बनाने की कार्यवाही करावें । धन्यवाद ।

श्री अध्यक्ष : श्री गोपीराम ।

जयगढ़ किला आमेर में प्रबंधकों द्वारा कर्मचारियों के साथ मारपीट करने और उन्हें नौकरियों से निकाला जाना

श्री गोपीराम जाट (आमेर) : अध्यक्ष महोदय, विषयान्तर्गत सदन का ध्यान आमेर के जयगढ़ के प्रबंधकों द्वारा किले के कर्मचारियों के साथ मारपीट करने की ओर आकर्षित कर कहना चाहूंगा कि जयगढ़ किले के प्रबंधकों द्वारा मारपीट करना, नौकरी से निकाल देना, असत्य मुकदमे लगाने से परेशान होकर कर्मचारियों ने हड़ताल व धरना आरम्भ कर रखा है । पिछले दो माह से श्रम विभाग या सरकार के हस्तक्षेप न करने के कारण गरीबों के बालक भूख से पीड़ित हैं । कर्मचारियों का 1990 से पी. एफ. जमा नहीं कराने से कर्मचारियों को ब्याज का घाटा है, वहीं ट्रस्ट को लाभ है । इस सम्बन्ध में मैं यह भी कहना चाहूंगा कि दिनांक 3.1.95 को श्री किशन सिंह ने कर्मचारी श्री रामजीवन के साथ मारपीट की । इसी प्रकार श्री माताराम व अन्य कर्मचारियों के साथ 31.1.95 को भी मारपीट की एवं पुलिस से मिलीभगत करके असत्य मुकदमें बनाये जा रहे हैं । अतः इस ओर सरकार का ध्यान आकर्षित कर सरकार से मांग करना चाहूंगा कि जयगढ़ प्रबंधकों द्वारा कर्मचारियों के साथ की जा रही मारपीट को रोकने, नौकरियां सुरक्षित करने और पी.एफ. की राशि जमा कराकर कर्मचारियों को भुखमरी से बचाने का श्रम करें ।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती इन्दिरा मायाराम ।

जयपुर शहर की मानसरोवर कालोनी में 100 बेड का अस्पताल

श्रीमती इन्दिरा मायाराम (सांगानेर) : अध्यक्ष महोदय, मानसरोवर एशिया की सबसे बड़ी कालोनी है इसके बावजूद वहां स्वास्थ्य सेवाओं का नितान्त अभाव है । इस कालोनी की जनसंख्या शहर के निवासियों के वहां आ जाने से और बढ़ गयी है । अब वहां की जनसंख्या लगभग 50 हजार तक पहुंचने वाली है । इसके बावजूद वहां कोई अस्पताल नहीं है । पिछली विधान सभा में मैंने इस समस्या की जानकारी सरकार को दी थी लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया । वहां से कई गम्भीर मरीजों को मानसरोवर अस्पताल लाया जाता है तो इस अस्पताल में आपातकालीन

(श्रीमती इन्दिरा मायाराम)

व्यवस्था इतनी खराब है कि उपचार जितनी देर में होता है तब तक रोगी दम तोड़ देता है ।

अतः निवेदन है कि वहां कम से कम 100 बैड का एक रैफरल अस्पताल तुरन्त बनाया जाना चाहिये । जयपुर की बढ़ती हुई आबादी एवं कालोनियों को देखते हुए तो मानसरोवर जैसी बड़ी कालोनी में अस्पताल बनवाना बहुत ही आवश्यक है ।

श्री अध्यक्ष : श्री रामस्वरुप ।

अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्र टोडाभीम में महाविद्यालय

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : अध्यक्ष महोदय, विनम्र निवेदन है कि संवेदनशील सरकार ने सदन में घोषणा की थी कि सरकार नये क्षेत्र में कालेज खोलने का इरादा रखती है एवं पिछले सत्र में भी कालेज खोले थे, पर बड़े दुःख के साथ आज सरकार से मैं आपके माध्यम से अनुसूचित जनजाति के इलाके टोडाभीम में कालेज खोलने के लिए कई बार निवेदन कर चुका हूं । टोडाभीम में भवन भी पर्याप्त है कोई बिल्डिंग का अभाव नहीं है । सबसे पुराना सैकण्डरी स्कूल है एवं वर्तमान में सीनियर स्कूल 10 प्लस 2 की स्कीम है पर वहां पर छात्र संख्या भी सरकार की नीति के अनुसार पर्याप्त है । इसका कालेज 50 किलोमीटर दूर जहां जाने-आने के पर्याप्त साधन नहीं है । माननीय मंत्री महोदया अभी पंचायत समिति चुनाव में मेरे क्षेत्र में गयी थीं तो उन्होंने घोषणा की थी कि मैं सरकार से इसके बारे में कहूंगी और जरूर कालेज खुलवा दिया जाएगा । पर आज तक कोई भी कार्यवाही नहीं हुई । जबकि सरकारें बार-बार सदन में यह आश्वासन देती है कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के इलाकों में नयी स्कूलें और कालेज खोले जाएंगे । जब आप शिक्षा पर बोल रही हैं तो फिर मेरे इस क्षेत्र का कालेज क्यों नहीं दे रही हैं ? यदि आप देना चाहते हैं, तो कब तक देंगे और नहीं देना चाहते हैं तो कारण सदन के सामने स्पष्ट करें एवं यह भी बतलावें कि किन-किन शर्तों के तहत सरकार कालेज खोल रही हैं और ये शर्तें टोडाभीम में जब पूर्ण हो रही हैं तो कब खोलेंगी ?

श्री अध्यक्ष : श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल । (अनुपस्थित) । श्री हरिनारायण बैरवा ।

राष्ट्रीय उद्यान सवाईमाधोपुर के वनों की अवैध कटाई

श्री हरिनारायण बैरवा (खण्डार) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राष्ट्रीय उद्यान सवाईमाधोपुर के वनों की अवैध कटाई को रोकने व वनों को नष्ट होने से बचाने के लिए प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत सदन में सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । अध्यक्ष महोदय, सवाईमाधोपुर के वनों में राष्ट्रीय उद्यान, बाघ परियोजना रणथम्भौर व अभ्यारण्य आदि सरकार द्वारा कई योजनाएं चला रखी हैं और वनों की कटाई नहीं रोकी गई तो यह सारी योजनाएं एक दिन समाप्त हो जायेगी । इन योजनाओं पर सरकार का व विश्व बैंक का करोड़ों रुपया खर्च होता है । राष्ट्रीय उद्यान सवाई-

(श्री हरिनारायण बैरवा)

माधोपुर प्राकृतिक तालाबों, पहाड़ की कन्दराओं से घिरा हुआ घने जंगलों का प्राकृतिक सौन्दर्य से सुसज्जित रमणीय स्थान है जो देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों का मन मोह लेता है। ऐसा सवाई माधोपुर का राष्ट्रीय उद्यान अपने आप में एक है इसमें एक पहाड़ी के ऊपर रणथम्भौर का ऐतिहासिक दुर्ग है जो पहाड़ी पर कलश के समान सुशोभित है। इसी में बाघ परियोजना रणथम्भौर है ये घने वनों का धनी राष्ट्रीय उद्यान सवाईमाधोपुर अपनी विवशता पर आंसू टपका रहा है, दिनों-दिन नष्ट होता जा रहा है। पेड़ों की कटाई निरन्तर जारी है, चाहे वह किसी भी रूप में होती हो।

अतः वनों की कटाई रोकने के लिए राष्ट्रीय उद्यान सवाईमाधोपुर के आसपास बसें गांवों में गोबर गैस संयंत्र लगाये जावें। ये गांव डांग क्षेत्र में होने के कारण यहां गोबर काफी मात्रा में मिलता है।

आसपास के लोग पशुपालक हैं। लोगों को गोबर गैस उपलब्ध होने से लकड़ियां नहीं जलानी पड़ेगी। राष्ट्रीय उद्यान के आसपास के गांवों में रहने वाले लोगों को रसोई गैस के कनेक्शन प्राथमिकता के आधार पर दिये जावें जिससे लकड़ियां नहीं जलाई जावें। राष्ट्रीय उद्यान के आसपास बसे गांवों को मिट्टी का तेल प्राथमिकता से जितनी आवश्यकता हो दिलवाने का प्रबन्ध करवाया जावे। लकड़ी के कृषि यन्त्रों की जगह धातु के कृषि यन्त्रों का निर्माण करवाये जावें तथा प्राथमिकता के आधार पर बिजली कनेक्शन दिलवाये जावें।

अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि वनों की रक्षा के लिये ज्यादा से ज्यादा उपाय किये जाये और नये वन भी लगाये जावें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री रघुवीरसिंह।

सराड़ा (उदयपुर) में सार्वजनिक निर्माण विभाग का सहायक अभियन्ता कार्यालय

श्री रघुवीरसिंह (सराड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत आपके माध्यम से सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी का ध्यान मेरे विधान सभा क्षेत्र सराड़ा जिला उदयपुर की तरफ आकर्षित कर यह निवेदन करना चाहता हूं कि सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिशाषी अभियन्ता कार्यालय जो पूर्व में उदयपुर मुख्यालय पर स्थित था अभी-अभी यह कार्यालय सब डिविजन कार्यालय सलूम्बर में स्थानान्तरित हुआ है, जो अभी शिफ्ट होकर कार्यरत है, परन्तु सराड़ा के सहायक अभियन्ता अभी तक उदयपुर में ही स्थित हैं। अतः मेरा आपके माध्यम से सम्बन्धित मंत्रीजी से आग्रह है कि सहायक अभियन्ता कार्यालय सराड़ा में कायम कराने का आदेश फरमावें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री चुन्नीलाल धाकड़।

विधान सभा क्षेत्र बेगूं में नन्दवाई से मेरूंघाटी सम्पर्क सड़क बनाना

श्री चुन्नीलाल धाकड़ (बेगूं) : अध्यक्ष महोदय, नन्दवाई से मेरूंघाटी सम्पर्क सड़क बना कर चित्तौड़गढ़-बेगूं रोड की लम्बाई

(श्री चुन्नीलाल धाकड़)

14 किलोमीटर कम करने के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र बेगूं में चित्तौड़गढ़-बेगूं रोड की कुल लम्बाई 66 किलोमीटर है। इस रोड को भैंसघाटी, झरिया महादेव पंचायत मुख्यालय, माधोपुर, नन्दबाई होकर पक्का डामर रोड बना देने पर इस रोड की लम्बाई 14 किलोमीटर कम हो जाती है। इस रोड पर काफी लम्बाई तक अर्थवर्क हो चुका है। कुछ समय पूर्व इस पर प्राइवेट बसों के परमिट भी दिये गये थे जिनके चलने से जनता को काफी राहत मिली थी। अब चूंकि बरसात में यह रोड खराब हो गयी है अतः बसों का आवागमन भी रुक गया। जनता की मांग पुनः चालू करने की जोरों पर है मगर बस मालिक रोड खराब होने का बहाना लेकर जनता को बस सुविधा उपलब्ध नहीं करा रहे हैं।

इस सड़क के बन जाने से निम्नलिखित लाभ होंगे :–

(1) बेगूं-चित्तौड़गढ़ मार्ग की 14 किलोमीटर लम्बाई कम हो जाएगी जिससे जिला मुख्यालय पर पहुंचने में समय और ईंधन की बचत होगी।

(2) चित्तौड़गढ़-कोटा वाया बेगूं बसों के आवागमन में भी समय और ईंधन की बचत होगी।

(3) बेगूं-चित्तौड़गढ़ रूट पर पंचायत मुख्यालय नन्दबाई और माधोपुर व इन पंचायतों के गांव नरसिंहपुरा, घनश्यामपुरा, शिवपुरा, उमथना, बसोटा, महेसरां, डेवडीखेड़ा और प्रसिद्ध तीर्थ झरिया महादेव आते है जो जुड़ जाएंगे जो कि जंगल में है और आवागमन के साधनों से पूर्णतः वंचित हैं।

(4) झरिया महादेव में जहां अमिट बारहों महीने पानी का झरना बहता रहता है, बहुत ही रमणीय तीर्थ स्थल है, लोग आये दिन भारी संख्या में आते जाते रहते हैं। इस वर्ष भी यहां 108 कुण्डीय महारूद्र यज्ञ दिनांक 2 मई, 1995 से 11 मई, 1995 तक होने जा रहा है।

अतः मेरा सरकार से और विशेषकर माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी से अनुरोध है कि इस महत्वपूर्ण मार्ग को पक्का डामर रोड बनाने के आदेश फरमावें जिससे समय, ईंधन और धन की बचत के साथ-साथ पहाड़ी क्षेत्र में बसने वाली जनता को भी आवागमन की सुविधा सुलभ हो सके। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री रामकिशनजी वर्मा।

अनुसूचित जाति व श्रमिकों की बस्ती सातलखेड़ी (रामगंज मण्डी) में पेयजल की समस्या

श्री रामकिशन वर्मा (रामगंज मण्डी) : अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के तहत जनहित के मामले की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि रामगंज मण्डी कस्बे की अनुसूचित जाति व श्रमिकों की बस्ती सातलखेड़ी में पेयजल की गम्भीर समस्या बनी हुई है। इस बस्ती की यह समस्या पेयजल आपूर्ति के लिए लगे हुए कुछ विभागीय हैण्ड पम्पों के सूखने से अत्यधिक गम्भीर हो गयी है।

(श्री रामकिशन वर्मा)

मान्यवर, पिछली गर्मियों में इसी बस्ती में परिवार व बच्चों की प्यास बुझाने हेतु पानी भरने गयी एक महिला की कुएं पर अत्यधिक भीड़ हो जाने के कारण गिर जाने से मृत्यु हो गयी थी।

श्रीमन्, मैं राज्य सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि इन श्रमिकों व अनुसूचित जाति के निवासियों की बस्ती में तत्काल नये हैण्ड पम्प, कुओं एवं नलों की व्यवस्था करावें व स्थायी समाधान हेतु राणा प्रताप सागर बांध से पानी लाने की जो योजना निर्माणाधीन है, उसे उच्च प्राथमिकता देकर पूर्ण कराया जावे। धन्यवाद।

समिति का प्रतिवेदन

राजकीय उपक्रम समिति, 1994-95 का 22वें से 33वां प्रतिवेदन

श्री अध्यक्ष : श्री परसराम जी मदेरणा, सभापति, राजकीय उपक्रम समिति, 12 प्रतिवेदन उपस्थापित करेंगे।

श्री परसराम मदेरणा (सभापति, राजकीय उपक्रम समिति) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजकीय उपक्रम समिति, 1994-95 के निम्नांकित 12 प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं :-

(1) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1982-83) से सम्बन्धित समिति का 22वां प्रतिवेदन,

(2) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1978-79) से सम्बन्धित समिति का 23वां प्रतिवेदन,

(3) राजस्थान राज्य पुल एवं निर्माण निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1982-83) से सम्बन्धित समिति का 24वां प्रतिवेदन।

(4) गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1979-90) से सम्बन्धित समिति का 25वां प्रतिवेदन।

(5) राजस्थान राज्य आवासन बोर्ड (स्थापना के उद्देश्य एवं उपलब्धियों) से सम्बन्धित राजकीय उपक्रम समिति, 1975-76 के 35वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गयी कार्यवाही विषयक समिति का 26वां प्रतिवेदन,

(6) राजस्थान वित्त निगम (औद्योगिक इकाइयों को डीजल जनरेटिंग सैट्स राजस्थान वित्त निगम द्वारा दिये गये ऋण एवं अनुदान) के सम्बन्ध में राजकीय उपक्रम समिति, 1986-87 के द्वितीय प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गयी कार्यवाही विषयक समिति का 27वां प्रतिवेदन,

(7) हाईटेक प्रेसिसन ग्लास लिमिटेड, धौलपुर (अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1966-67 एवं 1967-68) से सम्बन्धित राजकीय उपक्रम समिति, 1970-71 के 24वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गयी कार्यवाही विषयक समिति का 28वां प्रतिवेदन,

(8) राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम (अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1973-74)

(श्री परसराम मदेरणा)

से सम्बन्धित राजकीय उपक्रम समिति, 1987-88 के छठे प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गयी कार्यवाही विषयक समिति का 29वां प्रतिवेदन,

(9) राजस्थान लघु उद्योग निगम (अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1977-78) से सम्बन्धित राजकीय उपक्रम समिति के पंचम प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गयी कार्यवाही विषयक समिति का 30वां प्रतिवेदन,

(10) राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मण्डल से सम्बन्धित राजकीय उपक्रम समिति 1977-78 के द्वितीय प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गयी कार्यवाही विषयक समिति का 31वां प्रतिवेदन,

(11) राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1983-84) से सम्बन्धित समिति का 32वां प्रतिवेदन, एवं

(12) राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल की अन्तरराज्यीय जल एवं विद्युत परियोजनाएं विषयक राजकीय उपक्रम समिति 1980-81 के द्वितीय प्रतिवेदन में समाविष्ट शिफारिशों पर शासन द्वारा की गयी कार्यवाही विषयक समिति का 33वां प्रतिवेदन ।

याचिकाओं का उपस्थापन

साईवाड़ जिला जयपुर में पेयजल का अभाव

श्री अध्यक्ष : श्रीमती उजला अरोड़ा, सदस्य, विधान सभा, साईवाड़ ग्राम (तहसील जमवारामगढ़ (जिला जयपुर) में पर्याप्त पेयजल के अभाव के सम्बन्ध में एक याचिका उपस्थापित करेंगी ।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : अध्यक्ष महोदय, मैं साईवाड़ ग्राम (तहसील जमवारामगढ़) जिला जयपुर में पर्याप्त पेयजल के अभाव के सम्बन्ध में 6 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका उपस्थापित करती हूं ।

विधायी कार्य : विधेयक का पुरःस्थापन

राजस्थान आवासन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1995

श्री अध्यक्ष : श्री भंवरलाल शर्मा, प्रभारी मंत्री, राजस्थान आवासन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1995 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे ।

श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत्त शासन मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान आवासन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1995 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान आवासन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1995 को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की गयी ।

(श्री अध्यक्ष)

प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे।

श्री भंवरलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान आवासन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1995 को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 131 के अन्तर्गत श्री लक्ष्मण सिंह/श्री माधव सिंह दीवान/श्री हरिसिंह (महुआ), सदस्य, विधान सभा पूर्व सैनिकों को समुचित सुविधाएं सुलभ कराये जाने के सम्बन्ध में सैनिक कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे। (अनुपस्थित)।

प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 131 के अन्तर्गत श्री राजेन्द्र गहलोत, सदस्य, विधान सभा बी. जे. एस. कालोनी, जोधपुर के नियमन हेतु विकास शुल्क की राशि बढ़ाये जाने मे जनता में व्याप्त आक्रोश से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

बी.जे.एस. कालोनी, जोधपुर के नियमन हेतु विकास शुल्क की राशि बढ़ाये जाने से जनता में व्याप्त आक्रोश

श्री राजेन्द्र गहलोत (सरदारपुरा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा प्रक्रिया के नियम 131 के अन्तर्गत बी. जे. एस. कालोनी. जोधपुर को नियमन करने के सम्बन्ध में राजस्व मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री गंगाराम चौधरी (राजस्व मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जोधपुर स्थित जबरसिंह मिलिट्री स्कूल हास्टल एवं जबरसिंह जूनियर मिलिट्री एजूकेशन सोसायटी, जोधपुर की कृषि भूमि को राजकीय भूमि मानकर रूपान्तरण नियम, 1981 के नियमों के अन्तर्गत रूपान्तरण कर भूखण्डधारियों को पट्टे जारी करने के आदेश जारी किये गये। भूमि रूपान्तरण की समस्या के समाधान करने के लिए 18. 2. 94 को आदेश जारी किये गये जिसमें सरकारी भूमि के बारे में विकास शुल्क 50 वर्ग गज तक एक गुना, 51 से 100 वर्ग गज तक दो गुना तथा 100 वर्ग गज से अधिक के भूखण्ड पर तीन गुना राशि रखी गयी जिसके कारण सरकारी भूमियों पर विकास शुल्क की राशि खातेदारी भूमियों की तुलना में अधिक हो गयी। इस समस्या के समाधान के लिए राजस्व विभाग एवं नगरीय विकास एवं आवासन विभाग ने मिलकर विचार-विमर्श किया और अब यह मामला मंत्रिमण्डल के समक्ष विचार हेतु प्रस्तुत कर दिया गया है।

जहां तक बी. जे. एस. कालोनी के कुछ हिस्से की भूमि का भू उपयोग ग्रीन बेल्ट से/आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन करने का प्रश्न है, न्यास के प्रस्ताव नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को नहीं मिले हैं। न्यास सचिव, जोधपुर को उपरोक्त विषय में लिये गये न्यास के निर्णय की प्रति मय उल्लिखित भूमि एवं प्रस्तावित भू-उपयोग परिवर्तन को मानचित्र में अंकित कर तत्काल भिजवाने हेतु नगरीय विकास एवं आवासन मण्डल द्वारा लिखा गया है। उनके प्राप्त होते ही अग्रिम कार्यवाही कर दी जाएगी।

श्री राजेन्द्र गहलोत : माननीय अध्यक्ष महोदय, गत सत्र के अन्दर माननीय मंत्रीजी ने आश्वासन दिया था कि बी. जे. एस. कालोनी कोनियमित कर दिया जाएगा। इस सम्बन्ध में 1981 के भूमि रूपान्तरण आदेश का आपने हवाला दिया। उसके बाद 29 मई, 1992 को राजस्व विभाग ने एक आदेश निकाला था, उस आदेश की अनुपालना में बी जे.एस. कालोनी में शिविर लगाया गया उसमें करीब एक हजार लोगों ने अपने पट्टे नियमन करवाये जिसका विकास शुल्क 20 रुपये लिया गया था। उसके बाद 18 फरवरी, 1994 को जब एक नया आदेश निकाला, उस आदेश के अनुरूप यह तय किया गया कि 20 से 50 वर्ग गज तक का जो भूखण्ड है उसका एक गुना लिया बीस रुपये विकास शुल्क लिया जाएगा, 51 से 100 वर्ग गज तक का भूखण्ड है उसका दो गुना लिया जाएगा और 100 वर्ग गज से ज्यादा है उसका तीन गुना जाएगा। यह जब आदेश आया तो मैंने विधान सभा में माननीय मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित किया। उस समय मेरी मान्यता थी कि 18. 2. 94 का जो भूमि नियमन कृषि भूमि नियमन और बस्तियां नियमन करने का जो आदेश आया है वह जयपुर के परिप्रेक्ष्य में आया है और उसके अलावा जयपुर से अन्य नगरों की जो भूमि विवाद और कृषि भूमि की जो समस्या है वह भिन्न है। उसको ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार को मैंने निवेदन किया था, मैंने माननीय मंत्रीजी से निवेदन किया था कि 50 वर्ग गज वाले भू-खण्ड पर जो विकास शुल्क लगने वाला है उससे अधिक नहीं लगना चाहिए। इस सम्बन्ध में 16 अगस्त को बी. जे. एस. कालोनी का एक प्रतिनिधि मण्डल माननीय मुख्य मंत्रीजी से मिला, राजस्व मंत्रीजी से मिला, नगर विकास मंत्रीजी से मिला और मिलकर उनसे निवेदन किया, उस समय आप सभी ने आश्वासन दिया था कि हम इस समस्या का समाधान करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि आपने एक वर्ष इस समस्या के समाधान में लगा दिया और उसके बाद हमने जो शिविर लगाये थे उसमें 556 लोगों ने 20 रुपये के हिसाब से विकास शुल्क जमा करा चुके हैं। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह समस्या लम्बे समय से उलझी हुई है उसको सुलझाने की आप कोशिश करें।

दूसरा, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि ग्रीन बैल्ट के लिए जो खसरे आपने बताये हैं, जैसे खसरा नम्बर 131, 133, 278 ये जोधपुर गांव के हैं और बिगारी गांव का खसरा नम्बर 1, जिसको ग्रीन बैल्ट से हटाने के लिए नगर सुधार न्यास अगस्त में ही अपनी रिपोर्ट भेज चुका है। अगस्त के बाद आज तक यह कह रहे हैं कि हमारे पास रिपोर्ट नहीं पहुंची है। मैं नगरविकास मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि जब आपके पास यह रिपोर्ट आ गयी है, आपकी यह मंशा है कि इस कालोनी को नियमित किया जाए। उसके बाद भी इस प्रकार से विलम्ब किया जा रहा है और विलम्ब के कारण दिन-प्रति दिन इसकी समस्या जटिल होती जा रही है। यह खसरा ग्रीन बैल्ट में नहीं होने के कारण मई, 1992 में जो आदेश निकला था उसके कारण यह सारी कार्यवाही रुक गयी थी, क्योंकि आवासीय भूमि में नहीं था,

(श्री राजेन्द्र गहलोत)

ग्रीन बैल्ट में था। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस समस्या का आप कब तक समाधान कर देंगे ? कालोनी के लोग, जो भूतपूर्व सैनिक हैं, आजादी के पहले से इस भू-खण्ड पर बसे हुए हैं उनको कब तक नियमित करके यह राहत देंगे ? माननीय राजस्व मंत्रीजी एवं माननीय नगर विकास मंत्रीजी इस बात का आश्वासन दें कि कब तक इस समस्या का समाधान कर देंगे ?

श्री नरपतसिंह राजवी (चित्तौड़गढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि यह एनोमेलीज क्रिएट हुई है बार-बार जो कृषि भूमि पर आवासीय कालोनियां आबाद हो गयीं। एक बार उनको रेगुलराइज करने के लिए 1992 में सर्कुलर निकाला, आदेश दिया उसके बाद में रिवाइज किया है।1994 में, अब 1994 में रिवाइज किया है तो 1992 में जो जमा कर सकते थे जो ग्रीन बैल्ट के कारण, लेकिन ग्रीन बैल्ट में यह तो सोचें कि ग्रीन बैल्ट बाद में बना है मास्टर प्लान बाद में बना है उससे पहले वह कालोनी आबाद हो गयी। रेगुलराइज नहीं करेंगे तो क्या सरकार उनको हटाना चाहती है ? यह पासिबल नहीं है, यह सम्भव नहीं है कि इतने मकानों को हटा दें, हैंड्रेड पर्सेंट वहां पर आबाद हो चुके हैं, मकान बन चुके हैं। इसलिए इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार भी करें और प्रेक्टिकल दृष्टि से देखें कि मास्टर प्लान में जो गलतियां हुई हैं कम से कम वह रिपीट नहीं हों और 1992 में जिस आधार पर जमा कराना था डवलपमेंट चार्जेज और पैराफेरी चार्जेज जो भी जमा कराने हैं, वह जमा करवा लिए जाएं ताकि यह एनोमोलीज खतम हो।

श्री गंगाराम चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, बी. जे. एस कालोनी एक संस्था को कोई आवंटित भूमि थी शिक्षा के प्रयोजनार्थ और उसको उस संस्था ने उस उपयोग में तो नहीं लिया लेकिन प्लाट बनाकर बेच दिया था। यह समस्या लम्बे अरसे से चली आ रही है। हमारी सरकार ने इस पर विचार करके, इन्क्वायरी करने के बाद में यह निर्णय लिया कि इस भूमि को, जो उनको आवंटित की गयी थी किसी प्रयोजनार्थ, उसको उस काम में नहीं लिया गया और आवासीय प्रयोजनार्थ लिया जा रहा है, राजकीय भूमि मानकर जो भी हमारे नियम 1981 के हैं, उन नियमों के अन्तर्गत जो भी प्रावधान हैं उनके अन्तर्गत इनका नियमन कर दिया जाए। अब उसमें 1992 के अन्दर हमने जो नियम बनाये थे, जो सर्कुलर जारी किया था उसमें राजकीय भूमि पर किये गये अतिक्रमण के सम्बन्ध में एक प्रावधान यह किया गया था कि अगर छोटे प्लाट हैं, 50 वर्ग गज का है, तो उसका तो विकास शुल्क का एक गुना ही देना पड़ेगा और 50 से 100 वर्ग गज का अगर किसी प्लाट है तो विकास शुल्क की दुगनी फीस देनी पड़ेगी और 100 से ज्यादा है तो तिगुनी। यह इसलिए रखा गया था कि गरीब आदमी छोटे प्लाट पर रहते हैं उन पर कोई ज्यादा वजन नहीं पड़े और राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करने वालों पर थोड़ा अंकुश भी लगे। लेकिन उस सीमा तक जो विकास शुल्क अधिक हो रहा था उससे कुछ मांग जगह-जगह से लोगों की आयी और उनकी मांग

(श्री गंगाराम चौधरी)

यह थी कि विकास शुल्क की यह इस तरह से तिगनी राशि नहीं रखी जाए। इस पर सरकार ने दुबारा विचार किया और राजस्व विभाग, यू. डी. एच. स्थानीय संस्थाएं, मंत्रालय सभी ने विचार करके एक प्रस्ताव तैयार करके कैबिनेट के सामने रखा है और कैबिनेट के निर्णय लेने के बाद में ही मैं कुछ बता सकूंगा कि इस सम्बन्ध में राज्य सरकार क्या निर्णय लेगी। कैबिनेट के सामने यह जल्दी आयेगा। विधान सभा चलने की वजह से अभी कैबिनेट की बैठक नहीं हो रही है। मुझे उम्मीद है कि जो माननीय सदस्य समस्या बता रहे हैं उस समस्या का हल इस हिसाब से निकल जाएगा।

दूसरी बात रही ग्रीन बैल्ट वाली। माननीय सदस्य कह रहे हैं कि 1994 के अगस्त में यह प्रस्ताव यू. आई. टी. जोधपुर ने भेज दिया था कि बिगारी और खसरा नम्बर 131, 133 और 277 वगैरह ये ग्रीन बैल्ट में मास्टर प्लान में आ गये हैं, इनको ग्रीन बैल्ट से बाहर निकाला जाए ताकि इनमें बसी हुई बस्तियों का नियमन किया जा सके। यह सही है कि प्रस्ताव यू. आई. टी. ने भेजा होगा लेकिन यू. डी. एच. की ओर से जो हमें इत्तला मिली है, राजस्व विभाग को, उस सूचना के आधार अभी तक यू. आई. टी. का कोई प्रस्ताव यू. डी. एच. में प्राप्त नहीं हुआ है। इसलिए यू. डी. एच. द्वारा जैसा मैंने निवेदन किया, मेरे उत्तर में कि विभाग द्वारा पुनः लिखा गया यू. आई टी को कि इन खसरों को अगर आप चाहते हैं कि ग्रीन बैल्ट से बाहर निकाला जाए और उसका भू उपयोग बदला जाए तो फिर आप अपने प्रस्ताव भेजें। प्रस्ताव आते ही उस पर भी कार्यवाही की जाएगी। राज्य सरकार की भावना है, धारणा है कि यू. डी. एच. को जितने भी अनधिकृत अतिक्रमण पुराने हैं उन सब का नियमन कर दिया जाए और इस समस्या का हल कर दिया जाए, जल्दी कर दिया जाएगा।....(व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : हो गया।

श्री राजेन्द्र गहलोत : हो क्या गया ?.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री खेतसिंह जी। आप कुछ फरमा रहे हैं ?

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : माननीय अध्यक्षजी, मैं यह निवेदन कर रहा था कि यह कालोनी भूतपूर्व सैनिकों की ही कालोनी है, बी. जे. एस. कालोनी इस का नाम है, बिग्रेडियर जबरसिंह कालोनी। यह जमीन भी पहले सैनिकों के कंट्रोल में थी और बाद में सोसायटी बनायी गयी, यह सैनिकों के लिए ही रिजर्व की गयी है और भूतपूर्व सैनिकों की सारी कालोनी है। इसमें आप पहले एक फीस लें और अब दूसरी फीस लें, सैनिक-सैनिक में आप भेद-भाव करें यह बिलकुल उचित नहीं है। मेहरबानी करके इसका नियमन कीजिए। दूसरा इसमें एकसी ही फीस सबसे लीजिए। यह हमारा खास तौर से आपसे निवेदन है।

श्री गंगाराम चौधरी : राजकीय भूमि मानकर ही इसका रूपान्तरण किया जा रहा है इसलिए वह 3 स्लैब सब के लिए,

(श्री गंगाराम चौधरी)

पूरे राजस्थान के लिए हैं. इसके लिए अलग से हमने नहीं रखा है लेकिन उस पर भी पुनर्विचार हो रहा है जैसा मैंने निवेदन किया ।

श्री खेतसिंह राठोड़ : ठीक है ।

श्री राजेन्द्र गहलोत : माननीय अध्यक्ष जी, इस सदन में यह विषय चौथी बार आ चुका है और हर बार यही जवाब मिलता है कि इसका नियमन कर दिया जाएगा । यदि मंत्रिमण्डल के विचाराधीन भी है तो कितनी अवधि तक इस पर विचार करके इसका नियमन कर दिया जाएगा, यह निश्चित उत्तर मैं माननीय मंत्रीजी से चाहता हूं । उसके बाद में इसकी जितनी समस्याएं हैं उनका समाधान क्या एक साथ हो जाएगा ? वरना यही होगा कि आगे और कोई आदेश निकल जाएं । इसलिए माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा, मैं आपके उत्तर से संतुष्ट नहीं हूं और न मैं समझता हूं कि इससे कोई समाधान होने वाला है । अगले सत्र में मुझे आपका ध्यान फिर कहीं आकर्षित न करना पड़े इसलिए निश्चित उत्तर दें कि ग्रीनबैल्ट से मुक्ति मिल जाएगी और इसका नियमन कर दिया जाएगा । इसका नियमन कितने समय में कर दिया जाएगा ?

श्री गंगाराम चौधरी : मंत्रिमण्डल में प्रेषित किये जाने के कारण से मंत्रिमण्डल की ओर से कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूं ।

श्री राजेन्द्र गहलोत : 2 महीने, 3 महीने, कोई तो समय होगा ।

श्री गंगाराम चौधरी : मेरा प्रयास यह रहेगा कि 31 मई तक मंत्रिमण्डल इस प्रस्ताव को पास कर दे ।

श्री राजेन्द्र गहलोत : माननीय मंत्री जी को धन्यवाद ।

श्री अध्यक्ष : सामान्य वाद-विवाद । माननीय मदेरणा साहब ।

श्रीमती कमला (बैराठ) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा नाम मेरे दल के माननीय सचेतक महोदय ने पहले नम्बर पर आपको दे रखा है । उसके बाद में कुछ और माननीय सदस्य बोलेंगे, उसके बाद में प्रतिपक्ष के नेता महोदय बोलेंगे । आप अभी प्रतिपक्ष के नेता महोदय को पहले ही बुला रहे हैं, वे हम 2–4 माननीय सदस्य के बोलने के बाद में बोलेंगे ।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह (आसींद) : अभी तो बहुत टाइम है । हमें भी बोलने का मौका दिया जाए ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, समय के हिसाब से तो एक घंटा ही बचा है कांग्रेस पार्टी का और प्रतिपक्ष के नेता बोलेंगे, उसमें समय लगेगा और जहां तक कम्युनिस्ट पार्टी का सवाल है, वहां 5 मिनट दिया हुआ है ।

श्री अमराराम : यह टाइम भी कहां दिया ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी का समय तो बचा नहीं है खतम हो गया है । फिर भी आप इनको

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

+++ के रूप में थोड़ा और टाइम दे दें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। (व्यवधान)

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, घनश्याम जी के कहने से कोई दया करके देने की जरूरत नहीं है, हमारा हक बनता है अपनी बात रखने का, अतः आपको समय देना चाहिएं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप फर्मायें।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, राजनैतिक पार्टी का समय नहीं बचता। गोरकी ने एक नोवल लिखा है "मदर" (व्यवधान) मैं अतीत और भविष्य की बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं महाभारत देखता हूं और उसमें गोरकी ने यह बात लिखी है 'Everyday passes is an imperceptible step towards the inevitable, i. e. grave' एक दिन जो व्यतीत हो रहा है, अपन कब्र की तरफ एक कदम रख रहे हैं। आप भी रख रहे हैं और हम भी रख रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मुझे भी मौका दे दिया जाए फिर यह शुरू कर देंगे।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : आज 4 बजे रिप्लाई शुरू होगी सी.एम. साहब की। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : रिप्लाई 5 बजे हो।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत से, आपके माध्यम से मैं....(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : 45 मिनट तो प्रतिपक्ष के नेता महोदय को देना पड़ेगा। बाकी समय में आप 1-1, 2-2 को बोलने दीजिये।

श्रीमती कमला : रिप्लाई 6 बजे करवाइये।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती कमला जी।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : पहले मेरा नाम।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप।

आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से मेरी सीट के बजाय यहां से मैं अपनी बात कहना चाहती हूं।

श्री अध्यक्ष : हां, कोई बात नहीं, आप फरमाएं।

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो वित्त मंत्री भी हैं, 27 मार्च को राजस्थान के वर्ष 1995–96 के बजट प्रस्ताव सदन के

+++ शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्रीमती कमला)

सम्मुख प्रस्तुत किये। बड़े नये ढंग से और बड़े नये अन्दाज से बजट लेकर आये। बजट की जो पोथियां थीं उनको भी सजाया-संवारा गया। बहुत अच्छा कवर लगाया गया। उनको प्लास्टिक की थैलियों में रखा गया, फिर उनको बड़े थैले में रखा गया, फिर हमें दिया गया। बड़ा वजन था। अच्छा होता उसमें चार पहिये भी लग जाते तो शायद आराम से ले जाते।

माननीय मुख्य मंत्रीजी का जो खुद का वक्तव्य था, उसको भी खूब अच्छे ढंग से, उसके कलेवर को, आवरण को लम्बा भी किया, मजबूत भी किया। अन्दर उसके हाशिये में रंगीन मीनारें भी बनायी गयीं। कोने और चौखट भी रंगीन बनायी गयीं और जगह-जगह पर विषय और विभाग के प्रतीक कुछ पशु-पक्षी, कुछ मशीन, कुछ और चीजें भी लगा कर कला की अभिरुचि भी इसमें प्रदर्शित की गयी, अच्छा लगा। लेकिन वह ऐसा लगा, भाषण का सजाया-संवारा हुआ प्रारूप था कि जैसे एक दुबले-पतले छोटे कद के व्यक्ति को किसी लम्बे, हट्टे-कट्टे आदमी का चोगा पहना दिया गया हो। ऐसा उस भाषण का स्वरूप बना दिया। अच्छा होता, जितना नाजुक सा जितना छोटा सा भाषण था, उसके अनुरूप उसके ऊपर का कलेवर भी होता तो पढ़ने में आसानी होती और उसके अनुरूप भी होता। खैर, वह भी ठीक था....

(13.45)

(श्री समर्थलाल मीणा, सभापति, पदासीन।)

इस बजट भाषण के अन्दर एक अनोखी चीज थी, वह यह है कि मुख्य मंत्रीजी ने अपनी भरपूर दूरन्देशी से जितना व्यापक और जितना भी वांछित और जितने लोकप्रिय लगने वाले उद्देश्य हो सकते थे, वे आठ उद्देश्य इसके अन्दर रखे। सभी कुछ इसमें समा गया और साथ में विभाग का उसमें बड़ा साहित्यिक और बड़ा सिलसिले से जचाकर, भाषा भी उसमें नवीनतम लिखने की कोशिश की। यह अच्छा प्रयास था। इसके साथ-साथ उन्होंने बहुत से करों को हटाया, बहुत से कर समान किये, बहुत से करों को घटा-बढ़ा कर जनता को ज्यादा से ज्यादा कई सेक्टर्स में राहत पहुंचाने की चेष्टा की। अपनी तरफ से काफी अच्छा प्रयत्न उन्होंने प्रारम्भिक तौर से किया।

इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन यह है कि जो आठ उद्देश्य उसके अन्दर प्रारम्भ में दिये गये हैं, उन उद्देश्यों की जो भाषा है, उनका जो भाव है, उनकी जो प्रेरणा उसमें निहित है, उसके मुताबिक यह बजट, यह सरकार और इसके चलाने वाले अगर उसको धरती पर लागू कर सकें, इसको क्रियान्वित कर सकें, उसके अनुरूप ही अपने तमाम कार्यों को चला सकें, तो शायद वह बहुत ही सर्वोत्तम होगा लेकिन अनुभव जैसा बताता है, उसके मुताबिक बहुत बड़ी-बड़ी बातें, बड़ी-बड़ी साहित्यिक बातें, बड़े सुन्दर-सुन्दर नाम और यह सब देने में इस सरकार के अधिकारी भी और इस सरकार के मंत्री भी बहुत अधिक कुशल हैं, हुनरमंद हैं। इसकी तारीफ करनी पड़ेगी लेकिन भारत सरकार की योजनाओं को भी वे नया-नया नाम दे देते हैं। "अपना गांव अपना काम" और "तीस जिले तीस काम" और "गरीब को गणेश" मानना और न जाने कौनसी

(श्रीमती कमला)

गुवाड़ी, ये सारी चीजें, नाम बहुत सुन्दर है, बहुत अच्छा है, बड़ा अच्छा प्रतीक है लेकिन उनकी अनुपालना में, उनके जो परिणामदायक सिलसिले में, उनका मूल्यांकन करने पर हम कहां पहुंचे, इसके बारे में न इसमें कहीं कुछ है, न राज्यपाल के अभिभाषण में कुछ है और वास्तव में अगर व्यावहारिक रूप से इलाकों में जाकर देखें तो उसमें कुछ नहीं है। इसलिए ऐसी निराशा इन आठ सुन्दर उद्देश्यों की भी न हो, ऐसी हम शुभकामना करते हैं।

माननीय सभापति महोदय, करों में जो छूट दी गयी हैं, उनमें से 3-4 के बारे में मैं निवेदन करना चाहती हूं कि उनके बारे में भी मुख्य मंत्री जी विचार करें। पहला तो यह है कि आपने नगरीय सम्पत्ति है चाहे मकान हैं, दुकान हैं, उनके रजिस्ट्रेशन में स्टाम्प ड्यूटी में कमी की है, उसी प्रकार आप देहाती क्षेत्र में जो कृषि योग्य भूमि है उसके बेचान पर जो स्टाम्प ड्यूटी लगती है, उसको भी उसी प्रपोर्शन के अन्दर आप छूट दें क्योंकि सिर्फ नगरीय क्षेत्र में आप इतनी छूट दे रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्र, जिसकी आप बहुत बड़ी हमदर्दी दिखाते हैं, बहुत बड़ा आधार रखते हैं और अब उसमें आपने प्रवेश भी कर लिया है, यह भी आप कह रहे हैं। उसके बावजूद भी यह बजट बनाते समय ग्रामीण क्षेत्र की तरफ उनका ध्यान नहीं गया कि इस दिशा में भी, स्टाम्प ड्यूटी में कमी करनी चाहिए।

इसके अलावा मैं खांडसारी के बारे में भी और कूलर्स के बारे में भी निवेदन करना चाहती हूं। खांडसारी तो सामान्य तौर पर आप सभी जानते हैं कि आम आदमी के उपयोग की चीज है। कूलर्स के लिए मैं इसलिए निवेदन करना चाहती हूं कि आज वह जमाना नहीं है कि लोग अपनी छतों पर जाकर सो जाएं और निश्चित होकर सो जाएं। मच्छरों का, पोल्यूशन का इतना दौर-दौरा है और कोई अपने घर को छोड़कर सो जाए तो चोर और डाकुओं का इतना दौर-दौरा है, आज वह जमाना नहीं हैं कि आदमी ठंडी हवा लेने के लिए कहीं अपने बरामदे या कहीं छत पर सो सके और वातावरण भी इतना गर्म और पिछले कुछ सालों में टेम्प्रेचर्स इतने हाई होने लगे हैं कि सामान्य मध्यम श्रेणी का आदमी भी कूलर्स लगाना चाहता है जिससे कि वह दुपहरी आराम से निकल सके। दुपहिया वाहन के लिए आपके और क्षेत्र से भी मांग आयी है, मैं भी निवेदन करना चाहती हूं कि इसमें कमी नहीं करने से राज्य सरकार को घाटा होगा, इसलिये उसके ऊपर भी विचार करें।

इसके बाद मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि आपने जो आर्थिक सुधारों और संरचनात्मक समायोजन का एक सबसे पहले पृष्ठ 6 के ऊपर प्रारम्भ किया है, आज की उदारीकरण नीति की हमने बहुत ढंग से अपनी अपनी तरह से व्याख्या की है, उस पर व्यंग्य भी किये हैं, उसमें सुधार की आवश्यकता भी बताई है, उसमें गलतियां भी हैं और साथ में गवर्नर साहब के धन्यवाद प्रस्ताव पर माननीय मुख्य मंत्री जी ने जब उसका जवाब दिया था उसमें भी उन्होंने समाजवाद को और कांग्रेस की नीति को बहुत व्यंग्यात्मक और बड़े कठोर शब्दों के साथ यह कहा था कि कांग्रेस की

(श्रीमती कमला)

सरकार ने इतने सालों तक समाजवाद का नाम ले-ले करके गरीब तबके के लोगों का शोषण किया, उनके वोट लिये और समाजवाद को कुछ भी लागू नहीं कर सके और न समाजवाद कभी लागू हो सकता। सभापति महोदय, मैं सदन के माननीय सदस्यों को, माननीय मुख्य मंत्रीजी और मंत्रिमण्डल के सदस्यों को यह निवेदन करना चाहूंगी कि समाजवाद उस वक्त भी उतना ही संदर्भ में था, आज भी उतना ही जरूरी है और कल भी उतना ही जरूरी रहेगा जिसको कि आज हम यह समझते हैं कि वह निरर्थक है। समाजवाद कोई सरकारी क्षेत्र में बनाये हुये कल-कारखानें नहीं है, समाजवाद कोई सरकारी क्षेत्र में बनाई हुई आर्डिनेंस फैक्ट्रीज नहीं है, सरकारी क्षेत्र में बनाये हुये कोई एनर्जी के बड़े-बड़े स्ट्रक्चर्स नहीं है, सरकारी क्षेत्र में बनाये हुये कोई फार्म्स नहीं है, या और कोई सरकारी क्षेत्र में बनायी हुई संरचनाएं नहीं है, यह तो उसके प्रतीक हैं, माध्यम है। समाजवाद एक कंसेप्ट है, एक अवधारणा है, एक लक्ष्य है, एक मान्यता है जिसके तहत हर सरकार यह मानेगी, चाहे आज की सरकार है, चाहे कल की है और चाहे कोई भी दूसरी केपिट्लिस्ट सरकार हो, चाहे कम्युनिस्ट सरकार हो और चाहे लोकतांत्रिक सरकार हो, सबको यह मानना पड़ेगा, यह अवधारणा उनको रखनी पड़ेगी कि जो कुछ भी काम हम करेंगे, जो भी योजनाएं लागू करेंगे, जो भी कार्यक्रम चलाएंगे उसका लक्ष्य होगा उत्पादक का शोषण नहीं होना चाहिए, उपभोक्ता का शोषण नहीं होना चाहिए और इस समाज के अन्दर जो कुछ लक्ष्य है, व्यक्ति है, नागरिक है उसको लक्ष्य और बिंदु मानते हुये हमें अपनी तमाम योजनाओं को लागू करना पड़ेगा। सबको समाज में समान अवसर देना पड़ेगा, समान रूप से उसको उठने का मौका देना पड़ेगा, वह स्वयं ही अपना व्यक्तित्व बनाये और समाज और राष्ट्र को भी अपनी प्रतिभा और कुव्वत से लाभान्वित करें। यह समाजवाद एक कंसेप्ट है, एक अवधारणा है, एक मान्यता है, एक लक्ष्य है, यह उसका प्रतीक है जिसको आप गिनाते हैं। उस जमाने में समाजवाद के प्रतीक इसलिये थे कि जब अंग्रेज इस देश को छोड़ कर गये उस वक्त इसकी क्या हालत थी। एक सुई के लिये भी आप इनवेस्ट करने की स्थिति में नहीं थे। अगर उस वक्त में हम स्टेट ओन्ड बेसिक फैक्ट्रीज, जो आने वाले जमाने में आपके लार्ज स्केल नेटवर्क को आधारभूत मशीनें बना कर देने वाली बेसिक फैक्ट्रीज का अगर फाउण्डेशन नहीं पड़ता और उस वक्त पण्डित जवाहर लाल नेहरू और कांग्रेस देश को इस तरह की बेसिक इण्डस्ट्रीज का मौका नहीं देते, आधारशिला नहीं रखते, तो आज यह जमाना आपको और हमको देखने को नहीं मिलता। इसलिये समाजवाद उस वक्त भी कारगर था और आज भी कारगर है जब उदारीकरण है। आप कितना ही उदारीकरण करेंगे, कितनी मल्टीनेशनल्स को लायेंगे, कितनी ही पाबंदियां हटायेंगे, परमिट कोटा का जमाना खतम करेंगे, लेकिन फिर भी आपको यह कहना पड़ेगा जो आज हम भी कह रहे हैं और आप भी दबी हुई जुबान से कह रहे हैं कि अगर इनको लाभ पहुंचा नहीं, गरीब आदमी को, छोटे आदमी को, डवलपमेंट का जो लाभ है अगर गरीब

(श्रीमती कमला)

तक, एक-एक इकाई तक, क्षेत्र के अन्दर नहीं पहुंचा तो आपका उदारीकरण फेल होगा, लोग बगावत कर देंगे, इसको नकारा कर देंगे और आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिये समाजवाद आज भी है और मैं आपकी भाषा में अगर पढ़कर सुनाऊं तो आपने खुद ने इसको लुके-छिपे अर्थों में माना है कि समाजवाद क्या है। आपने इसको कहा है, जब हम इसकी सफलता मानेंगे जब कि हम यह कह पायेंगे कि हमारा जो केन्द्र बिन्दु है विकास का और विकास हमारा सफल है या नहीं है, जब हम यह देख लेंगे कि हमारा व्यक्ति विकास का केन्द्र बिंदु बन गया है और जो आम तौर पर हम कई सालों से, कांग्रेस की हुकुमत भी आज आपकी हुकुमतें भी और दूसरे लोगों की हुकुमतें भी यह कह रही है कि सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस विद डवलपमेंट, डवलपमेंट विद सोशल जस्टिस क्या है, समाजवाद की अवधारणा है सोशल जस्टिस, समाजवाद का लक्ष्य है, सोशल जस्टिस। उस व्यक्ति तक अगर डवलपमेंट का लाभ नहीं पहुंचेगा तो आप कितना ही उदारीकरण, कितना ही केपिटलिज्म ले आवें, कितना ही धन जोड़ लें, कितना ही फोरेन इन्वेस्टमेंट कर लें और घाटे पर घाटा करके भी जनता के लाभ के लिए हम यह करेंगे, जो शब्द आप बोल रहे हैं, यह समाजवाद है, यह और कुछ नहीं है। इसलिए आप समाजवाद को इतना नाकारा बताते हैं, जिसको इतना व्यंग्य करके छोड़ना चाहते हैं उसी के बाबत आपने लिखा है....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अर्जुन सिंहजी और शिवचरणजी माथुर यही कह रहे हैं।

श्रीमती कमला : आप बैठिये, आप नहीं जानते कि समाजवाद क्या होता है। आपकी कोई पृष्ठभूमि नहीं है समाजवाद की, आपकी कोई पृष्ठभूमि नहीं है कि किस तरह देश के आम आदमी को उठाया जाए इसलिए आप इस बारे में कहने की स्थिति में नहीं हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : नरसिंह राव जी भी नहीं जानते और अर्जुन सिंहजी जान गये और आप जान गयीं।

श्रीमती कमला : आपने लिखा है इसमें, विकास और सामाजिक न्याय....

श्री महावीर प्रसाद जैन : 45 साल में समाजवाद के नाम पर क्या किया है ?

श्री परसराम मदेरणा : अर्जुन सिंहजी ह्यूमन फेस की बात कर रहे हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : जी ?

श्री परसराम मदेरणा : ह्यूमन फेस। अर्जुन सिंहजी ह्यूमन फेस की बात कर रहे हैं, अन्त्योदय की कर रहे हैं, और किस की कर रहे हैं।

श्रीमती कमला : वर्कर्स की बात।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : 30 जनवरी, 1993 को प्रधान मंत्रीजी ने दिल्ली में अधिकारियों के बीच में एक भाषण देते हुए आज जो कमलाजी कह रही हैं उसके खिलाफ बोले हैं वह।

श्रीमती कमला : जी नहीं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : और आप उनके खिलाफ बोल कर अर्जुन सिंहजी, नारायणदत्तजी तिवारी और शिवचरणजी माथुर की लीक पर चल रही हैं, सदन को इसका सौभाग्य प्राप्त हुआ है।

श्रीमती कमला : इस बात पर तो आप घबराइये मत कि नरसिंह रावजी ने समाजवाद के खिलाफ बोला या मैं नारायणदत्त जी और अर्जुन सिंहजी की भाषा बोल रही हूं, हम सदा से वह भाषा बोल रहे हैं जो आजादी की जंग के समय से जेलों के अन्दर बैठ करके, चर्चा करके आजादी के बाद देश कैसा बनेगा, क्या सामाजिक व्यवस्था देंगे, क्या आर्थिक व्यवस्था देंगे, क्या राजनीतिक व्यवस्था देंगे, उस वक्त जो विचार जन्मा था वह विचार आज तक लागू है और शाश्वत रहेगा, उसको कोई मिटा नहीं सकता, क्योंकि....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यह सारी कहानी हाई कमान तक जाएगी।

श्रीमती कमला : हां, जाने दीजिये, आप क्यों चिंता कर रहे हैं, आपको तो हाई कमान कुछ कहना नहीं है और मुख्य मंत्रीजी आपको मंत्री बनाने नहीं हैं। आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं? इसलिए माननीय भैरोंसिंहजी भी, वह तो वही कह रहे थे, मेरे तो दोस्त हैं तो वह तो विपरीत नहीं बोलेंगे।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्रीमती कमला : कितना समाप्त करूं, अभी शुरू ही नहीं किया है, मैंने।

एक माननीय सदस्य : अभी तो शुरू किया है।

श्रीमती कमला : इसमें लिख रहे हैं भैरोंसिंहजी खुद, विकास और सामाजिक न्यायपूर्ण समता जैसे मूल्यों को प्राप्त करने का आधार देना पड़ेगा और फिर आगे लिख रहे हैं, आर्थिक विकास और उससे प्राप्त होने वाले लाभ से गरीबों का हित साधन करना पड़ेगा। यह क्या है? यह समाजवाद है। आप भाषा बदल सकते हैं जमाने के साथ में लेकिन आप समाजवाद को निरर्थक कभी साबित नहीं करेंगे, क्योंकि जो भी पार्टी गरीब का ध्यान नहीं रखेगी, पिछड़ों का ध्यान नहीं रखेगी और वास्तव में कारगर ढंग से कार्य नीतियों को क्रियान्वित करके लाभदायक ढंग से उनको लाभ नहीं पहुंचायेगी, सिर्फ लिप सिम्पैथी और कागजों से पार नहीं पड़ेगी, उसको जनता का आक्रोश सहन करना पड़ेगा। इसलिए मेरा यह निवेदन है, सभापति महोदय, जो इस तरह की बातें कर रहे हैं और साथ में खुद भी वही करने की भाषा भी लिख रहे हैं, वह दोहरे मापदण्ड नहीं चलेंगे।

योजना के आकार के बारे में मैं कुछ भी नहीं कहूंगी, बहुत सारी बहस हो चुकी है, कितनी बड़ी लाये, कितनी छोटी लाये, कितना घाटा हुआ। आपने कह दिया कि घाटे की व्यवस्था तो आम तौर पर विकास की व्यवस्था है, हम मानते हैं इस बात को, इस पर कोई बहस नहीं है, लेकिन घाटे की व्यवस्था विकास के काम आनी चाहिए, कर्जा चुकाने के लिए काम नहीं आनी चाहिए यह भी माननीय सदस्यों ने कहा, इसलिए उस पर भी विचार करने की जरूरत है।

(श्रीमती कमला)

माननीय सभापति महोदय, मैं आपको निवेदन कर दूं कि मैंने पूरे सदन में इस समय तक न कोई एडजोर्नमेंट मोशन दिया है, न कोई सवाल दिया है, न कोई 295 का प्रस्ताव दिया है, न राज्यपाल महोदय के भाषण पर बोली हूं इसलिए मुझे समय देने की कृपा करें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : समय दिया जाए।

श्रीमती कमला : मेरा आपसे यह भी निवेदन है कि आपने यह लिखा, सही लिखा-कि भाई सामाजिक सेवाएं हमको देनी हैं और बड़े व्यापक पैमाने पर देनी है और जो समाज का सक्षम व्यक्ति है या सक्षम वर्ग है, उसे उन सेवाओं का खर्चा उठाना चाहिए। इसमें भी कोई भी व्यक्ति ना नहीं कर सकता लेकिन मैं यह पूछना चाहती हूं कि जिन सेवाओं का आप भरपूर खर्चा ले रहे हैं उन सेवाओं को भी आप लोगों को पूरा क्यों नहीं दे पा रहे? मैं बिजली का ही उदाहरण देना चाहती हूं। हमारे जमाने में बिजली हम कितने कम खर्च पर दे रहे थे, आप कह सकते हैं कि आपने बिजली बोर्ड को घाटे में कर दिया इसलिए आप दे रहे थे।

(14.00)

आज आप काश्तकार से उसके ट्रांसफार्मर का पैसा ले रहे हैं, उससे तार का पैसा ले रहे हैं। उससे मजदूरी का पैसा ले रहे हैं, कोई एक आइटम ऐसा नहीं है जो बिजली का कनेक्शन लेने के लिए जो पैसा सरकार को या मण्डल को चाहिए उसका खर्चा आज किसान नहीं उठा रहा हो, लेकिन उसके बावजूद भी आज क्या हुआ? इस वक्त जो फसल गयी है इसमें जितनी बरबादी किसान की हुई है, जितना बिजली ने तमाशा दिखाया है और जितनी लापरवाही और इन-एफिशिएंसी मण्डल की तरफ से बरती गयी है, मेरी याद में कभी भी इस तरह की हरकत नहीं हुई जब सारा पैसा, सारा खर्चा हम उस उपभोक्ता से ले रहे हैं उसके बाद भी उसके साथ इस तरह की ज्यादती हुई हो? और यह हो गयी तो उसको क्या राहत प्रदान कर रहे हैं आप? यह भी थोड़ा बताने की चेष्टा करेंगे।

माननीय सभापति महोदय, इसका इनके पास में कोई जवाब नहीं है। आपने पिछली बार शिक्षा को बजट समर्पित किया था। क्या एक बार में कुछ पैसा ज्यादा देने से सारे राजस्थान में शिक्षा की जो कमी थी वह पूरी हो गयी? स्कूलों की कमी थी वह पूरी हो गयी, मास्टरों की कमी थी वह पूरी हो गयी? एक-एक मास्टर डेढ़-डेढ़ सौ बच्चों को पढ़ा रहा है। पोस्टें क्रिएट हो गयीं। हां ठीक है? पिछली साल आपने स्कूल खोले, कुछ जगह पर उसकी राहत मिली लेकिन मैं निवेदन करना चाहती हूं कि आप इस तरह की व्यवस्था कीजिये कि कम से कम एक किलोमीटर डेढ़ किलोमीटर के अन्दर सौ-डेढ़ सौ की आबादी, 30-40 बच्चे जहां पढ़ने वाले हों, ऐसा कोई एरिया नहीं बचेगा जहां पर प्राथमिक शाला नहीं हो, ऐसा कोई एरिया नहीं बचेगा जहां 2 किलोमीटर की दूरी पर या 3 किलोमीटर की दूरी पर मिडल स्कूल नहीं हो, जहां हर एक पंचायत मुख्यालय पर बच्चों के

(श्रीमती कमला)

अपर-प्राइमरी स्कूल नहीं हो, जहां 4-5 विद्यालयों के बीच में एक कन्याओं का सैकेण्डरी स्कूल नहीं हो और एक पंचायत समिति क्षेत्र में कम से कम एक कन्या सैकेण्डरी स्कूल के साथ एक हॉस्टल नहीं हो। इस तरह का कुछ विवरण आप तैयार करिये तो जनसंख्या भी कवर होगी तो आपका एरिया भी कवर होगा और आप कुछ कह सकेंगे कि आज के दिन हम इतनी जनसंख्या को इस हद तक कवर कर पाये हैं। उसके बिना अभी भी बहुत सारी दिक्कतें हैं। मेरे इलाके में पिछली बार में कुछ स्कूलें खोलीं उनके लिए तो मैं आभारी हूं, खास तौर से जो लड़कियों का सीनियर हायर सैकेण्डरी स्कूल खोला उसके लिए मंत्रीजी का बहुत आभार प्रकट करना चाहती हूं लेकिन उसके अलावा भी बाकी स्कूलें कहां गयीं? प्राथमिक शाला दोनों पंचायत समितियों में एक या दो के अलावा कोई भी नहीं जब कि पिछले साल जो हमने मांग की थी वह उनकी मांग की थी कि 72 स्कूलें दोनों पंचायत समितियों में चार वर्ष पहले बन्द कर दी गयी थीं आज इनमें से 20–25 बच्चियों की हैं इनको तो आप कम से कम खोल दें जो चालू थीं और बन्द कर दी गयीं, उनका भी नम्बर नहीं आया। पंचायत राज मंत्रीजी ने खोल दी हैं या खोलनी बाकी हैं मुझे इसकी जानकारी नहीं है। इस नये बजट के अन्दर संस्कृत शिक्षा का और बालिका शिक्षा का कोई उल्लेख नहीं किया इसलिए इसमें निश्चित रूप से उल्लेख करना चाहिए था कि बालिकाओं की कौन-कौन-सी किस-किस स्तर की स्कूलें होंगी, संस्कृत की कौन-कौन सी स्कूलें होंगी, किस तरह की होंगी। पिछले साल में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने एक करोड़ रुपये संस्कृत शोध संस्थान को देने की घोषणा की थी। उसमें उल्लेख था, उसकी एकाध मीटिंग भी हुई लेकिन वह पूरा सत्र निकल गया उसके ऊपर कुछ भी न फैसला हुआ, न कोई उसका कार्य प्रारम्भ हुआ, न उसकी जमीन ली गयी, न उसके नक्शे बने, न कुछ आगे चलने का काम हुआ। इसके लिए मेरा निवेदन है कि हम निश्चित रूप से इन संस्थाओं को किस-किस स्तर पर कायम कर सकेंगे कि इतनी दूरी में कोई बच्चा हमारा बिना पढ़े लिखे नहीं रह पायेगा, स्कूल गोइंग सब बच्चे एक-डेढ़ किलोमीटर के अन्दर स्कूल जाने की स्थिति में होंगे। इस तरह का कुछ प्रोग्राम वहां बने। तकनीकी शिक्षा के बारे में मेरा निवेदन है....

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्रीमती कमला : तकनीकी शिक्षा के बारे में मेरा निवेदन है, माननीय सभापति महोदय,....

श्रीमती तारा भण्डारी : 40 साल का अधूरा कार्य एक साल में पूरा करना चाहती है, कैसे होगा?

श्रीमती कमला : बिराजें। जब मैं कभी नहीं बोली इतने समय तक तब तो, आपने नहीं कहा कमला जी आप भी बोल लो।

हमारे यहां पर टूरिज्म, ट्रेनिंग सेंटर चलते हैं, हमारे यहां पर आई. टी. आई. के सेंटर्स चलते हैं, हमारे यहां पोलिटेक्निक्स चलते हैं, इन संस्थाओं में हजारों-हजारों

(श्रीमती कमला)

बच्चे ट्रेनिंग लेकर निकलते हैं लेकिन उनका सैल्फ एम्प्लायमेंट, सैल्फ एस्टेब्लिशमेंट का हमने कोई इंतजाम नहीं कर रखा है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इन ट्राइसम स्कूल के अन्दर, आई. टी. आई. के अन्दर, पोलिटेक्निक्स के अन्दर ट्रेनिंग समाप्त होने से एक महीने पहले वह ट्रेंड बच्चा कहां पर जाकर क्या काम करेगा उसके लिए उसकी योजना बनायी जाए और जहां वह सेटल हो वहां के तहसीलदार को, वहां के लीड बैंक को, वहां के उद्योग केन्द्र को, वहां के रॉ-मेटीरियल देने वाली और मार्केटिंग कराने वाली एजेंसीज को बैठाकर सेंटर से निकलने से पहले ही उस बच्चे की ट्रेनिंग को हमें इस लायक बनाना चाहिए कि वह सेल्फ एम्प्लायमेंट के लिए तैयार हो सके। यह डिटेल्स और सूक्ष्म डिटेल्स जब तक हम इन बच्चों को नहीं देंगे वह बच्चे आपके सर्टिफिकेट लेकर सरकार के दरवाजे पर हमेशा दस्तक देते रहेंगे और कोई एम्प्लायमेंट उनको नहीं मिल पाएगा। इसलिए यह जो बारीकियां हैं वह आज हमारी नीतियों को फैल कर रही हैं हम ब्रॉड गाइडलाइंस और पॉलिसीज तय कर देते हैं लेकिन उनको लागू करने के लिए जो फोलो-अप होना चाहिए, उसका इवेल्यूएशन होना चाहिए वह हम नहीं करते इसलिए यह सारी की सारी कमियां रह रही हैं, उनका कोई उपयोग नहीं हो रहा है।

माननीय सभापति महोदय, मैं विद्युत के बारे में ज्यादा नहीं कहूंगी, क्योंकि उसकी चर्चा होने वाली है। सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूं कि विद्युत के मामले में इस बार जिस तरह की किसानों को तकलीफ हुई है, अगर दो बार इन्द्र भगवान की कृपा नहीं होती तो शायद इतनी सी फसल भी न होकर उनकी सारी फसल खत्म हो जाती और हमें भयंकर संकट से गुजरना पड़ता। यह हम आगे कभी जब चर्चा होगी तब कहूंगी।

कृषि के बारे में खास तौर से मैं दो तीन बातें कहना चाहती हूं। एक सवाल के जवाब में माननीय कृषि मंत्री महोदय ने अपनी बहुत सारी भावी योजनाएं बतायीं। मैं आपसे एक ही बात पूछना चाहती हूं कि खनिज नीति बन गयी, सड़क नीति बन गयी और न मालूम कितनी नीतियां बन रही हैं, यह कृषि नीति सबसे बाद में क्यों बनेगी? आप कृषि नीति को जल्दी से जल्दी बनाने की चेष्टा करिये और मेहरबानी करके जिस तरह से आपने यह नीतियां बनायी हैं दूसरे पक्ष के लोगों को बिना विश्वास में लिये, बिना उनसे चर्चा किये उस तरह से कृषि नीति को न बनायें। आप दूसरे पक्षों को, जो अच्छे किसान तबके के लोग हैं उन लोगों को भी इसमें शामिल करके एक अच्छी, व्यावहारिक और राजस्थान को उन्नतिशील बनाने वाली नीति का निर्माण करें। लेकिन फिर भी मुझे दो-तीन बातें कहनी हैं। पहली बात आपको यह कहना चाहती हूं कि आपने यह जो जिक्र किया कि किसान आज कितना फल पैदा कर रहा है, आज कितनी सब्जी पैदा कर रहा है, आज कितना फूड पैदा कर रहा है लेकिन यह सारा पेरिशेबल कमोडिटी है इसको लेकर सुबह से शाम तक किसान टोकरी लिये खड़ा रहता है

(श्रीमती कमला)

चाहे बरसात बरसती हो, चाहे धूप पड़ती हो, चाहे सर्दी पड़ती है। ट्रक वाले आते हैं और कौड़ी के दाम देकर उनको छोड़कर चले जाते हैं, थोड़ा बहुत पैसा देकर। मेरा आपसे निवेदन है और मैंने केन्द्र के मंत्री महोदय से भी निवेदन किया कि आप प्राइवेट सैक्टर को ही बोल दीजिये कि वह जगह-जगह पर इस तरह से शेड्स बनाये जहां उनको खड़ा रहने को जगह हो। इस तरह के पैकिंग के साधन जुटायें जहां वह अपने सामान की ग्रेडिंग करके, उसकी पैकिंग करा सकें और इस तरह की डोमेस्टिक मार्केटिंग और फोरेन मार्केटिंग के लिए एजेंसीज का उनसे लायजन बैठायें जिससे कि उनकी इतनी मेहनत से तैयार की हुई वह चीजें खतम न हों और उनको आगे आने का मौका मिले, उनको अच्छी कीमत मिले, राजस्थान में अच्छा धनधान्य-पूर्ण इंतजाम हो, इस बारे में आपको कार्य-वाही करनी चाहिए। आप नहीं कर सकते तो प्राइवेट एजेंसीज को आमंत्रित करिये, आप विज्ञापन निकालिये, उनको आप इन्वाइट करिये ताकि लोगों का जो शोषण हो रहा है वह बन्द हो सके।

इसके साथ मैं आपसे कहना चाहती हूं कि आपके इस बजट भाषण में कोई एग्रो-इण्डस्ट्रीज होगी या नहीं होगी, एग्रो-बेस्ड इण्डस्ट्रीज कौन-कौन सी किस-किस एरिया में बनायी जाएंगी, उन पर हम कितना खर्चा करेंगे, उसका कोई उल्लेख नहीं है। इसी तरह से एग्रो-बेस्ड प्रोसेसिंग यूनिट्स का कोई उल्लेख नहीं है। कृषि महकमे को तो दो चार लाइन के अन्दर आपने कहकर समाप्त कर दिया न उसके प्रोडक्शन टार्गेट्स हैं, न उसके इनपुट्स टार्गेट्स हैं न उसके भण्डारण के टार्गेट्स हैं। आप आज किसान को उपज का समर्थन मूल्य देना चाहते हैं, उस सम्बन्ध में गवर्नमेंट की तरफ से नीति निर्धारित है कि जब भी फसल निकल कर आएगी, किसान को भण्डारण सुविधा होगी, उसके पेटे बैंकों से प्लेज रख कर लोन मिलेगा और वह प्लेज लोन जब आप उपलब्ध करा देंगे, जब अच्छी रेट बाजार से इसे मिलती होगी उस वक्त उसे वह निकालकर बेचे लेकिन आज भण्डारण व्यवस्था और बैंकिंग का कोई लिंकेज नहीं है। सरकार को चाहिए कि वह भण्डारण और बैंक प्लेज का सम्बन्ध बिठाये जिससे किसान बिना अपनी जरूरत के अपनी उपज को कम कीमत पर न बेचे और भण्डारण के माध्यम से जब समय आए तो अपनी फसलों को बेचे। उस बीच में आप जो समर्थन मूल्य देना चाहते हैं दे दें। चाहे कांग्रेस का जमाना था और चाहे आज का जमाना है। हम यह बात उस वक्त भी कहते थे और आज भी वही बात मैं कहना चाहती हूं कि जब फसल निकलने को होती है उसके एक महीने पहले अगर आप पर्चेज सैंटर्स कायम नहीं करते हैं तो उसका लाभ किसान को नहीं मिलता हैं, उसका लाभ किसान को न मिलकर के व्यापारी को मिलता है, बिचौलिये को मिलता है और हम शाबाशी दे देते हैं कि हमने इतना समर्थन मूल्य दिया। किसको दिया? किसान को नहीं व्यापारी को दिया। इसलिए इस सारी स्थिति को हमें सुधारना पड़ेगा और उसके मुताबिक काम करना पड़ेगा।

पशु पालन का तो इसमें कहीं नाम ही

(श्रीमती कमला)

नहीं है। हमने एक भी पशु चिकित्सालय का नाम नहीं लिया कि हम राजस्थान में खोलेंगे। क्या राजस्थान के सब पशु स्वस्थ हो गये, क्या राजस्थान से सब पशु चले गये या जरूरत ही नहीं है ? इसलिए इसको भी देखने की जरूरत है। सहकारिता तो हमने ऐसी टाली....

श्री सभापति : माननीय सदस्य समाप्त करें। कृपया आप समाप्त करें।

श्रीमती कमला : कर रही हूं लेकिन जरा दो बातें कह लूं पहले।

श्री सभापति : श्री वी. पी. सिंहजी।

श्रीमती कमला : मैं कहूंगी साहब। हमने सहकारिता को तो ऐसे कर दिया कि उसने हमको इतने लाख का चैक दिया, इतने में सहकारिता हो गयी।

श्री सभापति : श्री वी. पी. सिंहजी। कृपया आप समाप्त करें।

श्रीमती कमला : नहीं, अभी नहीं कर पाऊंगी।

श्री सभापति : आपका समय बहुत हो गया।

श्रीमती कमला : प्लीज। मैं सहकारिता मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहती हूं और मैंने माननीय मुख्य मंत्री महोदय को लिखकर के भी दिया है। पिछली बार भी दिया था, अभी फिर उसका रिमाइंडर दिया है कि जिस तरह से पंचायत राज और नगरपालिकाओं में महिलाओं का एक तिहाई आरक्षण किया गया है उसी प्रकार से सभी स्तर की सभी सहकारी समितियों के संचालक मण्डलों में महिलाओं का एक तिहाई आरक्षण किया जाए। भारत सरकार का अन्य राज्यों की सरकारें करें या न करें लेकिन आप राजस्थान में इसको करके दिखायें तो सहकारिता के क्षेत्र में भी हम बड़े पैमाने पर महिलाओं का इन्वाल्वमेंट कर सकेंगे।

सिंचाई और बाढ़ नियन्त्रण में, बांध ऐसे टूटे पड़े हैं कि उसमें कोई काम नहीं है। जवाब उसका जरूर आ जाता है लेकिन कार्यवाही जो बहुत उचित होनी चाहिए वह नहीं हो पायी है। ग्रामीण विकास और पंचायती राज, इस पर मैं थोड़ा-सा कहना जरूरी समझती हूं। माननीय सभापति महोदय, दोनों पक्षों से....

श्री सभापति : माननीय सदस्या, आप प्रतिपक्ष का पूरा समय ले रही हैं। प्रतिपक्ष के माननीय नेता महोदय को बोलना बाकी है अभी, अन्य सदस्यों को भी बोलना है। इसलिए कृपया आप एक मिनट में समाप्त करें।

श्रीमती कमला : ऐसा है, श्रीमन्, ये बजट छोटा-सा रखते तो मैं भी छोटा ही बोल देती लेकिन बजट में जो आइटम्स हैं उन पर 2-2 लाइन तो कम से कम बोलूंगी, जो मेरी रुचि की हैं। पंचायती राज के बारे में वह पक्ष कहता है हम जीत गये, हम पहले शहरों तक थे अब हम गांवों में घुस आए और हम कहते हैं नहीं, आपने धांधलेबाजी से जीत लिया। हम जीते हैं, कौन जीता,

(श्रीमती कमला)

कौन हारा, सभापति महोदय, कोई नहीं जीता; दोनों जने हारे हैं और जनता भी हारी है। मैं कहना चाहती हूं कि पंचायती राज और स्वायत्तशासी संस्थाएं लोकतंत्र में इसलिए कायम की जाती हैं कि हम स्थानीय लोकतंत्र पैदा करें, जो साहसी हों, जो विचारवान हों, जो सोच वाले हों, कर्मठ हों और ईमानदारी और निष्ठा के साथ में, चाहे देहाती क्षेत्र हो और चाहे शहरी क्षेत्र हो उसमें दबंग होकर के अपने क्षेत्रों में काम करें, काबलियत से करें, कुशलता से करें, ईमानदारी से करें, जो देश की समूची जनता को उठाकर एक कुशल नेतृत्व देने के लिये कार्य करे। मैं सत्तापक्ष से पूछना चाहती हूं कि आपने यह गिनती तो गिन ली कि बी.जे.पी. के इतने पंच आ गये, इतने सरपंच आ गये, इतने प्रधान और प्रमुख आ गये। लेकिन आपने यह गिनती गिनी क्या कि वह जो आए हैं उनके आचरण को बनाये रखने के लिए या और ऊंचा उठाने के लिए या उनके नेतृत्व को निखारने के लिए कोई काम किया या उसको गिराने के लिये काम किया? आज हमारे तमाम ग्रामीण क्षेत्र का नेतृत्व या तो प्रशासनिक मशीनरी के नीचे दबा हुआ रहा या एक माहौल के नीचे दबा रहा या शराब की दुकानों के नीचे दबा रहा। हम लोगों ने जिस तरह का दृश्य देखा, आपने और हमने सबने तो लगता है कि लोकतंत्र को सबल और सुदृढ़ बनाने के बजाय, एक अच्छा नेतृत्व वहां पर देने के बजाय उनको नीचे लाने की चेष्टा की है। अगर किसी क्षेत्र का कार्यकर्ता 40 डिग्री इंटिग्रिटी का था तो उसको हमने धीरे-धीरे खतम करके 15 डिग्री पर ला दिया, कोई 15 डिग्री का था उसको जीरो डिग्री पर लाकर रख दिया। किसी न किसी तरह से हमने यह नेतृत्व बनाने की जिम्मेदारी, हमारी पोलिटिकल पार्टियों की संख्याओं की गिनती गिनने की नहीं है। Political parties are to educate the people. उनको इस बात के लिए तैयार करना चाहिए कि लोकतंत्र किस तरह से चलाया जाएगा, कैसे चलाया जाएगा। वह हमने नहीं किया। आपने तो सत्ता के जोर से उसको दबाया और हम उसको रोक नहीं सके इसलिये हम विफल रहे। हमारा जो आन्दोलन होना चाहिए था उसको रेजिस्ट करना चाहिए था, इस तरह की हरकतों को रोकना चाहिए था, वह हम नहीं रोक पाए। इसलिए हम भी विफल हुए कि हम अपने लोगों को सत्ता के साथ नहीं खड़ा कर सके और आपने तो सफाचट ही कर दिया कि हमको तो सीट चाहिए चाहे कैसे भी हो, येन-केन प्रकारेण। इसलिए पंचायती राज का जो हम दमखम भरते हैं। जिस उसूल के साथ पंचायती राज लोकतंत्र और विकेन्द्रीकरण का मुद्दा देश में आया था उसको हमने बदशक्ल बनाया है। उसके लिए हम सबको शर्मिन्दा होना चाहिए और अब चेष्टा यह करनी चाहिए कि जो लोग भी उभर कर आये हैं उन्हें निश्चित रूप से काम करने का मौका दें, स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ने का मौका दें तभी हम कह सकेंगे कि जो ग्रामीण क्षेत्र के काम हैं उनका अगर आप अंदाज लगाएं तो आज जो डवलपमेंट पर खर्चा बताते हैं उसको देख कर के आपको आश्चर्य होगा। आपने जितनी योजनाएं दे रखी हैं उनकी जांच करवाएं, उनका मूल्यांकन करवाएं कि कितने मकान बने, कितने खुरें बने हैं,

(श्रीमती कमला)

कितनी नालियां बनी हैं, कितने स्कूल बने हैं, तो आप देखते रह जाएंगे कि हिसाब कुछ और है और धरती पर कुछ और है। इसलिए इन चीजों का मूल्यांकन करवाने की भी आपको चेष्टा करनी चाहिए जिससे कि आप यह कह सकें कि सचमुच में हम पंचायती राज के पक्षधर हैं। ग्रामीण क्षेत्रों को स्वतंत्र इकाइयां मानते हुए उनको काम करने का अधिकार को देना हम मानते हैं। अब उसके बाद में समय कम है वरना मैं बताना चाहती हूं कि आज का पंचायती राज एक्ट, उसके रूल्स और जो संविधान संशोधन हुआ है उसमें इतनी खामियां हैं, जिन्हें हमें बैठकर के विचार करके ठीक करने की चेष्टा करनी चाहिये। सीधे चुनाव होने चाहिये सरपंच, प्रधान और प्रमुख के। पहले सौ-सौ, डेढ़-डेढ़ सौ आदमियों के होते थे, अब 12–12 आदमियों को ले जाकर के हमने क्या सुधार किया? हमने लाटरी लगा दी। जहां वोट नहीं वहां भी लाटरी से लोग आ रहे हैं, महिलाओं के लिए भी लाटरी कायम कर दी। हमने कहा था गांव का आदमी साधारण होता है। अब प्रधान का और प्रमुख का एक साथ चुनाव करवाना चाहते हैं। एक बैलट पेपर पहले दीजिये फिर दूसरा बैलट पेपर बाद में दीजिये। आपने दोनों एक साथ दे दिये और कह दिया कोई बात नहीं, चाहे ठप्पा लगा दो, चाहे अंगूठा लगा दो। कितने बैलट पेपर खारिज हुए हैं। लोगों ने दोनों पन्ने एक साथ, किसी ने खाली छोड़ दिया। जैसी जनता है, जैसा उसका स्तर है, उसके मुताबिक आपको व्यवस्थायें करनी चाहिए कि लोग सहजता से और सही ढंग से अपने वोट का उपयोग कर सकते थे। बहुत कमियां हैं जिन्हें हमें आगे निकालने की जरूरत है।

श्री सभापति : श्री वी.पी. सिंह।

श्रीमती कमला : बस एक-दो और। मैं सिर्फ चिकित्सा के बारे में, जो समर्पित है....

एक माननीय सदस्य : अब तो रहम कीजिये।

श्रीमती कमला : सिर्फ एक बात आखिर में कहना चाहती हूं, माननीय सभापति महोदय, इस साल का बजट चिकित्सा और स्वास्थ्य को समर्पित है। मेरा मंत्री महोदय से यह निवेदन है कि आपने पिछले साल कहां-कहां, किस-किस क्षेत्र में क्या-क्या सुविधाएं प्रदान की हैं वह तो मुझको नहीं मालूम लेकिन मैं आपसे यह जरूर निवेदन करना चाहती हूं, मेरा फिर से आपसे निवेदन है कि आप पापुलेशन के आधार पर व्यवस्थाएं कायम करने की चेष्टा करें। क्योंकि जो संख्याएं आप लाते हैं वह एक जगह खूब दे दें और दूसरी जगह कम दे दें, तो उससे आपका जो फार्मूला है सबको स्वास्थ्य पहुंचाने का सन् दो हजार तक, भारत सरकार का भी और राज्य सरकारों का भी, वह पूरा नहीं होगा। मेरे यहां पिछले सालों से, माननीय सभापति महोदय, यह दो मुद्दे मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय के नोटिस में लाना चाहती हूं कि 1989 में होली के दिन एक रेफरल अस्पताल खुला था, वह रेफरल अस्पताल चालू हो गया, डाक्टर वगैरह काम करने लग गये और उसके बाद में उसको बाकायदा सरकार ने, दूसरी सरकार आयी, उसने बाकायदा

(श्रीमती कमला)

आदेश करके उसको खतम कर दिया। लोग वहां स्टे-आर्डर ले आए। कोर्ट से वहां स्टे आर्डर आने के बाद वहां की सारी पोस्टें अबोलिश हो गयीं। उसके बाद दो साल तक हमने कुछ नहीं किया। ठीक है भाई, अब कर दिया, नयी सरकार आ गयी। फिर एक दिन पूरा डेपुटेशन उस इलाके का माननीय मंत्री महोदय से मिला। उन्होंने कहा साहब, तीन डाक्टर थे एक भी डाक्टर नहीं, कम्पाउण्डर नहीं है। आपने कहा था कि एक महीने के अन्दर एक नहीं तीन-तीन डाक्टर वापस चले जाएंगे। नहीं, फिर जब ओलावृष्टि हुई, माननीय मुख्य मंत्रीजी मेरे इलाके में गये, उसी गांव में गये तो उस वक्त सारे गांव वालों ने रिक्वेस्ट की, उन्होंने यह कहा था कि जल्दी ही आपके यहां डाक्टर भेज देंगे। बाद में, माननीय सभापति महोदय, पता लगा कि वहां तो पे-आर्डर के बावजूद पोस्ट ही सारी अबोलिश हुई पड़ी हैं। इस बारे में मैंने मंत्रीजी को माननीय मुख्य मंत्रीजी को भी अभी सात-आठ महीने पहले फिर चिट्ठी लिखी कि वहां जानकारी करने पर स्थिति यह निकली कि वहां पोस्ट ही नहीं है इसलिए मेहरबानी करके आप नये खोलें वे तो खोलें लेकिन जो खुले हुए थे और जिस पर ताला पड़ा हुआ है, उसको तो चालू करें। इसी तरह से मनोहरपुर में एक मातृ शिशु चिकित्सा केन्द्र है। उस चिकित्सा केन्द्र पर चार वर्ष से ताला लगा हुआ है और वह बाकायदा आर्डर के मुताबिक कायम है। लेकिन उसमें सामान बन्द है, पंखे बन्द हैं, तमाम चीजें बन्द हैं, ताला लगा हुआ है और बीच में जब आपके शासन के दौरान यह चला कि आप इसमें और कमरे जोड़ो, तो मकान मालिक ने और कमरे जोड़ दिये, उसके बाद भी आज तक वहां ताला लगा हुआ है, तो उसको भी खुलवाइये। मातृ शिशु चिकित्सा केन्द्र तो वैसे ही राज्य में बहुत कम हैं और कहीं कायम हो गया है तो मेहरबानी करके उसको खुलवाने की चेष्टा करें। हम लोग जहां रह रहे हैं, मालवीय नगर में 30 हजार की आबादी है....

श्री सभापति : माननीय वी.पी. सिंह जी, आप बोलिये ना। आप समाप्त करिये।

श्रीमती कमला : बस यह आखरी मुद्दा है।

श्री सभापति : आप कृपया समाप्त करिये।

श्रीमती कमला : 30 हजार की आबादी में हम रह रहे हैं....

श्री सभापति : आप समाप्त करिये।

श्रीमती कमला : 30 हजार की आबादी में एक डिस्पेंसरी तक नहीं है। मैंने माननीय सदस्य श्री कालीचरण जी से भी निवेदन किया, एक सदस्य दूसरे सदस्य से प्रार्थना कर रहा है, कम से कम एक दो डिस्पेंसरी खुलवाइये....

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : सभापति महोदय, आपने मेरा नाम पुकारा है, मैं शुरू कर रहा हूं....(व्यवधान)

श्रीमती कमला : इसलिए मेरा एक निवेदन है कि आपका चिकित्सा सुविधाओं को समर्पित बजट है, तो उसका आबादी के

(118)

(श्रीमती कमला)

तौर पर एक फार्मूला बना कर, उसके सन्दर्भ में अगर इनका फैलाव करेंगे, तो मैं समझती हूं कि आप काफी कुछ जनता को दे पायेंगे और उससे सबको लाभ होगा .. (व्यवधान)

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : 27 तारीख को मुख्य मंत्रीजी ने, जो वित्त मंत्री भी हैं, बजट पेश किया, मैं उसका अनुमोदन करने के लिए कुछ बातें रखना चाहता हूं और....(व्यवधान)....

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्रीमती कमला : अन्त में सिर्फ पर्यावरण के बारे में दो शब्द कहना चाहती हूं।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : हमारे प्रतिपक्ष से बैदजी ने....(व्यवधान)....

श्रीमती कमला : पर्यावरण चाहे छोटा सा शब्द आपको लग रहा होगा लेकिन आज जिस तरह की दुर्गति इंसानों की अपने रहने के स्थानों पर हो रही है और जिस तरह से बेतहाशा इसको लापरवाही से देखा जा रहा है, वह हमारे समाज के लिए घोर चिन्ता का विषय है। जिस तरह गाड़ियां धुआं फेंकती जा रही हैं, कोई नहीं रोक रहा है, जिस तरह से फैक्ट्रीज अपना गंदा पानी नदी-नालों में फेंक रहीं है, उनको भी कोई नहीं रोक रहा और जिस तरह का ध्वनि प्रदूषण हो रहा है उसको भी कोई नहीं रोक रहा है। मेरा निवेदन है कि मेहरबानी करके इस तरफ कुछ गम्भीरता से ध्यान दें और इस राज्य सरकार के माध्यम से इस राज्य के लोगों को जो तकलीफें हैं, उनके निराकरण की ज्यादा से ज्यादा चेष्टा करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देती हूं।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : मुझे खुशी है कि मैडम ने अब मुझे भी टाइम दिया है.... (व्यवधान)....मैडम ने दिया है, सभापति ने तो दिया ही है। बजट पर हमारे माननीय चन्दन मलजी बैद ने जो बात कही और ज्यादातर डिस्कशन बजट पर इस बात का हुआ कि डेफिसिट बजट अच्छा बजट होता है या नहीं। क्या ट्रैंड सेट हुआ था? बैद साहब जब वित्त मंत्री थे उन्होंने शुरू किया और डेफिसिट बजट जो आज एक ट्रैंड बन गया है, नेशनल लेवल पर भी थोड़े दिन पहले जब श्री मनमोहनसिंहजी ने बजट पेश किया...

श्री सभापति : थोड़ा आप ध्यान रखें, दस मिनट का समय मिला है।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : 25 मिनट तो वहां मेरे खतम हो गये। मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि अभी-अभी मैडम बात कर रही थीं सोशलिज्म की। शुरूआत मैं सोशलिज्म से ही करता हूं और जो सोशलिज्म का सबसे बड़ा देश, जिसने सोशलिज्म को आगे बढ़ावा दिया वह यू.एस.एस.आर. था और आज उसकी क्या स्थिति रह गयी है? आप जानते हैं, मैं यह नहीं कहना चाह रहा हूं....(व्यवधान)....

श्री राजेन्द्र पारीक : आप इंडिया से शुरू करें।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : मैं पहले से ही कर रहा हूं, आप सुनें तो सही। पहले ही टाइम की कमी है, मुझे पहले ही टाइम

(विजयेन्द्रपाल सिंह)

की कमी है। जो बात हम लोगों ने.... (व्यवधान)....

श्री सभापति : कृपया व्यवधान नहीं डालें, इससे समय का दुरुपयोग होता है।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : सोशलिज्म से की है, आप एक मिनट सुनें तो सही। मैं आपके माध्यम से निवेदन कर रहा था कि ..

श्री परसादीलाल मीणा : यहां बजट में क्या लिखा है ?

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : सोशलिज्म की बात सही है और पंडित नेहरूजी जब हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने जो सोशलिस्टिक पैटर्न, सोसायटी हमें दी और उसी के कारण जो पी. एस. ईज. हैं, आज कांग्रेस की नीति है, उसको भूल जाना और प्राइवेटाइजेशन कैपिटलिज्म के रास्ते में आना। मेरा निवेदन है कि आज दो-तीन बात बजट पर, और सबसे बड़ा जो मुद्दा है, लिबरलाइजेशन और सोशलिज्म का इसके बारे में मैं आपसे निवेदन करूं कि अभी-अभी बेनजीर भुट्टो अमरीका गयीं और....(व्यवधान)....

श्री राजेन्द्र पारीक : फिर यह अमरीका चले गये।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : और हुआ क्या ? हमने सोशलिस्टिक पैटर्न पर रहकर रशिया का साथ दिया उस वक्त नेहरूजी ने रशिया का साथ दिया और पाकिस्तान उस वक्त अमरीका के साथ रहा। आज लिबरलाइजेशन के कारण इतने चेंजेज क्यों आ गये हैं ? अमरीका की पालिसी में इतना चेंज क्यों आ गया है कि आज बेनजीर भुट्टो वहां पर जायें और वहां पर उनका इंट्रोडक्शन एक बड़े....

श्री राजेन्द्र पारीक : वहां पर इनको भेजिये....(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : वहां पर कोई स्वागत होता तो आप खुद ही चले जाते... (व्यवधान)

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : वहां पर एक बहुत बड़े समारोह के अन्दर उनका इंट्रोडक्शन बेनजीर भुट्टो का हुआ, मैं अमरीका की थ्योरी के बारे में बात कर रहा हूं, तो वहां के एक सीनेटर थे, उन्होंने बेनजीर भुट्टो को प्राइम-मिनिस्टर आफ इंडिया कहा और फिर उन्होंने यह कहा कि मैंने सोचा था कि वे हिन्दुस्तान की ही बात करती हैं तो हिन्दुस्तान की ही प्राइम-मिनिस्टर होंगी। यह अमरीका, जो हम सोचते हैं कि हमें आगे रास्ते पर डब्ल्यू. टी. ओ. का और गैट का ले जायेंगे, यह हाल वहां के सीनेटर का है....(व्यवधान) बात तो सुन लीजिये आप। आज लिबरलाइजेशन की जो बात ज्यादा आ रही है, उसके बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बी. जे. पी. ने एक बात रखी है "स्वदेशी" की और "स्वदेशी" का मतलब कभी यह नहीं है कि हम इण्डस्ट्री को पनपाने के लिए कैपिटलिज्म का रास्ता अपनाते रहें। इसका मतलब एक ही है कि जितने एम. एन. सीज. आ रहे हैं उन पर एक नियंत्रण किया जाए और नियंत्रण इसलिये किया जाए कि जिन कंजूमर आइटम्स में वह आ रहे हैं, डिब्बों में उनको बंद करके, जैसा

(श्री विजयेन्द्रपाल सिंह)

भामड़ा साहब ने कहा, इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट के अन्दर वे लोग आगे आयें और उसी से देश के अन्दर ज्यादा इण्डस्ट्रीज आ सकती हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक किताब के अन्दर बहुत ही अच्छा–एम. एन. सीज. और एफ. डी. आईज. (फोरेन डाइरेक्ट इन्वेस्टमेंट) पर उन्होंने एक किताब लिखी है, उसका हवाला देते हुये मैं यह कहता हूं :–

"...export oriented FDIs, in any significant measure So the author writes home the policy inference that merely encouraging the inflow of FDI is unlikely to bring modern advanced technology nor have long term balance of-payment benefits."

मतलब यह है कि आज अगर यह लोग हमारे को कोई कैसे सौंप दे या कोई ऐसी चीजें दें जिनसे हमें फायदा होने वाला नहीं है हमें जो फायदा होने वाला हैं, अगर हम इनको आमंत्रित करते हैं पॉवर सैक्टर के अन्दर रोड़ बनाने के लिए, इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट के लिए। मेरा निवेदन यह है कि आज इनको इंडिया केवल एक बहुत बड़ा मार्केट दिख रहा है, इसलिये वे लोग आ रहे हैं और इसलिए नहीं आ रहे हैं कि यहां पर इण्डस्ट्री लगाकर पीछे एक्सपोर्ट करे। आज जो भी आ रहा है वह इसलिए आ रहा है। जैसे आप देखें कि एम. एन. सीज, में जो बड़े-बड़े लोग आ रहे हैं और ऐसे-ऐसे फील्ड के अन्दर आ रहे हैं, जैसे पीजा बनाने के लिए आ रहे हैं, हेमबर्गर बनाने के लिए आ रहे हैं, मैकडोन, पीजा-हट, यह लोग आ रहे हैं। आजकल जो "जी" टी. वी. के अन्दर....

श्री जुबेर खान : पीजा क्या है ? हमें तो पता ही नहीं।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : आजकल "जी" टी. वी. पर सबसे ज्यादा जिसका एडवरटाइजमेंट हो रहा है, वह हो रहा है एक ब्रेकफास्ट के लिए 'कैलॉग", अब कैलॉग क्या होता है....(व्यवधान)....

श्री सभापति : कृपया बोलने दें।

श्री परसादीलाल मीणा : किस विषय पर बोल रहे हैं ?

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : आप मेरे को बोलने तो दो। मैं एम. एन. सीज. पर बोल रहा हूं।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : आपको पीजा खिला रहे हैं, हेमबर्गर खिला रहे हैं फिर भी आज जानते नहीं हैं।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : अगर आप जानते हों कि ब्रेकफास्ट के अन्दर अमरीका में सबसे बड़ा....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप यह भी बता दो कि पीजा खाने की चीज है या लगाने की चीज है ?

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : तो उनको क्यों आने दे रहे हैं ? "कैलॉग्स" जो एक ब्रेकफास्ट में खाने की चीज है। आज आप विचार करें (व्यवधान) आप ही मेरे को नहीं बोलने देंगे तो मैं कैसे बोलूंगा, सर। मैं दूसरी बात आपके सामने रखना

(श्री विजयेन्द्रपाल सिंह)

चाहता हूं (व्यवधान) कैलॉग्स की बात करनी है। (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : अब राजस्थान पर आ जाओ।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : आप लोगों ने तो मेरे को बिलकुल ही वह कर दिया।

आज आप विचार करें कि जितने भी एम. एन. सीज. आना चाह रहे हैं वह आर. एण्ड डी. (रिसर्च एण्ड डवलपमेंट) के लिए पैसा लेकर नहीं आयेंगे। वह तो अपने देश के अन्दर ही रिसर्च एण्ड डवलपमेंट करेंगे और यहां पर जो भी इण्डस्ट्री आप लगायेंगे वह एक्सपोर्ट ओरियण्टेड नहीं होगी। आप देखें कि जितने भी अमेरिकन एम. एन सीज. अभी तक बाहर गये हैं उन्होंने 90 बिलियन डालर आर. एण्ड डी. पर जो लगाया है वह अपने देश में लगाया है और खाली 7.9 बिलियन आउट साइड अमेरिका लगाया है, यह बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं।

मैं एक चीज और आपसे कहना चाहता हूं, मेरा एक निवेदन और है कि जैसे अभी बात कही पीजा, कैलॉग्स और इनकी, हमारे यहां पर आप ही विचार करें कि कोर्न कैलॉग्स एक खाने की चीज होती है, अमेरिका में ब्रेकफास्ट के अन्दर बहुत खाते हैं यहां नहीं खाते हैं। अपने तो दही और परांठा जैसी चीज मिल जाए तो कैलॉग्स कौन खायेगा। मैं आपको एक मजेदार बात बताना चाहता हूं। एक एम. एन. सीज. ने बहुत जबरदस्त रिसर्च कर के एक चीज सामने रखी कि....

श्री राजेन्द्र पारीक : एम. एन. सी. क्या है, यह तो बताओ।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : एक ही चीज उन्होंने सामने रखी और उन्होंने रिसर्च कर के देखा कि उसमें सब कुछ है, विटामिन्स भी हैं, न्यूट्रिशन भी है, सब है। और वह फूड डॉग के खाने के लिए बनाया था और हुआ यह कि जब वह बना तो रिसर्च एण्ड डवलपमेंट वालों ने कहा कि यह आइडियल फूड होगा, कुत्ते के खाने के लिए। और हुआ क्या? करोड़ों रुपये उन्होंने लगाये और जब वह कुत्ते के सामने रखा तो कुत्ते ने खाने के लिए मना कर दिया, मैं तो यह नहीं खाता। यही हाल हमारे यहां होने वाला है। यह कैलॉग्स अगर यहां आ गये तो हम तो दही-परांठा छोड़ने वाले नहीं हैं।

सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि मैं कुछ बात ट्यूरिज्म पर रखना चाहता हूं। ट्यूरिज्म राजस्थान के लिए सबसे बड़ी इण्डस्ट्री हो सकती है। यह इण्डस्ट्री है जो एक स्मोकलैस इण्डस्ट्री है और स्मोकलैस इण्डस्ट्री होते हुए, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अभी तक हिन्दुस्तान में इन्फ्रस्ट्रक्चर डवपलमेंट की बात करते हैं, बहुत सारे ट्यूरिस्ट आ रहे हैं, अभी तक हमारे यहां पर खाली 52,000 फर्स्ट क्लास कमरे हैं पर नाइट और एक ही शहर में, अमेरिका के अन्दर लास वेगास का नाम सुना होगा, वहां पर 90,000 कमरे हैं एक ही शहर के अन्दर।

श्री सभापति : माननीय वी. पी. सिंह जी. आप कृपया राजस्थान के बजट पर बोलिये ।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : मेरा यह निवेदन है कि डेफिसिट बजट पर बहुत सारी....

श्री खेतसिंह राठौड़ : लाल बेगास में केसिनो है यहां भी केसिनो शुरू करवा दीजिये । (व्यवधान) आपने कहा कि लास बेगास में इतने कमरे हैं राजस्थान में ट्यूरिज्म को बढ़ाने के लिए भी कुछ करना चाहिये, तो मैंने कहा कि लास बेगास जुए का अड्डा है और वहां केसिनो खूब चलता है, भैरोंसिंहजी को सलाह दीजिये कि वह यहां शुरू कर दें ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं तो इनका कहना मान लेऊंगा लेकिन आप उसके परमानेंट ग्राहक बनेंगे कि नहीं ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप शुरू करेंगे तो फिर बनना ही पड़ेगा ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : खेतसिंहजी अगर मंत्री होते तो जरूर ग्राहक बन जाते. अब तो नहीं बनेंगे ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : खेतसिंह के साथ बनवारीलालजी हैं, वह फाइनेंस करेंगे और यह खेलेंगे ।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : मेरा निवेदन है कि ट्यूरिज्म पर किसी ने ज्यादा नहीं कहा मैं दो-तीन बातें और रखना चाहता हूं । एक तो यह कि हमारी जो सड़क नीति बनायी गयी है और सड़क नीति के अन्दर बहुत सारी अच्छी बातें रखी हैं, मेरे को तो यही एक छोटी सी बात निवेदन करनी है कि इसको ट्यूरिज्म से कोआर्डिनेट कर के जब भी ट्यूरिस्ट कहीं से भी राजस्थान के अन्दर एण्टर होता है, जैसे दिल्ली से आया, हरियाणा होकर आता है या गुजरात से आये तो 15–20 माइल जब राजस्थान में आता है तो ऐसा लगे कि मैं बहुत बढ़िया प्रदेश के अन्दर आ रहा हूं । पर आज स्थिति यह है कि दिल्ली से आओ, हरियाणा की सड़क बहुत अच्छी, राजस्थान के अन्दर आते ही (व्यवधान) मैं तो अभी आया हूं एक हफ्ते पहले । और अहमदाबाद से आओ या आप माउण्टआबू से आओ तो सड़क इतनी खराब । इसलिए इतना तो आप कर दें कि 15/20 माइल राजस्थान (व्यवधान) मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि अभी-अभी पांच दिन की छुट्टी हो गयी....

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें ।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : एक ट्यूरिस्ट आता है और यहां पर जितने भी मोन्यूमेंट्स हैं वह 5 दिन तक बंद रहे । अब वह मोन्यूमेंट्स देखने आता है और आपने 5 दिन तक मोन्यूमेंट्स बन्द कर दिये, तो वह यहां क्या करने आया है ? तो इतना तो आप कर सकते हैं । दिल्ली के अन्दर मोन्यूमेंट्स बन्द नहीं और राजस्थान के अन्दर आया कि सब मोन्यूमेंट्स बन्द । इतना तो आप कर सकते हैं ।

मैं यहां आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जैसे पंचायत राज के इलेक्शन हुए और इलेक्शन टाइम के अन्दर उन्होंने 6 दिन तक ड्राइ डेज कर दिये, ठीक है ड्राई डेज होने चाहिए, साहब, सरपंच....

(श्री विजयेन्द्रपाल सिंह)

(व्यवधान)....मोदीजी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, एक मिनट आप मेरी बात सुन लें पहले। पंचायत राज पर बात नहीं कर रहा हूं, मैं कोई दूसरी बात कह रहा हूं। ड्राई डेज इन्होंने 6 दिन के रख लिए, अब कोई सरपंच को या पंच को फाइव स्टार होटल में जाकर तो दारू पिलाएगा नहीं। इसलिए उन लोगों को तो आप एग्जम्प्ट कर सकते थे कि जब टूरिस्ट बाहर से आया था। 6 दिन के लिये आप ड्राई डेज रख लें तो उनके लिये बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यह छोटी-छोटी ऐसी जो समस्याएं हैं। आप सोचते हैं कि सरपंच को ले जाकर मोदीजी दारू पिलायें और वह वोट दे देगा, ऐसा नहीं होता है। मैं एक चीज और निवेदन करना चाहता हूं....

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री खेतसिंह राठौड़ : बहुत ही मुद्दे की बात कह रहे हैं।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : ज्यादा समय नहीं है मेरे पास, मैं यही निवेदन करूंगा। कि जो बजट मुख्य मंत्रीजी ने पेश किया वह बहुत ही अच्छा है और जो पहले शिक्षा को डेडिकेट किया था और इस बार हमने हैल्थ पर डेडिकेट किया है। यह बहुत ही अच्छी बात है। यही निवेदन करता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : श्री आर. पी. शर्मा।

श्री आर. पी. शर्मा (भरतपुर) : माननीय सभापति महोदय, 27 मार्च, 1995 को माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो राजस्थान का 1995–96 का बजट प्रस्तुत किया था, राजस्थान प्रदेश की पूरी जनता और खास तौर से गरीब और कमजोर वर्ग के लोग यह आस लगाकर बैठे थे कि मुख्य मंत्री महोदय हमको किस दिशा में ले जाएंगे जिससे इस प्रदेश की तरक्की होगी, हमारा सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक जीवन स्तर ऊंचा होगा। लेकिन दुःख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि जब बजट को पढ़ा गया और जब बजट जनता के सामने आया तो ऐसे लगा जैसे एक कहावत है "खोदा पहाड़ निकली चुहिया"। मैं खास तौर से कहना चाहता हूं कि किसी बजट के बनाते वक्त माननीय मुख्य मंत्रीजी को, जो शासन में होते हैं, यह देखना चाहिए कि उस प्रदेश की बर्निंग समस्या क्या है, बर्निंग समस्याओं के समाधान के लिए राज्य सरकार क्या करना चाहती है और सामाजिक, आर्थिक और इस प्रदेश का राजनैतिक स्तर कैसे ऊंचा हो, उसके लिए प्रदेश के बजट बनाने की मुख्य भूमिका हुआ करती है।

मैं एक बात कहना चाहता हूं चूंकि माननीय मुख्य मंत्रीजी राजनीति में बहुत लम्बे अर्से से हैं, माननीय मुख्य मंत्रीजी आज अच्छी तरह जानते हैं कि राजस्थान का हर व्यक्ति इस बात से चिन्तित है कि पीने के पानी की समस्या, चाहे शहर हो, चाहे गांव हो, हर व्यक्ति इस बात से चिन्तित है कि आगे आने वाले समय में पीने का पानी राजस्थान में हमको मिलेगा या नहीं मिलेगा। पीने का पानी किस तरह का मिलेगा, हमारा जीवन स्वच्छ रहेगा या नहीं रहेगा। उसी तरह से ग्राम

(124)

(श्री आर. पी. शर्मा)

आदमी इस बात से भी चिन्तित है कि बिजली की आपूर्ति हमारे कल-कारखानों के लिये, हमारे कृषि क्षेत्र के लिये, हमारी सुख-सुविधाओं के लिये मिलेगी या नहीं मिलेगी। इन दो महत्वपूर्ण बातों को लेकर मेरा अपना मानना ऐसा है कि माननीय मुख्य मंत्रीजी को इन दो बातों पर बहुत जोर देना चाहिए था। लेकिन माननीय मुख्य मंत्रीजी ने पता नहीं किन सरकारी अफसरों के कहने से या किस तरह से इन दो बातों को महत्वपूर्ण स्थान नहीं दिया। उन्होंने स्थान दिया है स्वास्थ्य को।

इस मामले में एक बात और कहना चाहता हूं जैसा कि मैंने अभी कहा था कि रूरल वाटर सप्लाई, शायद मुख्य मंत्री अच्छी तरह जानते हैं, इसमें दो राय नहीं, इनको हर तरह का अनुभव है, रूरल वाटर सप्लाई में एक जमाना था जब लोग 10 फीट, 20 फीट गहरे पानी में से बाल्टी खींचकर पानी पी लिया करते थे। लेकिन आज समय ऐसा आ गया है कि गांवों में लोगों को पीने के पानी की बिल्कुल सुविधा नहीं है और साथ-साथ जानवरों को भी पीने का पानी नहीं है।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि भारत सरकार ने हमारी राजस्थान सरकार को इस बजट में 100 करोड़ रुपये दिये। मात्र उसी पैसे से राजस्थान सरकार पीने का पानी गांवों में सुधार करना चाहती है। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस बात पर गहराई से सोचकर गांवों के लिये पीने का पानी मिले इसके लिये आप इस बजट पर दुबारा पुनर्विचार करें, क्योंकि ग्रामीण जल की पूर्णरूप से उपेक्षा इस बजट में की गयी है।

दूसरी बात, जैसा कि मैंने अभी कहा था बिजली के लिए, मैं एक बात यह कहना चाहता हूं कि मुख्य मंत्रीजी ने बजट मे कहा है कि किसी भी बोर्ड का जब तक 3% मुनाफा नहीं होगा, उस बोर्ड को न तो ऋण मिलेगा, न आर्थिक सहायता मिलेगी। इसलिए हमको इस बात पर जोर देना चाहिए कि हमारा बोर्ड किसी तरह से प्रोफिट आए, हमारी इस प्रकार की भूमिका होनी चाहिए कि इस बोर्ड को कैसे प्रोफिट में लाए। मैं एक बात कहना चाहता हूं, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे यहां लाइन लोस 16% होना चाहिए लेकिन आज हमारे बिजली बोर्ड में 26% का लाइन लोस चल रहा है। 26% का मतलब 10% जो एक्स्ट्रा है, उससे एक हजार करोड़ का हमारा लाइन लोस जो हो रहा है, उसको हम किस तरह से कम कर सकते हैं, यह हमको प्रशासनिक तौर से देखना चाहिए। आज बिजली बोर्ड में किस तरह से भ्रष्टाचार व्याप्त है, किस तरह से बिजली बोर्ड में मिस-मैनेजमेंट है। इसको हमें कंट्रोल करके बिजली बोर्ड को किस तरह सुधार सकते हैं, इस बात पर हमको ध्यान देना चाहिए।

जैसा कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कहा है कि हम पावर जनरेशन के लिये विदेशी कम्पनियों से समझौता कर रहे हैं। मैं मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि आपने पूर्व में 10 साल पहले बिड़ला को भी एक लाइसेंस दिया था

(श्री आर. पी. शर्मा)

बिजली जनरेशन करने के लिये, लेकिन उन्होंने भी आज तक कोई कार्य प्रारम्भ नहीं किया है। राजस्थान की इस स्थिति को देखते हुये मुझे लगता नहीं है कि कोई विदेशी कम्पनी हमसे समझौता करे और हमारा जो विचार है कि बिजली में हमारा उद्धार हो जाएगा वह नहीं हो पायेगा। हो सकता है राजस्थान आगे आने वाले समय में अंधेरे में डूब जाए, हो सकता है हमारे कारखानों को जितनी बिजली चाहिए, आज की स्थिति वाले कारखानों को भी बिजली नहीं मिले, किसानों को बिजली नहीं मिले। इसलिये इस बात पर भी हमको पुनर्विचार करना होगा।

महोदय जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा राजस्थान, जिसकी आबादी 4 करोड़ 40 लाख है, उसमें 3 करोड़ 30 लाख व्यक्ति गांवों में रहते हैं और गांवों में किसान और कमजोर वर्ग के लोग रहते हैं। उसमें आप देखिये, कृषि के क्षेत्र में, प्लान में अगर देखेंगे तो 9.92% मात्र है, 100 में से 9.92% हमारा प्लान का खर्चा कृषि क्षेत्र में है। जहां की आबादी का 77% हिस्सा कृषि पर निर्भर रहता हो और कृषि के रहने के साथ-साथ हमारे और लोग भी कृषि पर आधारित हों, वहां प्लान में 9.92% का खर्चा कृषि पर लगाना मेरे हिसाब से कम है। क्योंकि जब तक हम कृषि के ऊपर अधिक खर्चा नहीं करेंगे, राजस्थान में अधिक उद्योग-धन्धे हैं नहीं, लोगों को रोजगार का कोई साधन मुहैया करा नहीं सकते तो हमको कृषि पर भी ध्यान देना होगा। यह मेरा आपसे निवेदन है। चूंकि राजस्थान सरकार ने कृषि पर ध्यान नहीं देकर किसी भी एक महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर राजस्थान सरकार इस बजट में नहीं चली है।

दूसरी बात, यहां बात चल रही थी उदारीकरण की। हमारे माननीय तिवाड़ी जी कह रहे थे कि उदारीकरण से ईस्ट इण्डिया कम्पनी आयी। ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने क्या किया? एक ओर तो आज हिन्दुस्तान में विचार चल रहा है, पूरे संसार में विचार चल रहा है कि किस तरह से व्यापार बढ़े, किस तरह से हर व्यक्ति की आय बढ़े, किस तरह से हम तरक्की करें, उसके लिये साधन किस तरह से मुहैया कराये जाएं। तो एक ओर तो विचार करते हैं हम कैसे प्रगति करें और दूसरी तरफ हम संकीर्ण विचारधारा लेकर चल रहे हैं कि हम उदारीकरण के नाम से विदेशियों से पैसा कैसे लें। मुख्य मंत्रीजी, आपकी बी. जे. पी. पार्टी इस उदारीकरण के नाम पर पब्लिक में तो संदेश देती है कि हम विदेशी कम्पनियों से नफरत करते हैं, उनको इस देश में नहीं आने देंगे। हम स्वदेशी को अपनाना चाहते हैं। लेकिन आपके मन में यह भावना है, आप निश्चित रूप से यह चाहते हैं कि राजस्थान के विकास के लिये विदेशी लोग यहां पूंजी निवेश करें और पूंजी निवेश से राजस्थान का उद्धार हो। दो तरह की बात एक साथ नहीं चला करती। आपको इसके लिये नीति तय करनी पड़ेगी और आप यह नीति तय नहीं करेंगे तो विदेशी आदमी आपके यहां कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा और इसका फायदा और प्रदेश उठा जाएंगे। राजस्थान विदेशी पूंजी निवेश से भी अछूता रह जाएगा। इसलिए आपकी दो-तरफा

(श्री आर. पी. शर्मा)

नीति नहीं चल सकती। आम जनता को बहकाने के लिये तो हम कहें कि हम विदेशियों से नफरत करते हैं और एक तरफ हम चाहते हैं कि विकास के लिये हमें पैसे की जरूरत है। इसलिये मैं, माननीय मुख्य मंत्रीजी, बी. जे. पी. सरकार आपके राजस्थान में है, इससे निवेदन करूंगा कि आप खास तौर से अपनी नीति इस बात के लिये क्लीयर करें कि हम विदेशी पूंजी का सहयोग लेंगे या नहीं लेंगे। यदि विदेशी पूंजी का सहयोग नहीं लेंगे तो, हम अपना खुद का पैसा जनरेट करें। उस तरह के कार्यक्रम हम इस प्रदेश में लागू करें।

मैं, मुख्य मंत्री महोदय, एक बात खास तौर से कहना चाहता हूं किसी बजट को बनाने के लिये उस बजट की एक नीति हुआ करती है कि किस तरह से स्टेट का ग्रास प्रोडक्शन बढ़े। जब तक स्टेट का हमारा प्रोडक्शन, डोमोस्टिक प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा, उत्पादन नहीं बढ़ेगा, उस बजट से हमें कोई फायदा नहीं हुआ करता है। अगर आप यही बजट के आंकड़ों को देखें तो 1990-91 में डोमोस्टिक प्रोडक्शन जो हमारा था 43% था, 1992-93 में घटकर 41% हो गया और 1993-94 में घटकर 35% हो गया। इसके मायने यू हुआ कि हमारा जो स्टेट डोमोस्टिक प्रोडक्शन 7.4% कम होता जा रहा है, जो बजट में पैसा खर्च करते हैं उस पैसे से हमको स्टेट डोमोस्टिक प्रोडक्शन जो बढ़ना चाहिये, वह नहीं बढ़ रहा है बल्कि घट रहा है तो हमें इस पर भी गंभीरता से विचार करना पड़ेगा। स्टेट की बहबूदी के लिये किस तरह से प्रोडक्शन बढ़े। हमारे बजट का पूरा फायदा प्रोडक्शन बढ़ाने में हो, इसके लिये भी हमारे बजट पर हमको गम्भीरता से सोचना पड़ेगा।

दूसरी बात, इसके साथ-साथ जैसे मैंने कहा स्टेट का डोमोस्टिक प्रोडक्शन, जो आधारभूत हुआ करता है, वह भी घट रहा है। हम देखें पर-कैपिटा इन्कम, जो हमारी 1992-93 में 1934 रुपये थी, प्रति व्यक्ति आय वह घटकर 1760 रुपये हो गयी है। इसका मतलब 9% घटी है। एक तरफ तो हम ढिंढोरा पीटते हैं कि हमारा प्लान बढ़ रहा है, हम राजस्थान को प्रगति की ओर ले जा रहे हैं, हम राजस्थान की बहबूदी के लिये कर रहे हैं और दूसरी तरफ वस्तु-स्थिति यह है कि हमारा स्टेट डोमोस्टिक प्रोडक्शन 10.4% घटा है, हमारी पर-कैपिटा इन्कम घटी है। लिहाजा राजस्थान की स्थिति आर्थिक रूप से प्रोडक्शन के रूप से पर कैपिटा की इन्कम के रूप से बहुत ही चिन्ताजनक है, शोचनीय है।

मैं खास तौर से चूंकि सैल्स टैक्स के बारे में एक बात यह कहना चाहता हूं। सैल्स टैक्स के बारे में जैसा कि मुख्य मंत्री जी ने कुछ छोटे-छोटे आइटम्स पर कुछ रियायतें दीं। आज यह बिल्कुल सही बात है कि जब सैल्स टैक्स से दर अगर हम कम करते हैं तो उससे हमारा टर्न ओवर बढ़ता है, टर्न ओवर बढ़ने से निश्चित रूप से यह अजमाई हुई बात है कि जब टर्न ओवर बढ़ेगा तो सैल्स टैक्स भी बढ़ेगा। लेकिन इसमें मुख्य मंत्रीजी बड़ी होशियारी से, बड़ी चालाकी से अपनी वाहवाही लूटने के लिये कुछ आइट्म्स को तो कर से बिल्कुल मुक्त कर दिया। लेकिन वह भूल

(श्री आर. पी. शर्मा)

गये कि जो आम रोजमर्रा के काम आने वाली लोगों की चीजें हैं, उनके बारे में उन्होंने कोई अपनी घोषणा नहीं की। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं माननीय मुख्य मंत्रीजी भरतपुर का मामला है, मुख्य मंत्रीजी आपने 7.3.1994 को जो पूर्व में बजट पेश किया था उसमें तिलहन उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए तिलहन पर्चेज पर टैक्स को माफ किया था और भले ही वह तेल पर, इंटर-स्टेट सैल पर तीन पर्सेन्ट, खल पर दो पर्सेंट का प्रावधान किया था लेकिन उसमें आपकी दूर-दृष्टि की कमी रही कि जो तिलहन उद्योगों पर टैक्स माफ किया है उसमें स्टेट इन्सेंटिव सब्सिडी जो है, उसकी वजह से आज हमारे पुराने उद्योग कम्पीटिशन में पीछे रह गये हैं और नये उद्योग आगे आ गये हैं। लिहाजा भरतपुर की लगभग 100 आयल मिलें बन्द होने का अन्देशा है। वहां जो लेबर एम्पलायड है वह भी बेकार हो जायेगी। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस पर पुनर्विचार करें। मात्र सोल्वेंट प्लांटों को हम फायदा दें और जो पुराने उद्योग चल रहे हैं, उनको नहीं दें, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप सीड पर खास तौर से अपना फर्स्ट पाइंट टैक्स है वह सीड पर दो पर्सेंट लें, तेल पर एक पर्सेंट कर दें और एक पर्सेंट खल पर कर देते तो इन सबका सामंजस्य बना रहेगा और पुराने और नये उद्योग भी इसमें पनपते रहेंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ मुख्य मंत्रीजी को आम जनता की तरफ से एक शेर कहना चाहता हूं, क्योंकि सवाल इस बात का है कि राजस्थान कमजोर है, गरीब है "मिटा दे अपनी हस्ती को कि कुछ मर्तबा चाहिए कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है"। धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री सभापति : श्री टीकम चन्द जी कान्त।

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना) : सभापति महोदय, सर्वप्रथम 1990–91 के अन्दर माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जब मुख्य मंत्री बने, हमारी सरकार आयी, उस समय राज्यपाल महोदय ने एक अभिभाषण दिया और बजट के अन्दर इस प्रकार की चर्चा थी कि इस देश के पन्द्रह या सोलह जो मुख्य-मुख्य प्रदेश हैं, बड़े प्रदेश हैं उनका अगर अध्ययन कर लिया जाए, कुछ चीजों के अन्दर प्राथमिकताएं तय कर दी जाए तो राजस्थान उस अवस्था में किस स्थान पर है? शिक्षा के मामले में सबसे नीचे बिहार से थोड़ा ऊपर, सड़कों के मामले में उसका नम्बर, जनसंख्या के मामले में जरूर दूसरे नम्बर पर था, परन्तु चौथा, पांचवा स्थान उसका कहीं नहीं। सभापति महोदय, आवश्यकता उस समय इस प्रकार की थी। कोई एक ऐसी रचना करने वाला व्यक्ति आ जाए, कोई ऐसा नेतृत्व देने वाला व्यक्ति आ जाए, राजस्थान की चिन्ता करने वाला कोई व्यक्ति आ जाए और इस प्रदेश के अन्दर एक ऐसी उछाल लेती हुई योजना प्रारम्भ हो, तो यह राजस्थान अपने क्रमों को छोड़कर थोड़ा ऊपर आए।

आज का जो बजट सामने आया है, योजनागत विनियोजन सामने आया है, प्रति व्यक्ति आय सामने आयी है, योजना का स्वरूप और आकार जब सामने आया तब लगा कि आज के बजट के बाद हमने

(श्री टीकमचन्द कान्त)

जो उस समय आशा की थी, उस समय की जो आवश्यकता हमने महसूस की थी, वह लगता है धीरे-धीरे राजस्थान इस प्रकार से आगे बढ़ता जाएगा, अपना क्रम ऊपर लेता जायेगा। सभापति महोदय, वास्तव में सही बात है, समाजवाद की बात उधर चल रही थी। उधर से समाजवाद की एक बार फिर प्रशंसा कर फिर सिफारिश हो रही थी, भारतीय जनता पार्टी ने इस सदन के अन्दर भी कई बार कहा था कि बहु-राष्ट्रीय कम्पनियाँ जो आ रही हैं, यह उदारीकरण, भू-मण्डलीकरण, आर्थिक एकीकरण, यहां जो कुछ भी आ रहा है जहां 33 करोड़ लोग एक तरफ गरीबी की रेखा के नीचे जीते हैं, जहां 45 करोड़ लोग इस देश के अन्दर निरक्षर हैं वह उन कम्पनियों का निवाला बन जाएगें, इस उदारीकरण के अन्दर वह निवाला बन जाएगें उनका भला नहीं हो सकता। आज कांग्रेस स्वयं असमंजस में है। इस विश्व के अन्दर अर्थ की दृष्टि से दो प्रकार के चिन्तन हैं, एक इस छोर पर एक उस छोर पर। समाजवादी चिन्तन इस छोर पर, उदारीकरण चिन्तन उस छोर पर। समाजवादी चिन्तन के अन्दर सम्पूर्ण अर्थ की व्यवस्था राज्य के पास में, व्यक्तिगत मालिकियां समाप्त, मौलिक अधिकार लगभग समाप्त। उदारीकरण के अन्दर वहां जिसकी लाठी उसकी भैंस, बाजार की अर्थ नीति जो पावे जो आगे बढ़े, जिसके पास में पैसा है वह आगे बढ़ जाये, कोई रोक नहीं।

भारतीय जनता पार्टी, उसके पहले जनसंघ के रूप के अन्दर भी पण्डित दीनदयाल उपाध्याय ने आर्थिक चिन्तन किया था इस देश के लिए, क्या इन दोनों छोरों पर यह हिन्दुस्तान बराबर हो सकता है, इससे कोई लाभ हो सकता है। यह तब चिंतन आया था कि हिन्दुस्तान की अर्थ नीति का अलग स्वरूप होना चाहिए। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, व्यक्ति को यदि इकाई इस रूप में समझते हुए करना पड़ेगा तब कहीं जाकर के इस हिन्दुस्तान का उत्थान होगा। आज जिस समय यह बजट आया इन दोनों छोरों की राजनीति, अर्थ नीति के अन्दर और इस राजस्थान के गरीब को बचाने के लिए, यहां जो निर्धन बैठा है उसको बचाने के लिए, हिन्दुस्तान के बजट पर अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और वर्ल्ड बैंक का गाइड लेते हुए चल रहा है। इसलिए राजस्थान का जो बजट निर्माता है या निर्माण करने वाला है या बनाने वाला है, उसने एक आश्वासन दिया है कि हम उसकी गाइड लाइंस से मीट करें। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या वर्ल्ड बैंक वह अपने रूप में कुछ भी चाहते हो, किसी प्रकार की अर्थ नीति चाहते हों, हिन्दुस्तान को किधर ही ले जाना चाहते हों, जी–7 के उन देशों के भले के लिए कहीं भी ले जाना चाहते हों, राजस्थान, राजस्थान का गरीब इस उदारीकरण की नीति से, भू-मण्डलीकरण की ऐसी नीति से, आर्थिक एकीकरण की इस नीति से वह बच जाए। गरीब बचा ही नहीं लेकिन अगर यह अपने मल्टी नेशनल कम्पनीज जो कह रहे हैं, बहु राष्ट्रीय कम्पनियों का अगर जाल बिछ जाए तो भी वह अपनी रोटी खुद कमा सके, अपनी रोजी कमा सके। राजस्थान का अपने आप में इस प्रकार का ढांचा खड़ा हो जाये, मूलभूत ढांचा खड़ा हो जाये कि

(श्री टीकमचन्द कान्त)

ऐसी अवस्था में राजस्थान अपनी राजस्थानी को बिलकुल सुरक्षा कवच प्रदान हो जाए ताकि यह राजस्थान आगे बढ़ सके। इस बजट में इसी प्रकार की भावना है।

मैंने भी देखा कि घाटे की व्यवस्था के बारे में बहुत बोलते हैं। अगर प्लान बढ़ा है, योजना बढ़ी है, तो उसे पूरा करने के लिए पैसा लेना पड़ेगा, उस तरफ खर्चा करना पड़ेगा। योजना बढ़ी थी, बहुत बड़े प्लान थे हमारे पास में तो आज जो नोन-प्लान बढ़ गया उसके कारण भी कई सारी चीजें होंगी। अब प्रश्न यह उठता है अगर घाटे का. विकासशील राष्ट्र से लगाकर के विकासशील प्रान्तों, पूरे विश्व की अर्थ नीति के अन्दर एक तयशुदा बात है कि एक लिमिट तक घाटा अवश्यम्भावी है, उसका अनिवार्य अंग बन गया है। जिन्होंने आलोचना की है वह मुझे बता दें कि हिन्दुस्तान के बनने वाले आज तक के बजटों के अन्दर घाटा नहीं हुआ, घाटे का आयोजन नहीं किया? इसी प्रदेश के पूर्व में बने हुए बजटों के अन्दर घाटा नहीं दिखाया गया? लेकिन उस बात को एक सिर्फ चर्चा के लिए उन्होंने किया।

उधार की बात, कल हम काम करना छोड़ दें, प्लान बनाकर छोड़ दें, उसके अन्दर विकास करना छोड़ दें तो उधार लेने की जरूरत ही नहीं। सारा का सारा बजट उस उधार के नाम पर चल रहा है अखबारों में चर्चा आ रही है आप बता दें हिन्दुस्तान ने उधार लेकर के क्या कर दिया। नहीं लिया क्या उसने उधार? राजस्थान ने इससे पहले उधार नहीं लिया क्या? माननीय चन्दन मलजी बैद ने एक आंकड़ा दिया उधार का, उससे पूर्व जब राजस्थान की सत्ता हमारे हाथ में आयी थी, उस समय उधार कितना था? उस समय उधार शायद 575 करोड़ ऐसा कुछ था। मेरा ख्याल है, खैर आंकड़े नहीं हैं, ज्यादा आंकड़ों में नहीं जाता मैं।

(15.00)

जब मैंने एक अर्थशास्त्र जानने वाले से बात की। उसने कहा, एक गड़बड़ी हुई है। राजस्थान की सत्ता जिस समय अपन ने हाथ में ली थी उस समय जो उधार था, वह करीबन उसके सामने बाकी तो परिसम्पत्तियां थीं लेकिन 747 करोड़ के लगभग वह परिसम्पत्तियां माइनस बनती हैं। तो हमने कहा, 1990 से लगाकर 1994 तक जो पूरा हुआ उसके अन्दर परिसम्पत्तियों का हिसाब किताब क्या है? तो उन्होंने कहा, 106 करोड़ की परिसम्पत्तियां ही आपकी माइनस बनती है चार साल में। 747 में से 106 करोड़ बाकी करो तो बाकी परिसम्पत्तियों का अगर कोई जवाबदार है तो वह कांग्रेस है। मैं स्वयं अर्थशास्त्री नहीं हूं। अर्थशास्त्र का ज्यादा अध्ययन किया हुआ नहीं है। तब उन्होंने कहा, 106 करोड़ को भी पूरा किया जा सकता है। वह बराबर हो जाएगा लेकिन इस राजस्थान के बजट के अन्दर जो परिसम्पत्तियां माइनस जा रही हैं, यह कांग्रेस की देन है इसको कैसे पूरा किया जायेगा? यह एक कारण था।

कुछ गांव ऐसे हैं, जहां सड़कें नहीं है, अस्पताल नहीं हैं, यह मांग कोई आज की हैं? पुराने 40 वर्षों की मांग हैं। संतुलित

(श्री टीकमचन्द कान्त)

विकास नहीं हो पाया, नीतियां नहीं बन पायीं। श्री धनखड़ साहब ने कह दिया कि नीतियों का उत्पादन खूब ज्यादा हो गया। सभापति महोदय, काश अगर नीतियां बन जातीं तो इस प्रदेश के अन्दर एक संतुलित विकास होता। मर्जी हो तो किसी ने अपने फार्म पर सड़कें बनवा दीं, किसी ने अपने रिश्तेदार के घर में सड़कें बनवा लीं इसलिए सन्तुलित विकास नहीं हो पाया। इसलिए आवश्यकता पड़ी इस प्रदेश के अन्दर उत्थान की। नीतियों के कारण भ्रष्टाचार में कमी आएगी, पक्षपात में कमी आएगी। गुढ़ामालानी से आने वाले माननीय सदस्य, विपक्ष के नेता बतायें कि इसके बावजूद कितने किलोमीटर उनके यहां सड़कें बनीं। असंतुलित रहा मामला सारा। आज नीति के कारण सड़कें वहां बन रही हैं। मेरे ख्याल से सौ किलोमीटर से भी ज्यादा सड़कें वहां बनायी गयीं। सभापति महोदय, नीति के कारण हमने तय किया कि हम इतनी संख्या पर स्कूल खोलेंगे, यहां-यहां खोलेंगे। पिछली बार भी स्कूलों के अन्दर, विशेषकर के पंचायत समिति के अन्दर जो स्कूलें खोली गयीं उसका सबसे अधिक लाभ अगर इस सदन में किसी भी माननीय सदस्य को मिला है तो गुढ़ामालानी से आने वाले माननीय सदस्य, विपक्ष के नेता को मिला है। करीबन 50-60 प्राइमरी स्कूलें उनके वहां खुलीं लेकिन नीतियों के कारण खुलीं। अगर यह नीति नहीं होती तो शायद यह स्कूलें नहीं खुलतीं। इस नीति के कारण जनता का सीधा ध्यान रहा है। यह ध्यान नहीं रखा कि प्रतिपक्ष के नेता हैं, विरोधी दल के नेता हैं, कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस को फायदा हो जाएगा। लेकिन हमेशा राजनीति आड़े आयी। इस प्रदेश के उत्थान के अन्दर, विकास के अन्दर अगर सिर्फ राजनीतिक चिन्तन नहीं रहा होता, अगर चिन्तन राष्ट्रवादी होता इनका, अगर सिर्फ सत्ता का चिन्तन नहीं होता, तो जो हालात आज राजस्थान प्रदेश के हैं, यह हालात ऐसे नहीं होते।

सभापति महोदय, किसी जमाने में चार आने प्रति व्यक्ति अनुदान 54 पंचायतों को मिला करता था। सोच है हमारी 1977 से लेकर 1980 के समय माननीय श्री भैरोंसिंह जी शेखावत मुख्य मंत्री बने। ग्रामीण सोच, ग्रामीण संस्थाओं की सोच, ग्राम पंचायतों की सोच, ग्रामीण व्यक्ति के विकास की सोच, आज इस बजट के अन्दर उन्होंने घोषणा की है दसवां वित्त आयोग सिफारिश करे। उसने कहा कि अगले वर्ष हम उनको अनुदान देंगे लेकिन इस बजट के अन्दर हमारे वित्त मंत्री, मुख्य मंत्री जी ने सर्वप्रथम घोषणा की कि हम 25 परसेंट प्रति व्यक्ति अनुदान बढ़ा रहे हैं पंचायतों में।

सभापति महोदय, इस बजट के अन्दर नीतिगत कुछ बातें भी हमको कहनी चाहिये। मैंने जैसा कि कहा था मैं धन्यवाद देता हूं माननीय श्री शेखावत साहब को कि पंचायत का इस प्रकार का कानून जिसके अन्दर आरक्षण की व्यवस्था है। मुझे मालूम है, आप कह सकते हैं 1989 के अन्दर यह सोच श्री राजीव गांधी की थी लेकिन मैं उससे पहले कि आपको बता दूं, उससे पहले आरक्षण की सोच बाबा अम्बेड़कर की थी। प्रश्न सोच का नहीं है, प्रश्न क्रियान्विति का है। जब हमने यह तय किया, जब आरक्षण देने की बात की,

(श्री टीकमचन्द कान्त)

तो आरक्षण के नियम बनाने के लिये दिल्ली आगे थी, या हम आगे थे ? हम आगे थे, राजस्थान आगे था। इस प्रकार का आरक्षण देने के अन्दर अनुसूचित जाति को कितना प्रतिशत मिलेगा, अनुसूचित जन जाति को कितना प्रतिशत मिलेगा, महिलाओं को कितना प्रतिशत और ओ.बी.सी को कितना प्रतिशत मिलेगा ? इसके अन्दर हम सबसे आगे थे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आज तक जो जाजम के किनारे बैठे हुये हैं उन व्यक्तियों की तरफ से, उन जातियों की तरफ से, उन दलितों की तरफ से कि उन्होंने इस प्रकार का आरक्षण दिया। आज सरपंच की कुर्सी पर अनुसूचित जाति का व्यक्ति बैठा हुआ है। कौन कल्पना कर सकता था चौहटन का प्रधान कोई अनुसूचित जाति की मेघवाल महिला बने। सपने में भी यह उम्मीद नहीं थी। माउण्ट आबू जैसी नगर पालिका, अगर मैं कहूं कि उसकी चेयरमैनशिप को बेचा जाये और उसकी बोली लगाई जाए तो माउण्ट आबू की चेयरमैनशिप 50 करोड़ में भी जा सकती है लेकिन आज उसका अध्यक्ष लालाराम आदिवासी, एक होटल पर काम कर रहा था किसी जमाने के अन्दर, आज माउण्ट आबू का चेयरमैन है। सभापति महोदय, यह सामाजिक परिवर्तन है, यह है महान क्रान्ति। थोड़ा-सा टाइम लूंगा। दो मिनट ज्यादा ले लूंगा। राजस्थान में हिन्दुस्तान का 10 प्रतिशत भू-भाग है और सतही पानी उसके पास 1.06 प्रतिशत है। 1954 में जब यमुना की जब बात चल रही थी। यमुना नदी राजस्थान के अन्दर नहीं बहती। किसी ने बात निकाली धीरे-धीरे 1954 के अन्दर, हम कहीं नहीं थे, हम उस बैठक में भी नहीं थे। राजस्थान यमुना के बेसिन में, यह राजस्थान की चिन्ता थी। राजस्थान के अन्दर पानी की कमी थी। यमुना का पानी अगर राजस्थान को मिल जाए और अन्ततोगत्वा इस राजस्थान के लिये जो जरूरत थी, इस प्यासे राजस्थान के लिये वर्षों से यमुना जल के बंटवारे की बात चल रही थी। अगर इस राजस्थान के अन्दर यमुना का जल कोई लाया है तो श्री भैरोंसिंह जी शेखावत लाए हैं और हमें, इस सदन को भी एक प्रस्ताव पास करके सीधा उन्हें धन्यवाद देना चाहिये। राजस्थान की चिन्ता, राजस्थान का प्रतिनिधित्व वहां बैठे हुए भी किया। आज दसवें वित्त आयोग के कारण, मैं ज्यादा आंकड़ों की तरफ नहीं जाता लेकिन जो अनुदान की राशि वर्षों से मिल रही है वह अनुदान की राशि ऋण में बदल रही है। शनैः शनैः अनुदान का प्रतिशत कम होता जा रहा है, ऋण बढ़ता जा रहा है। केन्द्रीय नीति ऐसी आ गयी। राजस्व व्यय और राजस्व के अन्दर ऐसा कुछ मामला उन्होंने बता दिया है कि अब लोग राजस्व व्यय ज्यादा करेंगे, या घाटा उस तरफ ज्यादा करेंगे तो ऐसी कोई बात नहीं है। इस प्रकार की बात केन्द्रीय नीति के कारण आ गयी। अगर राजस्थान के साथ यह हुआ तो होगा क्या ? इसमें उन्होंने लिखा कि इस प्रकार की नीति केन्द्र सरकार की रही तो जो आर्थिक अनुशासन होना चाहिये राज्यों के अन्दर वह खतम होगा और धीरे-धीरे दूसरे प्रकार का घाटा ज्यादा बढ़ जायेगा। केन्द्रीय नीति के कारण राज्यों को तकलीफ उठानी पड़ रही है, सफर करना पड़ रहा है। राजस्थान के लिये

132

(श्री टीकमचन्द कान्त)

उन्होंने कहा कि अगर यह होता रहेगा तो जो विकसित प्रदेश हैं और हम विकासशील प्रदेश हैं, हम पीछे रह जाएंगे। लेकिन यहां जो बैठें हैं, उन्हें राजस्थान की चिन्ता नहीं, पर दिल्ली की चिन्ता करते हैं, दिल्ली की हर नीति ठीक है, दिल्ली की हर बात ठीक है, राजस्थान के साथ अन्याय हो, हक मारे जाएं तो भी दिल्ली की बात ठीक है। हम यहां बैठें हुए राजस्थान के इस पवित्र सदन के सदस्य हैं, राजस्थान आगे बढ़े, इसका विकास हो, इसकी उन्नति हो, यह हम सबका पवित्र धर्म है। माननीय श्री भैरोंसिहजी शेखावत साहब वहां बैंठते थे तब भी भले ही योजना आयोग के सामने जाने की बात हो, वित्त आयोग के सामने जाने की बात हो, राज्यों और केन्द्र के समन्वय की बात हो, राज्यों को मिलने वाले हिस्से की बात हो और केन्द्र कम दे रहा हो, उन्होंने राजस्थान की पैरवी ही नहीं की बल्कि राज्यों के हकों के लिये इस देश के अन्य राज्यों के मुख्य मंत्रियों को साथ जोड़ कर केन्द्र के सामने पैरवी की है।

बिजली के बारे में खूब बातें की कि पैसे बढ़ा रहे हैं या और कुछ कर रहे हैं। मैं मेरी बुद्धि से कर रहा हूं कि 2000 और 2001 के अन्दर बढ़ने वाली मांग और आपूर्ति के अनुपात में काफी अन्तर रहेगा। 4300 मेगावाट उत्पादन बिजली का चाहिये। उसकी हमारी योजना बनी है लेकिन, सभापति महोदय, इस प्रदेश के लिये, किसान के लिये बिजली व्यक्ति के शरीर के अन्दर नाड़ियों में जिस प्रकार से रक्त बहता है, उस ढंग से आवश्यकता है। इस राजस्थान को कई वर्ष मिल गये लेकिन बिजली उत्पादन 30 प्रतिशत से अधिक नहीं कर पाये और बाहर से लेते रहे। आज तक योजना बनाने वाले, बजट बनाने वाले, इसका हित देखने वाले, आज तक यहां कांग्रेस बैठी, कांग्रेस के मुख्य मंत्री जी बैठे, वित्त मंत्री जी बैठे लेकिन उन्होंने बिजली की कोई योजना नहीं बनाई। आश्रित राजस्थान और अधिक आश्रित हो गया। इस प्रदेश की आज हालत यह है कि हमको दो घंटे बिजली मिलती है। पूरे देश के आंकड़े अगर उठा कर देखें जाएं तो वह की वह स्थिति है। सभापति महोदय, क्या यह हमारे जिम्मे ही था माननीय श्री भैरोंसिह जी के ही जिम्मे था कि बिजली की योजना बनायें, उसके लिये स्वीकृति लाएं, उसके लिये कम्पनियों और निजी कम्पनियों को बुलावे। सभापति महोदय, बिजली की व्यवस्था के लिये यदि आज से 10 वर्ष पूर्व कांग्रेस ने सोच लिया होता तो इस प्रदेश के अन्दर वृद्ध बनकर जो योजनाएं समाप्त हो रही हैं, जिनका बुढापा आ गया है, उनके समानान्तर योजना बनाने के लिये आज से दस वर्ष पूर्व चिन्तन करना जरुरी था।

(15.14)

(श्री शांतिलाल चपलोत, अध्यक्ष, पदासीन।)

राजस्थान का किसान आज अगर बिजली के कारण दुखी हो रहा है, कष्ट पा रहा है निर्धनता भोग रहा है तो उसका कारण सिर्फ कांग्रेस है। और उसके कारण ही आज यहां के किसान को तकलीफ देखनी पड़ रही है। अध्यक्ष महोदय, स्वदेशी की बात का मखौल उड़ाया जाता है। स्वदेशी तो एक चिन्तन हैं, एक भावना है। स्वदेशी

(श्री टीकमचन्द कान्त)

की भावना इस राष्ट्र की भावनाओं के साथ जुड़ी हुई है। अमरीका कह सकता है बी अमरीकन, बाई अमरीकन यही जर्मन कह सकता है और क्या भारत सिर्फ नारे ही लगाता है भारत अपनी स्वदेशी की भावना पैदा करे तो उस पर आज मजाक बनता है। महात्मा गांधी जी का स्वदेशी का नारा जिस भावना से उन्होंने दिया था आज देश के अन्दर उस नारे की पुनः आवश्यकता पड़ी है। यह राजघाट पर जाकर जरुर माला चढ़ा देते होंगे लेकिन गांधी जी के नारे की जिस समय आवश्यकता है उस समय अगर गांधीजी के नारे को भारतीय जनता पार्टी ने अपना लिया तो यह कांग्रेस के लिये अछूतेपन का काम हो गया। आज आवश्यकता है इस देश को स्वदेशी की। स्वदेशी का मतलब यह है कि देश के ऊपर आर्थिक आक्रमण हो रहा है, 25 करोड़ यहां की जनसंख्या के अन्दर ग्राहक मल्टी नेशनल कम्पनीज को दिख रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, एक विशेष बात है, फ्रांस की एक कम्पनी ने अभी यहां सर्वे किया था उसमें कहा कि हिन्दुस्तान में ग्राहक काफी संख्या में है। यहां सर्वे हुआ था, उसमें कहा गया कि 45 प्रतिशत महिलाएं यहां पर पेन्टीज और ब्रा नहीं पहनती हैं, मार्केट अच्छा मिलेगा। दूसरे ने कहा कि ब्रा तो कम से कम पहनती हैं लेकिन पेन्टीज का जहां तक सवाल है वह 65% तक महिलाएं नहीं पहनती हैं। कम्पनीज इस प्रकार का सर्वे करके इस देश के अन्दर आ रहा है, इसलिये यहां पर स्वदेशी की भावना काम करनी चाहिए। मल्टी नेशनल कम्पनीज अपनी पेन्टीज और ब्रा यहां बेचें तो स्वदेशी की भावना आनी चाहिये कि यहां का एक दर्जी, यहां का छोटा-मोटा उद्योग, यहां के छोटे-मोटे कारखानें, साबुन बनाने वाले छोटे-मोटे उद्योग, स्वदेशी साबुन थोड़ा खुरदरा हो सकता है सुगंध उसके अन्दर थोड़ी कम हो सकती है लेकिन कैमे को नहीं अपनाएंगे, मल्टी नेशनल कम्पनीज के जो साबुन हैं उसको नहीं अपनायेंगे, हम इस स्वदेशी साबुन को ही अपनायेंगे ताकि इस देश के अन्दर बनने वाली चीजें, इस देश का पैसा इस देश के अन्दर ही रहे। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि कांग्रेस इस बजट की तो खूब आलोचना कर रही है। अब यह कह तो दें, इनका नापने का तरीका है। अगर हम प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से देखें तो इस राजस्थान के अन्दर, पांचवें दशक में जो प्रति व्यक्ति आय थी वह राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय के बराबर है और 1982–83 के अन्दर वह आय 82 प्रतिशत प्रति व्यक्ति हो गयी, परन्तु शत प्रतिशत नहीं हुई और इस तरह से राज्य का दर्जा, 14वें स्थान पर चला गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार के आने के बाद में 1993 और 1994 के अन्दर प्रति व्यक्ति आय का अगर आंकलन करें, तो वह क्रमशः 1,760 रुपये और उसके बाद 2,016 रुपये तो उस प्रदेश के विकास को नापने का एक यह तरीका है। प्रति व्यक्ति योजनागत विनियोजन 1990-91 से अगर हम प्रारम्भ करें, 1989–90 के अन्दर प्रति व्यक्ति योजनागत विनियोजन 185 था और आज बढते-बढ़ते 727 रुपये हो गया और इसलिए 465 समस्त राज्यों की औसत थी और हमारी 556 थी। अध्यक्ष महोदय, योजना का आकार ही नहीं योजनाओं की क्रियान्विति

(श्री टीकमचन्द कान्त)

भी आवश्यक है। अगर कोई कहे कि उचित प्रबंन्ध उचित आर्थिक व्यवस्था और इसका कोई उदाहरण लेना चाहे तो राजस्थान से सीखे। पिछली बार राजस्थान के अन्दर समस्त योजनाओं की क्रियान्विति पूरी हुई, पूरा का पूरा पैसा खर्च किया गया और पाइंट नौ प्रतिशत ऊपर रहा, जबकि अन्य 15-16राज्यों से तुलना करते हैं तो कोई भी, राज्य 100 प्रतिशत तक अपनी योजना का पैसा नहीं खर्च कर सका। यह क्रियान्विति हमने की।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप पांच मिनट में समाप्त करें।

श्री टीकमचन्द कान्त : अध्यक्ष महोदय, यहीं राजस्थान पहले था, यहां पहले भी योजनाएं बनी थीं। योजना आयोग के उपाध्यक्ष ने कभी यह प्रशंसा नहीं की कि राजस्थान का वित्त प्रबन्धन पूरे देश के अन्दर सब राज्यों से श्रेष्ठतम है। यह प्रशंसा अगर प्रणव मुखर्जी ने की है तो ऐसे ही नहीं की, उन्होंने बहुत कुछ देखा होगा तब कहीं जाकर उन्होंने यह प्रशंसा की है कि राजस्थान का वित्त प्रबन्धन, उसकी वित्त व्यवस्था इस देश के अन्दर सबसे उत्तम है। इन्हीं शब्दों के साथ, यह बजट भी सर्वोत्तम है, अच्छा है और इस प्रदेश के गरीब के लिए, किसान के लिए, गांव के लिए हैं, यह कहते हुए मै अपनी बात पूर्ण करता हूं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। श्री बनवारी लाल जी।

श्री बनवारीलाल शर्मा (धौलपुर) : अध्यक्ष महोदय, पिछले कई दिनों से बजट पर चर्चा हो रही है। प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य उसकी आलोचना कर रहे हैं और पक्ष के सदस्य तारीफ के पुल बांध रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि आपका और हमारा, सभी का उद्देश्य यही है कि राजस्थान को विकास के शिखर पर ले जाएं। परन्तु आपकी, हमारी सबकी भावना यह होनी चाहिए कि जो अच्छाई है, अच्छाई रहेगी और कोई बुराई है, तो उसको सुनने की हिम्मत भी रखनी चाहिये। माननीय मुख्य मंत्री जी ने काफी प्रयास किया है, राजस्थान का विकास करने के लिए, कई नीतियां बना रहे हैं, औद्योगिक नीति बना रहे हैं, सड़क नीति बना रहे हैं, अन्य नीतियां बना रहे हैं। मेरा मुख्य मंत्रीजी से निवेदन है कि जहां औद्योगिक नीति बनाने में उनका उद्देश्य यह है कि किस प्रकार से राजस्थान में ज्यादा उद्योग आएं यहां के लोगों को रोजगार मिले और आर्थिक स्थिति से लोग सम्पन्न हों और इसी उद्देश्य से वह यह प्रयास भी कर रहे हैं। एक तरफ तो वह राजस्थान में उद्योगों के विकास के लिए प्रयास कर रहे हैं और दूसरी तरफ राज्य सरकार के जो खुद के उद्योग हैं; उनको बन्द करने का प्रयास कर रहे हैं, यहां यह देखने की बात है। उनकी कथनी और करनी में अन्तर है। धौलपुर में जिस समय ग्लास फैक्ट्री लगायी गयी थी उस समय उद्देश्य यही था कि यहां के लोगों को रोजगार दिया जाए। आज से 30 वर्ष पहले यह फैक्ट्री लगायी गयी थी और उस स्थान का चयन भी इसलिए किया गया था कि यहां से आगरा और फिरोजाबाद के पास होने के नाते यहां के कारीगर कांच के मामले में कुशल हैं। दुर्भाग्य से

(श्री बनवारीलाल शर्मा)

प्रशासन की अनभिज्ञता के कारण या कुछ अन्य कारणों से उस फैक्ट्री में नुकसान हुआ और आज सरकार उस फैक्ट्री को बन्द करने का प्रयास कर रही है। मेरा आपसे निवेदन है कि आखिर इस फैक्ट्री को बंद करना ही था, माननीय मुख्य मंत्री जी जब वहां से प्रतिनिधि थे उस समय भी यह फैक्ट्री घाटे में चल रही थी, उस समय इसको बंद करने का निर्णय क्यों नहीं लिया गया? इसका क्या औचित्य है कि आज इसको बंद करने का निर्णय लिया जा रहा है? वास्तव में नुकसान में थी तो उस समय बंद करते। इसको राजनैतिक दृष्टि से न देख कर, मानवीय दृष्टिकोण से देखा जाए, उसकी गहराई में जाया जाए कि आखिर इसमें नुकसान होने के कारण क्या है? और उसको मानवीय दृष्टि से पुनः चालू कराने का प्रयास करें, यह मेरा उनसे निवेदन है।

दूसरा मेरा निवेदन है कि जब तक राजस्थान के कुछ जिलों को आप औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ घोषित नहीं करेंगे तब तक इसका लाभ नहीं मिल पायेगा। खास तौर से मैं धौलपुर के लिए निवेदन करूं फिरोजाबाद और आगरा की फैक्ट्रीज को पर्यावरण की वजह से ताजमहल की वजह से, फाउण्ड्री तालमेल की वजह से बंद करने के आदेश दे दिये गये हैं। राजस्थान का धौलपुर जिला जो उत्तर प्रदेश राज्य से लगा हुआ है, अगर औद्योगिक दृष्टि से उसको पिछड़ा हुआ घोषित कर दिया जाता है तो लोग, आगरा को जो व्यापारी वर्ग है, जिनकी फैक्ट्रीज हैं, स्वतः ही वह अपनी फैक्ट्रीज नजदीक धौलपुर में शिफ्ट करने का विचार कर सकते हैं। आपको चाहिए कि धौलपुर को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ क्षेत्र घोषित करावें। इसमें कोई शक नहीं है कि कांग्रेस गवर्नमेंट ने थर्मल पावर की जो योजना बनायी थी, उसको मंजूर कराने में माननीय मुख्य मंत्री जी का बहुत बड़ा प्रयास रहा लेकिन इसके साथ-साथ मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि बड़ी मुश्किल से 25 जुलाई, 1994 को पर्यावरण विभाग से इसको मंजूरी मिली। आज देश में कुछ पर्यावरणविद्, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ऐसा मोनिया हो गया है कि कोई भी विकास कार्य हो उसमें आड़े आने का प्रयास करते हैं। बमुश्किल धौलपुर के थर्मल पावर को मंजूरी मिली। मुझे अखबार के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई है कि अभी 7 अप्रेल को आगरा के कोई एम. सी. मेहता हैं, उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर कर दी है और वही कारण जिनके कारण से 7–8 साल से यह योजना लटकी पड़ी थी, चाहे वह घडियाल का मामला हो, चाहे फोरेस्ट से सेंक्चुरी का मामला हो, चाहे वन विहार का मामला हो, चाहे वह ताज का मामला हो, उनको लेकर बार-बार पर्यावरण के नाम पर वह राजस्थान में उद्योग लगाने के सम्बन्ध में, राजस्थान में थर्मल प्लांट लगाने में अड़चनें पैदा करते रहते हैं। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि बमुश्किल आपके प्रयासों से उसको लगाने की मंजूरी मिली, आपके प्रयासों से सफलता मिली लेकिन यह पर्यावरण वाले फिर इसमें अड़चनें पैदा कर रहे हैं। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय में आप अपने अच्छे वकील से पैरवी करा कर उनकी याचिका को खारिज

(श्री बनवारीलाल शर्मा)

करावें और धौलपुर में जल्दी ही थर्मल पावर प्लांट लगाने का प्रयास करें।

आपने छोटे जिले बना करके निश्चित तौर से एक सराहनीय कार्य किया है, उससे क्षेत्र का विकास होगा। मेरा आपसे निवेदन है कि जहां आप छोटे जिले बना रहे हैं वहीं जो बड़ी-बड़ी तहसीलें हैं, उनका भी पुनर्गठन करें और इस तरह से करें कि उस क्षेत्र का विकास हो। धौलपुर जिले में एक सेखू तहसील है वह बहुत बड़ी तहसील है, राजस्थान की कई तहसीलों से बहुत बड़ी तहसील है लेकिन वह अभी तक एडिशनल तहसील है, वहां पर आपको कोई आर्थिक भार नही पड़ेगा। सिर्फ उसे एक दर्जा देना है, उसको तहसील का दर्जा दिया जाए। जहां तक आपका उद्देश्य है, अगर पैसा खर्च हो तो मैं मान सकता हूं आज सस्ता न्याय दिलाने की आपकी इच्छा है। क्या कारण है कि आप धौलपुर में हैडक्वार्टर पर ए. सी. एम. 6–6 महीने से नहीं लगा रहे हैं। कलक्टर ने चिट्ठी लिख दी, काफी मांग कर दी लेकिन फिर भी 6–6 महीने से न तो ए. सी. एम. हैडक्वार्टर लगा है, न ए. सी. एम. धौलपुर लगा है। अब आप देखिये, अंदाजा लगाइये, ए. सी. एम. धौलपुर के यहां करीब 1,927 केस पेंडिंग पड़े हुए हैं, 6 महीने से वहां पर अधिकारी नहीं है। इसी तरह ए. सी. एम. हैडक्वार्टर पर 754 केसेज पेंडिग पड़े हुए हैं। इसी तरह से राजाखेड़ा के एस. डी. एस. के यहां 1,298 केस पेंडिग पड़े हुए हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इतने केस पेंड़िग हैं, आप राजाखेड़ा के लिए अलग से ए. सी. एम. हैडक्वार्टर क्यों नहीं पदस्थापित कर देते हैं।

माननीय श्री भंवरलाल जी साहब यहां बैठे हुए हैं। मेरा उनसे यह निवेदन है कि नगरपालिकाओं की स्थिति बहुत दयनीय है और खास तौर से धौलपुर में नगरपालिका की स्थिति बहुत दयनीय है। मैंने कई बार आपसे निवेदन किया है कि वहां की सड़कों की और वहां की नालियों की हालत इतनी ज्यादा खराब है इसलिए आप मेहरबानी करके जिन नगरपालिकाओं की स्थिति दयनीय है, जिनकी उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो कोई ऐसी योजना से, चाहे हुड़को से, चाहे किसी से, कुछ पैसा मंजूर करवायें और वहां की हालत सुधारें। इसके अलावा मुख्य मंत्री जी आपने जो अतिक्रमणों पर काबू पाने के लिए एक अभियान चलाया था, जयपुर में चलाया था, पर धौलपुर में आपने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को यह छूट दे रखी है कि किसी भी तरीके से वहां ज्यादा से ज्यादा अतिक्रमण किये जाएं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं कोई भेदभाव नहीं करता।

श्री बनवारीलाल शर्मा : मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं कि कोई एक्शन नहीं है। नजूल की प्रोपर्टी पर बी. जे. पी. के पार्षद ने नाजायज कब्जा कर रखा है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : वह कह रहे हैं कि कोई भेदभाव नहीं कर रहे हैं।

श्री चन्दनमल बैद : सब जगह एक ही हालत है, कोई भेदभाव नहीं है।

श्री बनवारीलाल शर्मा : इसी प्रकार से वहां पर एक हरिजन स्कूल है, वहां पर मैंने काफी कोशिश, बी. जे. पी. के एक पार्षद ने वहां पर कब्जा कर लिया है। प्रशासन अब सुनता नहीं है, चाहे तो वह आपकी वजह से डरता है। प्रशासन की राय पर, प्रशासन के इशारे पर वहां पर उसने कब्जा कर लिया है इसलिए मेरा निवेदन है कि मेहरबानी करके जो दरख्वास्त यहां आपके नोटिस में लायी गयी हैं, कम से कम इन अतिक्रमणों को रोका जाए।

इसके साथ-साथ मेरा निवेदन है कि ओल्ड एज पेंशन के बारे में आपकी जो नीति है, केन्द्र की नीति आयी है उसकी आप जांच करा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत-सी विधवाएं होती हैं, उनकी एज है लेकिन उनके एक पागल लड़का है, चाहे वह लड़का उनको संरक्षण देता है या नहीं देता है लेकिन उनको इसलिए पेंशन नहीं मिल पाती है कि उनका बेटा मौजूद है। मेहरबानी करके इस कानून में कुछ रियायत करें जिससे की गरीबों के लिए और बाकी जो 75 रुपये केन्द्र से आये हैं, 100 रुपये आप भी बढ़ा करके इसको दो गुना करें। यह बहुत कम है। यही मेरा निवेदन है। धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष : अमरारामजी।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, आज जिस बजट पर चर्चा चल रही है और इसमें पंचायत पर माननीय मुख्य मंत्रीजी के अभिभाषण में जो उद्धत है, जहां बड़ी बातें की जा रही हैं कि हमारा सोच था और सबसे पहले राजस्थान नें और मुख्य मंत्रीजी ने इस बात का सोच लिया था लेकिन चुनावों में जिस तरह की बातें हुई हैं मैं उस पर नहीं जाकर आज भी राजस्थान में ऐसी ग्राम पंचायतें हैं, चार-चार ग्राम पंचायतों के पास केवल मात्र एक सेक्रेटरी है और जहां पंचायत एक्ट में हमने यह व्यवस्था की है कि आज से पहले कोई भी ग्राम पंचायत का सरपंच अनपढ़ नहीं होता था, इस 94 के एक्ट के बाद अनपढ़ भी सरपंच हो सकता है और जिसके लिए हर पंचायत के लिए एक ग्राम सेवक और सचिव होना अतिआवश्यक है लेकिन आज तक केवल बात तक वह सीमित रखा गया है। जहां तक उनके अधिकारों का सवाल है और उनके पैसे बढ़ाने की बात है आज तक उस व्यवस्था को सही रूप से जब तक लागू नहीं किया जाता मैं समझता हूं। कि उसकी कोई व्यवस्था नहीं होगी। जहां तक बजट में छूट का सवाल है, जिस भी जिस पर टैक्स में छूट दी जाती है वह कहीं भी, राजस्थान के किसी भी कौने में वह छूट लागू नहीं होती है। वह छूट केवल उन व्यापारियों तक सीमित रहती है और जिस चीज पर टैक्स बढ़ाया जाता है और जब तक बजट नहीं रखा जाता रेडियो पर आने से पहले टैक्स के रूप में तमाम राजस्थान के किसी भी कौने में वह कीमत बढ़ जाती है। तो जो रियायतें जनता तक पहुंचनी चाहिए वह केवल मीडियेटर और दुकानदारों तक रह जाती है। इसलिए उसको भी नीचे तक पहुंचने का कार्य किया जायें।

जहां तक इस बजट को किसान विरोधी, मजदूर विरोधी और बेरोजगार विरोधी कहा जाये तो मैं कहता हूं कि अतिश्योक्ति

(श्री अमराराम)

नहीं होगी। जहां बात केवल किसान की, की जा रही है, बिजली का सवाल हो सकता है यह प्लान बना रहे हैं, यह प्रोजेक्ट बना रहे हैं और यह आ जायेगा, वह आ जायेगा लेकिन जहां बिजली किसान को देने का सवाल है निश्चित रूप से चाहे इस पक्ष में बैठे हों या उस पक्ष में बैठे हों अगर वह किसान हैं और किसान का दर्द समझते हैं, तो सबसे बुरी हालत किसान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुई है इस में कोई शक नहीं। केवल यह कर देंगे और वह कर देंगे और वह हो जाएगा इसके सिवाय आज राजस्थान की भा. ज. पा. सरकार ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया है। चाहे वह बिजली का उपयोग करने वाला किसान है, चाहे नहर का पानी लेने वाला किसान है। चाहे वह आदिवासी किसान है। उसके लिए यह वह करने के सिवाय कुछ नहीं किया है। और हमारे माननीय सदस्य अभी कह रहे थे कि हमारी सरकार ने शिड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब्स के लोगों को बहुत बड़ी अहमियत दी है। जहां पिछली साल अनाज नहीं होने के कारण 60—60 आदिवासियों की भूख से मृत्यु होने के बाद हमारे मुख्य मंत्रीजी को लिस्ट दी गयी लेकिन आज से पहले भी जो भी राजस्थान की सरकारें रही हैं वह गरीब की बात तो करती रही हैं, गरीबी मिटाने के नारे तो देती रही है और अब भी सरकार वही नारे, चाहे उनका रूप बदल जाये "गरीब को गणेश" मानने की बात हो, चाहे नीचे से नीचे अन्त्योदयी है, उसको उठाने की बात है लेकिन केवल मात्र वह बात बात रह जाती है। जो भी पैसा है वह कमिशन के रूप में, ठेकेदारी की प्रथा के रूप में वह नीचे तक नहीं पहुंचता और आज आप और हम यहां सदन में बैठकर चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेता चाहे जितनी भी आलोचना कर लें पर कार्य रूप में आज भी वही किया जा रहा है।

आर्थिक उदारीकरण के नाम पर जो आई. एम. एफ. और विश्व बैंक के इशारों पर जो सबसे बुरी शर्त इस देश की जनता, मेहनतकश और गरीब के लिए है कि सार्वजनिक सोशल सर्विसेज में बजट को घटाया जाए। निश्चित रूप से वही कार्य राजस्थान की सरकार ने किया है। प्रतिशत के हिसाब से पिछली साल में भी सोशल सर्विसेज में प्रतिशत घटाया है और इसका नमूना है कि केवल भारतीय जनता पार्टी विश्व बैंक और आई. एम. एफ. जो इस देश की गरीब जनता की सबसे बड़ी कर्ज देने वाली संस्थाएं हैं, उस सम्बन्ध में केवल मात्र बात करते हैं लेकिन कार्य रूप में उसके खिलाफ है। जैसा आपने घटाया....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ज्योति बसु एक ही है।

श्री अमराराम : ज्योति बसु एक होते, तो 1977 से कंटीन्यू आज तक मुख्य मंत्री हैं....

श्री चन्दनमल बैद : 1977 से यह भी हैं।

श्री अमराराम : लगातार नहीं हैं। अगर वैसे ही जनता के काम होते तो वैसे ही होते। जहां उदारीकरण की बात है, हमारे मुख्य मंत्रीजी कह रहे हैं कि उदारीकरण से बहुत बड़ा विकास हुआ है....

श्री शिवनाथ सिंह : ज्योति बसु के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप इनकी पार्टी ने लगाये उसके लिए क्या कहते हैं आप ?

श्री भैरोंसिह शेखावत : यह नहीं मानते हैं उसको ।

श्री अमराराम : जहां उदारीकरण की बात है हमारे राजस्थान के विकास की चिंता की जा रही है । जहां उदारीकरण से औद्योगिक विकास की बातें की जा रही हैं । हमारे उद्योग मंत्रीजी ने उत्तर दिया है कि बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के सहयोग से राजस्थान में 11 कारखाने लगे हैं । इस उदारीकरण की नीति के कारण राजस्थान की सरकार बनने के बाद 1100 कारखाने बन्द हुए हैं और जो सरकारी उद्यम है उनको सरकार बन्द करने के लिए आतुर है, उनको बेचने के लिए सरकार आतुर है । सरकार तमाम सोशल सर्विसेस को ठेके पर देने की बात करती है चाहे वह चुंगी हो और चाहे हास्पिटल में सफाई की व्यवस्था हो–तमाम की तमाम सोशल सर्विसेज खतम करके केवल पुलिस की व्यवस्था और डंडा अपने हाथ में रखना चाहती है कि राजस्थान की जनता कोई सुविधा नहीं मांग ले । इसलिए जो नीतियां बनाई गई हैं, हमारी सरकार यह समझे कि औद्योगिक नीति बनाने से, केवल उद्योगपतियों को खुश करने से हमारे राजस्थान का औद्योगिक विकास हो जायेगा । राजस्थान की आज नयी औद्योगिक नीति है, जिसमें राजस्थान सरकार की औद्योगिक नीति परिलक्षति है, उसमें उद्योगपतियों को खुली छूट दी गयी है इस बात की कि वह मजदूर का चाहे जिस तरह से शोषण करे और 9-9 महीने से बगैर सरकार की अनुमति से और बगैर पूछे हुए चाहे वह पोलीस्पिन रींगस की फैक्ट्री हो और चाहे सिंथेटिक अलवर हो, श्रम कानून में छूट दी गयी है, जहां "गरीब को गणेश" मानने वाली सरकार, जो राजस्थान का सबसे गरीब तबका है, बिखरा हुआ खेतिहर मजदूर है और जिनकी मिनिमम मजदूरी की बात है, जहां मंहगाई के आंकड़ों के साथ-साथ करीब-करीब सभी राज्यों में इसको जोड़ दिया गया है, वहां हमारी सरकार उसके साथ जोड़ने के लिए तैयार नहीं है । 4 साल तक मिनिमम वेज बढ़ाने के लिए तैयार नहीं है । जब तमाम मजदूर संगठनों ने इस बात के लिए प्रेशराइज किया तो बढ़ाया गया । जब मंहगाई सूचकांक के आधार पर 50–55 रुपया होना चाहिए था वह घट कर केवल 32 रुपया किया है और उन आंकड़ों के साथ जोड़ना नहीं चाहते । इसलिए इस सरकार का सोच और यह बजट प्रान्त के पूंजीपतियों के लिए हो सकता है, बड़े औद्योगिक घरानों के लिए हो सकता है लेकिन राजस्थान के किसान और मजदूर के लिए नहीं हो सकता है । इसलिए उनको खुली छूट दी जा रही है ।

जहां बेरोजगारों की हजारों की संख्या में बढ़ती जा रही है जहां सरकार उनको कोई रोजगार उपलब्ध कराने की बात तो छोड़ दीजिये, जो लगे हुए हैं उनको भी निकालने की बात करती है । जहां कहते हैं कि हमारा सोच बहुत बढ़िया है । अगर सोच बढ़िया होता तो हिन्दुस्तान की ऐसी प्रान्तीय सरकारें हैं, बेरोजगारी उन बेरोजगारों का गुनाह नहीं है, सरकार जिस ने भी चलाई है उनका दायित्व है उनको

(१५०)

(श्री अमराराम)

रोजगार प्राप्त कराना। अगर सरकार रोजगार उपलब्ध नहीं करवा सकती तो उनको बेरोजगारी भत्ता दिया जाना चाहिए। उसे आज सरकार चालू करने की बात नहीं कर रही है....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य समाप्त करें।

श्री अमराराम : जहां आप समाजवाद की बात करते हैं, आज भी दुनिया की तिहाई जनसंख्या पर सोशल सैट-अप है और रूस की बात करते हैं, तो रूस का पराभव होने के बाद, जब सोशल यू.एस.एस.आर. था तब भी उसने हिंन्दुस्तान को जो मदद हिन्दुस्तान की जनता के लिए और हिन्दुस्तान के औद्योगिक विकास के लिए जो सहायता की है उतनी दूसरे किसी ने भी, दुनिया के देशों ने नहीं की है और जो विघटन रूस का हुआ है उससे केवल रूस के लोगों को नहीं बल्कि हिन्दुस्तान के एक एक नागरिक को और राजस्थान के एक-एक व्यक्ति को नुकसान हुआ है। यह कोई अच्छी बात नहीं है और जो भी समाज में आरक्षण की बात करते हैं—हमारे माननीय सदस्य श्री टीकमचन्द जी कान्त कह रहे थे कि बहुत बड़ा लाभ इस आरक्षण से हुआ है,। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि सन् 1952 से शिड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब्स का आरक्षण है क्या उनकी समस्याओं का समाधान हो गया? आज जहां गरीब की बात, जहां भूमि सुधार की बात हमारी सरकार ने बिलकुल छोड़ दी है। इंदिरा गांधी कैनाल पर राजस्थान की जनता का करोड़ों रुपैया लगा है....

श्री अध्यक्ष : अब बिराजें आप।

श्री अमराराम : एक मिनट। जहां पर जमीन सैकण्ड फैस में दी जा रही है, वहां गरीबों को जमीन दी जानी चाहिए। और सही मानो मैं श्री टीकमचन्दजी कान्त और उधर बैठने वाले एस. सी. और एस. टी. के माननीय सदस्य उनके हमदर्द हैं, तो निश्चित रूप से सैकण्ड फैस में अलाटमेंट होने वाली इंदिरा गांधी कैनाल पर जमीन। शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के उन खेतिहर मजदूरों को जिनके पास जमीन नहीं है उनके लिए रिजर्व होनी चाहिए। केवल विशेष आबंटन के नाम पर केवल तीन लाख और चार लाख में जो राजस्थान के बड़े-बड़े उद्योगपति हैं, जो राजस्थान के बड़े-बड़े आफिसर्स हैं, जो राजस्थान के बड़े-बड़े राजनेता हैं, उनको नहीं मिलनी चाहिए। इस बात के लिए रिजर्व करें। केवल मात्र पंचायत में सरपंच बन जाने से हरिजन का उद्धार हो जायेगा, नामुमकिन है। वह प्रधान और प्रमुख बनें, पहले भी विधायक और पार्लियामेंट के मैम्बर 1952 से बनते चले आये हैं और उनको मृगछाल दिखाने के लिए उनको मंत्री भी बनाते रहे हैं चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो अगर वास्तव में उसके रहनुमा हैं तो राजस्थान में उत्पादन के जो साधन हैं, राजस्थान के जो हित में हैं, राजस्थान सरकार की पजेशन में हैं उनमें उनका प्रतिशत होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जहां भगवान की बात करती है, क्यों नहीं लालू प्रसाद यादव ने उस भगवान के मन्दिर में भी जब रिजर्वेशन की बात कहदी है, क्यों नहीं हमारे श्री टीकम चन्द जी कान्त श्री भैरोंसिह जी से कहते हैं कि उनमें भी रिजर्वेशन करा दें....

श्री अध्यक्ष : बिराजें।

श्री अमराराम : आज भी जब राजस्थान में जहां गरीब की बात करते हैं, राजस्थान के किसी भी मन्दिर में हरिजन अगर घुसने की बात करे, उनके अन्दर जाने की बात करे, तो उसके साथ....

श्री अध्यक्ष : अब बिराजिए।

श्री अमराराम : मैं आपसे यही कहूंगा कि यह जो बजट रखा गया है, यह राजस्थान के किसान, राजस्थान मजदूर, राजस्थान के गरीब के खिलाफ है, राजस्थान के पूंजीपतियों और बड़े पैसे वालों के हित का रखा गया है, इसका मैं विरोध करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रतिपक्ष के नेता माननीय मदेरणा साहब।

श्री परसराम मदेरणा (नेता, प्रतिपक्ष) : माननीय अध्यक्ष जी, राजस्थान के मुख्य मंत्री जी जो वित्त मंत्री भी हैं। इस सदन में उनका यह पांचवां बजट है। हालांकि यह बजट तो छटा होता लेकिन प्रेसिडेंट रूल की वजह से वह बजट लोकसभा और राज्य सभा में प्रस्तुत किया गया था। पांच साल की अवधि काफी लम्बी अवधि है और एक पंचवर्षीय योजना की अवधि है। 1990 में जब 4 मार्च को यह सरकार सत्ता में आयी थी, तो उस वक्त इस सरकार ने कहा था कि कांग्रेस की जो दोषपूर्ण नीतियां रही हैं उनकी वजह से राजस्थान का विकास द्रुतगति से नहीं हो सका, इस प्रकार के एलिगेशंस और इनसिनुएशंस हमारे खिलाफ लगाये थे। माननीय मुख्य मंत्रीजी आपके पूरे इस बजट के अन्दर, जो पैरा 15 है वह आपके नीतिप्रद उद्देश्यों की ओर संकेत करता है, यह कोई नयी बात नहीं है। किसी भी एक साल का बजट किसी भी राज्य सरकार की पालिसी और उसके आबजेक्टिव्स को अचीव करने वाला नहीं है। यह एक लांग टर्म पालिसी है और यह आज जहां आपने अपना यह उद्देश्य एट्थ प्लान के तैयार करने के पहले जब आपने एपोच टू दी प्लान तैयार किया था उस वक्त भी आपका उद्देश्य यही था, जिसका जिक्र आज आप पैरा 15 में कर रहे हैं—"The main objective of the 8th plan as indeed of all previous plans, will be growth with equity." आप यहां पर कह रहे हैं विकास और सामाजिक न्यायपूर्ण समता, यह कोई नई बात नहीं है—'The first priority would, therefore, be generation of more wealth, basic needs and equity objective in the State be met in an environment of high growth.'

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से यह जानकारी चाहता हूं कि राज्यपाल महोदय ने जो 16 मार्च को अभिभाषण दिया, आप सत्ता में 4 मार्च को आये थे। पिछली सरकार की गलत नीतियों के कारण राजस्थान विकास की दृष्टि से नीचे गिरकर अब दसवें स्थान पर पहुंच गया है इस प्रकार की विकास व्यवस्था और विकास संरचना में परिवर्तन आवश्यक है। क्या परिवर्तन लाये आप ? सरकार की यह कोशिश होगी कि व्यापक सहमति से योजनागत प्राथमिकताओं व कार्यक्रमों का पुनः निर्धारण किया जाए

(श्री परसराम मदेरणा)

ताकि विकास योजना में लगने वाली धन-राशि का प्रदेश को अधिक से अधिक लाभ मिले। जिन प्रवृतियों में कम विनियोग से अधिक लाभ मिल सकता है उन प्रवृतियों में विनियोग बढ़ाया जाएगा। स्थानीय प्राथमिकताओं व सम्भावनाओं को देखते हुए विकास योजनायें बनाई जायेंगी। सामाजिक तथा आर्थिक लाभ का सामंजस्य बैठाकर योजनाओं का निर्माण व क्रियान-वयन किया जायेगा। प्रदेश के आर्थिक विकास के बारे में सरकार एक श्वेत-पत्र आपके विचारार्थ प्रस्तुत करेगी। मैं मुख्य मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं प्लान की प्रायोरिटीज को आप बदलना चाहते थे और योजनाओं में जो पहले प्राथमिकताएं थीं उनमें आउटराइट आप चेंज करना चाहते थे और चेंज करने के सम्बन्ध में इस सदन को आपने आश्वस्त किया था, श्वेत-पत्र यहां पर प्रस्तुत किया जायेगा। पांच साल का यह लम्बा समय व्यतीत होने के बाद जब आप यहां पर पांचवां बजट प्रस्तुत कर रहे हैं, हम श्वेत-पत्र का इंतजार कर रहे हैं, वह श्वेत-पत्र हमको अभी तक नहीं मिला है। इसलिए थोथी घोषणायें करके हमको ही भुलावे में नही डाल रहे हैं लेकिन सत्ता पार्टी के जो लोग हैं वह भी आपकी घोषणाओं से और आपकी कीर्ति-मान के जो आत्म प्रशंसा की अनुशंसा है, उनसे वह भी ठगे गये हैं। हम तो ठगे जाने वाले नहीं हैं, उनके साथ भी धोखा हो रहा है। यहां पर बजट पर सत्ता पक्ष के मान-नीय सदस्यों ने तीन-चार मोटी-मोटी बातें कहीं हैं। चालीस साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, कांग्रेस ने जनता को धोखा दिया है....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : समाजवाद के नाम पर।

श्री परसराम मदेरणा : किस के नाम पर नहीं दिया लेकिन आपके साथ में जो विश्वासघात होता है वह तो राजस्थान की पार्लियामेंटरी हिस्टरी में अच्छे अक्षरों में लिखा जाएगा। मैं यह निवेदन कर रहा था कि राजस्थान के बजट का जब हम विश्लेषणात्मक अध्ययन करते हैं, उसका विवेचन करते हैं, तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बजट का आपके सामने पूरा पोस्टमार्टम और एब्सट्रेक्ट प्रस्तुत किया है वह काफी चिन्ताजनक था। मुख्य मंत्रीजी, आप स्वयं जानते हैं इस और बैठकर कोई आलोचना करना तो बहुत आसान है लेकिन राजस्थान के जो कुछ इनहैरेंट कंसट्रेंट्स रहे हैं वह किसी राज्य के नहीं रहे हैं, जिओग्राफिकल कंसट्रेंट्स राजस्थान के बैकवर्डनेस के हिस्टोरिकल फैक्टर्स रहे हैं। राजस्थान के अन्दर जो रेगिस्तान है, वन आफ द ड्राबैक्स है बहुत बड़ा, राजस्थान का मानसून बहुत इरेटिक है, राजस्थान की क्लाइमेट राजस्थान के डेजर्ट पर निर्भर करती है, राजस्थान में वर्षा का एवरेज देशभर में सबसे कम है, जिस राज्य का क्षेत्रफल 10 पर्सेन्ट हो, जिसकी आबादी 5 फीसदी हो और जिसका पानी एक फीसदी हो, यह इम्पेंडीमेंट्स, यह ड्राबैक्स, यह कंस्ट्रेंट्स यह कमियां हैं हमारे यहां की इकानोमी में और राजस्थान के विकास में, निश्चित तौर पर यह बहुत बडे बाटलनैक्स हैं और इम्पेंडीमेंट्स हैं। इन इम्पेंडीमेंट्स का जिक्र, माननीय अध्यक्ष महोदय, जो मेमोरेण्डम स्टेट फाइनेंस कमी-

(श्री परसराम मदेरणा)

शन को मुख्य मंत्रीजी ने प्रस्तुत किया, उस मेमोरेण्डम के पैरा 1.26 के पेज 19 पर मुख्य मंत्रीजी ने राजस्थान का जो चित्रण किया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कौनसे सन का है ?

श्री परसराम मदेरणा : सन् तो इसमें आपने जान-बूझकर नहीं लिखा। यही तो सबसे बड़ा राज है, यही बात इनके साथ कर रहे हैं और ये ठगे जा रहे हैं,

"In fact, because of the geographical constraints, Rajasthan's pace of development is similar to that of a person walking on the sand where with every step taken forward, he retraces back a little and, therefore, requires more time and effort to traverse the same distance."

उसी दूरी को पार करने के लिए एक कदम आगे बढ़ता है और फिर रिट्रेस हो जाता है आधा कदम। आप बहुत सौभाग्यशाली हैं, यहां पर यह बात कही गयी है इस बजट के वक्त, मुख्य मंत्रीजी की स्वयं तो आत्मप्रशंसा में दो बातें ज्यादा कर रहे हैं। दो मुद्दों पर, एक तो मेरे दिमाग की बहुत जबरदस्त उपज है, फटाईल माइंड है कि मैं अन्त्योदय की नयी योजना लाया हूं और अन्तिम व्यक्ति को मैं ऊपर उठाना चाहता हूं। मेरी जो यह योजना है और मेरा जो यह विचार है, अवधारणा है, इस अवधारणा को भारत सरकार ने स्वीकार किया और यहां भाषण दे रहे थे 1990 में, उन्होंने कहा कि इस योजना की जापान ने तारीफ की है। अध्यक्ष महोदय, जापान, अन्त्योदय की योजना और मुख्य मंत्रीजी ने इस प्रदेश को चार भागों में डिवाइड कर दिया है। पहले तो वह एक गरीब था जो पावर्टी लाइन के नीचे था। अब एक तो दरिद्रनारायण, अब गणेश की जगह दरिद्र-नारायण आ गया। दरिद्रनारायण की सैकण्ड केटेगरी में आ गया अत्यधिक निर्धन, फिर आ गया अति निर्धन और फिर निर्धन। मैं देखकर हैरान रह गया, अध्यक्ष महोदय, यह वर्ल्ड डवलपमेंट रिपोर्ट, 1994 है और मैं देख रहा था कि जापान की पर-कैपिटा इनकम क्या है, जापान की पर-कैपिटा इनकम 28,190 डालर है, यानि साढ़े 10 लाख के आस-पास और इण्डिया की जो पर-कैपिटा इनकम है वह है 310 डालर, यानि करीब साढ़े 9 हजार रुपये के आसपास। साढ़े 10 लाख सालाना जिसकी इनकम हो, यहां पर साढ़े 9 हजार रुपये जिसकी इनकम है ? एक भी व्यक्ति वहां पावर्टी लाइन के नीचे नहीं, निर्धन है नहीं, अत्यधिक निर्धन है नहीं, न अति निर्धन है। जापान का येन इण्टरनेशनल करेंसी में सबसे स्ट्रांग करेंसी है वर्ल्ड ओवर मार्क से भी है, डालर से भी है, पाण्ड्स से भी है। अगर यही स्थिति है तो जापान आपकी तारीफ करने के लिए यहां पर आ गया और जापान आपकी तारीफ करने के लिए आ गया, अच्छी बात है।

श्री चन्दनमल बैद : प्रणव मुखर्जी के साथ में वह भी आ गया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपको प्रणव मुखर्जी से जलन हो रही है ?

श्री परसराम मदेरणा : नहीं, प्रणव मुखर्जी से जलन नहीं हो रही है। मुख्य मंत्रीजी तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य को जलन इस बात से हो रही है कि राजस्थान की कंस्टेंट्स और राजस्थान की आय को देखते हुए जो डिस्टार्शन बजट में है, यहां पर बनीपार्क से आने वाले माननीय सदस्य ने बार-बार यह रिपीटेशन किया, फिस्कल डेफिसिट से आपको क्या तकलीफ हो रही है ? आज वह नहीं है इसलिए मैं कह रहा हूं; मैं सुन रहा था उनका यह भाषण।

एक माननीय सदस्य : आ गये।

श्री परसराम मदेरणा : आ गये न। आपको क्या तकलीफ हो रही है ? बजट घाटा हो गया, आपको क्या तकलीफ हो रही है ? रेवेन्यू का डेफिसिट है, क्या तकलीफ हो गयी ? अब यह सब खर्चा सोशल सर्विसेज पर कर रहे हैं। अभी डाक्टर की बात कर रहे थे बैदजी। उन डाक्टरों को पहुंचाना है हमको, उन डाक्टरों की जगह खाली पड़ी है, स्कूल में अध्यापक नहीं है बच्चों को पढ़ाने के लिए इसलिए अध्यापकों को भेजने के लिए यह तो सोशल सर्विस है। यह आपको क्या तकलीफ हो गयी ? हमको कोई भी तकलीफ नहीं है, तकलीफ हमको इस बात की है कि राजस्थान के जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, बजट एक लेखा-जोखा है, आय-व्यय का, उसमें योजना का व्यय भी शामिल है। योजना के अलावा कई तरह के और व्यय हैं जो योजना व्यय से भी भिन्न हैं। वे जो खर्चे हैं, चाहे वह राजस्व खर्चा हो, चाहे वह जनरल सर्विसेज का खर्चा है, चाहे वह घाटा है, वह इस बात का संकेत करता है कि आपके बजट की और आपकी आर्थिक अवस्था है, उसकी दशा है राज्य की, वह संतोषजनक ही नहीं बल्कि वह रूग्ण है। अगर रूग्ण अवस्था है, तो निश्चित तौर पर आज जो फाइनेंसेज के मामले में जो इस बात को समझते हैं कि अभी आसीन्द से आने वाले माननीय सदस्य बहुत लिबरलाइजेशन पॉलिसी को ज्यादा ले आये, यहां पर अमरीका की पॉलिसी भी आ गई, यहां पर कुत्तों के लिए रिसर्च का भोजन है, वह भी वहां पर चर्चा का विषय बन गया, मैं उस पर नहीं जाकर, मैं स्टेट बजट के विश्लेषण पर विवेचना करना चाहूंगा क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि जो तथ्य यहां पर तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने प्रस्तुत किये, वे बहुत वजनदार है और अनडिबेटेबल हैं और इसलिए सरकार डाक में खड़ी है। मैं निवेदन यह करना चाहूंगा कि इस बजट को जब हम ब्राडली देखते हैं, तो राजस्व घाटा 824 करोड़ 93 लाख का है, अनकवर्ड गेप जो बजट में रखा है वह 309 करोड़ का रखा है मुख्य मंत्रीजी ने और जिस राजकोषीय घाटे की बात, भारत सरकार के साथ में कम्पेरीजन किया गया और भारत सरकार नहीं मैक्सिको और वहां की इकानोमी जो टोटर हो गयी हैं, उस सम्बन्ध में भी यहां पर काफी चर्चा की गयी। राजकोषीय घाटा 3170 करोड़ 99 लाख का है। यह राजकोषीय घाटा फिस्कल डेफिसिट प्रचलित कीमतों पर घरेलू उत्पाद का 10.33 पर्सेण्ट है जबकि भारत सरकार का जो फिस्कल डेफिसिट है वह 5.5 पर्सेण्ट है। यही नहीं, अध्यक्ष महोदय, पिछले साल भी इसी तरह का डेफिसिट था, 1994–95 का जो बजट प्रस्तुत किया मुख्य मंत्री जी ने, उसमें

(श्री परसराम मदेरणा)

फिस्कल डेफिसिट 9.57 पर्सेण्ट था।

(16.00)

यह बढ़ोतरी इस बात को इंगित करती है कि अर्थ-व्यवस्था है वह रूग्ण अवस्था में है। मुख्य मंत्री जी, जैसा कि बनीपार्क से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि यह बजट किसी पालिटिशियन का नहीं है यह इकोनोमिस्ट का बजट है, यह बजट किसी पालिटिशियन का नहीं है यह बजट स्टेट्समेन का है, यह बजट वित्तीय प्रबन्धन के जादूगर का है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह भी कह रहे थे कि इसको समझना बहुत मुश्किल है।

श्री परसराम मदेरणा : मेरी खुद की भी मान्यता यह है मुख्य मंत्री जी कि राज-नीति और जादूगरी में ज्यादा अन्तर नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : फिर तो जादूगरी आपको भी आती होगी ?

श्री परसराम मदेरणा : मुझे जादूगरी नहीं आती है लेकिन जादूगर है उसको मैंने सुना है, यह "हाथ की सफाई और पेट का हुनर है", इसलिए यह जो हाथ की सफाई आप बताने जा रहे हैं वह हमने देख लिया कि यह हाथ कहां पर जेब काट रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हाथ की सफ़ाई तो आप अपने नेता से सीख रहे हैं।

श्री परसराम मदेरणा : मुख्य मंत्री जी राजस्व आय जो आपकी है उसका फिस्कल डेफिसिट 44 पर्सेण्ट है, यह है तकलीफ हमको। इसी प्रकार राज्य का कुल राजस्व व्यय 7988 करोड़ 19 लाख है और विकास पर आप इस बजट में खर्च करने जा रहे हैं 4929.75 करोड़ 1990 के अन्दर विकास व्यय का प्रतिशत 66.92 पर्सेण्ट था, 1995-96 के बजट में वह 61.71 पर्सेण्ट रह गया। इसका मतलब यह है कि इन 5 वर्षों के अन्दर विकास व्यय में 5.21 पर्सेण्ट की गिरावट आयी है। यह है चिन्ता का विषय और यह तकलीफ हमको।

दूसरी बात सोशल सर्विसेज की यहां पर बहुत कही गयी, कर्जा सोशल सर्विसेज में हो रहा है। सोशल सर्विसेज की हालत आप देख लीजिए। सोशल सर्विसेज में 1990-91 के अन्दर व्यय हो रहा था वह 42.27 पर्सेण्ट और 1995-96 के अन्दर सोशल सर्विसेज पर जो व्यय हो रहा है वह 36.65 पर्सेण्ट है, 5.62 पर्सेण्ट की गिरावट आयी है। यह है आपका वित्तीय प्रबन्धन। सोशल सर्विसेज में व्यय में लगा-तार गिरावट आ रही है। यह है हमको तकलीफ। खैर, उसके दूसरे साइट को देखेंगे, अदर साइड आफ दी कोइन। सामान्य सेवाऐं हैं, एक्सपेडिचर और जन-रल सर्विसेज हैं, जिनके बारे में मुख्य मंत्री जी पिछले साल भी आपने मुझसे पूछा था कि वह कौन-कौन सी है जनरल सर्विसेज उसमें आती हैं। मैंने पेज 14 का हवाला दिया था और इस वक्त भी वह पेज 14 पर ही है बजट स्टैडी में। सामान्य सेवाओं पर 1990 में 33.08 पर्सेण्ट व्यय हो रहा था वह बढ़कर 38.29 पर्सेण्ट यानि 5.2 पर्सेण्ट की बढ़ोतरी हुई है। यह तकलीफ हमको।

(146)

(श्री परसराम मदेरणा)

इसी प्रकार, अध्यक्ष महोदय, अगर आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को देखेंगे तो 1990–91 से लेकर 1995–96 तक लगातार जो बजट के टोटल सम्स हैं, उसका प्रतिशत बढ़ता हुआ चला जा रहा है। एक साल थोड़ा सा कम हुआ हैं 1991–92 में, 1990–91 के अन्दर पूरे बजट का नान प्लान एक्सपेंडिचर था वह 50.3 पर्सेण्ट और 1992 में जरूर ये 48.6 पर्सेण्ट था, 1992–93 के अन्दर यह बढ़कर 56.67 पर्सेण्ट हो गया, 1993–94 के अन्दर यह बढ़कर 57.17 पर्सेण्ट हो गया और 1994–95 में बजट एस्टिमेट में तो यह 6.1 पर्सेण्ट था लेकिन रिवाइज्ड बजट के अन्दर इसको आपने 1280 करोड़ से बढ़ोतरी करके इसको 6846.87 करोड़ कर दिया, 70·5 पर्सेण्ट इसमें बढ़ोतरी हुई हैं तुलना में। मेरे कहने का मतलब यह है कि इसी तरह से 1995-96 के अन्दर जहां टोटल बजट आपका 10.425 करोड़ का है और नान प्लान एक्सपेंडिचर कर रहे हैं 6855.1 करोड़ का जो 65.7 पर्सेण्ट है।

अध्यक्ष महोदय, यहां पर कर्ज को लेकर डेट है एण्ड सर्विसिंग आफ डेट इंट्रेस्ट पेमेंट के सम्बन्ध में भी काफी चर्चा हुई है। 1995–96 के बजट अनुमानों के अनुसार राजस्थान राज्य के ऊपर जो पब्लिक डेट का जो भार है वह 13985.87 करोड़ का हो जायेगा और 1995–96 के अन्दर एक साल में बढ़ोतरी हो रही है वह 2517.75 करोड़ की है, एक साल की यह जो करेंट ईयर है और इस कार्य पर प्रतिवर्ष ब्याज की आप अदायगी कर रहे हैं वह 1234.72 करोड़ जो कि सैल्स टैक्स की आमदनी से सवा सौ करोड़ कम है। सबसे बड़ा रेवेन्यू का स्रोत सैल्स टैक्स है, इसमें बोयेंसी भी है और सैल्स टैक्स के बराबर अगली साल मैं समझता हूं कि क्योंकि एक साल के अन्दर जब आपने रेवेन्यू एक्सपेडिचर के अन्दर 1280 करोड़ बढ़ा दिया बजट एस्टिमेट्स में और रिवाइज्ड एस्टिमेट में तो क्या गारंटी है कि आप फिर आगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ायेंगे। कर्ज का भी मैं अभी जिक्र करूंगा आपने लोक ऋण (पब्लिक अकाउण्ट्स) में आपने क्या बढ़ोतरी की है। डेट सर्विसिंग जो आप करने जा रहे हैं वह रेवेन्यू रिसीट्स का 18 पर्सेण्ट है। यह है चिन्ता का विषय। डेट सर्विसिंग और कर्ज अदायगी टैक्स रेवेन्यू है 2747.27 करोड़ उसका 45 पर्सेण्ट है। सबसे मजेदार बात तो यह है, अध्यक्ष महोदय, कि 40 वर्षों में आपने कुछ नहीं किया राजस्थान पिछड़ा रह गया। मुझे इस बात की भी बहुत प्रसन्नता है मुख्य मंत्री जी कि आप अब यह कह रहे हैं कि राजस्थान को पिछड़ा मत कहो। अब नहीं कहेंगे, हम राजस्थान के उज्ज्वल भविष्य को देखना चाहते हैं, अगर पिछड़ा नहीं है और वह अब आगे आ गया है और जैसा कि आप प्रयत्न कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर पिछड़ा नहीं रहना चाहिये, जो आज डवलप्ड स्टेट्स हैं, पहली पंक्ति में राजस्थान आना चाहिये यह हमारी भी अनुशंसा है, धारणा है और पिछड़ा कहने से इन्वेस्टमेंट में भी जो लोग पीछे हिचकते हैं, घबराते हैं। आपने बम्बई की बाद कही कि बम्बई में इन्वेस्टमेंट तो करने आ नहीं रहे हैं लेकिन वह कह रहे हैं कि वहां रेत उड़ रही है, वह तो थार डेजर्ट है

(श्री परसराम मदेरणा)

वहां तो रेत उड़ेगी ही लेकिन कुछ ऐसी जगह है, जहां रेत नहीं उड़ रही है। आपने लोगों को जो यहां पर बुलाया है वह इन्वेस्टमेंट करेंगे, करने को तैयार होंगे लेकिन उनके भी कुछ कंस्ट्रेंट्स है। पिछले 40 वर्षों में जहां आप यह कह रहे हैं कि हमने कुछ नहीं किया, हमने पिछले 40 वर्षों में, जिस वक्त आप सत्ता में आये थे 4 मार्च, 1990 को, उस समय जो कर्ज भार था वह 5411.46 करोड़ का था....(व्यवधान)....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : योजना का आकार ?

श्री परसराम मदेरणा : योजना के आकार पर मै आ रहा हूं। योजना का आकार-वाकार कुछ नहीं, मैं अभी सब बता दूंगा सब आपको आकार ही आकार।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आकार भी है तो प्रकार भी होगा।

श्री परसराम मदेरणा : आकार में अभी आचार निकलेगा आपका यहां पर।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आकार बिना तो प्रकार भी नहीं होगा।

श्री परसराम मदेरणा : नहीं, नहीं, आप सुनिये। 1990 से 31 मार्च, 1996 तक जो वर्षों से आपने कर्ज भार बढ़ाया है वह 8574 करोड़ 51 लाख बढ़ाया है। 40 साल की कर्जे की तुलना में आपकी जो बढ़ोतरी हुई है वह 258 प्रतिशत हुई है। आप आकार की बात कर रहे हो, 283 प्रतिशत आकार बढ़ गया है यहां कर्जा 268 प्रतिशत और अगले साल बराबर हो जायेगा। 283 और 283। इस भार से आप राजस्थान के टैक्स-पेयर का कचूमर निकाल रहे हैं और प्रति व्यक्ति कर्ज भार जो बढ़ा है, पर कैपिटा पब्लिक डेट है वह 3178 रुपये है और अभी सिवाना से आने वाले माननीय सदस्य पर-कैपिटा इन्कम की बड़ी दुहाई दे रहे थे कि राजस्थान के अन्दर पर कैपिटा इन्कम प्राइमरी सैक्टर एग्रीकल्चर है। मैं सैकण्डरी और तहसील सैक्टर की बात नहीं कर रहा हूं मुख्य मंत्री जी, मैं निश्चित तौर पर एक बात तो मानूंगा और मैं बनीपार्क से आने वाले माननीय सदस्य से सहमत हूं कि मुख्य मंत्री जी भाग्यशाली हैं, क्योंकि यहां पर कोई बड़ा अकाल नहीं है, बाढ़ जरूर आई। पहले भी जब आप मुख्य मंत्री बने थे, जबरदस्त बाढ़ आयी थी और जोधपुर डिवीजन के अन्दर 440 आदमी मर गये थे (व्यवधान) लेकिन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जब बढ़ेगा तो निश्चित रूप से पर कैपिटा इन्कम बढ़ेगी। 1992–93 के अन्दर कम कैसे हुआ पिछले साल में। 23,000 गांव अकाल में थे इसलिए पर कैपिटा इन्कम और राज्य का नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी गिर गया था लेकिन प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इन्कम 2016 रुपये हैं। इसी प्रकार प्रति व्यक्ति जो कर्ज भार है, वह प्रति व्यक्ति आय से 157.6 प्रतिशत अधिक है....

श्री चन्दनमल बेद : चुका भी नहीं सकते।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : चुका दिया। कटवा मिती ब्याज देने की आदत है....

श्री परसराम मदेरणा : अब मैं लोक ऋण और लोक लेखा के बारे में मैं जिक्र

(श्री परसराम मदेरणा)

करना चाहता हूं क्योंकि बजट एस्टीमेट में पब्लिक डेट और पब्लिक एकाउण्ट के ऊपर आपने जो प्रावधान रखा था, वह 2119 करोड़ 99 लाख का रखा था लेकिन साल भर के अन्दर-अन्दर आपने रिवाइज एस्टीमेट में इसको 3394 करोड़ 94 लाख कर दिया और आपने एक साल के अन्दर बढ़ोतरी कर दी 1214 करोड़ 45 लाख की। और यह बड़ी चतुराई से किया गया है कि जो इकोनोमिक्स टर्म है फजिंग आफ फिगर्स, यह फिगर्स का फजिंग है और आपने जो पब्लिक डेट और पब्लिक एकाउण्ट में एक साल में बढ़ोतरी की है, यह उसी का परिणाम है कि पिछले साल आपका बजट घाटा 216 करोड़ रुपये था, अब यह आप सरप्लस बता रहे हैं 66.44 करोड़ रुपये। यह कोई एफिशियंसी का या इकोनोमी का परिणाम नहीं है। बजट के अन्दर 1294 करोड़ रुपये आपने बढ़ा दिये और कर्जा लेकर आप बजट का घाटा पूरा करना चाहते हैं और फिर सरप्लस बताते हैं और यह कहते हैं कि यह फिस्कल मैनेजमेंट का एक कीर्तिमान है। फिस्कल मैनेजमेंट की इस तरह की परिभाषा करना यह ग्लेरिंग, ओबनोक्सियस और मिस लीडिंग और मैं कह रहा हूं डिस्टोर्टेड पिक्चर है।

अब अध्यक्ष महोदय, अन्त्योदय के सम्बन्ध में बात करते-करते मुख्य मंत्रीजी ने इसके इवेल्यूएशन की बात स्वयं कही थी कि लगातार ही मैं इसका मूल्यांकन कराता रहूंगा। उन्होंने अपने परिवर्तित बजट भाषण 27 जून का, इस तरह 74, 76 और 77 में सरपंचों को एक पत्र लिखकर मैं पूछ रहा हूं कि यह-यह आपकी परिसम्पत्तियां कायम हुई हैं कि नहीं हुई हैं। यह सेल्फ सपोर्टिंग इकोनोमी अन्त्योदयी परिवारों में बनी है या नहीं है, आप मुझे सूचना करें। 27 जिलों में सचिव या विशेषाधिकारी को प्रभारी नियुक्त कर यह निर्देशित किया गया है कि 8 गांवों का विस्तृत दौरा कर यह बतावें कि विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की क्रियान्विति कैसी हो रही है और इसी तरह से संभागीय आयुक्त, जिलाधीश और जिला स्तरीय अधिकारियों और विकास अधिकारियों को भी निर्देशित किया गया है कि अपने-अपने क्षेत्रों में 10-10 गांवों का सर्वेक्षण कर इन योजनाओं का अवलोकन करें। मुख्य मंत्री जी से मैं यह जानना चाहता हूं कि आपने व्हाइट पेपर प्रस्तुत नहीं किया है। यह जो आपका वस्तुपरक मूल्यांकन रहा है इन तीन एजेंसियों के जरिये, क्योंकि जब आप सत्ता में आये थे तब आपने 8वें प्लान के अन्दर भी लिखा है और एप्रोच टू दी प्लान में है कि पोवर्टी लाइन के नीचे साढ़े इक्कीस लाख लोग हैं। इन साढ़े इक्कीस लाख लोगों में से किन लोगों की परिसम्पत्ति बनी, क्या असैट्स बने, उनकी अपनी सेल्फ सपोर्टिंग इकोनोमी बनी या नहीं बनी और वे अपने परिवार को पैरों पर खड़ा होने में आर्थिक तौर पर सक्षम हुए कि नहीं हुए? इसकी जानकारी सदन अब आपसे पांच साल बाद में चाहता है, क्योंकि आप इस सदन के प्रति एकाउण्टेबल हैं। मुख्य मंत्री जी, इसी परिवर्तित बजट के अन्दर आपने प्रारम्भ में पैरा 6 में इस बात का उल्लेख किया है, इसका भी जिक्र सिवाना से आने वाले माननीय सदस्य कर रहे थे कि योजना मद में विकास के विगत चार दशकों में प्रशासन के बावजूद राजस्थान आधारभूत

(श्री परसराम मदेरणा)

सुविधाओं की दृष्टि से अखिल भारतीय स्तर पर पिछड़ा हुआ है। वर्षा की कमी, निरन्तर रूप से पड़ने वाले अकाल, ऊर्जा स्रोतों का अभाव, कुछ ऐतिहासिक विरासत, कुछ भौगोलिक विषमताओं के फलस्वरूप विकास की यात्रा में राजस्थान पीछे रह गया है देश के 14 बड़े राज्यों में। राज्यों की उपलब्धियों की नवीनतम तुलनात्मक जानकारी के आधार पर गांवों को सड़क से जोड़ने की दिशा में हमारा 13वां स्थान है। प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में अस्पताल की सुविधा की दृष्टि से 12वां स्थान है, ग्रामों को पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने में भी हम 12 वें स्थान पर हैं, प्रति व्यक्ति विकास कार्यों पर खर्च की दृष्टि से हम 8 वें स्थान पर हैं और प्रति व्यक्ति आय में हमारी क्रम संख्या 9 वीं है। इसी प्रकार प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत में हम 9 वें स्थान पर हैं, रासायनिक खाद के प्रयोग में हमारा स्थान 13वां है, शिक्षा के क्षेत्र में हम 14वें स्थान पर हैं और 14 प्रमुख राज्यों की श्रृंखला में आधारभूत सुविधाओं के सूचकांक की दृष्टि से राजस्थान 13वें स्थान पर हैं लास्ट बट वन, अध्यक्ष महोदय, 14 बड़े राज्यों में।

अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी से यह कहना चाहूंगा कि पांच साल आपको सत्ता में आये हुए हो गये, हालांकि कुछ महीनों के लिए राष्ट्रपति शासन था लेकिन दिसम्बर, 1992 के अन्दर, आपका 9 माह का समय 1992–93 का बीत गया था और विकास की योजनाओं की गति देने में और विकास विनियोजन में पूरा जिम्मा आपका रहा था। फिर आप 4 दिसम्बर को आये। आप हमेशा 4 को आते हैं। 4 के आगे-पीछे नहीं करते हैं आप और 4 तारीख को आप आये दिसम्बर में, उस समय आपके गवर्नर एड्रेस में गवर्नर साहब ने यह कहा है कि 60 प्रतिशत प्लान का आउट-ले अभी तक अनस्पेंट पड़ा है, इसको मुझे व्यय करना है और मैं कर दूंगा 31 मार्च तक, आपने कर दिया। इसका मतलब राष्ट्रपति शासन के अन्दर, इन दो वर्षों में विकास के विनियोजन की जिम्मेदारी आपने ली और आपने निभाई। अध्यक्ष महोदय, एट्थ प्लान हालांकि 1992–93 से प्रारम्भ हुआ है लेकिन, मुख्य मंत्रीजी, दो साल जो एट्थ प्लान का हिस्सा नहीं थे, रोलिंग प्लान थे, इन दो वर्षों के अन्दर आपने योजना व्यय पर जो खर्चा किया है वह 2159 करोड़ 58 लाख किया है और इन तीन वर्षों में 31 मार्च तक, 1992–93 की जो योजना 1400 करोड़ की थी वह 1406.67 करोड़ खर्च किया। 1993–94 में 1700 करोड़ का प्लान आउट ले था, वह 1704.76 करोड़ किया और 1994–95 में जो 2450 करोड़ का था उसमें 2450 ही आपने खर्च कर दिया है। पिछले भाषण में भी आपने कहा था कि हम टोटल जो खर्चा कर रहे हैं तीन साल में, वह 5561 करोड़ 43 लाख रुपये कर रहे हैं। पहले दो साल का जब 2159.58 करोड़ का खर्चा अगर जोड़ते हैं तो इन पांच सालों में योजना व्यय पर खर्चा हुआ है 7721 करोड़ 41 लाख। अब 7721 करोड़ 41 लाख का खर्चा करने के बाद में आप हमको यह बताइये कि जो हमारा रैंकिंग था, सोशियो इकोनोमिक जो मैप आफ दी कन्ट्री का है उसमें जो हमारा रैंकिंग था, उसमें जो

(श्री परसराम मदेरणा)

हमारा स्थान था उसमें हम आगे कहां बढ़ कर आये हैं और पिछड़ेपन से हम कहां आगे आ गये हैं, हम कहां पर अगाड़ी हैं, यह अभी तक मेरे सामने भी प्रश्नसूचक है और मैं समझता हूं कि मुख्य मंत्रीजी इस बात को स्पष्ट करेंगे सदन में। मुख्य मंत्री जी ने, हमने कुछ नहीं किया....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यह किस ने कहा है ? यह किसी ने नहीं कहा।

श्री परसराम मदेरणा : कान में ठेंठी नहीं है मेरे। मैंने सुना था कि चालीस साल में आपने राजस्थान की जनता को धोखा दिया, कुछ नहीं किया।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : नहीं, आपने जो अभी पढ़ा था, मुख्य मंत्रीजी का....

श्री परसराम मदेरणा : आप नहीं बोले, कोई दूसरे बोले हैं, आप तो सुनते तो नहीं हो आजकल।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : साहब, एक बात तो आप भी सुनो।

श्री परसराम मदेरणा : आप तो पूजा में थे। अभी आप पांच-छह दिन पूजन में लगे हुए थे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अभी जो आपने भाषण पढ़ा, अभी जो मुख्य मंत्रीजी का भाषण आपने पढ़ा, वह आपकी ही तो उपलब्धि है।

श्री परसराम मदेरणा : क्या ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अभी जो मुख्य मंत्रीजी ने उपलब्धियां बताई हैं, जो अब आपने पढ़ा है, वह आप ही की तो उपलब्धि है, तेरहवें स्थान पर, बारहवें स्थान पर, आठवें स्थान पर, वह आपने ही किया है। यह कौन मना कर सकता है कि आपने कुछ नहीं किया।

श्री परसराम मदेरणा : यह हमारी उपलब्धि आप कह रहे हैं लेकिन जो कंस्ट्रेंट हैं उसके ऊपर उन्होंने जिक्र किया है पहले। अब मैं यह निवेदन करना चहता हूं, जिस वक्त राजस्थान बना हैं, 19 स्टेट थी, 3 चीफटेन थे और जिस वक्त राजस्थान का इंटिग्रेशन हुआ उस वक्त राजस्थान की क्या स्थिति थी।

श्री खेतसिंह राठौड़ : वह इनको क्या मालूम, यह तो बच्चे थे।

श्री चन्दनमल बैद : नंगे फिर रहे थे।

श्री परसराम मदेरणा : यहां पर कल सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों ने परिसम्पत्तियों के क्रियेट करने की बात कही।

श्री महावीर प्रसाद जैन : गंग कैनाल में....

श्री परसराम मदेरणा : गंग कैनाल तो अब टूटी हुई है, ××× उसमें जाकर।

श्री महावीर प्रसाद जैन : वह स्थिति भी आपने ही पैदा की।

श्री परसराम मदेरणा : मिट्टी भर गयी है अब।

श्री महावीर प्रसाद जैन : अब तो ठीक करा दो।

××× अभिव्यक्ति अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, all big and mighty rivers originate with few drops of water. मैं 1984 में ऋषि व्यास की गुफा में गया था जहां पर व्यास नदी का उद्गम है और शायद भूल गये होंगे, विस्मृति शायद उसकी नहीं हुई होगी, अभी आपके राजस्थान के जो फाइनेंस कमिशनर हैं वह भी उस वक्त चीफ मिनिस्टर के सैक्रेटरी थे, वह भी व्यास के उद्गम वाली जगह पर मेरे साथ थे, मैंने वहां उनसे पूछा था, इंजीनियर्स हमारे साथ थे, आर. एस. ई. बी. के चेयरमैन दवे साहब भी थे, अभी रहे नहीं संसार में, मैंने पूछा कि यह ट्रेवल जो कर रही है नदी, यह मोहनगढ़ पहुंचेगी तो कुल मिलाकर कितनी, कहा कि स्ट्रेट नहीं लेते हैं, नदी तो टेढ़ी-मेढ़ी जाती है, करीब-करीब एक हजार किलोमीटर से ऊपर उसकी लेंथ है। आज यह जीवन रेखा जो राजस्थान की है, हमने सत्ता में आने के दो-तीन साल के बाद में, मेरे पास पहले वाले 1947 के आंकड़े नहीं हैं, भारत सरकार का मैं देख रहा था इकोनोमिक रिव्यू, उसमें 1947 के भी आंकड़े दिये हुए हैं, लेकिन प्राइमरी स्कूल जहां 1950–51 में 4336 थी; जिस वक्त मुख्य मंत्रीजी, 4 मार्च को हमने आपको राजस्थान का राज्य सुपुर्द किया उस वक्त 31,285 प्राइमरी स्कूल राजस्थान में थीं। अपर प्राइमरी स्कूल जब राजस्थान बना तो 732 थीं, 4 मार्च, 1990 को 8965 मिडल स्कूल छोड़ कर हम गये। सैकण्डरी स्कूल उस वक्त हाई स्कूल कहलाती थीं, 175 थीं, 4 मार्च, 1990 को 3734 हम छोड़ कर गये। कालेज 17 थीं, 67 कालेज राजस्थान में मार्च में थे। संस्कृत कालेज पहले दो थे 1950 में, 28 संस्कृत कालेज की स्थापना हुई। यूनिवर्सिटी केवल एक थी राजस्थान यूनिवर्सिटी, हमने पांच यूनिवर्सिटी और इस राज्य में स्थापित कीं। इंजीनियरिंग कालेज कोई नहीं था, चार इंजीनियरिंग कालेज स्थापित हुए। एक मेडिकल कालेज हो गया था यहां पर 1947 में, इसलिए उसमें चार की और बढ़ोतरी की, आज पांच मेडिकल कालेज हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आपने कितनी बढ़ाई ?

श्री किशनगोपाल कोगटा : इसमें 1977 से 1980 के भी आंकड़े होंगे। 1977 से 1980 तक जो राज आया है....

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मजाक की बात हो तो आप बोलना बीच में, गम्भीर बात में कहां बोल रहे हैं।

श्री परसराम मदेरणा : इंस्टाल्ड कैपेसिटी जो आज पावर की बात हुई है, डिमाण्ड और सप्लाई के बीच में जो भारी गैप है और फोर्टीन सी. ए. की सर्वे रिपोर्ट के अन्दर, जैसा कि प्रभारी मंत्रीजी जानते हैं, आने वाले समय में यह डिमाण्ड और सप्लाई का जा करके 50 पर्सेन्ट का भी गैप हो सकता है टू थाउजेण्ड में। इंस्टाल्ड कैपेसिटी हम छोड़ कर गये 2702 मेगावाट, अब बता दीजिए वह 1979 में तो आपने क्या किया और क्या नहीं किया, 1980 के बीच में, लेकिन अब तो आपको पांच साल का समय मिल गया, पांच साल के समय के अन्दर जो आप कह रहे हैं, जैसा कि तारानगर से आने वाले माननीय

(श्री परसराम मदेरणा)

सदस्य कह रहे थे, मैं इनसे इत्तफाक नहीं करता हूं, 274 मेगावाट की इन्होंने बढ़ोतरी की। 274 मेगावाट की बढ़ोतरी आपकी कागजों के अन्दर है। इनकी बढ़ोतरी जो हुई है वह . कुल मिलाकर 255 मेगावाट के आसपास हुई है। जितने भी छोटे-छोटे मिनी प्रोजेक्ट्स लगाये, एक दफा चालू हुए, दो-तीन दिन चले, पन्द्रह दिन चले, उसके बाद में यह ठप्प हो गये और इसी प्रकार, अध्यक्ष महोदय, **energy is essential input in all productive and economic activities and consumption of energy increases with the process of economic development.** मैं, अध्यक्ष महोदय, यह जानना चाहता हूं और उद्योग मंत्री जी से खास तौर से जानना चाहता हूं....

श्री हरिशंकर भाभड़ा (उद्योग मंत्री) : मुझे जवाब दीजिये आप।

श्री परसराम मदेरणा : मेरा जवाब दीजिये, पहले मैं आपसे जवाब पूछ रहा हूं।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : एक प्रश्न का जवाब दीजिये। जब श्री चन्दनमल जी बैद ने यहां पर 1982-83 के अन्दर बजट पेश किया तो घाटा बताया 50 करोड़ का, रिजर्व बैंक ने जब उसको असेस किया तो वही घाटा निकला 155 करोड़। यह बता दीजिये।

श्री चन्दनमल बैद : 1981-82 में मैंने बजट पेश किया ?

श्री हरिशंकर भाभड़ा : 1982-83में....

श्री चन्दनमल बैद : हां यह है।

श्री परसराम मदेरणा : यह पावर की डिमाण्ड और सप्लाई में जो गैप है, मेरी बात सुनिये....

श्री चन्दनमल बैद : नहीं वह तो जवाब दूंगा, आपका भी जवाब दूंगा।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : नेता महोदय, एक और तीन तेरह भी होते हैं, एक और तीन चार भी होते हैं। यह आंकड़ों को पेश करने का तरीका है। आप 6 हजार से 13 हजार का कर्जा बता रहे हैं मगर प्रतिवर्ष की प्रतिशत बढ़ोतरी क्या हुई, पीछे क्या हुई, उसको भूल रहे हैं आप।

श्री परसराम मदेरणा : मैं मुख्य मंत्री जी से एक बात पूछना चाहता हूं कि हमने बिजली का उत्पादन सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत 569 मेगावाट, 5 वर्षों में किया। यह जानकर आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि इसमें प्रावधान रखा था, पावर जनरेशन के ऊपर 436 करोड़ 38 लाख लेकिन 559 मेगावाट का हमने जब अचीवमेंट किया उस पर खर्च हुआ 385 करोड़। मतलब 81 लाख पर मेगावाट खर्चा आया है। अभी बनीपार्क से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि बैद जी ने कह दिया 4 रुपये यूनिट बिजली मिला करेगी। आप 4300 मेगावाट बिजली पैदा करना चाहते हैं प्राइवेट सेक्टर में, 14 हजार करोड़ रुपयें की इसमें लागत आएगी आज की प्राइसेज पर, फिर उसके बाद में जब तक कम्पलीट होगी, उस वक्त जो खर्चा आएगा, साढ़े तीन करोड़ रुपये प्रति मेगावाट अभी आ रहा है, प्रति मेगावाट 4 करोड़ रुपये से कम नहीं आने वाला

(श्री परसराम मदेरणा)

है, माननीय सदस्य । मैं इसलिए कह रहा था कि उप मुख्य मंत्रीजी कभी कलकत्ता भाग रहे हैं, कभी बम्बई भाग रहे हैं, अप्रवासी राजस्थानियों के जाकर के गले पड़ रहे हैं, जल्दी आओ राजस्थान में....

श्री हरिशंकर भाभड़ा : आ रहे हैं, आ रहे हैं, साथ में बिजली आ रही है ।

श्री परसराम मदेरणा : आ रहे हैं, आ रहे हैं वह आ रही है, आ रही है, वह बिजली आ रही है पिछड़े का प्रश्न नहीं है । आपने जो बॉटलनेक्स थे रूल्स में, अमेंडमेंट किये, लैंड अलाटमेंट के जो सरटेन बॉटलनेक्स थे उनका सरलीकरण किया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं । अब यह बात दूसरी है कि कंजूमर आर्टिकल के लिए आप मल्टीनेशनल्स को यहां नहीं बुलाना चाहते लेकिन जो कोलोबोरेशन में आये हैं ब्लेड की पत्तियों में और बीयर वालों को भी लाकर के यहां सबमें मिला दिया है । यह बात दूसरी है, यह आपकी कथनी और करनी में अन्तर है....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आये कब थे ब्लेड बनाने वाले ? कोलोबोरेशन वाले कब लगे थे ? तारीख बता दीजिए ।

श्री परसराम मदेरणा : जब आपकी दाढ़ी बड़ी होगी उस वक्त आये होंगे ।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : ब्लेड दाढ़ी काटती है या जोड़ती है, यह तो बता दीजिये आप ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह ब्लेड बनी हमारी दाढ़ी काटने के लिए लेकिन आपके बाल उतार ले गयी ।

श्री परसराम मदेरणा : मैं तो मोरार जी भाई की तरह मुंडन कराना चाहता हूं । आप भी करा लें तो ज्यादा उचित रहेगा और अगर दोनों के मुंडन को हरिद्वार भेज दिया जाए तो श्रेष्ठतम रहेगा ।

माननीय मुख्य मंत्री जी, 24 फरवरी, 1992 को राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के अन्दर इस बात का उल्लेख किया गया है । यहां बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा आप पाइप में कुछ नहीं छोड़ गये । जनरेशन की कोई योजना आपने पाइप में नहीं रखी इसलिये यह गैप हो गया है । टनल थी या कोई पाइप थी जिसके अदर एण्ड पर आपको कोई लाइट नहीं दिख रही थी । यह सब स्कीम्स तो आपसे पहले भेजी हुई थीं, बॉटलनेक्स थे, यह बात दूसरी है लेकिन जिन सभी प्रोजेक्ट्स को आज आप लेने जा रहे हैं और प्राइवेट कम्पनियों को दे रहे हैं वह सब की सब योजनाएं 1974 से भेजनी शुरू कर दी थीं और आप डेट चाहते हैं तो उस दिन, बिजली पर है क्या डिबेट ?

श्री हरिशंकर भाभड़ा : हां ।

श्री परसराम मदेरणा : उस दिन मैं आपको डेट बता दूंगा । उसमें मुख्य मंत्री जी आपने गवर्नर साहब से यह कहलवाया कि कोटा थर्मल पावर परियोजना में प्लांट लोड फैक्टर 40 प्रतिशत से 63% बढ़ाकर अतिरिक्त बिजली का उत्पादन किया गया है । इसी परियोजना के 120 मेगावाट की नयी इकाई के कार्य को तेजी से करवाया जा रहा है । आपको यह जानकर खुशी होगी कि अप्रेल, 1991 में विनियोग की

(श्री परसराम मदेरणा)

स्वीकृति मिलने के बाद बरसिंहसर लिग्नाइट तापीय विद्युत परियोजना का कार्य नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन द्वारा चालू कर दिया गया है। इससे बड़ा कोई असत्य नहीं हो सकता है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बिलकुल सच है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : समझने में भूल है।

श्री परसराम मदेरणा : समझने में भूल नहीं है। मैं नेवेली गया हूं (व्यवधान) हां, नेवेली गया हूं जब मैं पावर मिनिस्टर नहीं रहा तब। मैनेजिंग डायरेक्टर कपूर थे, यह बात मैंने पहले भी इस सदन में कही है, क्योंकि मैंने उनको एक वायदा कर रखा था कि मैं नेवेली जाऊंगा। मुझे पता था वहां का प्लांट लोड फैक्टर 80 और 90 के बीच में चल रहा है। बिना एश के वहां पर लिग्नाइट है। थोड़े दिन बाद ही मुख्य मंत्री जी, आपने बजट प्रस्तुत किया और बजट प्रस्तुत करते वक्त मुख्य मंत्री जी क्या फरमाते हैं कि बरसिंहसर परियोजना के लिए भूमि अवाप्ति की कार्यवाही में कई बाधाएं उत्पन्न हुईं। राज्य सरकार के सतत् प्रयत्नों के फलस्वरूप भूमि अवाप्ति की कार्यवाही बड़ी तत्परता से पूरी हो सकी और अब इस परियोजना के लिए प्रारम्भिक कार्यवाही शुरू हो गयी है। मैंने प्रधान मंत्री महोदय से निवेदन किया है कि वे शीघ्र ही इस परियोजना का शिलान्यास करें। आ रहे हैं, आ रहे हैं प्रधान मंत्री जी शिलान्यास करने के लिए, सदन में इस तरह की बात चालू हो गयी है जबकि नेवेली कॉरपोरेशन के साथ न तो कोई समझौता है, न कोई बात है। इस सदन को गुमराह करने के अलावा कोई बात नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं टोकना नहीं चाहता था।

श्री परसराम मदेरणा : नहीं, आप मुझे टोक सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : लेकिन विपक्ष के नेता की अनुमति से मैं बात करना चाहता हूं कि नेवेली की बात कांग्रेस के शासन में हुई। कांग्रेस के शासन ने एम. ओ. यू. किया। एम. ओ. यू. में एक रुपये 97 पैसे प्रति यूनिट की कास्ट इन्होंने स्वीकार की थी। उनके बाद में मैं आया। मैंने कहा, मैं इस एम. ओ. यू. को स्वीकार नहीं करता। एक रुपया 97 पैसे मैं काश्तकार से वसूल नहीं कर सकता हूं अगर नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन बिजली पैदा करना चाहता है तो एक रुपये 44 पैसे या 47 पैसे पर उनको आना पड़ेगा। उन्होंने उसको स्वीकार किया तो पहले तो आपने जो समझौता किया एक रुपये 97 पैसे का उसको कम कराकर मैं 44 या 47 दोनों में से एक रेट थी, वह किया और जिस समय यह रेट तय हुई उस समय यह बात तय हुई कि हम इस पर जल्दी से जल्दी काम करना चाहते हैं। उस समय प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट मैंने नहीं की थी। नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन ने रिक्वेस्ट की थी कि आप इसका उद्घाटन करें। इसके बाद में जो पालिटिकल डवलपमेंट्स तमिलनाडु में हुए उसके कारण से यह नहीं हुआ तो आप यह मत कहो कि हमने जमीन

(श्री परसराम मदेरणा)

ले ली, हमने यह कर दिया है । एम. ओ. यू. तो आपने किया था, काश्तकारों के हितों के अगेंस्ट में आपने एम.ओ.यू. किया था, एक रुपये 97 पैसे काश्तकार से वसूल करना चाहते थे आप, उसको मैं एक रुपये 47 पैसे पर लाया । उसका ध्यान ही नहीं है ।

श्री चन्दनमल बैद : इससे सस्ती बिजली देंगे आप ? एक रुपये 97 पैसे से सस्ती देंगे ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हिन्दुस्तान में जहां भी, मैं बता दूं आपको, सस्ती बिजली आये, आज आप कह रहे हैं सस्ती बिजली आएगी या नहीं आएगी, मैं यह कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में कहीं भी सस्ती बिजली आएगी तो उससे अधिक सस्ती राजस्थान में आएगी ।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बीच में इंटरवेंशन करके जो स्पष्ट कर दिया, उस सम्बन्ध में मैं मुख्य मंत्रीजी से इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि **Memorandum of Understanding is not an agreement.**

श्री भैरोंसिंह शेखावत : **But you signed it.**

श्री परसराम मदेरणा : मेरी बात सुनिये । पर ऐसा मालूम होता है कि आपने अगर मान लो उसमें कोई भी परिवर्तन, संशोधन या परिवर्द्धन करके और जिस वक्त आप प्रधान मंत्रीजी से शिलान्यास करवा रहे थे तो आपका एग्रीमेंट हो गया था । एम.ओ.यू. से एग्रीमेंट नहीं होता अगर आपने वह एग्रीमेंट कर दिया था, हमारा हमारा सिर्फ एम.ओ.यू. था....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जब भी एम. ओ. यू. ही था ।

श्री परसराम मदेरणा : एम. ओ. यू. के आधार पर आप शिलान्यास प्रधान मंत्रीजी से करवा रहे थे ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं आपको बता देऊं कि एम.ओ.यू. ही था और एम. ओ. यू. के आधार पर कुछ नहीं होता तो आपने किया क्यों था ?

श्री परसराम मदेरणा : जितनी भी आज जो इंटरनेशनल कम्पनीज आ रही हैं, यहां के जो उद्योगपति हैं, जो बिजली में आ रहे हैं आप उनको एम.ओ.यू. की, ग्लोबल कम्पीटीटिव है, उसकी बिडिंग की बात कह रहे थे, मैं यह कह रहा हूं कि एम.ओ.यू. का मतलब कभी फाइनल रेट के बारे में निर्णय नहीं है, बाद में वह नेगोशिएट होगा ।

श्री हरिशंकर भामड़ा : इंटेंशन टू एग्रीमेंट ।

श्री परसराम मदेरणा : इंटेंशन टू एग्रीमेंट, आपकी इंटेंशन तो अच्छी है लेकिन लोग आ नहीं रहे हैं और मैं इस चीज को पहले भी जानता था कि पावर जनरेशन में यह सरकार जिस तरह से नेग्लीजेंट रह रही है, राजस्थान के विकास को कम से कम 20 साल सरका रही है, मैंने अपना 5 नवम्बर को पार्टी के अध्यक्ष की हैसियत

(श्री परसराम मदेरणा)

से जो भाषण दिया था और टी.वी. पर और आल इण्डिया रेडियो पर आया था, उसमें भी मैंने यह चेतावनी दी थी, उदाहरणार्थ बिजली उत्पादन के क्षेत्र में जहां कांग्रेस शासन में 400 मेगावाट औसतन उत्पादन की वृद्धि प्रत्येक पंचवर्षीय योजना में हो रही थी, भा.ज.पा. के पौने तीन साल के शासनकाल में बिजली उत्पादन की वृद्धि मात्र 8 मेगावाट ही हुई। इस प्रकार राज्य का विकास पूर्णतया अवरुद्ध हो गया, जिसकी क्षतिपूर्ति आने वाली कोई भी सरकार नहीं कर सकेगी।

अब, मुख्य मंत्रीजी, मैं इरिगेशन पर आता हूं। 1950-51 के अन्दर जहां 11.71 लाख हैक्टेयर सिंचित एरिया था, 4 मार्च, 1990 में वह 44.61 लाख हैक्टेयर एरिया हो गया। ड्रिंकिंग वाटर में 222 जितने भी शहर थे वे सब कवर हो गये, 32,525 गांव कवर किये गये और एलोपैथिक के इंस्टीट्यूशंस जब 1950 में 390 थे सब-सेंटर को इंक्लयूड करके 1990 के अन्दर 10,527 की संख्या हम छोड़कर यहां से गये थे। अब पिछले साल आपका जो बजट था वह शिक्षा को समर्पित था।

श्री चन्दनमल बैद : आप यह कहिये कि आपने काफी काम किये हैं।

श्री परसराम मदेरणा : लेकिन इन 35-37 साल के अन्दर भाखड़ा का इरिगेशन सिस्टम किसने डवलप किया था जहां पर 10 लाख एकड़ की सिंचाई हो रही है? करीबन 15 लाख एकड़ की सिंचाई जो राजस्थान के अन्दर सैकण्ड स्टेज पर है, हम करके छोड़ कर गये थे। आपका जो गांधी सागर का साढ़े सात लाख एकड़ का सी.सी.ए. था, यह डवलप किसने किया?

श्री खेतसिंह राठौड़ : हमने किया।

श्री परसराम मदेरणा : माही बजाज सागर डैम को किसने बनवाया? उसमें बिजली और जो 70 हजार एकड़ के आसपास का जो सी.सी.ए. है, आज पानी मिलता है, यह किस वक्त हुआ? जाखम और जवाई के बंधे, मोरल के बंधे किसके शासन में बने? आप मुझे एक बंधा बता दीजिये पिछले पांच साल में जिसने एक हजार....(व्यवधान)....जिस वक्त में जवाई की गैलरी में कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था, आर.एन. चौधरी एस.ई. थे और जय नारायणजी असिस्टेंट इंजीनियर थे 1952 के अन्दर, इलेक्शन के बाद नाथूरामजी मिर्धा के मैं साथ गया था, 1956 तक कम्प्लीट हुआ है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप पैदा भी नहीं हुए थे।

श्री चन्दनमल बैद : 1953 में निरीक्षण करने के लिये मैं गया था वहां पर।

श्री परसराम मदेरणा : आप मुझे एक बंधा बता दीजिये, जो दो हजार एम.सी.एफ.टी. का आपके पांच साल के राज में निर्माण किया हो। हर साल एक नया शगूफा छोड़ रहे हैं। मैं यह मानता हूं कि राजस्थान के अन्दर हम लिटरेसी के मामले में बिहार के बाद में नीचे हैं, इसके भौगोलिक कारण भी हैं। हिन्दुस्तान का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं होगा जहां लोगों की इतनी क्षेत्रीय आबादी ढाणियों में रहती हो और

(श्री परसराम मदेरणा)

इसलिये इस सर्विस को वहां पहुंचाना बहुत मुश्किल काम है। आपने कुछ प्राइमरी स्कूलें खोलीं, कोई ज्यादा नहीं खोली हैं। मैं समझता हूं कि इस पांच साल के अन्दर पांच हजार के आस-पास खोली हैं, जो हमने शिक्षा केन्द्र खोले थे उनको आपने बन्द कर दिया और इनको खोल दिया.... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : वह शिक्षा केन्द्र नहीं थे राजनीति के स्कूल थे।

श्री परसराम मदेरणा : राजनीति का सवाल ही नहीं था उसमें। लेकिन चाहे आप पानी की बात करें, चाहे उसकी बात करें, लेकिन मिनिमम जो स्टेण्डर्ड सर्विस है, वह हम नहीं दे सके। एक पाइंट प्रोग्राम में पानी दिया गया। चाहे एक हैण्ड पम्प खुद गया, उसके बाद में तो हैण्ड पम्प बनें लेकिन डिकेड का जो प्लान आया था, ए आर. पी. खर्च हो रहा था उसमें चाहे कितनी भी आबादी है लेकिन एक पाइंट दिया जाएगा। उसके आधार पर हजारों हैण्ड पम्प क्या एक लाख से भी ऊपर हैण्ड पम्प और खोदे गये। लेकिन जहां रीजनल पाइप लाइंस हैं, उनमें पानी अभी तक नहीं पहुंच रहा है, एन-रूट-विलेजेज, और पानी नीचे भी जा रहा है और आपने स्वयं ने स्वीकार किया है अपने मेमोरेंडम के अन्दर कि कम से कम अभी जो रूरल एरिया की जो स्कीम्स हैं अगर इनका हम वापस आगुमेंट और रि-आर्गेनाइजेशन करें तो सात हजार करोड़ रुपये आज की कीमत पर उस पर व्यय होगा। आप लाये छोटा-मोटा। यहां पानी जो है, मिनिमम सर्विस जो है, आपको मिलने वाली नहीं है। शिक्षा के बारे में आपने बजट समर्पित कर दिया और अब मेडिकल के ऊपर आ गये। यह चिकित्सा मंत्रीजी मच्छर मार रहे हैं और मच्छर इनके काबू में नहीं आ रहे हैं।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : अखबार में आपका भी नाम आ रहा है, मच्छर मारने का।

श्री परसराम मदेरणा : नहीं, जो कुछ भी आप कर रहे हैं मैं **It is a step foreward. I don't contradict it.** लेकिन स्कूलों के मामले में यह गवर्नर साहब की स्पीच पढ़ देता हूं, जो एम.एल.एज. को देने के लिये यहां पर आये और उस वक्त अध्यक्ष महोदय थे, वे बिराजमान थे, उनकी चेयर-मैनशिप में यह हुई थी, अब नीचे आ गये, करीबन आठ-दस फीट नीचे।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : अब आपके सामने बैठा हूं, पहले ऊपर था।

श्री परसराम मदेरणा : **While the development programmes have shown growth in the sectors of agriculture production, education and medical services, and other socio-economic programmes the unchecked rise in the population has nutralized all development efforts. It is estimated that for an increase of 10.8 lacs population in the State,** यह हमारी बढ़ोतरी है– **6800 new schools, 77 lac quintals of foodgrains, 11 lac metres of cloth is required.** इस साल आपको

(श्री परसराम मदेरणा)

6800 स्कूल खोलने चाहिये, जब जाकर आप यूनिवर्सल एजुकेशन के टार्गेट को पूरा करेंगे और आपने स्कूल रखे हैं 621....

एक माननीय सदस्य : 614 ।

श्री परसराम मदेरणा : 614 रखे हैं। मैं यह निवेदन कर रहा था कि आप स्कूलों की संख्या बढ़ाइये। अगर आप यूनिवर्सल एजूकेशन के टार्गेट को पूरा करना चाहते हैं 2000 ए.डी. में। सोशल सर्विसेज में ही जब खर्चा करने की बात आयी है और कर्ज लेने पर ही उतारू हो गये तो फिर दब कर कर्जा टेको और लोगों को कम से कम लिट्रेट तो बनाओ नहीं तो इंडियन रिपब्लिक का नागरिक जो आज 4 साल का है वह अंगूठा छाप रह जायेगा।

अब मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए....

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि आज की कार्य सूची पूरी होने तक सदन का समय बढ़ाया जाए।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की सहमति है ?

(स्वीकृत)

कार्य सूची समाप्त होने तक समय बढ़ाया गया।

आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, मैं आखिरी पाइंट पर आता हूं।

मुख्य मंत्रीजी ने एक दिन सदन में यह सजेशन दिया था कि टैंथ फाइनेंस कमीशन ने जो अल्टरनेटिव स्कीम दी है उस अल्टरनेटिव स्कीम के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव यहां पर पारित होना चाहिये और उन्होंने यह बात इसलिए कही थी कि भारत सरकार ने उसको अभी तक एक्जामिनेशन के लिए रखा है। अध्यक्ष महोदय, फ्लैग हट गया लेकिन मैं टैंथ फाइनेंस कमीशन के पेज 129 के ऊपर 1995 से लेकर 2000 तक टैक्सेज का जो कलेक्शन होगा वह टोटल कलेक्शन 2000 ए. डी. में 7,07,411 करोड़ रहेगा, इन 5 वर्षों में यह पीरियड डिवोल्यूशन आफ टैक्सेज का पीरियड है जैसा कि अल्टरनेटिव स्कीम के बारे में आप कह रहे थे कि प्रस्ताव इस सदन को पारित करना चाहिये और जब मैंने आपसे यह निवेदन कर दिया था कि भारत सरकार इसको टालमटोल कर रही है लेकिन फाइनेंस कमीशन ने खुद ने इस बात को रिकमंडेशन की है कि इसको फोर्स में एक अप्रेल, 1996 से लाया जाना चाहिये। आपने कहा यह बात नहीं है कि 'However, we would recommend that alternative scheme of resources sharing suggested by us may be brought into force w. e. f. 1.4.1996.' और, अध्यक्षमहोदय, कोई भी प्रस्ताव जो राजस्थान के हित में है प्रतिपक्ष, फ्रिक्शन ऑफ दी सैकण्ड उसमें नहीं हिचकेगा उसको पास करवाने मे। लेकिन आप एक्सपर्ट से एक्जामिन करा लीजिये।

(श्री परसराम मदेरणा)

मैं यह निवेदन कर रहा था कि टोटल जो टैक्सेज का डिवोल्यूशन हुआ है उसमें 7,07,41.1 करोड़ में बोयेंसी भी शामिल है और उसमें कस्टम और कोरपोरेट टैक्स का हिस्सा भी शामिल है वह आपकी टेबिल पर दिया हुआ है। लेकिन यह जो टैंथ फाइनेंस कमीशन अभी जो रिसोर्सेज का डिवोल्यूशन हो रहा है वह 2,06,343 करोड़ है। यह डिवोल्यूशन 29.16 पर्सेण्ट है और आपके कोरपोरेट टैक्स और उसको सम्मिलित करने के बाद जो आपका डिवोल्यूशन आएगा वह आएगा 29 पर्सेण्ट, 61 पर्सेण्ट की कमी रहेगी। उसका परिणाम यह होगा कि पूरे देशभर के अन्दर 1194 करोड़ की टैक्स रेवेन्यू के डिवोल्यूशन में कमी आ जायेगी और 1194 करोड़ में आज जो आपका पर्सेण्टेज है, आपको मिलना है वह है 5.02 पर्सेण्ट। आपको घाटा होगा 65 करोड़ 67 लाख। अब दूसरी मजेदार बात यह है कि 15 साल तक आप अल्टरनेटिव स्कीम में रिवीजन नहीं करा सकते। यह दो कंस्ट्रेंट्स हैं, इसके बारे में मुख्य मंत्रीजी, आप एक्सपर्ट से एक्जामिन करा लीजिये और हम आपके साथ बैठ कर भी बात करने के लिए तैयार हैं। अभी आप सदन को 4 मई तक चला रहे हैं, हम को कोई गुरेज नहीं है कि इस प्रकार का प्रस्ताव अगर राज्य के हित में है वह पारित नहीं किया जाए।

अन्त में, मैंने जो बजट के अन्दर स्थिति रखी है और जिस प्रकार से आप योजना पर व्यय में कमी करते हुए जा रहे हैं रेवेन्यू एक्सपेंडीचर को बढ़ाते हुए चले जा रहे हैं। भारत सरकार का कम्पेरीजन कर रहे थे कल थानागाजी से आने वाले माननीय सदस्य। भारत सरकार कर्ज लेकर आपको कर्ज दे रही है। आपकी स्माल सेविंग भी नहीं रही और भी कर्जा दे रही है इसलिए भारत सरकार का कर्जा राज्यों के ऊपर कितना है, उसको आप बाकी निकाल कर फिर बताइये भारत सरकार का कर्जा कितना है? वह कर्जा आपको दे रही है और इसलिए भारत सरकार के सम्बन्ध में बात मत कीजिये यह राजस्थान का बजट है और राजस्थान की विधान सभा है। इसमें आप अभी जो वित्तीय मैनेजमेंट कर रहे हैं, सर्टिफिकेट न मालूम किस-किसने आपको दे दिये लेकिन यहां पर आप जो कर रहे हैं, क्योंकि हमारे खिलाफ तो आप एक स्लेंडरिंग केम्पेन जिसको कहना चाहिये, बराबर आप चला रहे हैं यहां पर। हमने क्या किया 40 साल में, मैं उसका इसलिए यह आंकड़ा दे रहा हूं कि आपकी केम्पेन हम को बदनाम करने में लगी हुई है जबकि इन वर्षों के अन्दर इन कंस्ट्रेंट्स के रहते हुए राजस्थान के अन्दर हमने प्रोग्रेस के सभी सैक्टर्स में जबरदस्त स्ट्राइक की है और इसलिए आपने कुछ किया नहीं। 2000 एम. सी. एफ. टी. का बंधा बनाया नहीं, बिजली में इस राजस्थान का भट्टा बैठा दिया, काश्तकार अपनी तकदीर को रो रहा है, उधर उप मुख्य मंत्रीजी प्रवासियों का जाकर गला पकड़ रहे हैं, वह उनको धक्का दे रहे हैं और इधर मलेरिया से 10,000 लोग मौत के मुंह में जा रहे हैं, यह राजस्थान की चिन्ताजनक स्थिति है इसलिये हम को तकलीफ है। मैं समझता हूं कि जो डिस्टोरशंस इकोनोमी में हैं, यह राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी, जो काफी अनुभवी व्यक्ति हैं, जो खुद वित्त मंत्री भी हैं, इन डिस्टोरशंस के सम्बन्ध में करेक्टिव स्टेप्स लेंगे।

श्री अध्यक्ष : माननीय मुख्य मंत्रीजी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने बजट भाषण के सम्बन्ध में काफी अध्ययन कर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। मैं इतना कह सकता हूं कि पिछले कई वर्षों में बजट के सम्बन्ध में इस प्रकार का अध्ययन कर माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये हों, यह अवसर उस दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है।

बजट के सम्बन्ध में चर्चा करते समय माननीय सदस्यों ने आलोचना की। प्रतिपक्ष का काम आलोचना करने का है प्रतिपक्ष का काम सुझाव देने का है लेकिन सारे भाषणों का यदि सारांश निकाला जाए

(17.00)

तो विपक्ष ने कोई सुझाव नहीं दिया.... (व्यवधान) किसने बताया? अब आप सुनते जाओ। मैंने किसी को डिस्टर्ब नहीं किया तो सुनो।

श्री परसराम मदेरणा : एक दफे आपने भी किया था।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : तो आपको पांच बार की छूट है।

श्री परसराम मदेरणा : वो व्हाइट पेपर देओ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : लेओ।

श्री परसराम मदेरणा : तैयार है?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां, मैं इसलिये कह रहा हूं कि आप बिना जानकारी के हाउस में मत बोला करो।

श्री परसराम मदेरणा : क्या बात कर रहे हैं?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह श्वेत-पत्र है और 1991 में जारी किया था।

श्री परसराम मदेरणा : किसको?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सबको।

श्री परसराम मदेरणा : हमको तो नहीं मिला। आफिशियल....(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपको नहीं मिला और नहीं पढ़ा, यह मेरी जिम्मेदारी नहीं है। इसलिये मैं कई बार कहता हूं कि सीधा ××× करने के बजाय आप अगर मुझे पूछ लेते कि श्वेत-पत्र जारी किया है कि नहीं किया। मैं, अध्यक्ष महोदय, इसलिये निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सदस्य अगर यह कहें कि श्वेत-पत्र पढ़ने के बाद में ही हम सुझाव देते तो यह कहने का उनका अधिकार है, मैं उसको रोकता नहीं हूं। लेकिन मैं यह समझता था कि इस बजट के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों के कुछ सुझाव आते कि राजस्थान का किस प्रकार से विकास हो, राजस्थान की अर्थ-व्यवस्था किस प्रकार से चले, राजस्थान में विनियोजन को प्रोत्साहन करने के लिये राज्य सरकार को क्या कार्यवाही करनी चाहिये,

××× शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

राजस्थान में विनियोजन अधिक हो, इसके लिये इंफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट किस प्रकार का हो। आखिर यह एक इकोनोमिक साइकिल है और यह साइकिल धीरे-धीरे जितने भी बैकवर्ड स्टेट्स हैं, उनके लिये एक विशयश सर्किल बनता जा रहा है। जब आदमी की इन्कम बढ़ेगी या राज्य की इन्कम बढ़ेगी, उस इन्कम में से सेविंग हो, सेविंग में से कैपिटल फार्मेशन होगा और कैपिटल फार्मेशन में से इन्वेस्टमेंट होगा और यदि ये चारों चीजें नहीं होती, एक विशयस साइकिल बन जाती है तो उसके कारण न राजस्थान में इनकम जनरेट होगी, न राजस्थान में सेविंग होगी, न राजस्थान में कैपिटल फार्मेशन होगा और न राजस्थान में इन्वेस्टमेंट होगा। आज इन चारों मुद्दों पर कांग्रेस के माननीय सदस्य, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं, आप स्वयं ही विचार करें। किसी एक ने भी इस ओर ध्यान नहीं दिया है क्या? यह जरूर कहा है कि कांग्रेस के राज में भी विकास हुआ। मैं आज इसको मना नहीं करता। मैं आज भाखड़ा को ओझल नहीं कर सकता, चम्बल डैम को ओझल नहीं कर सकता, जो सड़कें बनी है और बिजली पैदा हुई है उसको ओझल नहीं कर सकता। राजस्थान में स्कूल खुले, कालेज खुले, उनको मैं नकार नहीं सकता लेकिन कोई व्यक्ति अपनी सुन्दरता का बखान करे और देखे, हर आदमी अपने को कांच में बड़ा सुन्दर पाता है, कांच में देखता है तो लगता है कि मेरे सिवाय इस हिन्दुस्तान में, इस देश में कोई सुन्दर नहीं है।

श्री रामनारायण चौधरी : यह नहीं हो तो वह फिर जिंदा कैसे रहेगा ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : यह नहीं हो तो वह फिर जिंदा कैसे रहेगा ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उसी प्रकार से मैं कहना चाहूंगा कि जब तक दूसरे से तुलना नहीं हो, तो उस समय सही पता नहीं लगता कि मैं सुन्दर हूं या मुकाबले में दूसरा खड़ा है, वह सुन्दर है। इस बात को तो आप स्वीकार करेंगे ही। राजस्थान में, मानता हूं कि रियासतों के कारण हम पिछड़े हुए हैं। रियासतों का जिस तरह का बैक ग्राउण्ड था, उसमें जितना विकास होना चाहिये था, विकास नहीं हो पाया। राजस्थान में जितने विकास के पैरामीटर्स हम अचीव करना चाहते थे, नहीं कर पाये। लेकिन अपनी सुन्दरता और अपनी उपलब्धियां देखने के लिये यह आवश्यक है कि हमारे जैसे अन्य राज्य इन्हीं प्रकार की भौगोलिक परिस्थितियों में, इसी प्रकार की आबादी में और इसी प्रकार के संसाधनों में हम से आगे क्यों बढ़े ? यहां पर जब तुलना होती है तब आपके स्कूलों का नम्बर कम आता है, यहां पर जब तुलना होती है तो बिजली का उत्पादन आपका कम नजर आता है, यहां पर जब तुलना होती है तो सिंचाई क्षमता कितनी आपने तैयार की, वो कम आती है, आपने कितनी सड़कें बनायीं, यह कम आती है। इसलिये कोई व्यक्ति अपना मुंह देखकर यह कह सकता है कि मेरे मुकाबले में हिन्दुस्तान में कोई सुन्दर नहीं है। लेकिन जब दूसरे के कम्पीटिशन में खड़ा नहीं होकर उस समय तक

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

अंदाजा नहीं लगायेगा उस समय तक असलियत का पता नहीं लगेगा।

विपक्ष के नेता ने कहा हमने यह किया। मैं कब कह रहा हूं कि नहीं किया लेकिन हमें यह मुकाबला करना पड़ेगा कि दूसरे राज्य हमसे आगे क्यों बढ़ गये और ये मैं नहीं कह रहा हूं, उन्होंने स्वयं ने आज बात कही है कि जितने भी डवलपमेंट के इंडिकेटर्स हैं, हम कहीं पन्द्रहवें नम्बर पर हैं, कहीं चौदहवें नम्बर पर हैं, कहीं बारहवें नम्बर पर हैं, कहीं आठवें नम्बर पर हैं यह किसकी देन है ?

अनेक माननीय सदस्य : आपकी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, परसराम जी नहीं कह सकते। आप तो कह देओ, परसराम जी नहीं कहेंगे। आज ये मुझे कहें तो मैं भी नहीं कह सकता और न वह कह सकते हैं। कोई भी समझदार आदमी यह बात नहीं कहेगा।

अध्यक्ष महोदय, तो इस हिसाब से देखना पड़ेगा आल इंडिया एवरेज में या आल इंडिया डवलपमेंट के पैरामीटर्स में कहां स्टैंड करते हैं, क्यों पीछे हैं ? आज भी मैं इसको अस्वीकार नहीं करता कि राजस्थान की भौगोलिक परिस्थितियां हैं जिनके कारण हम बहुत पीछे रहे। आज राजस्थान में कोई भी डवलपमेंट करना चाहें तो कास्ट आफ सर्विसिंग सबसे ज्यादा आये। एक गांव में स्कूल खोलना चाहें तो एक गांव में ढाई सौ की आबादी है वहां स्कूल खोलेंगे, दो मास्टर रखेंगे, ढाई सौ की आबादी के हिसाब से उसमें बच्चे पढ़ेंगे लेकिन एक गांव में पच्चीस ही घर हैं, दस ही घर हैं, डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, हमें स्कूल खोलना पड़ेगा तो जो सर्विस हम प्रोवाइड करते हैं उसकी कास्ट बहुत ज्यादा आएगी। इसमें कोई संदेह नहीं है और इस कारण राजस्थान कई क्षेत्रों में जितना आगे बढ़ना चाहिये था, नहीं बढ़ पाया। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि राजस्थान में कांग्रेस के जमाने में कुछ नहीं हुआ। कांग्रेस के जमाने में हुआ जरूर लेकिन अन्य राज्य हमसे बहुत आगे बढ़ गये और राजस्थान बहुत पीछे रह गया। इसकी जिम्मेदारी किसी की है तो कांग्रेस पार्टी की है और किसी की नहीं। अध्यक्ष महोदय....(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : थोड़ी जिम्मेदारी आप पर भी रखो।

श्री अध्यक्ष : माननीय सुनें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां, मेरी जिम्मेदारी है, मैं मानता हूं। मैं राजस्थान का हूं और मेरी जिम्मेदारी है और मैं आज इस सदन में एक बात को स्वीकार करता हूं जिसकी शायद आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि 1977 से पहले मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं राजस्थान का मुख्य मन्त्री हो सकता हूं। 1977 में मैं मुख्य मंत्री बना और 1980 तक मुख्य मंत्री रहा। 1980 के बाद में विपक्ष में आया। हमेशा मेरे दिमाग में एक चिन्ता रहती थी कि कांग्रेस की बपौती नहीं है राज करने की, यह राज हमको भी मिल सकता है इसलिये जो कुछ बोलें वह सावधान होकर बोलें। ऐसा न हो कि यह जिम्मेदारी आ

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

जाए और हम उसको पूरा नहीं कर सकें। ....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, सुनें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप जिसको नहीं समझ रहे हैं....(व्यवधान) मैंने जो किया नहीं किया सब बता दूंगा। आप जो भी पूछना चाहें, पूछ लेना। मैं एक-एक का जवाब दूंगा। मैं आज यही उम्मीद करता था कि कांग्रेस पार्टी की यह कभी सोच ही नहीं रही क्या कि हम दुबारा आएंगे? मतलब बिल्कुल आशा ही छोड़ दी। मैं यह जो आपकी निराशा पैदा हुई है उसके लिये तो धन्यवाद देना चाहता हूं।

श्री हरजीराम बुरडक : आज जमा नहीं साहब।

श्री रतनलाल ताम्बी : आप खेतसिंह जी से पूछ लो, जमा कि नहीं जमा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं आज अगर राजस्थान का पूरा पिक्चर आपको साथ में दें और देखें कि राजस्थान को हमें डवलप करना है तो इस बजट को तो यह मत समझिये कि भैरोंसिंह ने बजट पेश किया है, एक सरकार का बजट है लेकिन बजट यह राजस्थान का है। यह राजस्थान के विकास का बजट है। राजस्थान में किस प्रकार से प्रगति हो, किस प्रकार से राजस्थान की जनता की इन्कम बढ़े, यह उसका एक दृष्टिकोण है। अब इस दृष्टिकोण में, मैं यह समझता था कि कांग्रेस पार्टी का जिस प्रकार का सहयोग मिलेगा, लेकिन मुझे जब यह बात पता लगी कि अब तो इनको आशा ही नहीं रही कि हम दुबारा आएंगे और मर्जी आये सो बोलेंगे। फिर भी मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं आज हिन्दुस्तान में आवश्यकता है डवलपमेंट के पाइंट आफ व्यू से, चाहे आल इंडिया लेवल पर आप विचार करें, चाहे स्टेट लेवल पर आप विचार करें, इस बात की आवश्यकता है कि हम कुछ मिनिमम प्रोग्राम ऐसा बनाकर चलें जिस मिनिमम प्रोग्राम को कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी स्वीकार करके उसको लागू करने की कोशिश करे। मैं ऐसा समझता हूं कि हिन्दुस्तान में आप कोई भी चीज लागू करेंगे या राजस्थान में कोई चीज लागू करेंगे तो जब तक पूरी कांशसनैस उसके लिये क्रियेट नहीं होगी, वातावरण उस प्रकार का नहीं बनेगा, जनता में इस प्रकार, मैसेज नहीं आएगा कि राजस्थान को एक करने के लिये हम सब एक साथ जुटें और एक साथ जुटकर राजस्थान को अन्य राज्यों के मुकाबले आगे ले जाना चाहते हैं उस समय तक हमारी आलोचना करते रहना, हम आपकी आलोचना करते रहेंगे और राजस्थान का जितना विकास होना चाहिये, वह नहीं होगा। इसलिये मैं चाहूंगा कि इस चीज के ऊपर आप गम्भीरता से चिन्तन करें। हमारी आलोचना आप करें, खूब करिये बैद जी आलोचना की। मैं उनका सम्मान करता हूं इस नाते से कि वह आलोचना तथ्यों के आधार पर थी, बिना तथ्यों के वह आलोचना नहीं थी। उन्होंने कहा कि वित्तीय व्यवस्था बहुत खराब है, बजट का घाटा बहुत ज्यादा है, सही है। बजट का घाटा 309 करोड का है संभव है दस हजार करोड़ का बजट है और उस बजट में 309 करोड़ का घाटा यह आपको बहुत

(164)

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

बुरा लगता होगा इसमें कोई सन्देह नहीं है। लेकिन मैं यह भी जानकारी करना चाहता हूं कि 1981–82 में एक हजार के लगभग का बजट था। चन्दनमलजी उस समय वित्त मंत्री थे, उन्होंने जो बजट पेश किया वह एक हजार आठ सौ छियासठ पाइंट दस लाख रुपये का बजट था 1866, 1981–82 में, बजट तो 1982–83 का है लेकिन जो आंकड़े मैं बता रहा हूं वह 1981–82 के हैं। उसमें लिखा है पहले ही पैराग्राफ में "सबसे पहले मैं सदन को प्रदेश की गम्भीर स्थिति से अवगत कराना चाहूंगा। जैसा कि मैं आगे बताऊंगा वर्तमान वर्ष में करीब 340 करोड़ रुपये का तो घाटा, वर्तमान वर्ष का मतलब 1981–82 जिसमें एक हजार अट्ठारह सौ करोड़ का बजट और इतना ही ओवर ड्राफ्ट रहने का अनुमान"। अब आप अंदाज लगा लीजिये कि मैंने दस हजार करोड़ रुपये का घाटा दिखाया है और यह 1800 करोड़ के बजट में 340 करोड़ का घाटा और इतना ही ओवर ड्राफ्ट अब व्यवस्था किसकी सुन्दर है? अब भी आप कहें कि आपकी सुन्दर है तो मैंने मान लिया।

श्री चन्दनमल बैद : यह 1981–82 का बजट मेरा पेश किया हुआ नहीं है। मैने 1982–83 का बजट पेश किया है। उसके आंकड़े बताइये आप। यह 1981–82 का बजट मेरा नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : 1982-83 का बजट आपने पेश किया उसमें लिखा हुआ है।

श्री चन्दनमल बैद : 1982–83 का बजट है यह।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां, तो मैं ही कह रहा हूं ना।

श्री चन्दनमल बैद : 1981–82 क्यों बता रहे हैं फिर आप?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने कहा 1982–83 का....

श्री चन्दनमल बैद : हां, कहा मैंने है, मैंने पिछली बातें कहीं हैं लेकिन 1981–82 का बजट मैंने पेश नहीं किया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप यह समझते हैं क्या कि आपके पहले जो वित्त मंत्री थे, कांग्रेस पार्टी के आपके वह काबिल नहीं थे?

श्री चन्दनमल बैद : आप कहिये कि चन्दनमल ने 1982–83 का बजट पेश किया, 1981–82 का बजट दूसरे ने पेश किया था उसका विश्लेषण उसने किया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मतलब यह मान लेऊं कि आपने जो बजट पेश किया उसके पहले जिन्होंने बजट पेश किया वह काबिल नहीं थे?

श्री चन्दनमल बैद : यह कोई मानने की और कहने की बातें नहीं हैं क्या किया और क्या नहीं किया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए कह रहा हूं कि आलोचना करना बहुत आसान है। बैद जी; आपने आगे भी बजट पेश किया 1981–82 के बाद में भी।

श्री चन्दनमल बैद : फिर मैं कह रहा हूं कि 1981–82 मैंने नहीं पेश किया

(श्री चन्दनमल बैद)

मैंने 1982–83 का किया। बाद में नहीं किया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक ही बार किया ?

श्री चन्दनमल बैद : पहले छह बार किया पच्चीस साल पहले।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मतलब एक बार में ही छुट्टी हो गयी ?

श्री चन्दनमल बैद : हां, हो गयी इसमें क्या बात है। आपकी ढाई साल में हुई थी मेरी एक साल में हो गयी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप नाराज मत होइये। बहुत गुस्से में हो रहे हो।

श्री चन्दनमल बैद : मैं गुस्से में नहीं हो रहा हूं मेरी आवाज तेज है आपको बुरी लग रही है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं आपको गुस्सा दिलाने का कोई काम नहीं कर रहा हूं। मैं केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि एफीशिएंसी का मापदण्ड यह नहीं है। कोई यह समझे कि 309 करोड़ का घाटा रखकर राजस्थान को डुबो दिया तो श्रीमान् जी कांग्रेस पार्टी ने तो 1981-82 में 340 करोड़ का घाटा रखकर पहले ही बहा दिया। आज उस आधार पर मैं निवेदन करना चाहता हूं उस समय भी कुछ मजबूरियां थीं, आज भी कोई मजबूरियां होंगी और उन मजबूरियों के आधार पर आपको यह व्यवस्था देखनी पड़ेगी कि आखिर किन कारणों से घाटा हो रहा है और किन कारणों से व्यवस्थाओं में परिवर्तन आ रहा है। मैं इसीलिए निवेदन करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, यहां जिक्र किया गया, बड़े जोर-शोर से जिक्र किया गया कि राजस्थान में घाटे का बजट है। घाटे के बजट के कारण से हमारे सामने बड़ी समस्या पैदा हो रही है और इसके कारण से राजस्थान का सारा आर्थिक ढांचा चरमरा गया है। आपको दो बात कहना चाहूंगा विपक्ष के नेता महोदय, कि जितनी प्लान की साइज होगी उतना ही नोन प्लान का एक्सपेंडिचर बढ़ेगा यह स्वाभाविक है। सातवीं पंचवर्षीय योजना तीन हजार करोड़ रुपये की थी आठवीं पंचवर्षीय योजना 11 हजार 500 करोड़ रुपये की, 11 हजार 500 करोड़ रुपये की योजना में वार्षिक योजना के अन्तर्गत या 1990–91 की जो दो वार्षिक योजनायें थीं उनके अन्तर्गत जो भी एक्सपेंडिचर होगा उस एक्सपेंडिचर में प्लान की मियाद खतम होने के बाद में नोन प्लान में जब ट्रांसफर होगा, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। उसको चाहे नोन प्लान एक्सपेंडिचर कहें चाहें कुछ भी कहें।

आज हमने स्कूल खोले और स्कूल तो खोल दिये प्लान में, प्लान का पीरियड खतम हो गया तो स्कूल के अन्दर जो सारा खर्चा है सिवाय बिल्डिंग के, बाकी टीचर्स के ऊपर पूरा खर्चा है वह पूरा नोन प्लान एक्सपेंडिचर में बुक होगा उसको कोई रोक नहीं सकता। इसलिए सिद्धान्ततः नहीं, मैं इस रूप में आपके सामने रखना चाहूंगा कि जितनी भी प्लान की साइज बड़ी होगी उतना ही नोन प्लान एक्सपेंडिचर बढ़ेगा उसको कोई रोक नहीं सकता।

166

श्री परसराम मदेरणा : प्लान पीरियड समाप्त होने के बाद ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां, वह तो मैंने पहले ही-कह दिया । अब, अध्यक्ष महोदय, घाटे से डरा जाए, घाटे से कोई डरता हो तो मैं मेरा नहीं कहता, घाटे के कारण से या कर्ज लेने के कारण से हम राजस्थान का विकास नहीं करें, इस संबंध में जो पूर्व वित्त मंत्री राजस्थान के रहे हैं मैं उनके भाषण के कोटेशंस आपको देना चाहूंगा....यह खेतसिंह जी हंसने की बात नहीं है, समझ में नहीं आए तो चुप रहो ।

अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही निवेदन कर रहा हूं यह मथुरादास जी माथुर ने 1969–70 में भाषण दिया "हम चौथी योजना में प्रवेश कर रहे हैं इस मौके पर हमें विकास की गति को तीव्र करने और अब तक की उपलब्धियों को और आगे बढ़ाने के लिए सतत् प्रयत्न करने हैं । यह तब तक मुमकिन नहीं है जब तक हम बड़े पैमाने पर साधन जुटाने का साहसपूर्ण प्रयास न करें । सच तो यह है कि तरक्की के लिए मशक्कत और कामयाबी के लिए कुर्बानी जरूरी है । हम अपने विकास के लिए एक महत्वपूर्ण दौर से गुजर रहे हैं । इस मौके पर हम जितना प्रयास करेंगे उसका असर न केवल अगले वर्ष बल्कि पूरी चौथी योजना पर पड़ेगा ।" अध्यक्ष महोदय, इन्हीं माथुर साहब ने कहा है—"हमें भूलना नहीं चाहिए कि आर्थिक स्थिति एक जगह कायम नहीं रहती या तो हमें तेजी से आगे बढ़ना है वरना हम खुद पीछे हटने लगेंगे । अगर हमारी माली, तरक्की में ठहराव आ गया तो समाज में घोर असन्तोष पैदा होगा और हमारे तमाम आदर्श और मान्यताएं खतम हो जाएंगी ।" यह तो माथुर साहब ने कहा अब माथुर साहब के बाद में आए बैद साहब । बैद जी ने कहा है—"इन कार्यक्रमों में वित्तीय व्यवस्था के लिए अतिरिक्त साधन जुटाने हेतु कई उपाय अपनाने पड़े हैं केन्द्र सरकार भी इस बात पर जोर देती रही है कि कृषि जिंसों की कीमतों के बढ़ जाने के फलस्वरूप कृषि क्षेत्र में जो सम्पन्नता आयी है उसमें मे भी विकास के लिए अतिरिक्त साधन जुटाने के प्रयत्न किये जायें ।" उन्होंने कहा है बात को महसूस किया है कि आखिर प्लान को फाइनेंस करना है, तो प्लान को फाइनेंस किस प्रकार से किया जाए । प्लान को फाइनेंस करना है तो जिन लोगों ने प्लान का लाभ उठाया है वह लाभ उठाने वाले प्लान को फाइनेंस करने में कुछ योगदान कर दें तो करने की प्रेरणा उनको देनी चाहिए ।

उन्होंने यह भी कहा आगे कि केन्द्र सरकार भी इस बात का जोर देती रही है....सॉरी....विकास के लिए अतिरिक्त साधन जुटाने के प्रयत्न किये जाएं । इसके अलावा राज्य में पानी की दरों से वर्तमान में जो वसूलियां हो रही थीं वे इतनी कम थीं कि सिंचाई परियोजनाओं पर की गयी पूंजी लागत के ब्याज का चुकारा भी उनसे सम्भव नहीं था । यहां तक कि उनके परिचालन पर किये जा रहे वर्किंग चार्ज, वह भी पूरे नहीं हो रहे थे । मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि आज इस समय डर बताना है कि प्लान को फाइनेंस करने के लिए हम कर्जा नहीं लें या बजट का डेफिसिट नहीं बनायें । उसके बारे में आगे

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

कहूंगा लेकिन यह ज्यादा चिन्ता का विषय नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, यहीं पर जोशी जी ने कहा है। जोशी जी ने कहा 1986–87 के बजट में, उन्होंने कहा–"आज हम नियोजित आर्थिक विकास के एक ऐसे दोराहे पर आ खड़े हैं जहां एक ओर साधन सम्पन्न हैं और दूसरी ओर साधन विहीन। हमारे सामने प्रश्न यह है कि क्या विकास के पहले चरणों के फलों का उपभोग करने वालों का, पिछड़े और प्रतीक्षारत वर्गों के प्रति कोई नैतिक कर्तव्य और दायित्व है अथवा नहीं। क्या हमारा यह कर्तव्य नहीं है कि हम विकास में लगी पूंजी से न्यायोचित लाभांश प्राप्त करके हम उसे पुर्ननियोजित करें और विकास के दायरे को बढ़ाकर जरूरतमंद और प्रतीक्षा करने वालों तक पहुंचायें।"

मैं यह इसलिये निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के विकास की दृष्टि से प्लान और प्लान को जब तक हमने फाइनेंस नहीं दिया, प्लान के लिए जब तक हमने संसाधन नहीं जुटाये तो राजस्थान का विकास नहीं होगा, इस बात को सबने स्वीकार किया है। बैद जी की या बैद जी के पहले वालों की बात केवल मैंने इसलिये कही कि उस समय 1800 करोड़ के बजट में यदि 340 करोड़ रुपये का घाटा है उसको भी हमने बात को सीरियस नहीं माना और कोशिश यह की कि साधन जुटाकर राजस्थान के प्लान को फाइनेंस दिया जाए जिसके कारण से राजस्थान का विकास हो सके। मैं, केवल आलोचना की दृष्टि से नहीं कह रहा हूं, मैं इस दृष्टि से कह रहा हूं कि राजस्थान कितने भी संकट में फंस जाए लेकिन मोटे संकट का इलाज करने के लिए यदि छोटी-छोटी बीमारियां आती हैं, तो उनको भी स्वीकार कर उनका सामना करने के लिये तैयार रहना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, यहां पर यह कहा जाए कि राजस्थान का विकास कैसे हो? मैं आज एक खतरे की ओर आपको संकेत करना चाहता हूं जो मैं पहले कई बार कर चुका हूं। लिबरलाइजेशन को सब लोगों ने स्वीकार किया है। लिबरलाइजेशन की अपनी सीमाएं हैं। लिबरलाइजेशन का मतलब आज यह भी हो सकता है कि उद्योगपति चाहे मल्टी नेशनल हों, चाहे देश के उद्योगपति हों, जो भी विनियोजन करना चाहे उसको कोई आज के दिन कह नहीं सकता कि आप बांसवाड़ा में विनियोजन करो, आज कोई कह नहीं सकता कि आप बाड़मेर में विनियोजन करो, आज कोई कह नहीं सकता कि आप जैसलमेर में विनियोजन करो, जहां उनकी इन्वेस्टमेंट करने की इच्छा होगी वहीं इन्वेस्टमेंट करेंगे। और आज फिर कहता हूं कि इसका परिणाम यह निकलेगा कि देश में रीजनल इम्बेलेंस क्रियेट होगा। उस रीजनल इम्बेलेंस को कैसे रोका जाए? कानून से हम नहीं रोक सकते। ओपन मार्केट इकोनोमी में कोई रेगुलेशन से हम नहीं रोक सकते। उसको रोकने का तरीका मात्र एक होगा कि राजस्थान इन्वेस्टमेंट्स के लिए अट्रेक्टिव लगे। राजस्थान अट्रेक्टिव जब लगेगा जब राजस्थान में इंफ्रास्ट्रक्चर डवलप होगा, राजस्थान में सड़कें डवलप होंगी, राजस्थान में बिजली

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

का उत्पादन होगा, राजस्थान में मार्केटिंग की सुविधाएं बनेंगी और राजस्थान में बाकी का इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रियल एस्टेट के रूप में सामने आएगा। सड़कें, रेलवे इनका विस्तार होगा। यही एक अट्रेक्शन का पाइंट हो सकता है और यह तभी होगा जब हम इसके लिये पूंजी विनियोजन करने की क्षमता राज्य के प्लान के अन्दर उसकी व्यवस्था करके चले। अब उस तरह की व्यवस्था चल रही है। जैसा मैंने कहा, रेलवे का विस्तार हुआ। रेलवे का विस्तार हुआ तो एक ट्रांसपोर्ट की बोटलनेक्स, या ट्रांसपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर जितना तैयार होना चाहिये था वह हुआ है? आगे होगा। हमने अगर नीतियां बना लीं तो एक मित्र तो कहने लगे कि नीतियां ही नीतियां पैदा होती हैं। नीतियां पैदा होंगी तो सारे राजस्थान को प्रभावित करेंगी और व्यक्ति पैदा होगा तो घर को भी वह नुकसान पहुंचा सकता है। इसके बारे में थोड़ा सोचकर चलना पड़ेगा। अब नीतियां बनायीं। नीतियां बनीं तो ठीक है। रोड्स की नीतियां बनायीं तीन हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था की, सारे साधन जितने बना सकते थे, उन साधनों का डोवटेलिंग किया, डोवटेलिंग करने के बाद में, उसके मोटे पेरामीटर्स तय किये, पेरामीटर्स तय किये उस आधार पर रोड का कंस्ट्रक्शन होगा और रोड की जो कमी है उसको हम पूरा कर पाएंगे।

यहां बिजली का जिक्र आया। मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता कि कांग्रेस पार्टी ने बिजली का उत्पादन कितना किया और कितना नहीं किया। स्टेग्नेंसी थी। आप इसको मत कहिये हमने बिजली का उत्पादन किया। पिछले 30 वर्षों में कांग्रेस ने स्टेग्नेंसी लायी है बिजली के उत्पादन में। बिजली का उत्पादन आपने कहां किया? सिवाय कोटा और माही के, किस जगह आपने बिजली का उत्पादन किया? कोटा और माही का उत्पादन भी कैसे हुआ? मैं उसका जिक्र पहले भी कर चुका हूं। कोटा में पहली यूनिट नहीं लग रही थी, 1977 में मैंने लगवायी। आज उसके बाद में पांच यूनिट लगी और पांच यूनिट में जैसे मदेरणा साहब कह रहे थे कि प्लांट लोड फेक्टर की बात कही है। यह मैं नहीं कह रहा। हिन्दुस्तान की सरकार ने नहीं हिन्दुस्तान में प्लांट लोड फेक्टर में हमारा ऊंचा नम्बर है इसके लिये राजस्थान के इलेक्ट्रिकसिटी बोर्ड को दो बार पारितोषिक दिया। यह सब कुछ कर रहे हैं लेकिन इसका यह मत समझो कि बिजली पैदा हमने ही कर दी। अगर राजस्थान बिजली पैदा करने में, मैं आज आपको याद दिलाना चाहता हूं विपक्ष के नेता जी, 1984 में आपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाकर भेजी। आपने धौलपुर की प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनायी, मांडलगढ़ की आपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनायी और आपने चित्तौड़ की प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनायी। इन तीनों रिपोर्ट्स पर किसी में काम हुआ है क्या? आप 90 में गये उससे पहले। तीनों को भारत सरकार ने रिजेक्ट कर दिया। मांडलगढ़ की तो गिनते ही नहीं। उनको तो एक्नोलेज ही नहीं किया कि यह कोई परियोजना है और उसके साथ धौलपुर की योजना को एन्वायरनमेंट के नाम पर ही खारिज कर दिया। चित्तौड़ की योजना प्राइवेट सेक्टर में दे दी जो आज तक लिये बैठे हैं। लाइसेंस ले लिया उन्होंने। आज

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

उस स्थिति में कहना चाहता हूं यदि हमने योजनाएं बनायीं तो आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिये। और योजनाएं काहे की बनतीं है? आज राजस्थान में कोई कहेगा हाइडल पावर का जनरेशन हो सकता है। बता दें, कहां हो सकता है। जैसे आप अभी बांधों का जिक्र कर रहे थे। हमने चम्बल का डेम बना दिया। हमने गांधी सागर बना दिया। हमने अमुक बना दिया। जो डेम बनने थे वह बन गये। अब जो मीडियम साइज के डेम हैं उनकी आप गिनती लेना चाहो तो मैं बता सकता हूं कि हमने कितने मीडियम साइज के और छोटी साइज के तालाब और टैंक्स बनाये हैं। राजस्थान में जितना पोटेंशल है उस पोटेंशल के आधार पर आप असेसमेंट कर सकते हैं, बाकी नहीं कर सकते। आज मैं गांधी सागर नहीं ला सकता, आज मैं चम्बल का डेम नहीं बना सकता, आज मैं भाखरा का डेम नहीं बना सकता और आज माही का डेम मैं नहीं बना सकता। यह नेचुरल रिसोर्सेज थे। एक बार टेप होंगे, बार-बार उनके नाम पर टेप करने की बात नहीं चल सकती। लेकिन जो बाकी बचे हुए हैं उनको हमने टेप किया है। उनको हमने अपनी श्रद्धा से नहीं शक्ति के आधार पर, साधनों के आधार पर उनको टेप किया है और उस टेप का नतीजा है कि राजस्थान में इतने इर्रिगेशन से लोगों को काफी फायदा मिला है। उसी प्रकार से मैं कहना चाहता हूं आज बिजली के मामले में आप मजाक कर रहे थे कि तीन करोड़ रुपये एक मेगावाट की कीमत आ रही है। कोई कह रहा था साढ़े तीन करोड़ और महंगी बिजली आएगी।

आज इस सदन को मैं कहना चाहता हूं हम रहें या नहीं रहें राजस्थान रहना चाहिये। हम रहें या नहीं रहें राजस्थान का विकास होना चाहिये। हम रहें या नहीं रहें राजस्थान में अंधेरा नहीं राजस्थान में प्रकाश होना चाहिये। आज जो मैंने पावर के प्रोजेक्ट्स लिये हैं, आपने किसी ने कोई सुझाव नहीं दिया है कि इन पावर प्रोजेक्ट्स में आपने गलती की है। आपको यह पावर प्रोजेक्ट्स नहीं लेने चाहिये थे। आपके पास अल्टरनेटिव पावर प्रोजेक्ट्स आ सकते थे। आपके पास अल्टरनेटिव व्यवस्था हो सकती थी। हम पावर प्रोजेक्ट्स ले रहे हैं और मैंने जिस विश्वास के साथ कहा है कि हिन्दुस्तान में जहां भी, हाइडल पावर का तो मैं चेलेंज नहीं करूंगा। हाइडल पावर को मैं नहीं कहता। हाइडल पावर तो नेचुरली सस्ती होगी, उसमें कोई दो राय नहीं। हाइडल पावर के बाद में यदि थर्मल पावर के बेस पर, लिग्नाइट के बेस पर, अब लिग्नाइट बेस में आपको कहोगे नेवेली में जो पावर की कास्ट आ रही है वहां मैं समझता हूं धीरे-धीरे जिस प्रकार से बढ़ी है वह भी एक स्थिति में पहुंच जाएगी। लेकिन आज प्रश्न यह आता है कि जितने भी या तो आप फैसला कर लें, इस बजट को देख लें और चन्दनमल जी और परसराम जी, खेत सिंह जी बैठकर मुझे बता दें कि पावर सैक्टर में इन्वेस्टमेंट्स करने के लिये इस बजट में से मैं धनराशि निकाल सकता हूं। आप कह दें। आप यह भी कह दें कि मैं नहीं निकाल सकता तो मैं कर्ज ले सकता हूं। मैं निकालने की भी कोशिश करूंगा,

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

मैं कर्ज लेने की भी कोशिश करूंगा और कर्ज लेने के बाद पावर सैक्टर के अन्दर मैं इन्वेस्टमेंट करूं। इन्वेस्टमेंट करूं, तो किस समय क्या बोटलनेक खड़ा हो जाए? किस समय मेरे पास पूंजी का अभाव हो जाए? तो उसमें राजस्थान का विनियोजन करने के उपरांत भी मैं राजस्थान में बिजली का उत्पादन नहीं कर सकता।

इसलिये मैं आज पूछना चाहता हूं, मैंने बजट में कहा है, बजट स्पीच में कहा है और स्पीच में इसलिये कहा है कि माननीय सदस्य, इसके ऊपर ध्यान देंगे। यह नहीं सोचेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट है बल्कि यह सोचेंगे कि राजस्थान में बिजली का उत्पादन करने की बहुत बड़ी समस्या आ रही है। अब आज हिन्दुस्तान में कहीं भी नहीं है। कोई एक, दो जगह हो तो मैं कोई दावा नहीं करता कि मैं हंडरेड पर्सेण्ट सही बात बोल रहा हूं। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि राजस्थान में चाहे महाराष्ट्र ले लें, चाहे गुजरात ले लें, चाहे हरियाणा ले लें, चाहे और कहीं ले लें और चाहे भारत सरकार, एन. टी. पी. सी. और एन. एच. पी. सी. के प्रोजेक्ट्स ले लें, सारे प्रोजेक्ट्स एक्सटर्नली एडेड हैं। एक्सटर्नली एडेड हैं और कई पूरे के पूरे विदेशी लोगों के हाथों में यह पावर प्रोजेक्ट्स जा रहे हैं। अब उस स्थिति में राजस्थान खड़ा हो जाए, नहीं, हम किसी का पैसा नहीं लगायेंगे राजस्थान में तो हम अपने साधनों से बिजली का उत्पादन करेंगे, कर सकते हैं। इस रियलिटी को स्वीकार करना चाहिये और स्वीकार करने के बाद में कोई प्राइवेट सैक्टर में बिजली जनरेट करेगा तो चाहेगा कि जो मेरा खर्चा हो। उस खर्चे के हिसाब से मैं बिजली के उत्पादन का काम अपने हाथ में लूंगा। आप कह रहे थे प्रधान मंत्री जी के नाम से आप चिड़ रहे थे परसराम जी। यह प्रधान मंत्री जी का....

श्री परसराम मदेरणा : आप सत्तारूढ़ हैं फिर भी एक कमजोरी आप में रही है मुख्य मंत्री जी, आप पूर्वाग्रहों से मुक्त अभी तक नहीं हुए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं हुआ। मैं इसलिए नहीं कह रहा था....

श्री परसराम मदेरणा : पूर्वाग्रहों से मुक्त नहीं हो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं हूं।

श्री जगदीप धनखड़ : इनको तो पानी पीना था।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां, वह पूर्वाग्रह नहीं है, मुझे तो किसी न किसी को खड़ा करना था। अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं यह बात कहना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री जी नेवेली का उद्घाटन करते या नहीं करते, वह तो एक प्रोग्राम था आप मना कर सकते हैं उसमें कोई दोराय नहीं है। लेकिन मैं आज प्रधान मंत्री जी का इस मामले के लिए आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि राजस्थान में दो प्रोजेक्ट्स, एक मथानिया का प्रोजेक्ट और दूसरा प्रोजेक्ट जैसलमेर में लगाने के लिए प्रधान मंत्री जी ने कोशिश की है, कर रहे हैं और मैं आप लोगों से भी चाहता हूं कि आप जाकर प्रधान मंत्री जी को और कहें कि यह भैरोंसिंह क्रेडिट नहीं ले जाए इसलिए इसका

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

उद्घाटन जल्दी से जल्दी आप जाकर करिये। यह काम तो कर लेवो।

श्री चन्दनमल बैद : मथानिया वाली बिजली 10 रुपये किलोवाट पड़ेगी आपको।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह चाहे 15 आये लेकिन मैं तो उसी पर देऊंगा जो राजस्थान में है।

श्री चन्दनमल बैद : उसका श्रेय आप ले लो हम को नहीं चाहिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप मुझे श्रेय दें या नहीं दें। आप यह समझते हो कि 10 रुपये यूनिट की कास्ट आयेगी और मैं किसान से 10 रुपये यूनिट वसूल करूंगा। इतना तो प्रधान मंत्री जी नहीं चाहते, आपको विश्वास करना चाहिये अपने प्रधान मंत्री जी के ऊपर।

श्री चन्दनमल बैद : हमको विश्वास है। कितना डुबायेंगे हमको इतनी महंगी बिजली लेकर, इतना घाटा सह कर, कितना कर्जा लेंगे, कितना हमारे पर बोझ करेंगे ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं एक और बता दूं, मैं इस कारण से कर्जे में नहीं डूब रहा हूं। यह रुपया भी विदेश का आ रहा है आप कहो तो कह दें मत लेवो। अब कहो ना फिर।

श्री चन्दनमल बैद : महंगी बिजली पैदा करके आप सस्ती बिजली देंगे तो कर्जा तो लेना पड़ेगा।

श्री परसराम मदेरणा : यह पब्लिक डेट तो नहीं होगा, देखिये 16 प्रतिशत रिटर्न गारण्टी....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : भारत सरकार देगी, मुझे नहीं देना है।

श्री परसराम मदेरणा : आप बीच में यूं ही।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं यही तो कह रहा हूं। बैद जी मैं इतना ही कहना चाहता हूं....

श्री चन्दनमल बैद : बिजली की कीमत तो आप देखिये और उसको सस्ती बेचेंगे तो कर्जा आपका कैसे नहीं होगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं एक और बता दूं, बच्चा-बच्चा हिन्दुस्तान का जानता है कोई भी राज्य सरकार 10 रुपये पर यूनिट के हिसाब से बिजली का पैसा नहीं दे सकती। मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हो, भारत सरकार भी अंधी नहीं है। अब आप उनको यह समझें कि वह जानते ही नहीं हैं, तो मुझे कुछ कहना नहीं है। अब ऐसी स्थिति में जो कुछ व्यवस्था कर रहे हैं, मैं तो यह चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के नेता चाहे तो इन सारे प्रोजेक्ट्स की किताबें, कोई किसी से छिपी हुई नहीं है, मैं आपके सामने रखने को तैयार हूं, आप इनको देख लें अगर कहीं खर्चा ज्यादा है, तो बता दें, अगर इसमें कोई परिवर्तन करना है, तो बता दें। मैं अपने लिए कुछ नहीं कर रहा हूं, राजस्थान के हित में कर रहा हूं और आपसे भी मैं उम्मीद करता हूं कि राजस्थान के हित में इन पावर प्रोजेक्ट्स के ऊपर विचार करेंगे, निर्णय लेंगे और निर्णय लेने के बाद

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

राजस्थान में 4250 मेगावाट बिजली पैदा होगी तभी जाकर के बिजली की कमी होगी और जबरदस्त एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो कम है उस इंफ्रास्ट्रक्टर से बढ़ कर हम राजस्थान का विकास कर पाएंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसलिये मैं कह रहा हूं कि इन बातों को ध्यान में रखते हुए यहां पर बहुत जिक्र किया गया कि घाटे का बजट है या लायबिलिटीज बहुत ज्यादा हो गयी, कर्जा बहुत ज्यादा हो गया। बड़ा प्रचार किया जा रहा है कि राजस्थान तो कर्जे में डूब गया, इतना कर्जा हो गया कि राजस्थान तो निकल ही नहीं सकता।

श्री चन्दनमल बैद : यह सही है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां, मैं बता दूं यह करामात किसकी है, यह कार्यवाही किस की है।

श्री चन्दनमल बैद : आपकी है। यह मत समझिये कि मुझे जवाब देने का अवसर नहीं मिलेगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं आपको बता दूं कि मैं इस पाइंट से नहीं बोल रहा हूं, मैं चाहता हूं कि आज आप जवाब नहीं देवें कल दे दें तो बाद में मुझे भी जवाब देने का अधिकार होगा।

श्री परसराम मदेरणा : यह है आपकी करामात।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या?

श्री अमराराम (धोद) : राज की बात है।

श्री परसराम मदेरणा : यह है राज की बात।

श्री अमराराम : राज को राज ही रहने दो।

श्री परसराम मदेरणा : यह है आपकी राज की बात।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, अब मैं राजस्थान पर लायबिलिटिज कितनी है और असेट्स कितने हैं वह बता देना चाहता हूं ताकि इस सदन की और जनता की चिन्ता इस दृष्टि से दूर हो जायेगी। एक अप्रेल, 1990 को जब मैंने चार्ज लिया था तब राजस्थान पर कर्जा था 6 हजार 127 करोड़। उस कर्जे में 5 हजार 579 करोड़ के असेट्स का निर्माण हुआ। वह कर्जा, कांग्रेस पार्टी ने लिया, मैंने भी 1977 में लिया, 1980 में लिया होगा लेकिन 6 हजार 127 करोड़ रुपये का कर्जा, और कर्जे के अगेंस्ट में 91 प्रतिशत परिसम्पत्तियों का निर्माण हुआ। उसी प्रकार से 1.4.90 से 1.4.94 तक कर्जा, लिया 3 हजार 878 करोड़ का और उसके अगेंस्ट में 3 हजार 772, 97.3 पर्सेण्ट परिसम्पत्तियां बनीं। अब इसमें आपको कहां घाटा हो गया, कहां परेशानी हो गयी। आखिर कोई कर्जा, लेंगे तो कर्जे में असेट्स का निमाण होगा और असेट्स का निर्माण होगा तो पूंजी का विनियोजन होगा, लोगों की इन्कम बढ़ेगी। आप यह समझते हों कि बजट में घाटा नहीं हो, किसी का कर्जा लिया नहीं जाए और राजस्थान के साधन कम हों और राजस्थान के साधन कम होकर राजस्थान डूब जाए,

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

राजस्थान की पर कैपिटा इनकम बढ़े नहीं, राजस्थान का पर कैपिटा इन्वेस्टमेंट बढ़े नहीं और राजस्थान मनी लैंडर्स के हाथ में चला जाए, यह भैरोंसिंह जब तक मुख्य मंत्री है इसकी इजाजत नहीं देगा, कोई मनी लैंडर्स के हाथ में नहीं जाने देगा। इसलिए मैं चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, आज ऐसी स्थिति में....

श्री चन्दनमल बैद : यह चौपड़ का भाषण अच्छा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : चौपड़ का भाषण अच्छा है लेकिन जिनके चुभ गया चाहे उस चौपड़ से चुभो, चाहे विधान सभा से चुभो वह तो चुभ गया। अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं कह रहा हूं लेकिन सबसे खुशी की बात है इस बजट को आपने देखा होगा, 31 मार्च, 1995 को राजस्थान कर्जे के मामले में किसी का डिफाल्टर नहीं है हमने पूरा पेमेंट किया है।

श्री परसराम मदेरणा : मुख्य मंत्री जी, परिसम्पत्तियों की जरा लिस्ट दीजिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां, मैं दे दूंगा।

श्री परसराम मदेरणा : मैं कह रहा था कि इन परिसम्पत्तियों का 3 हजार करोड़ का जो आपने लेखा-जोखा दिया है....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां, वह आपको दे दूंगा।

श्री परसराम मदेरणा : अभी बजट आ रहा है, एप्रोप्रिएशन बिल आएगा उस पर बोलेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां, मैं दे दूंगा।

श्री परसराम मदेरणा : परिसम्पत्तियों की बात आप करें न करें लेकिन राजस्थान कैनाल एक परिसम्पत्ति है जो किसी भी मिडल-ईस्ट पर एक सेठ को अगर आप बेचते हैं जमीन के साथ में तो आपको 40 हजार करोड़ मिल जाएंगे।

श्री चन्दनमल बैद : खरबों मिलेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बेचने की बात नहीं है। आप इस आधार पर मत जाइये कि परिसम्पत्तियां मैं बेचूंगा और बेच कर कर्जा चुकाऊंगा, यह नहीं होगा। यह निर्माण का सवाल है।

अब, अध्यक्ष महोदय, शायद घनश्याम तिवाड़ी या राजपाल सिंह जी ने किसी ने कहा था कि राजस्थान के ऊपर कर्जे की देनदारी है और यह किसी समय में घातक होगी और भारत सरकार पर किसी समय घातक होगी। कर्जा बढ़ रहा है तो कोशिश यह होनी चाहिये कि हम डेट ट्रेप में नहीं आ जाएं, कर्जे के जाल में नहीं फंस जाएं। अब मैं नहीं जानता, दुनिया भर के अर्थ-शास्त्रियों ने यह कहा है कि 20–25 प्रतिशत यदि डेट सर्विसिंग में आपका जाता है तो डेट ट्रेप नहीं होगा। हमारे यहां राजस्थान में 1994–95 में था 19.71 पर्सेण्ट, 1995–96 में 20 पर्सेण्ट। अब इसके मुकाबले भारत सरकार की जो रेवेन्यू रिसीट्स है उससे कितना रुपया चुकाया जाता है डेट सर्विस में? वह चुकाया जाता है 119 पर्सेण्ट। 119 पर्सेण्ट का मतलब कि जितनी आय है वह सारी की सारी आय उस कर्जे के चुकारे में जाती है। यह डेट ट्रेप है इस डेट ट्रेप में भारत सर-

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

कार फंसी हुई है और अब 1995–96 में यह 121 पर्सेण्ट होगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि कर्जा लेना यह कोई अपराध नहीं है। आप भी पैरामीटर्स बता रहे थे कि राजस्थान में सड़कें कम हैं, स्कूलें कम हैं, दवाखाने कम हैं और राजस्थान में विकास नहीं हुआ। राजस्थान में एक बात और मान कर चलिये कि अगर 100 यूनिट मान लें और 100 यूनिट के ऊपर टैक्स लगाना चाहें तो राजस्थान में टैक्स सेचुरेशन पाईंट पर पहुंच गया। ज्यादा टैक्स लगा नहीं सकते, अब टैक्स तो लगाऊं नहीं, कर्जा मैं ले नहीं सकता तो राजस्थान का डवलपमेंट कैसे हो? इसलिए मैं कांग्रेस के मित्रों से कहना चाहता हूं कि इस कर्जे से डरने की आवश्यकता नहीं, कर्ज का दुरुपयोग न हो, कर्जे के असेट्स बनें, असेट्स बनने के बाद राजस्थान की बहुमुखी बहबूदी हो, इस आधार पर हमें चिंता करनी चाहिए, इसलिए इस कर्ज से भय मुक्त हों, कर्जे का दुरुपयोग नहीं हो। आज सबसे बड़ी बात है कि कर्जा देते हैं तो क्रेडिबिलिटी लो है।

श्री चन्दनमल बैद : राजस्थान की है, आपकी क्या है?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरी नहीं, चंदनमल जी, मैंने कभी नहीं कहा। मुझे इस बात का गर्व नहीं है कि कोई चीफ मिनिस्टर की या फाइनेंस मिनिस्टर की व्यक्तिशः क्रेडिबिलिटी, इस स्टेट की क्रेडिबिलिटी के अन्दर शामिल है। यह आपकी हो सकती है, मेरी नहीं।

श्री चन्दनमल बैद : मेरी नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपकी नहीं तो मेरी भी नहीं है।

श्री रामनारायण चौधरी : रिप्रजेंट तो चीफ मिनिस्टर करता है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : चीफ मिनिस्टर करता है, वह ठीक है, उसमें मैं नहीं मानता लेकिन यह कहें कि क्रेडिबिलिटी, मेरी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं, स्टेट की क्रेडिबिलिटी है और उस क्रेडिबिलिटी में जब हिन्दुस्तान का योजना आयोग का उपाध्यक्ष यह कह जाए कि राजस्थान का फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, तो मैं ऐसा समझता हूं कि आपको प्रशंसा करनी चाहिए ताकि क्रेडिबिलिटी और बढ़े, और पैसा मिले लेकिन आप उसका विरोध करते हैं, जल रहे हैं उससे। अब कह दिया तो कह दिया, मैंने तो किसी से कहा नहीं कि आप मेरे लिए कहना....(व्यवधान) मैं नहीं कहना चाहता। मुझे इसकी कोई चिंता नहीं है। मैं तो यह कह रहा हूं कि कर्ज मिलता है क्रेडिबिलिटी से और क्रेडिबिलिटी बनती है इस प्रकार के ओवर आल आस्पेक्ट्स से। अब अगर हिन्दुस्तान के प्लानिंग कमीशन के डिप्टी चेयरमैन ने कह दिया तो आप लोगों को तो खूब उछालना चाहिए कि राजस्थान में देखो किस तरह की क्रेडिबिलिटी है। प्लानिंग कमीशन के वाइस चेयरमैन ने कहा है तो राजस्थान में इंवेस्टमेंट भी होगा, राजस्थान को कोई फाइनेंशियल मदद देना चाहे तो वह भी देगा। आप उसका विरोध करते हैं, यह मेरी समझ में नहीं आता। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं कि घाटे के सम्बन्ध में यहां पर

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

कई बार जिक्र किया गया है। मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। राजस्थान में राजस्व घाटा कितना है, बजटीय घाटा कितना है और फिस्कल घाटा कितना है, इनके आंकड़े भी सबने दिये, आंकड़े मेरे पास भी हैं, कोई चाहेगा तो मैं दे दूंगा। लेकिन मैं इस मामले में ये आंकड़े देकर इस सदन का और आपका समय नहीं लेना चाहता। आप चाहें तो मैं बोल जाऊं? मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि यहां पर जिक्र किया गया टेंथ फाइनेंस कमीशन का और यह जिक्र किया गया कि टेंथ फाइनेंस कमीशन के सामने हमने ठीक प्रकार से पैरवी नहीं की। यह आपका चार्ज था। अब इसकी कोई सजा होती हो....

श्री चन्दनमल बैद : कह रहे हैं कि वह मेमोरेंडम हमने पेश नहीं किया था इस वास्ते गलत था। हम पेश करते तो इतना गलत नहीं होता, यह कह रहे थे कल।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : आगे का अर्थ आप लगा रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह मैं कह रहा हूं। यह कमीशन के सामने यह रिप्रजेंटेशन या मेमोरेंडम हमने नहीं दिया था, यह मई, 1993 में पेश हुआ था जिस समय मैं छुट्टी पर गया हुआ था।

श्री रामनारायण चौधरी : राष्ट्रपति शासन में।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां, राष्ट्रपति शासन में। इसको ये नहीं मानते, इसको भी कह रहे हैं कि गलत है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि 1993 में यह ज्ञापन दिया, मई में दिया, मोस्ट प्रोबेबली मई फिफ्थ या सिक्सथ मई....

श्री चन्दनमल बैद : उस समय अगर यह मेमोरेंडम गलत था तो आपने उसको अमेंड क्यों नहीं किया?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बिलकुल सही है। आप जिस नाइंथ फाइनेंस कमीशन की बात कह रहे हैं, जिस नाइंथ फाइनेंस कमीशन की क्रेडिट ले रहे हैं, हम जिस समय नाइंथ फाइनेंस कमीशन के सामने गये तो इतना डिवोल्यूशन हुआ, इतना डेट हमारा माफ किया गया, हमें रेवेन्यू डेफिसिट को दूर करने में इतनी मदद दी गयी, आप भी तो क्रेडिट लेते हो। उस समय मैं गया था फाइनेंस कमीशन के सामने और सारे अखबारों में यह छपा है कि राजस्थान में विपक्ष के नेता ने राजस्थान की वित्तीय स्थिति, भौगोलिक स्थिति और विकास की आवश्यकताओं को जिस ढंग से रखा, सरकार ने भी नहीं रखा। यह तो अखबारों में छपा है आपने भी पढ़ा होगा। यह दूसरी बात है कि आपने पढ़ा नहीं। अच्छा है आपने पढ़ा नहीं। (व्यवधान) मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि जो मैं फाइनेंस कमीशन के सामने गया, यह मेमोरेंडम गया, उसके बाद में गया। मेरी अप्रोच रखी, और वह अप्रोच रखी जिसके लिए आज तक आप और मैं दोनों लड़ते रहे, कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें लड़ती रही हैं। हमारे डिवोल्यूशन के अंदर जो नार्म्स तय करने हैं, किस आधार पर हमें फाइनेंस असिस्टेंस मिले, वह आधार तय होना चाहिए। आपको याद होगा कि आपने भी कहा था और मैंने भी कहा था

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

कि इसमें एरिया शामिल किया जाए। मुझे सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि इस फाइनेंस कमीशन ने इस सिद्धान्त को स्वीकार किया है कि एरिया को भी डिवोल्यूशन के मामले में शामिल किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि केवल एरिया का ही प्रश्न नहीं था, उसके साथ हमने यह भी कहा था कि पावर्टी, बैकवर्डनेस कितनी है, इंफ्रास्ट्रक्चरल बैकवर्डनेस कितनी है, इन सब चीजों को आधार बनाकर राजस्थान को सहायता दी जाए, उसके पैरामीटर्स तय किये जाएं। पहली बार प्लानिंग कमीशन ने, फाइनेंस कमीशन ने इस बात को स्वीकार किया है। मैं समझता हूं कि इस बात को आप मानेंगे, यह एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हैं। आज चाहे तत्काल हमें लाभ नहीं मिलता लेकिन भविष्य में इसके कारण से लाभ मिलेगा, इसकी हमने पूरी कोशिश की। पहले भी की, आज भी की।

मुझे याद है कि एक बार सुखाड़ियाजी ने एक कमीशन के सामने कहा कि राजस्थान में आप जाओ, जैसलमेर और बाड़मेर देखो और फिर बताओ कि जैसलमेर और बाड़मेर का विकास मैं करूं तो उसकी कास्ट कितनी आएगी। गया नहीं वह कमीशन लेकिन एरिया उसमें शामिल नहीं किया। इस बीच में गाडगिल फार्मूला आ गया जिसमें पापूलेशन का पर्सेंटेज ज्यादा महत्वपूर्ण बन गया। हमारा एरिया तो ज्यादा है और पापूलेशन में हम कमजोर हैं, इसका लगातार हम घाटा उठाते रहे। हर बार चाहे कांग्रेस का शासन हो, चाहे हमारा शासन हो, हम गाडगिल फार्मूले का विरोध करते रहे। उस गाडगिल फार्मूले में यदि पहली बार इवेजन कराया है तो हमने कराया है कि एरिया भी उसमें शामिल होगा, बैकवर्डनेस भी उसमें शामिल होगी। आज उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, उसमें कमजोरी दिखाने की आवश्यकता नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि बैदजी ने यह कहा कि राजस्थान को कम मिला, एक माननीय सदस्य तो यहां तक कह गये कि आपने नार्मेटिव अप्रोच की पैरवी नहीं की। मैं समझता हूं कि बोल रहे थे....

श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : तारीफ की है कि उससे हमें ज्यादा मिलेगा और नार्मेटिव अप्रोच तो उन्होंने इसलिये की है कि यह जो रेवेन्यू डेफिसिट है, उसकी डेंसिटी कम हो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसलिये नहीं है, मैं आपको करेक्ट कर देता हूं। नार्मेटिव अप्रोच इसलिये नहीं लिया गया कि टेंथ फाइनेंस कमीशन की टर्म ऑफ रेफरेंस में नार्मेटिव अप्रोच नहीं रखा।

श्री विष्णु मोदी : बैकग्राउण्ड यह रहा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं बैकग्राउण्ड की नहीं, बैकग्राउण्ड मैं आगे के लिये ठीक कर देता हूं। मैं इसलिये कहना चाहता हूं कि नार्मेटिव अप्रोच उसमें नहीं हुआ और इसी प्रकार से मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं कि नाइंथ फाइनेंस कमीशन ने रेवेन्यू अकाउण्ट के नाते उसको देखने की जिम्मेदारी थी और उस रेवेन्यू अकाउण्ट को

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

देखने की जिम्मेदारी थी तो वहां पर श्री साल्वे साहब, जो उस समय के चेयरमैन थे, उन्होंने एक वर्ड का लाभ उठाया, रेवेन्यू अकाउण्ट का और रेवेन्यू अकाउण्ट का लाभ उठाकर यह कहा कि मैं डेफिसिट भी देख सकता हूं, प्लान डेफिसिट भी देख सकता हूं और उस समय उन्होंने हमारी सहायता की जबकि इस प्लान में केवल नान प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडीचर देखने की व्यवस्था थी जिसके कारण राजस्थान को घाटा हुआ, निश्चित रूप से घाटा हुआ लेकिन यह घाटा केवल राजस्थान को ही हुआ हो ऐसी बात नहीं है। यह घाटा गुजरात को हुआ, हरियाणा को हुआ, कर्नाटक को हुआ, केरल को हुआ, मध्य प्रदेश को हुआ, महाराष्ट्र को हुआ, पंजाब, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल को हुआ।

श्री चन्दनमल बैद : सबसे ज्यादा आपको हुआ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं बताता हूं, हमको केवल 33 करोड़ रुपये मिले और भारत सरकार ने, फाइनेंस कमीशन ने आगे कहा है कि राजस्थान की अपनी क्षमता ऐसी बन गयी है कि रेवेन्यू डेफिसिट को अपने साधनों से पूरा कर सकता है। यह बुराई है या तारीफ है?

श्री चन्दनमल बैद : नहीं कहा है, मैं फिर कह रहा हूं कि नहीं कहा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ठीक है।

श्री चन्दनमल बैद : ठीक है की बात नहीं है, आप ऐसी बात कह रहे हैं कि जो फाइनेंस कमीशन ने नहीं कही है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जो फाइनेंस कमीशन ने कहा है, मैं वही बात तो बताना चाहता हूं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : इस उम्र में इतनी जिद ठीक नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पहले तो, अध्यक्ष महोदय, मैं नार्मेटिव अप्रोच की बात बता दूं।

एक माननीय सदस्य : फ्लैग से निकाल लीजिए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, नहीं निकालने की बात नहीं है, इन तीनों के निशान लगा रखे हैं, मेरे निशान ऐसे लगे हुए हैं कि जैसे इनके फ्लैग गायब हो गये, वैसे नहीं होगा। अध्यक्ष महोदय, पैरा 2.27, इसको देखें यदि एक्सपेक्ट....

श्री शिवनाथ सिंह : यह तो फ्लैग सभी के गायब होते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : फ्लैग गायब नहीं हो रहे हैं। "We are of the view that there is a clear rationale for the Finance Commission to deal with the revenue account as a whole and not merely the non-plan revenue expenditure.

"Our terms of reference require us to keep in view the objective of reducing fiscal deficit and generating surplus for capital investment which cannot be done adequately unless we reassess the projections of plan expenditure.

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

But our terms of reference also explicitly require us to assess non-plan revenue expenditure. Our period of recommendation not being conterminous with the Eighth Plan has further complicated the issue."

यह तो आ गया इसका कि उन्होंने जो हमको 365 करोड़ रुपया मिला था उनकी टर्म्स एण्ड रेफरेंस नहीं थी जिसके आधार पर यह तय किया। अब हमको दिया 33 करोड़ 8 लाख रुपया और वह भी अगले एक वर्ष के लिए दिया है और एक वर्ष के लिए तो इस आधार पर दिया है कि नैक्स्ट टाइम में हम अपनी व्यवस्था कर लेंगे। अब आप समझो तो यह देख लो–राजस्थान 199, 539, 865 और 445, यह सारे अलग-अलग फिगर्स देते हुए....

श्री चन्दनमल बैद : वह सब पढ़ लिया मैंने।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : तो फिर आप मान लो।

श्री चन्दनमल बैद : क्या मान लो? वह शब्द कहां हैं?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह मान लो कि 33 करोड़ जो हमको दिया है एक वर्ष के लिए दिया है और आगे के वर्षों के लिए हमको नहीं दिया। उसके पीछे कारण प्लानिंग कमीशन ने यह बताया है कि यह व्यवस्था अपने आप करनी है....

श्री चन्दनमल बैद : माननीय मुख्य मंत्रीजी, माफ कीजिये, मैं आपको इन्टरवीन कर कहा हूं। आपने यह कहा था कि फाइनेंस कमीशन ने यह लिखा है कि राजस्थान आगे अपने रेवेन्यू डेट से मीट कर लेगा। यह कहां लिखा हुआ है? आपने कहा है लिखा है तो कहां लिखा है?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : तो आप बताइये क्या लिखा है?

श्री चन्दनमल बैद : आप बताइये क्या लिखा है? चीफ मिनिस्टर आप हैं और पूछ मुझसे रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरी सुन लीजिये। आपने तो शब्दों को पकड़ लिया। जो डेफिसिट है, जो रहेगा उसको राजस्थान अपनी व्यवस्था से मीट करेगा। जिन वर्षों में है उसको मैं आपको बता दूंगा। अब झगड़ा किस बात का है? आप तो इस हाउस में यह भी कह गये कि इनको ग्रांट-इन-एड कम मिली, सब कुछ कम मिला। जो डिवोल्यूशन का पर्सेण्टेज है, वह इनको बहुत कम हो गया। यह अयोग्यता की निशानी है। मैं एक बात और पूछना चाहता हूं....

अनेक माननीय सदस्य : अब की बार तो आप हार गये, मात खा गये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप चाहे कितना भी बोलें मात खाने वाले तो खा गये। आप समझो कि वह रेफरी बन जाएं तो खिलाड़ियों का तो सत्यानाश हो जायेगा।

श्री चन्दनमल बैद : मैं मात देने की बात नहीं कर रहा हूं। एक जो आपने बात

(श्री चन्दनमल बैद)

कही थी, क्योंकि मैंने फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट पढ़ी है इसलिए मेरे ध्यान में नहीं आया। मैंने कहा कि मेरे ध्यान में नहीं आया तो आप बता दें, मैं अपने आपको करेक्ट कर लूंगा। आप नहीं बता सके।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अब ऐसा कह रहे हैं कि 33 करोड़ रुपये जो हमको दिये हैं इस डेफिसिट को पूरा करने के लिए उसके आगे के लिए फाइनेंस कमीशन ने कहा कि आगे यह स्टेट अपनी व्यवस्था खुद कर लेंगे। अब ऐसी स्थिति में पर्सेण्टेज की बात आपने कही। बैद जी, आपने 7वें वित्त आयोग के सामने ज्ञापन दिया था। आपको याद होगा। आपने मेरे लिए कहा कि मैं 1977 में मुख्य मंत्रीजी था उस समय भी आयोग ने जो डिवोल्यूशन किया उसका पर्सेण्टेज बहुत कम था और जब 10वें वित्त आयोग के सामने गया, उससे भी बहुत कम किया। अब मैं आपको कहना चाहता हूं कि 7वें में मैंने किया, उस समय तो डिवोल्यूशन हुआ 4.33 प्रतिशत और उसके बाद में 8वें वित्त आयोग के सामने आप गये उस समय हुआ 4.25 प्रतिशत। कम हुआ उसके लिए कौन जिम्मेदार है ? तो आप जो यह कहें कि बढ़ गया उसके लिए तो मैं जिम्मेदार हूं और घट गया उसके लिए भैरोंसिंह जिम्मेदार है, यह दोनों बातें नहीं चलेंगी। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि सरकम्सटांसेज होती हैं, टर्म्स आफ रेफरेंस होती हैं। स्टेट की खुद की फिस्कल पोजीशन होती है और उस पोजीशन के आधार पर कितना क्या मिलना चाहिए वह मिलता है। इसलिए मैं फिर कह रहा हूं कि राजस्थान में इस फाइनेंस कमीशन से दो-तीन बातों को लेकर मुझे भी असंतोष है, मैं कोई खुश नहीं हूं लेकिन आज उसका इलाज भी मेरे पास कोई नहीं है। मैं इतना कह सकता हूं कि कुछ मिला है। अगर पूरे मनी टर्म्स में देखें तो लगभग 6 हजार करोड़ रुपया हमको ज्यादा मिला है, इसको मैं समझता हूं कि कोई इन्कार नहीं कर सकता। अब उसी प्रकार से आप देखें कि राजस्थान में....

श्री चन्दनमल बैद : मनी टर्म्स में डिवोल्यूशन कितना हुआ है पहले का और अब का कितना हुआ है ? 1 लाख 6 हजार की जगह 2 लाख 36 हजार का डिवोल्यूशन हुआ है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह लगभग 6 हजार करोड़ और 11 हजार करोड़ है। अब आगे कितने का है आप देख लीजिए।

श्री चन्दनमल बैद : डिवोल्यूशन हुआ था 1 लाख 6 हजार करोड़ का और अब डिवोल्यूशन हुआ है 2 लाख 26 हजार करोड़ का, यानि डबल से ज्यादा हुआ और आपको जो पैसा मिला है वह डबल से कम मिला है। मैं यही कहना चाहता हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने तो पर्सेण्टेज की बात कही है और मैं कहता हूं कि टोटल मनी जो हमको मिला है वह पहले के मुकाबले में ज्यादा मिला है और जो पर्सेण्टेज कम मिला है वह कारण मैंने बता दिये कि नार्मेटिव अप्रोच उसमें नहीं था।

श्री चन्दनमल बैद : माननीय मुख्य मंत्रीजी, दस वित्त आयोग बने हैं, दसों

(श्री चन्दनमल बैद)

फाइनेंस कमीशन में हमेशा हर स्टेट को ज्यादा मिला है। हर स्टेट को दसवें फाइनेंस कमीशन में पहले से ज्यादा मिला है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह तो मिलेगा। वह नेचरल है। उसमें क्या बात है? लेकिन मिला कितना? मैं आज आपको बता दूं और फिर आप नहीं मानेंगे। इसी प्लानिंग कमीशन और फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट देख लीजिए। इसमें जितना राजस्थान को पर कैपिटा फाइनेंस कमीशन से पैसा मिला है वह हिन्दुस्तान में किसी को नहीं मिला। सबसे ज्यादा पर कैपिटा और डिवोल्यूशन राजस्थान को मिला है। बाकी हिन्दुस्तान में सब राज्य पीछे हैं। तो आप अलग-अलग पैरामीटर लेकर काम करेंगे तो उससे काम नहीं चलेगा। आप विचार कर लीजिए। इनकम टैक्स में 4.83 प्रतिशत 9वें वित्त आयोग में मिला था। वह बढ़कर 5.551 प्रतिशत हो गया। बेसिक एक्साइज ड्यूटी में जहां 5.524 प्रतिशत मिला वह दसवें वित्त आयोग में 5.551 प्रतिशत हो गया। रेल यात्रा को इन ल्यू आफ रेलवे पैसेंजर्स टैक्स 34.33 मिला था वह बढ़कर 84.85 हो गया। एडिशनल एक्साइज ड्यूटी में जहां 4.689 प्रतिशत मिला था वह 4.883 प्रतिशत हो गया। शेयर्स के टैक्स में हमको ज्यादा मिला और ज्यादा मिला तो इन चारों मदों में जो आप फिगर्स पूछ रहे थे, इन चारों मदों में हमको मिला है 10255.86 करोड़ और 9वें फाइनेंस कमीशन में मिला था 4613 करोड़। इस तरह से हमको ज्यादा मिला 5641 करोड़ और उसके आधार पर केलकुलेशन किया तो हिन्दुस्तान में दसवें फाइनेंस कमीशन के डिवोल्यूशन और जो भी सहायता राजस्थान को मिली है वह परकैपिटा में हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा राजस्थान की है। अब इससे आप अन्दाज लगा लीजिए।

अब इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आपने यह भी मांग की कि केलेमिटी फण्ड में दो इश्यूज हमारे सामने थे जिनकी वकालत आप भी करते थे और मैं भी करता था, केलेमिटी फण्ड रखा जाए और कई राज्य सरकारों के ज्ञापन आप देखेंगे, तो उन्होंने कहा था कि केलेमिटी फण्ड नहीं रहना चाहिए। क्योंकि जहां अकाल नहीं पड़ते, जहां बाढ़ नहीं आती है वह स्टेट्स चाहते थे कि इस तरह का नेशनल केलेमिटी फण्ड उनको नहीं मिलना चाहिए। अब उसकी एवज में आपको सुनकर खुशी होगी कि केलेमिटी फण्ड में हमको 9वें फाइनेंस कमीशन में लगभग 465 करोड़ मिले थे और अब मिले हैं हमको 706 करोड़। अब इसमें बढ़ोतरी हुई, कोई कमी नहीं हुई और सबसे बड़ी बात यह हुई कि हम चाहते थे भारत सरकार से, हमने कई बार कहा कि नेशनल केलेमिटी फण्ड बनाया जाए, यह 706 करोड़ रुपयों से भी काम नहीं चलेगा तो भारत सरकार से हमको पैसा मिला उसके लिए कोई केलेमिटी फण्ड बनाना चाहिए, उसको उन्होंने सिद्धान्ततः स्वीकार कर लिया। उसमें राजस्थान का भी कंट्रीब्यूशन होगा और हमारा भी जो अपना हिस्सा इस साल का है वह हमने दिया है और भविष्य में भी देंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप यह कहकर चलें कि राजस्थान में फाइनेंस कमीशन के

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

कारण नुकसान हुआ है मैं इसको यह नहीं कहता लेकिन फाइनेंस कमीशन के कारण से नहीं बल्कि गवर्नमेंट आफ इण्डिया ने जो टर्म्स एण्ड रेफरेंस बनाई उसके कारण से घाटा हुआ है। ऐसी स्थिति में इस बात के लिए कोई ज्यादा चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं है। अध्यक्ष महोदय, चिन्ता तो इस बात की है कि जैसा श्री परसराम जी कह गए कि कारपोरेट टैक्स, इनकम टैक्स, एक्साइज ड्यूटी और बेसिक एक्साइज ड्यूटी इन सब को शामिल किया जाकर एक पूल में एक किटी बनाकर भारत सरकार उसमें सहायता देगी जिसमें आपने कहा कि टोटल 29 पर्सेण्ट इसमें होता है।

(18.00)

अब आपने कैलकुलेट किया कि 29 पर्सेण्ट होता है लेकिन उससे राजस्थान को नुकसान होगा। नुकसान होने का एक कारण है जिसको मैं स्पष्ट बता सकता हूं। कारपोरेट टैक्स यह कम्पनियों पर लगने वाला टैक्स है, कम्पनियों पर लगने वाले टैक्स पर यदि भारत सरकार ने यह तय कर लिया कि जहां जितना कलेक्शन होगा उसी के पर्सेण्टेज से सहायता मिलेगी तो राजस्थान को नुकसान हो सकता है लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि यह फार्मूला अब बहुत पुराना हो गया। इस फार्मूले पर शायद ही भारत सरकार एग्री करे, एग्री करेगी भी नहीं। यह नुकसान हो सकता है कि बम्बई में, गुजरात में, अब संयोग से बम्बई है, गुजरात है, कर्नाटक है इनमें कांग्रेस के हाथ में इस समय राज नहीं है। हो सकता है वह इन्डिपेंडेंट व्यू लें और इन्डिपेंडेंट व्यू लेकर यह कहें कि नहीं, यह तो एक नार्मेटिव एप्रोच इसका होना चाहिए और इसमें नहीं देखना है कि बम्बई में इतना कलेक्शन हुआ है तो उसका इतना पर्सेण्ट, गुजरात में इतना कलेक्शन हुआ है तो उसका इतना पर्सेण्ट। उस स्थिति में राजस्थान को फायदा होगा लेकिन भारत सरकार कह रही है कि कांस्टीट्यूशन में अमेंडमेंट करेंगे और अगले साल हम इसको लेने की कोशिश करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, मैं इन सब बातों को छोड़ कर अब आगे निवेदन करना चाहता हूं कि टोटल बजट यह किस बात के लिए बना है। इस बजट का एप्रोच क्या है। एप्रोच है इस बजट का ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना। अब आप यह कहेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों का विकास ही नहीं हुआ है, आप यह कहेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क ही नहीं बन रही है, तो जैसे कोई आज हममें से यह कह दे कि कांग्रेस के जमाने में कोई सड़क ही नहीं बनी तो उसके लिए आपकी प्रतिक्रिया होगी यह बात सही नहीं है। आज अगर आप यह कहें कि हमारे जमाने में कोई स्कूल नहीं खुला, दवाखाना नहीं खुला, सड़क नहीं बनी, अमुक प्रकार का विकास का काम नहीं हुआ। विकास का काम हुआ है और विकास के काम का मापदण्ड यह राजनैतिक आधार पर भी होता है, विकास के काम का मापदण्ड जो कुछ हमने एचीवमेंट किया है उसके आधार पर भी, फाइनेंशल मैनेजमेंट का हो या बाकी की चीजों का हो, उस आधार पर भी होता है। इवेल्यूएशन इसका किया जाता है, राजनैतिक इवेल्यूएशन तो हो गया उसको मैं दोहराना नहीं चाहता। पंचायतों और नगरपालिकाओं के चुनाव हुए....

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

(व्यवधान) मैं नहीं बोलना चाहता, मैं खुद ही संकोच कर रहा हूं कि बोलूं या नहीं बोलूं....

श्री चन्दनमल बैद : शर्मीले हैं आप।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बहुत ज्यादा। हारे हुए के सामने जाता हूं तो और भी शर्म आ जाती है। मैं इसलिए कह रहा हूं। आज मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूं कि राजस्थान का यह बजट ग्रामीण क्षेत्रों के विकास का बजट है। इसमें सड़कें बनेंगी, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा, पानी की व्यवस्था होगी, सब कुछ होगा। यह गांवों के विकास का बजट है। कई मित्रों ने तो किसानों के लिए कह दिया। किसान जयपुर शहर में रहता है क्या? गांव में रहता है। आज जब अस्पताल खुलेगा, किसान इलाज नहीं करायेगा? वहां पर स्कूल खुलेगा तो वहां पर किसान का बच्चा पढ़ने नहीं जायेगा? वहां पर यदि कोई सड़क बनेगी तो किसान उस पर नहीं चलेगा? वहां पर यदि बिजली आयेगी तो किसान को उसका लाभ नहीं मिलेगा? आज ऐसी स्थिति में कहता हूं कि इसको इस रूप में लिया जाए कि किसान का कुछ नहीं होगा, किसान गांवों में रहता है और किसान है तो किसान के लाभ के लिए बजट है। इस बजट का 62 पर्सेण्ट पैसा गांव में खर्च होगा। यह 62 पर्सेण्ट पैसा किसान के ऊपर खर्च होगा यह आज तक राजस्थान के इतिहास में कभी खर्च नहीं हुआ। इस बात को स्वीकार कर के चलें। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि बजट जो कुछ बनाया है, परेशानियां जरूर थीं लेकिन राजस्थान की जनता ने इसमें सहयोग दिया है और उस आधार पर हमने बजट बनाया है।

मुझे इस बात की खुशी है कि इस बजट की आलोचना में किसी प्रकार की आलोचना सिवाय इसके आंकड़ों के और सिद्धांत रूप में कोई आलोचना नहीं है। यह पहला बजट मैं देख रहा हूं विपक्ष में था तब भी और आज भी, सिद्धान्त रूप में बजट का विरोध होता था लेकिन यह पहला बजट होगा राजस्थान की विधान सभा के इतिहास में कि सिद्धान्त के नाते विरोध नहीं किया, आंकड़ों के नाते विरोध किया है। हो सकता है आप आंकड़े मेरे से ज्यादा अच्छे बना सकते हों या आंकड़े मेरे से ज्यादा अच्छी तरह आप रिप्रेजेंट कर सकते हों, आपके काम्पीटिशन में खड़े रहने की कोई आवश्यकता नहीं है लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि राजस्थान की जनता के हित में यह बजट बना है इसको विपक्ष ने स्वीकार किया है। कोई इसकी आलोचना नहीं कि सिवाय इसके फाइनेंस कमीशन से 365 करोड़ रुपये कम मिले या यह आलोचना की कि वहां से इतने रुपये कम लाये या हमारा कर्जा बढ़ रहा है लेकिन किसी ने नहीं कहा कि राजस्थान का यह बजट राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों के और राजस्थान की जनता के विकास के लिए नहीं है....(व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य : सभी ने कहा है।

श्री परसादीलाल मीणा : आपने कहा है किसने कहा है....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपका भाषण सुना था आपने केवल एक बात कही कि

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

इस बजट की किताब की कीमत बहुत ज्यादा लगा दी, आपका तो सारा भाषण यह था।

श्री परसादीलाल मीणा : आपने पशु चिकित्सालय नहीं खोले। आपने एजूकेशन को बजट समर्पित किया, आपने इसका कोई प्रावधान नहीं रखा जैसा आप बता रहे हैं वैसा आपने नहीं किया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं इन्हीं शब्दों के साथ माननीय सदस्यों के प्रति फिर आभार व्यक्त कर रहा हूं कि माननीय सदस्यों ने इस बजट की अप्रत्यक्ष रूप में प्रशंसा करके हम लोगों को उत्साहित किया है (व्यवधान) हाथ हिलाओ, मन नहीं हिल रहा है, मन मेरे साथ है। मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि इस बजट के बाद भी जब भी कभी सप्लीमेंट्री डिमाण्ड्स का अवसर आयेगा या बिल का अवसर आयेगा, उस समय जो भी आप सुझाव देंगे, जो प्रेक्टिकल सुझाव होंगे उनको मैं स्वीकार करूंगा। कई माननीय सदस्यों ने टैक्सेज के बारे में जो बातें कहीं हैं मैं उनका आज जिक्र नहीं करके एप्रोप्रिएशन के बिल के दिन या इस सम्बन्ध में जो विधेयक पेश होगा उस समय जिक्र करूंगा। अध्यक्ष महोदय, मैं इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद देता हुआ माननीय सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं।

श्री शिवनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, ऐसा है, समय की कोई दिक्कत नहीं है, हम दस बजे तक बैठ सकते हैं लेकिन बजट का फाइनल जवाब हुआ है। सदन के नेता ने जवाब दिया है और यह एक ऐसा अोकेजन है कि इसके बाद कोई दूसरा काम लिया नहीं जाना चाहिए। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि इसको बाद में लिया जाए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप यह कहकर जाना चाहते हो कि मेरा भाषण बहुत अच्छा हुआ है।

श्री शिवनाथ सिंह : आप हमारी छुट्टी कर दो हम कह देंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप यह कहो कि मेरा भाषण बहुत अच्छा हुआ है।

श्री शिवनाथ सिंह : आपका भाषण इतना सुन्दर हुआ है जितना आप अपने मन में जानते हो....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप सीधी बात करो मेरा भाषण बहुत अच्छा हुआ है और आगे की कार्यवाही नहीं की जावे। और मैं ऐसा समझता हूं कि भाषण अच्छा हुआ है इसलिए आगे के दोनों बिजिनेस लिये जाएं, यह जरूरी है।

श्री शिवनाथ सिंह : बहुत अच्छा हुआ है, हमारी छुट्टी करो।

श्री अध्यक्ष : विचारार्थ लिए जाने वाले विधेयक।

राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 1995–श्री नाथूसिंह जी, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 1995 को विचारार्थ लिया जाए।....(व्यवधान)

श्री शिवनाथ सिंह : इसमें बहुत टाइम लगेगा....

श्री विष्णु मोदी : आन ए पाइंट आफ आर्डर।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : समय लगेगा तो रात के 12 बजे तक बैठेंगे।

श्री विष्णु मोदी : **Sir, I am on a point of order.**

विधायी कार्य : विधेयक पर विचार राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 1995

श्री नाथूसिंह (राज्य मंत्री, पंचायती राज) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं, कि राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 1995 को विचारार्थ लिया जाए।

व्यवस्था का प्रश्न

विधेयक में समाविष्ट अन्य अधिनियम की धाराओं का संलग्नक

श्री विष्णु मोदी : **On a point of order, Sir.** अध्यक्ष महोदय, यह जो बिल रखा गया है उसके अन्दर कुछ धाराएं पीपल्स आफ रिप्रजेंटेटिव एक्ट की इंसर्ट की गयी हैं। इस सम्बन्ध में मेरा पाइंट आफ आर्डर यह है कि किसी भी बिल में जब दूसरे एक्ट की धाराएं रखी जाती हैं तो उसका एनेक्सचर लगाया जाता है। जो मेन एक्ट है उसका एनेक्सचर तो लगा दिया लेकिन इसमें पीपल्स आफ रिप्रजेंटेटिव एक्ट की कुछ धाराएं जो इंसर्ट की हैं, जैसे खण्ड 4 में 126 के पहले 125 इंसर्ट की जानी है और धारा 22 की रिप्रजेंटेशन एक्ट की कुछ धाराएं सम्मिलित की जानी हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी सदन में किसी अधिनियम में संशोधन के लिए जो विधेयक लाये जाते हैं उनमें वह एनेक्सचर लगाये जाते हैं और इस तरह की व्यवस्था 16. 11. 70 को श्री भैरोंसिंह जी द्वारा उठाये गये औचित्य प्रश्न पर उस अध्यक्षीय व्यवस्था का उल्लेख भी करना चाहूंगा। श्री भैरोंसिंह जी ने यह औचित्य का प्रश्न उठाया था कि चूंकि राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) विधेयक, 1970 राज्य सरकार द्वारा गठित समिति की सिफारिशों के आधार पर लाया गया है अत: उक्त समिति का प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखा जाना चाहिए ताकि माननीय सदस्य उसका चर्चा में उपयोग कर सकें। अध्यक्ष ने इस आपत्ति को स्वीकार किया था और मंत्री महोदय को यह रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत करने के लिए कहा था। इसका तात्पर्य यह है कि किसी भी विधेयक पर चर्चा करते हुए सदस्य के पास उसकी कापी होनी चाहिए और इस एक्ट के अन्दर जो मंत्रीजी लाये हैं उसमें पीपल्स आफ रिप्रजेंटेशन एक्ट के एनेक्सचर नहीं हैं। तो मेरा यह पाइंट आफ आर्डर है....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, पहले तो आप यह बतायें कि आप किस रूल के तहत बात कह रहे हैं।

श्री विष्णु मोदी : मैं पाइंट आफ आर्डर रेज कर रहा हूं। यह मैं पाइंट आफ आर्डर रेज कर रहा हूं....

व्यवस्था

किसी अधिनियम से ली गयी धाराओं का संलग्नक विधेयक के साथ आवश्यक नहीं

श्री अध्यक्ष : अब आप सुन लीजिये।

(श्री अध्यक्ष)

आप बिराजिये। आई रूल आउट योअर पाइंट आफ आर्डर। मैं मैरिट बता रहा हूं। 11. 4. 74 को तत्कालीन माननीय अध्यक्ष महोदय, ने इस बात को रूल आउट किया है। यदि संशोधन विधेयक द्वारा किसी अधिनियम की कतिपय धाराओं का प्रतिस्थापन प्रस्तावित हो जो स्टेटमेंट और आब्जेक्ट में आ चुका है और इसका स्पष्ट उल्लेख विधेयक में हो, तो उसकी प्रति विधेयक साथ में लगाना आवश्यक नहीं है। यह माननीय श्री रामानन्द जी अग्रवाल, सदस्य, राजस्थान विधान सभा ने आपत्ति प्रस्तुत की थी और विधेयक के साथ अधिनियम से कारस्पोंडिंग प्रोविजन भी सर्कुलेट किये जाने चाहिए थे ताकि यह ज्ञात हो सके कि अधिनियम में कौन-कौन से प्रावधानों में संशोधन किया जा रहा है, माननीय सदस्य को इस बात में सुविधा हो सके। इसमें प्रभारी मंत्री श्री परसराम मदेरणा ने यह स्पष्ट भी किया कि संशोधन विधेयक के साथ अधिनियम कारस्पोंडिंग धाराओं की प्रति, सदैव लगायी जाती है, परन्तु प्रस्तुत विधेयक द्वारा अधिनियम की जिस धारा को लोपित कर नवीन धारा प्रतिस्थापित की जा रही है उसके खण्ड दो में दी गयी है। इस विधेयक के खण्ड 3 द्वारा जो नवीन धारा जोड़ी जा रही है उसका प्रावधान अधिनियम में नहीं था अतः उसका उद्धरण पृथक् से दिये जाने की आवश्यकता नहीं थी।

इस सम्बन्ध में वाद-विवाद के पश्चात् यह व्यवस्था दी थी इसलिए आई रूल आउट योअर पाइंट आफ आर्डर। जो आपने पाइंट आफ आर्डर में कहा है उसको मैं रूल आउट करता हूं। बिराजिये। (व्यवधान) यह कानून है, रूल्स बनाये हुए हैं।

श्री नाथूसिंह (राज्य मंत्री, पंचायती राज) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि 'राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 1995 को विचारार्थ लिया जाए।

विधेयक पर विचार

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष : श्रीमती उजला अरोड़ा, शिवनाथ सिंह जी, विष्णु जी मोदी, श्री रामनारायण चौधरी, श्री हरिसिंह (कुम्हेर) सदस्य, विधान सभा विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : अध्यक्ष महोदय, मेरा राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक को तीन माह के लिए जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का प्रस्ताव है, मेरे यह सुझाव है, बहुत आवश्यक है। मेरे सुझाव हैं इसमें, माननीय मंत्री महोदय यहां इस बिल को लाये हैं, बहुत अच्छा है। माननीय मंत्री महोदय ने आने के बाद यहां चुनाव कराये हैं, मैं राज्य सरकार को और मंत्री महोदय को बधाई देती हूं कि उन्होंने यहां पर आते ही पंचायतों के चुनाव करा लिये हैं और इसके अतिरिक्त उन्होंने जो आरक्षण दिया है महिलाओं, पिछड़े वर्ग के लोगों और अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों को, मैं उनको बधाई देना चाहती हूं और मैं यह भी सुझाव देना चाहती हूं कि इस

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

बिल में जो संशोधन लाये हैं उसके साथ-साथ एक व्यवस्था इन्होंने की हुई है नियम में; वह व्यवस्था यह है कि दो वर्ष तक कोई भी अविश्वास का प्रस्ताव पंचायत में नहीं ला पायेगा। अब एक दिक्कत यह है, वह नहीं लाये और परिस्थिति न हो तो मान्य है लेकिन अगर कोई चुनाव लड़ता है, उसके विपरीत ही कोई दूसरी महिला लड़ती है और मान लीजिये उनके पास बहुमत हो तो अविश्वास....

श्री शिवनाथ सिंह : अध्यक्ष जी, माननीय सदस्या जो कह रही हैं वह इस बिल का सब्जैक्ट मैटर ही नहीं है। सीमित उद्देश्य हैं, एक तो बच्चों की पैदाइश में छूट और कोई 2–4 क्लाजेज और हैं इसलिए जो माननीय सदस्या कह रही हैं वह इस बिल के अन्दर कहीं है ही नहीं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आपने पढ़ा ही नहीं है। मैं जो बात कह रही हूं जनमत जानने के लिए तो आप अगर अपना मत नहीं दे सकते उसको, औरों को तो मत देने की सुविधा रहने दीजिये। आप अध्यक्ष महोदय को सम्बोधित करके बात कीजिये। माननीय अध्यक्ष महोदय, तो ऐसे कुछ सुझाव इसमें जोड़कर लाये होते तो निश्चित रूप से यह कोई बात बनती। फिर अगली बार, अगली बार अगर संशोधन आएंगे तो यह कोई अच्छी बात नहीं है। मैं निवेदन करूंगी, कई पंचायतों में तो कुछ कमियां इस प्रकार की रह गयी हैं कि अभी तक सरपंचों को चार्ज ही नहीं दिया गया, यह भी देख लें कि इस तरह की व्यवस्थाएं क्या रहेंगी और यह भी व्यवस्था करें कि जो पंचायतें सुचारू रूप से सक्रिय कार्य कर सकें उनको एक-एक पंचायत को सचिव तो दें।

श्री अध्यक्ष : श्री माधवसिंह जी दीवान, श्री लक्ष्मण सिंह जी, श्री भीमसेन जी चौधरी, सदस्य, विधान सभा, विधेयक को प्रवर समिति को निर्दिष्ट किये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) **:** मेरा प्रस्ताव है।

श्री शिवनाथसिंह : मेरा प्रस्ताव है, मैं बोलूंगा।

श्री अध्यक्ष : आप बोलेंगे? अभी तो आप कह रहे थे, इसमें कुछ नहीं है, मैंने समझा आप नहीं बोलेंगे। श्री शिवनाथ सिंह जी। मैंने समझा आप नहीं बोल रहे हैं।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) **:** माननीय अध्यक्ष जी, मेरा प्रस्ताव है कि पंचायती राज (संशोधन) विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाए। इसके पीछे मेरा एक उद्देश्य है। जब शुरू में 1992 में यह कानून बना था और उसमें यह प्रावधान किया गया था कि दो बच्चों से अधिक जिसके सन्तान हो जायेगी वह इन पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव लड़ने के लिए या लड़ चुके हैं और उसके बाद उनके दो से अधिक सन्तान पैदा होती हैं तो वे डिसक्वालिफाई हो जाते हैं। माननीय अध्यक्षजी, उसके बाद में यह कानून बना जिसमें कि आप संशोधन चाहते हैं। 1994 में, 23 अप्रेल, 1994 को यह कानून लागू हुआ, यह कानून जो नया बना उस वक्त इस बात पर बहुत चर्चा चली थी और माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बहुत जोर देकर

(श्री शिवनाथ सिंह)

यह कहा था कि 1992 में जब कानून बन चुका है और हर व्यक्ति को राजस्थान के हर आदमी को इस बात की जानकारी मिल चुकी है तो 1992 में जो एक साल की छूट दी गयी थी बच्चे पैदा करने की दो से अधिक, उस छूट को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता और इस कानून के बाद में जो भी कोई दो से अधिक बच्चे पैदा करेगा उसको डिसक्वालिफाई माना जायेगा। छूट इतनी थी कि सैकण्ड अटेम्प्ट में यदि एक से अधिक बच्चे जुड़वां पैदा हो गये तो उसको एक ही यूनिट माना जायेगा।

माननीय अध्यक्ष जी, यह जो अब आज संशोधन विधेयक लाया जा रहा है उससे एम्स एण्ड आब्जेक्ट्स को पढ़कर सुनाना चाहता हूं। आपने जो मुख्य प्रोविजन, जिसके लिए संशोधन चाहते हैं उसकी एक लाइन दी है— 'No provision with regard to the child in womb at the time of the commencement of the Act could be made.' आपका कहने का मतलब यह है कि हम यह छूट इसलिए दे रहे हैं कि जिस वक्त यह कानून 23 अप्रेल को लागू हुआ था उस वक्त जो पेट में बच्चे थे उनकी तरफ हमारा ध्यान नहीं गया था, इसलिए जो पेट में बच्चा उस वक्त था वह पैदा हो रहा है इस वक्त उसके लिए उसके पिता या माता दण्डित नहीं हों।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं और जानना भी चाहूंगा कि बच्चा जो पेट में है उसको बाहर आने के लिए जन्म लेने के लिए कितना समय सोचते हैं? 23 अप्रेल, 1994 को तो वह कन्सीव था और आज आप छूट देना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इस कानून में 27 नवम्बर, 1995 तक की छूट दी जाए। माननीय अध्यक्ष जी, यह समझ में आने वाली बात नहीं है, कि 27 नवम्बर, 1995 तक की छूट क्यों दी जा रही है, इसके पीछे राजनीतिक कारण हैं और एम्स एण्ड आब्जेक्ट्स में आपने यह भी कहा है क्योंकि म्यूनिसिपल एक्ट में इस प्रकार के प्रावधान हैं इसलिए उनके सिमिलरली हम इसको रखना चाहते हैं और म्युनिसिपल एक्ट में जो एम्स एण्ड आब्जेक्ट्स दिये गये हैं उसमें कहा गया है कि कानून पास होने के बाद म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव तक हम लोगों को जानकारी नहीं दे पाये कि कानून में इस प्रकार का प्रावधान है क्या और इसलिए लोग चुनाव लड़ने वंचित रह जायेंगे।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं दोनों ही कानून में जो संशोधन किये जा रहे हैं उसका साफ निवेदन करना चाहूंगा कि यह राजनीतिक दृष्टि को ध्यान में रखकर किया गया है। आपने आर्डिनेंस लागू किया है। 30 दिसम्बर को और पंचायत राज संस्थाओं के नामिनेशन 3 जनवरी, 1995 को थे। तीन दिन का सिर्फ समय था, चार साल का समय लोगों की जानकारी होने के लिए आप सफिशियेंट नहीं मानते हैं।....और तीन दिन के समय में, तीन दिन में आपने एक आर्डिनेंस लाकर सबको अचम्भे में डाल दिया, जिन लोगों के दो से अधिक बच्चे थे वे चुनाव लड़ना चाहते थे लेकिन उन्होंने इस कानून के कारण अपने चुनाव लड़ने की तैयारी नहीं की और आपने गलत तरीके से, लोगों को मुगालत

(श्री शिवनाथ सिंह)

में रखकर और पार्टीबाजी के आधार पर इस प्रकार का कानून चुपचाप ले आये। तीन साल तक जनता को जानकारी कैसे नहीं हो पायी और तीन साल में जनता को जानकारी कैसे नहीं हुई। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो सब काम हुआ है वह पार्टीबाजी के आधार पर, राजनैतिक दृष्टिकोण को रखकर किया गया है।

माननीय अध्यक्षजी, इस बिल के 2–3 क्लाजेज के बारे में और आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा और वह इसलिए कि फिर आपको संशोधन करने पड़ेंगे। आपने एक क्लाज रखा है, क्लाज 2 के सैक्शन 1 (ए) के सब क्लाज (बी) में आपने कहा है कि–

'If any person makes in connection with—

(a) the preparation, revision or correction of an electroral roll, or

(b) the inclusion or exclusion of any entry in or from an electoral roll,

a statement or declaration in writing which is false and which he either knows or believes to be false or does not believe to be true,'

अध्यक्षजी, मेरे समझ में नहीं आया कि यह शब्द कि जिसको वह स्टेटमेंट देना चाहता है, वह देता है वह या तो असत्य है या सच्चा नहीं है। यह दो बातें तो समझ में आ सकती हैं—

... either knows or believes to be false or does not believe to be true,'....

यह बिलकुल ड्राफ्ट की बहुत बड़ी कमी है, हो सकता है कि आपकी भावना ठीक हो लेकिन इन शब्दों को ठीक करने की आवश्यकता है यह सब कोर्ट में जाकर कंफ्यूजन पैदा करेंगे। इसलिए माननीय अध्यक्ष, जी, एक क्लाज और है

(18.22)

(श्रीमती तारा भण्डारी, सभापति, पदासीन।)

यह क्लाज 5 है इसमें आप सैक्शन 117 ए का सब क्लाज (सी), उसमें आपने यह प्रावधान करना चाहा है कोई कोर्ट में इस मामले में, सभापति महोदया, क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है और किस मामले में नहीं किया जा सकता है, यह लिखा है : **(c) to question the legality of any action taken or of any decision given by the returning officer or by any other person appointed under this Act in connection with an election.'**

सभापति जी, हमारे यहां इस एक्ट में इलेक्शन पीटिशंस के लिए कानून बना हुआ है, धाराएं बनी हुई हैं और आपने यह कहा है कि रिटर्निंग आफिसर के द्वारा किसी भी किये गये काम हो हम सिविल कोर्ट्स में इस सैक्शन के द्वारा बाहर करते हैं। यह कांट्राडिक्ट प्रोविजंस हैं। या तो इलेक्शन पीटिशंस या दूसरी रेमेडी अलाउ नहीं

(श्री शिवनाथ सिंह)

करेंगे और यदि अलाउ करते हैं, तो यह जो एक्शन है रिटर्निंग आफिसर का, इलेक्शन रिटर्निंग आफिसर के एक्शन के खिलाफ भी इलेक्शन पीटिशंस होती हैं और भी कारण हो सकते हैं इसमें कि इलेक्शन रिटर्निंग आफिसर ने ठीक ढंग से इलेक्शन कंडेक्ट नहीं करवाये, नामिनेशन की जांच नहीं की, या फेयर इलेक्शन नहीं करवाये, यह इसमें आता है। इसलिए मैं माननीय मंत्रीजी का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि वह अपने ड्राफ्ट मैन से, लीगल एक्सपर्ट्स से इसकी जांच करवा लें 'to question the legality of any action taken or any decision given by the returning officer....' इसके लिए आप चेलेंज करने से रोकते हैं तो आपके दोनों क्लाजेज सेल्फ कांट्राडिक्टरी हैं। यह जो क्लाज है वह बिलकुल गलत हैं, क्योंकि सिविल कोर्ट्स को पूरा अधिकार है रिटर्निंग आफिसर के किसी भी एक्शन को सिविल कोर्ट्स में हम ले जायं, आपने प्रोविजन दे रखा है इसलिए इसमें या तो जो प्रोविजन आपने इलेक्शन पीटिशन का दे रखा है उसको सेव कीजिए। इसमें—save as otherwise provided in this Act, या तो यह लाइन इसके पीछे होनी चाहिए वरना दोनों सेल्फ कांट्राडिक्टरी होंगे और यह जो आपने सिविल कोर्ट्स के जुरिस्डिक्शन से डीबार किया है, यह बात बिलकुल गलत है। इसलिए माननीय मंत्रीजी इस ओर भी ध्यान दें।

श्री सभापति : श्री विष्णु मोदी।

श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : माननीय सभापति महोदया, मेरा पंचायती राज (संशोधन) विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव है वह इसलिए है कि भारतीय जनता पार्टी का परिवार नियोजन में कभी विश्वास रहा ही नहीं और मेरा यह आरोप भी है और यह सच्चाई भी है कि इस देश में अगर परिवार नियोजन कार्यक्रम को किसी ने धक्का पहुंचाया है, तो सत्ता की सीढ़ियों के शिखर तक पहुंचने के लिए इन लोगों ने इस देश का सत्यानाश किया है। जब इस देश में एक वातावरण बना था, परिवार नियोजन का माहौल बना था तब असत्य प्रचार करके कि कुंवारों की नसबन्दी कर दी गयी, वहां ज्यादती हुई, वहां ज्यादती हुई इस तरह का भ्रम फैला कर, इस तरह का षड़यन्त्र कर, असत्य बात कर देश को सबसे बड़ा धक्का पहुंचाया, तो वह इस पार्टी ने पहुंचाया और अब....(व्यवधान)....

श्रीमती उजला अरोड़ा : मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 10 तो कुंवारों की नसबन्दी कर दी गयी और 10 ऐसे हैं जिनके बच्चे पैदा नहीं हो सकते हैं उनकी नसबन्दी की गयी है। आओ मैं गिनाऊं आपको नाम और मैं जेल में रखी गयी 19 महीने उन लोगों के साथ में....

श्री विष्णु मोदी : माननीय सभापति महोदया, मैं कोई प्रवोक नहीं हो रहा हूं लेकिन मैं 1977 में जनता पार्टी की जब सरकार बनी....

श्री सभापति : माननीय सदस्य आप सुझाव दें।

श्री विष्णु मोदी : हां, मैं सुझाव ही दे रहा हूं, उसी पर आ रहा हूं कि क्यों जनमत जानने के लिए देना चाहता हूं।

श्री सभापति : पार्टीबाजी से कुछ नहीं होगा, आप सुझाव दें।

श्री विष्णु मोदी : जब 1977 में (व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप जबरदस्ती से ताईद करते हैं, जबरदस्ती से ताईद नहीं करेंगे यह कार्यक्रम राष्ट्रीय कार्यक्रम में होना चाहिये, बढ़ती जनसंख्या पर रोक होनी चाहिए लेकिन जबरदस्ती से तो आप ताईद कर रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं ?....(व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा : बड़े दुःख की बात है कि फिर भी श्री भैरोंसिहजी आपकी परवाह नहीं करते हैं। माननीय उजलाजी फिर भी भैरोंसिहजी क्या आपकी परवाह नहीं करते है ? बड़े दुःख की बात है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैंने आपसे कहा है कि आप जबरदस्ती से ताईद कर रहे हैं। आप 1975 से लेकर 1977 की बात कर रहे हैं....(व्यवधान)....

श्री विष्णु मोदी : माननीय सभापति महोदया, 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी....(व्यवधान)....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप अपने सुझाव पर आइये।

श्री विष्णु मोदी : 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी तो श्री राम नारायणजी स्वास्थ्य मंत्री बने थे तब उन्होंने अखबारों में खूब इश्तिहार दिये थे कि किसी प्रकार की जबरदस्ती हुई है....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप सुझाव पर आइये दूसरे सदस्यों को प्रवोक मत कीजिये।

श्री विष्णु मोदी : माननीय सभापति महोदया, इस सरकार ने जो पाप किया है इस देश के साथ, इस प्रदेश के साथ, उसका प्रायश्चित करने के लिए, उन पापों को धोने के लिए जो इन्होंने इस देश और प्रदेश के साथ किया है, यह+++वाहवाही लूटने के लिए एक परिवार नियोजन का बिल लेकर आये, उसमें क्लाज लेकर आये, उसके बाद में आर्डिनेंस से उसको हटा दिया और अब उसके बाद में यह बिल लेकर आये हैं। मैं कहता हूं कि चुनाव हो चुके हैं, जल्दी कोई है नहीं, चुनाव सारे सम्पन्न हो चुके हैं और अब चुनाव 5 साल में होंगे आर्डिनेंस अगर खतम भी हो गया तो यह बिल पेंडिंग रहेगा इसलिए ऐसी कोई आवश्यकता, ऐसी कोई जल्दबाजी नहीं है। हमारे पंचायती राज की व्यवस्था में सब सदस्य हजारों की संख्या में चुनकर आ गये हैं तो इसे जनमत जानने के लिए, उनकी राय जानने के लिए ताकि फिर दुबारा कोई दिक्कत नहीं आये, मैं समझता हूं कि इसमें ऐसी कौनसी सरकार को जल्दी हो रही है कि आज ही वह इसे पारित कराना चाहती है और जनमत जानने के लिए नहीं भेजना चाहती है।

माननीय सभापति महोदया, कितनी पूअर ड्राफ्टिंग और कितनी इसमें ट्रांसलेशन की गलतियां हैं वह भी मैं आपके सामने निवेदन करना चाहता हूं :

+++शब्द अध्यक्ष-पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री विष्णु मोदी)

'In section 22 of the principal Act, provisions of certain sections of the Representation of the People Act, 1951(43 of 1951) were incorporated. However, a mention of section 125 of the Representation of the People Act, 1951 which covers cases of promoting enmity between classes in connection with election, had been left out inadvertently. Therefore, it was proposed to incorporate the expression '125' in the said section of the principal Act.'

जब आप पहले एक्ट लेकर आये उसमें आप यह कहते हैं कि 125 धारा हमारी छूट गयी और उसकी हिन्दी करते हैं, यहां तो इनएडवरटेंटली लिखते हैं और हिन्दी में मेरे तो समझ में नहीं आया, कई लोगों से पूछा भी कि भाई इसका मतलब क्या निकलता है ?

श्री रोहिताश्व(राज्य मंत्री, यातायात): आपकी पढ़ाई इंगलैंड में हुई है ना ?

श्री विष्णु मोदी : "1951 की धारा 125, जिसके अन्तर्गत निर्वाचन के सम्बन्ध में वर्गों के बीच शत्रुता सम्प्रवर्तित करने के मामले आते हैं, का उल्लेख अनवधानता से रह गया था।"

यह "अनवधानता" मेरे तो समझ में नहीं आया कि भाई गलती से रह गया लेकिन अनवधानता किया है। पूअरली ड्राफ्टेड है, ट्रांसलेटेड मिस्टेक्स हैं और जल्दबाजी कोई है नहीं, पेंडिंग रहने दीजिए, आपकी पंचायती राज व्यवस्था पूरी बन गयी है इसलिए आप उनकी भी राय भी जान लीजिए। आर्डिनेंस खतम हो जाएगा तो क्या है बिल पेंडिंग है, कोई चुनाव आपके सामने है नहीं जिसकी आपको जल्दी हो, जनमत जानेंगे, वास्तव में अगर आप परिवार नियोजन को राष्ट्रीय कार्यक्रम मानते हैं, परिवार नियोजन को आप अच्छा मानते हैं, परिवार नियोजन को बढ़ावा देना चाहते हैं, तो आपको इसमें इलेक्टेड लोग जो आये हैं उनकी राय जानने में सरकार को क्या दिक्कत है ? तो माननीय सभापति महोदया, आपके माध्यम से मेरा निवेदन है कि यह सरकार इसमें जल्दबाजी नहीं करे और इसको जनमत जानने के लिए परिचालित करे।

श्री सभापति : श्री रामनारायणजी चौधरी।

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय सभापति महोदया, मैंने इस पंचायती राज (संशोधन) विधेयक को जनमत हेतु जानने के लिए परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव दिया है। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि जिस पंचायती राज की कल्पना और दर्शन महात्मा गांधी ने अपने जीवन काल में दिया था, जिस पंचायत चेप्टर को, जब संविधान करीब-करीब बन गया था, उस समय डाक्टर राजेन्द्र बाबू के ध्यान में आया कि सारा संविधान पास होता हुआ जा रहा है और महात्मा गांधी ने पंचायती राज का जो दर्शन और प्रोग्राम हमें दिया था, उसका इस संविधान में कहीं कोई जिक्र नहीं है। तब लास्ट में जाकर एक

(श्री रामनारायण चौधरी)

चेप्टर जोड़ा गया था। वह चेप्टर इसलिए जोड़ा गया था कि गांवों के लोगों को पंचायतों में और अपने गांव की व्यवस्था चलाने का अधिकार दिया जाना चाहिए हालांकि गांव के नाम को लेकर के बड़ा विरोध हुआ था कि गांव क्या है? इसका हमारे तत्कालीन विधि मंत्री बाबा साहब अम्बेडकर जो पायलट कर रहे थे बिल को, उन्होंने भी गांव को परिभाषित किया था और कहा था कि जहां एजूकेशन नहीं, जहां साम्प्रदायिकता हो, वे लोग किस तरह से पंचायत को करेंगे लेकिन फिर भी उन्होंने मानकर एक चेप्टर जोड़ा और यह आशा की गयी थी कि इस चेप्टर के आधार पर गांव के लोगों को स्वायत्तता दी जाय। इस दर्शन का उद्घाटन राजस्थान में सबसे पहले मोहनलालजी सुखाड़िया ने पण्डित जवाहर लालजी नेहरू के हाथों से करवाया। वह चल रहा था लेकिन समय-समय पर बलवंत राय मेहता भी इसके पायोनियर हुए और 1989 में तत्कालीन प्रधान मंत्री स्वर्गीय राजीवजी गांधी ने सारे देश का भ्रमण करके तमाम राजनेताओं, कार्यकर्ताओं और सर्विसेज के जो प्रशासक हैं, उन सबसे राय लेकर और पंचायत राज के लिए एक ड्राफ्ट बिल तैयार किया था नेशनल लेवल के ऊपर। वह दुर्भाग्य से बहुमत पूरा नहीं था, अधूरा समर्थन मिलने के कारण 1989 में राज्य सभा में गिर गया था। गिर जाने के बाद 1990 में जब कांग्रेस का शासन नहीं रहा तब जनता दल और भारतीय जनता पार्टी समर्थित दिल्ली में जो सरकार थी, उसने इस सम्बन्ध में कुछ नहीं किया। जब प्रधान मंत्री श्री नरसिम्हा रावजी आये, उन्होंने प्रतिपक्ष के लोगों से मिलकर उस अमेंडमेंट को पास करवाया, उस बिल को पास करवाया। उस बिल से यह आशा की गयी थी कि गांवों के लोगों को स्वायत्तता दी जायेगी। चुनाव का एक कार्यक्रम रखा गया था लेकिन जो स्वर्गीय राजीवजी का सपना था कि गांव के आदमी को सीधा सरपंच चुनने का अधिकार हो, पंच चुनने का अधिकार हो, वह तो मात्र रखा गया लेकिन प्रधान और प्रमुख, ये इनडाइरेक्ट वोट से रखे गये। वह मंशा राजीवजी की थी, वह पूरी नहीं हुई। पंचायतों के जो चुनाव हुए, इन पंचायतों के चुनावों में जिस तरीके से राजस्थान सरकार ने गड़बड़ की और जिस तरह से शिड्यूलिंग किया, री-शिड्यूलिंग किया, मुख्य मंत्रीजी ने इससे पहले वर्कशाप भी किया था और उनका जो विचार था उस समय, वह सही था। पंचायती राज मंत्रीजी उसमें थे। उन्होंने कहा कि बाड़ाबन्दी नहीं होने देंगे। चुनाव की शिड्यूलिंग मैं इस तरह से करूंगा कि किसी को दबाने का, धमकाने का, प्रलोभन देने का कहीं मौका ही नहीं आयेगा। हमने इसमें सोचा कि ये कैसे करेंगे लेकिन माननीय मुख्य मंत्रीजी ने, पंचायत राज मंत्रीजी ने दोनों ने मिलकर जिस तरीके से चुनाव को लम्बा खींच-खींच कर, जितने+++ नहीं होने चाहिये थे, वे सब+++करवाये। जो पंचायत राज का मकसद था, एक उत्साह प्रदेश में पैदा हुआ था, सारा मटियामेट कर दिया, सारा ठंडा कर दिया। जो मकसद हासिल करना चाहिये

+++शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(श्री रामनारायण चौधरी)

था, जो वातावरण बनना चाहिये था। उसको फिर मुख्य मंत्रीजी यहां पर इस तरह से ले आये कि भारतीय जनता पार्टी के तो इतने, कांग्रेस के इतने, जनता दल के इतने, यह मकसद ही पंचायती राज का नहीं था। गांधीजी ने यह कभी नहीं सोचा था कि....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : रामनारायणजी, एक बात सोच लीजिये। हम तो बिना दल के चुनाव लड़ना चाहते थे। आपकी पार्टी के अध्यक्ष और प्रोविंशियल कांग्रेस के अध्यक्ष; उन्होंने कहा कि हम पार्टी के चुनाव चिन्ह के आधार पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। हम क्या करते ? उस समय उनका विरोध करते ? आप यह कहते कि नहीं, हम तो यूं ही लड़ेंगे, हम भी यूं ही लड़ जाते।

श्री रामनारायण चौधरी : यह सही है। आप इसी आधार पर कराना चाहते थे जो आज हुए हैं, आपने करवाये हैं लेकिन आपने प्रदेश कांग्रेस कमेटी को लिखकर अपने विचार के हिसाब से दोनों का मन बना लिया, आपने और इन्होंने....

श्री भीमसेन चौधरी : विपक्ष की सारी बात मानते हैं क्या ?

श्री रामनारायण चौधरी : दोनों का एक मन बना, एक मन बनकर और पंचायतों को आपने पूरा राजनैतिक आधार दिया, जो नहीं दिया जाना चाहिये था। गांधीजी का कोई सपना नहीं था, गांधीजी यह नहीं चाहते थे कि ग्राम पंचायतों में इस तरह की पार्टीबाजी और इस प्रकार का दलीय आधार बनाया जाय। इससे तो गांव का स्वरूप ही खतम हो गया....

श्री देवीसिंह भाटी (सिंचाई मंत्री) : गांधीजी ने तो कहा था कि कांग्रेस को ही खतम कर दो....(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : गांधीजी चाहते थे कि नहीं चाहते थे, अशोकजी गहलोत चाहते थे।

श्री रामनारायण चौधरी : तो, मान्यवर, वह जो स्वरूप था, वह गांव का स्वरूप पंचायत के जरिये नहीं बनाया। आपने 60 दिन तक सारे राजस्थान को झुलाये रखा। किसी को यह निश्चय नहीं था कि कब करायेंगे, क्या नहीं करायेंगे। यह अनिश्चितता आपने क्यों पैदा की ? इसका कोई मकसद नहीं था। आप इस सारे मामले में जोड़-तोड़ बैठा रहे थे और आपने यह कह दिया कि इतने ही हमारे प्रतिनिधि आये, कितने जिला परिषद और जिला प्रमुख, इसमें क्या फर्क पड़ता था आपके मुख्य मंत्री के अस्तित्व को। अगर दो जिला प्रमुख कम आते तो कोई चुनौती नहीं लग रही थी और अगर आप दो प्रमुख ज्यादा ले आये तो आपकी कोई सोलिडिटी नहीं हो गयी। वह तो पंचायत का एक अलग सिलसिला था, नगरपालिका का एक अलग सिलसिला था। वहां लोगों ने अपने हिसाब से वोट दिये हैं और असेम्बली में अलग हिसाब से होगा, लोक सभा के अन्दर दूसरे तरीके से होगा। यह एक नाप और माप नहीं है लोगों का मत देने का। गांव में गांव के हिसाब से होता है। 100 पंचों का एक वार्ड है, उसके अन्दर 50–50, दो वोट इधर से उधर हो जाय

(श्री रामनारायण चौधरी)

तो पंच हार जाता है लेकिन एम. एल. ए. तो इससे नहीं हारता है। लोक सभा के अन्दर तो जहां 10–10 लाख वोट हैं एक-एक कांस्टीट्यूएंसी के अन्दर, वहां दूसरे ढंग से समीकरण होते हैं, नेशनल इश्यूज होते हैं, नेशनल पोलिसी होती है तो मेरा निवेदन यह था कि आपने कांग्रेस वालों से राय लेकर, दलीय आधार पर चुनाव कराने के बाद भी, आपका दृष्टिकोण यह रहा कि किसी तरीके से, येन-केन-प्रकारेण जिला प्रमुख और प्रधान हमारे निर्वाचित होकर आयें। क्या आपका यह था नहीं क्या, यह बता दो ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरा था, ऐसा ही ऐसा कांग्रेस का था। हम दोनों ने मिलकर तय किया कि चुनाव मैदान में पार्टी के नाम से जाओ और चुनाव जीतकर आओ।

श्री विष्णु मोदी : वास्तव में दोनों पार्टियों ने ही पंचायती राज को कमजोर किया। आपने यह चुनाव पार्टी लाइन में लड़कर आपने भी और कांग्रेस ने भी, दोनों ने पंचायती राज संस्था को कमजोर किया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बिलकुल सही है यह बात, उस समय आप क्यों नहीं बोले ? आज आपके और अशोकजी के झगड़ा हो गया तो बोल गये, पहले क्यों नहीं बोले ?

श्री विष्णु मोदी : कोई झगड़ा नहीं है। उस वक्त भी बोले, आज भी बोल रहे हैं और आगे भी बोलते रहेंगे।

श्री रामनारायण चौधरी : यह कोई झगड़े की बात नहीं है। यह तो विधान सभा में तमाम दलीय आधार और विचारों से अलग उठकर हम बात आपसे कर रहे हैं....

श्री जगदीप धनखड़ : आप भी जादूगर हैं और अशोकजी भी जादूगर हैं। दो जादूगरों का मामला है।

श्री रामनारायण चौधरी : आप प्रदेश के मुख्य मंत्री हैं और आप इस सदन के प्रति उत्तरदायी हैं। राजस्थान के मुख्य मंत्री होने के नाते पंचायत राज को आप एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। आपको बड़ा दिल रखना चाहिए था और बड़ा दिल रखकर आपको प्रतिपक्ष से भी राय लेकर के, और यह आपका शिड्यूल....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : राय तो ली।

श्री रामनारायण चौधरी : अगर श्री परसरामजी मदेरणा से राय ली होगी तो यह बता देंगे। आपने अशोकजी गहलोत के पास बैठ करके, बुला कर किसी भी स्टेज पर अगर बात की हो, तो बता दीजिये।

श्री परसराम मदेरणा : मुझसे कभी भी मुख्य मंत्रीजी ने कोई परामर्श नहीं किया। आन दी अदर हैंड यह कौन सी तारीख को इलेक्शन करा रहे हैं, मैंने जोधपुर से दो-तीन दफा टेलीफोन किये, बताया, लेकिन वैसा ही, अभी मैं प्रमुखों के इलेक्शन नहीं करा रहा हूं, पंचायतों के पहले करवाऊंगा। यह बात तो मुझे कही।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कही न ? यह

(श्री भैरोंसिह शेखावत)

कहा तो मैंने सही कहा। मुझे याद है, मैंने कहा था, 12 तारीख के पहले मैं चुनाव नहीं करवाऊंगा, 10 तारीख के पहले।

श्री परसराम मदेरणा : बस, यह बात कही।

श्री भैरोंसिह शेखावत : तो सही कही न ?

श्री परसराम मदेरणा : बाकी यह पार्टी लाइन वाली दूसरी मुझसे कभी आपकी बात नहीं हुई।

श्री भैरोंसिह शेखावत : पार्टी लाइन वाली आपके लिए नहीं कह रहा था। आपके लिए नहीं कह रहा, अशोकजी गहलोत का एक स्टेटमेंट था।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : नहीं, तीन बार हुई।

श्री भैरोंसिह शेखावत : इनको मालूम है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अशोकजी, गहलोत को....

श्री रामनारायण चौधरी : मुख्य मंत्री जी बोल रहे हैं, आप उनको कहने दीजिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : नहीं, मुझे इसका जवाब पता है।

श्री जगदीप धनखड़ : आपके नेता बोल रहे हैं और आप बीच में बोल रहे हैं।

श्री परसराम मदेरणा : नहीं-नहीं, वह इसलिए बोल रहे हैं कि यह कम्पेन कवीनर थे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : हां जी।

श्री भैरोंसिह शेखावत : इनको मालूम है सब।

श्री जगदीप धनखड़ : वह तो पालिटिकल पार्टी के थे।

श्री परसराम मदेरणा : कम्पेन काहे की ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : देखिये, इसमें कांग्रेस पार्टी की राय से काम हुआ है। चुनाव दो बार हों, दो चरणों में हों, यह मदेरणा साहब की राय थी कि पहले चार चुनाव एक साथ होंगे तो पांच मिनट वोट देने में लगेंगे, और करेंगे, यह माननीय मदेरणा साहब का स्टेटमेंट आया। मदेरणा साहब के स्टेटमेंट ...

श्री परसराम मदेरणा : मैंने यह बात नहीं कही है।

श्री रामनारायण चौधरी : मदेरणा साहब से कंसल्टेशन ही नहीं हुआ।

श्री परसराम मदेरणा : मैंने यह कहा है कि इसमें समय बढ़ाना चाहिए। मैंने यह नहीं कहा। बूथ आपको ज्यादा रखने चाहिए, मैंने कहा कि आप अगर एकदम साथ करवाएगे तो यह चार लोग वोट देंगे तो कम से कम एक बूथ के ऊपर अगर हजार आदमी हों तो वोट वह नहीं दे सकेंगे इसलिए आप बूथ बढ़ाइये। मैंने यह बात कही थी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : हां, आपने जो

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

बात कही थी कि चार वोट एक साथ पड़ेंगे, समय इतना लगेगा, यह सारा काम होगा इसलिए....

श्री परसराम मदेरणा : उसमें टाइम ज्यादा लगेगा इसलिए बूथ का नम्बर बढ़ाओ आप।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : इसलिए उस कठिनाई को देखते हुए तो दो चरणों में चुनाव हुए और उसके बाद अशोकजी गहलोत ने एक स्टेटमेंट दिया। स्टेटमेंट देने के बाद में हमने पार्टी स्तर पर उनको पत्र लिखा कि दलीय व्यवस्था अभी पंचायती राज में नहीं है, आप दलीय आधार पर चुनाव चाहते हो या नहीं चाहते हो, तो अशोकजी ने कहा कि हम दलीय आधार पर चुनाव चाहते हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : वह तो कर चुके थे आप फैसला।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : नहीं किया था हमने फैसला।

श्री रामनारायण चौधरी : अशोकजी का स्टेटमेंट आया उससे पहले तो आप निर्णय कर चुके थे कि चुनाव दलीय आधार पर होंगे। वह तो बाद में मुख्य मंत्रीजी की चाल थी उनको चिट्ठी लिख करके पूछ-के दिखा लिया।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : फिर हमने पत्र लिख कर पूछा, हमने पार्टी स्तर पर पत्र....

श्री रामनारायण चौधरी : यह सब इन्होंने बाद में किया है, उससे पहले निर्णय हो चुका था, अखबारों में आ चुका था।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : नहीं हुआ।

श्री रामनारायण चौधरी : कि बी. जे. पी. पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव दलीय आधार पर लड़ेगी। यह निर्णय हो चुका था आपके लेवल पर।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने जो कहा, यह भी मान लें। हमने कहा और अशोकजी ने उसका समर्थन किया। यह ठीक है ?

श्री रामनारायण चौधरी : हां, यह ठीक है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : और इनकी सहमति के आधार पर दलीय आधार पर निर्णय हुआ।

श्री रामनारायण चौधरी : लेकिन क्या आपने एज चीफ मिनिस्टर, एज चीफ मिनिस्टर आपने....

श्री अमराराम (धोद) : आपने पंच और सरपंच तो दलीय आधार पर नहीं कराये, आधे ही करा कर रह गये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यह भी कांग्रेस पार्टी की राय थी और इसलिए विपक्ष का पूरा आदर करते हुए चुनाव करवाये थे।

श्री रामनारायण चौधरी : नहीं-नहीं विपक्ष से आपने यह पूछा ही नहीं। प्रतिपक्ष के नेता से कभी मंत्रणा नहीं हुई, कभी नहीं पूछा।

श्री रामप्रताप कासनियां : अब + + + कोई फायदा नहीं है, पंचायतें तो निकल गयीं आपसे।

श्री रामनारायण चौधरी : आप बी. जे. पी. के ही मुख्य मंत्री नहीं हैं, आप राजस्थान के मुख्य मंत्री हैं, आपको दलीय भावना से ऊपर होना चाहिए, यही मुख्य मंत्री के पद की गरिमा है। मुख्य मंत्री और प्रधान मंत्री दल का प्रतिनिधित्व करते हैं लेकिन वह राजस्थान और देश का प्रतिनिधित्व भी करते हैं, उनको वृहद् दृष्टिकोण से सोचना पड़ता है। आपने उस दृष्टिकोण से नहीं सोचा। आपने इस सदन में....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : माननीय श्री रामनारायणजी, एक मिनट, आप सुनें। मैं आपका बहुत आदर करता हूं। सवाल यह नहीं था, अशोकजी नये-नये बने थे अध्यक्ष, उन्होंने देखा कि यह नगरपालिका के चुनाव में बी. जे. पी. ने चुनाव चिन्ह के आधार पर चुनाव लड़ा और इसमें जीत गयी तो अपने भी चुनाव चिन्ह पर लड़ो, तो नकल में चाहिए अकल, अकल की जरूरत थी नहीं. मार खा गये वह, सवाल तो यह है। इसलिए यह बिगड़ गयी शकल, अब इसका पुराना रोजन्दा होगा।

श्री रामनारायण चौधरी : यह आन्तरिक जानकारी, आपकी उनसे बातचीत हुई होगी, मुझे इसका पता नहीं है। सभापति महोदय, मुख्य मंत्रीजी का जो बड़प्पन है वह बड़प्पन इन्होंने इन चुनावों में पंचायती राज के एस्टिब्लिशमेंट में जो इनकी भावना थी, जो इनका प्रोग्राम था उसका वायलेशन किया। यह बात सही है....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आपकी पार्टी में आपकी राय लेते तो आप इन्दिरा गांधी के साथ थे और उस वक्त आप नेता थे। आज आपकी कोई राय नहीं लेता पार्टी में, यह हालत हो गयी है।

श्री रामनारायण चौधरी : यह बात सही है कि राजस्थान के अन्दर दुबारा जब यह मुख्य मंत्री बने तो नया पंचायती राज बिल यह लाये। सारे हिन्दुस्तान के अन्दर नया पंचायती राज बिल यह लाये। मोहन लाल सुखाड़िया लाये थे, राजस्थान के अन्दर, यह लाये और नये प्रोविजंस उसमें इन्होंने किये। नये प्रोविजंस इन्होंने करके श्रेय भी लिया, पब्लिसिटी भी ली। लेकिन यह सब प्रोविजंस उससे पहले राजीव गांधी का मेन जो ड्राफ्ट प्लान था, जो बिल था, जो गिरा था पार्लियामेंट में, उसमें से सब इन्होंने ले लिया कि यह होने वाले हैं, क्योंकि इनको पता था, यह तो पालिसी मेकिंग दिल्ली के अन्दर प्रधान मंत्री के यहां जो मीटिंग हुई उसमें इनको पता चल गया, तो जो बिल था उस ड्राफ्ट बिल में से जितने-जितने क्लाजेज थे, ओ. बी. सी. के, एस. सी. के, एस. टी. के, महिलाओं के, यह सब उसके अन्दर इन्होंने इनकोरपोरेट कर लिये।

श्री सभापति : यह तो गुण ग्राह्यता है।

श्री रामनारायण चौधरी : और करके इन्होंने पास करा दिया। जब यह पास हुआ तो इनकी पार्टी में खुद में विद्रोह हुआ

+ + + शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(श्री रामनारायण चौधरी)

कि आप यह क्या अन्याय कर रहे हैं। कहां आप हरिजन को, गिरीजन को, महिलाओं को ऐसे अधिकार दे रहे हैं, इनका जबरदस्त विरोध हुआ। और वहां स्थिति यह आ गयी थी कि....

श्री कैलाश मेघवाल : नहीं, समर्थन किया।

श्री रामनारायण चौधरी : परिस्थितियों को देखते हुए आप मेरे को नहीं कहने देते हो, दिल्ली के अन्दर यह बिल आ रहा है झक मारकर मेरे से उनको यह कहना पड़ेगा, यह बात सही है कि आपने राजस्थान को इस मामले में दूसरे प्रदेशों के मुकाबले लीड दी; इसमें कोई दो राय नहीं है। जो वास्तविकता है वह तो स्वीकार करनी पड़ेगी। अगर दुश्मन भी चोट मारता है और शरीर के ऊपर चोट लगती है तो कहेंगे नहीं कि भाई चोट नहीं लगी, सराहना करनी चाहिए उसकी कि भाई उसने चोट बड़ी जबरदस्त मारी। अब वह कहावत है, दुश्मन का असर आ जाय, मेरा मतलब यही है। उसका मतलब यही है कि दुश्मन भी अगर चोट जोरदार मारता है तो कह देना चाहिए कि भाई दुश्मन कमजोर दिख रहा था लेकिन उसने चोट जोरदार मारी। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि पंचायती राज का दर्शन जो राजीव गांधी ने सबसे पहले इस देश को दिया था, उसे एडाप्ट करने में आप अगुआ रहे। यह सही है, मैं नहीं कहूं तो क्या है। मैं पार्टीबाजी के आधार पर यह कहूं कि आपने कुछ नहीं किया है तो गलत होगा, मैं अपने आप को भी धोखा दूंगा, मैं क्यों इसमें धोखा दूं। उसमें आपने लीड दी लेकिन उस लीड को आपने मेनटेन नहीं रखा। उसका दृष्टिकोण आपका संकुचित होता चला गया। आप इनसे दब गये। यह जो +++ पार्टी बैठी थी आपकी, इनसे आप दब गये। आप +++ पार्टी में नहीं हैं लेकिन +++ पार्टी से आप दबे और दबने के बाद में सारा डिस्टार्शन हुआ।

श्री मदन दिलावर : नरसिम्हा राव जी भी दब गये।

श्री रामनारायण चौधरी : और आपने सारी सत्ता, आपका सारा विवेक, पूरी आपकी ताकत इस बात में लगा दी कि किसी प्रकार येन-केन-प्रकारेण पंचायती राज के अन्दर इतने आदमी बी. जे. पी. के सिम्बलपर और सिम्बल के बाद में तोड़-फोड़ करके, खरीद करके, कैसे भी एक-दो जिला प्रमुख हम ज्यादा लायें, प्रधान ज्यादा लायें, तभी हम मुंह दिखाने लायक रहेंगे, यह आपके लिए शोभा की बात नहीं है, आपके लिए इसका कोई महत्व नहीं था। लेकिन आप श्री रामदासजी अग्रवाल से भय खा गये कि सिम्बल के आधार पर बी. जे. पी. का बहुमत प्रधानों में, प्रमुखों में नहीं आएगा तो वह मेरे ऊपर हावी होंगे। यह आपके ऊपर एक दबाव था मेंटल, उस दबाव की वजह से किया होगा या और कोई वजह से किया होगा लेकिन आपको अपना वायदा निभाना चाहिए था।

+++ शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(श्री रामनारायण चौधरी)

मुख्य मंत्री महोदय, जब यहां चल रहा था यह बिल, पास हो रहा था जिसके बारे में अमेंडमेंट अब लाये हैं मंत्री महोदय, यह मेन जब यहां पास हो रहा था तब हमने इसका विरोध किया था कि आप, चुनाव नहीं हैं, एक अरसा, एक साल लगेगा, और लगा एक साल, तब तक आप ग्राम सेवकों को प्रशासक बना कर के राजस्थान का एक्सप्लायटेशन, गांवों का सत्यानाश और पब्लिक मनी जो गांवों में जा रही है उसका मिसयूज रुकवाइये। ग्राम सेवक हर ग्राम पंचायत के अन्दर रावण हो गया था और वह आपको, यह प्रतिपक्ष बैठा हुआ है, सब ने इस बात की हां की थी, यह बैठा है प्रतिपक्ष और यह बैठा है पक्ष, सब की एक राय थी कि ग्राम सेवक सब के सब रावण हैं, इन पर अंकुश लगना चाहिए। अंकुश लगने का तय हुआ कि इसमें ऐसा इन्वाल्वमेंट हो, इसके साथ में ऐसी एक कमेटी बने, एडहाक कमेटी पंचायत लेवल पर कि वह ग्राम पंचायत का संचालन करे....

श्री नाथूसिंह (राज्य मंत्री, पंचायती राज) : एक मिनट, इन्टरवीन करूं आपकी इजाजत से। कमेटी बनाने का जब यहां निर्णय हुआ तो कार्य प्रारम्भ कर दिया, आपकी ही पार्टी के माननीय सदस्य महोदय हाई कोर्ट में चले गये, हाई कोर्ट से स्टे ले लिया और वे कमेटियां नहीं बन पायीं। इसमें भी बाधक कांग्रेस पार्टी ही रही, हम नहीं रहे।

श्री रामनारायण चौधरी : आपने उस वक्त धोखा किया, सबसे पहले, सभापति महोदय, धोखा यह किया कि फैसला यह हुआ कि प्रतिपक्ष के नेता मुख्य मंत्रीजी को परामर्श देंगे, उस परामर्श के हिसाब से दोनों मिलकर कोई फैसला करेंगे और वह फैसला ऐसा होगा जो पूरे सदन को मान्य होगा। हम उस पर मान गये। लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है, प्रतिपक्ष के नेता और सत्तापक्ष के लोगों में आपस में बैठ करके, मुख्य मंत्रीजी और प्रतिपक्ष के नेता के आपस में कोई विचार-विमर्श नहीं हुआ। उन कमेटियों का गठन नहीं किया गया, गठन नहीं किया गया। आप कहते हैं कि हाई-कोर्ट में चले गये तो यह तो बाद में बातें हुई हैं सब्सिक्वेंट डवलपमेंट हुए हैं जिस तरह से तय हुआ था वैसे होते तो कोई बात ही नहीं होती। उस सम्बन्ध में जो कुछ हुआ, जो आपने इस सदन के अन्दर आश्वासन दिया था, मुख्य मंत्री महोदय, कि प्रतिपक्ष के नेता और आप, आपने तय किया था। हमने यह तय किया था कि प्रतिनिधि के नोमिनेशन में एम. एल. ए. का भी कोपरेशन होना चाहिये आप उनसे भी राय लीजिये। इस बात को आप नहीं माने। एम.एल.ए. आपके भी थे और एम.एल.ए. इधर के भी थे। वह आप नहीं माने लेकिन बाद में तय हुआ कि आप दोनों मिलकर कुछ करेंगे, उसमें आपने कुछ नहीं किया। वह हमारे साथ सरासर धोखा हुआ है। एक साल तक लगातार ग्राम सेवक वैसे ही करते रहे, जैसा वह पहले करते आ रहे थे और ज्यादा किया उलटे यह कहा कि अब क्या कर लिया हमारा।

सभापति महोदया, मेरा निवेदन यह है कि माननीय मंत्री महोदय जो अमेंडमेंट लाये हैं वह गौर करने लायक नहीं है और इसको जनमत जानने हेतु भेजा जाए, पूरे लोगों की राय ली जाए कि इस पंचायत

(श्री रामनारायण चौधरी)

एक्ट के अन्दर किस तरह के और अमेंडमेंट होने चाहिए और जो सुझाव आये हैं उन सुझावों को लेकर के एक पूरा अमेंडेड बिल पेश किया जाना चाहिए। उस पर प्रतिपक्ष की भी राय हो, सब लोगों की राय हो। यह मेरा सुझाव है।

श्री जगदीप धनखड़ : सभापति महोदय, सदन के नेता और प्रतिपक्ष के नेता के बीच तालमेल में....

श्री सभापति : आप बीच में कहां से आ गये ? आप बीच में कहां से आ गये ?

श्री जगदीप धनखड़ : सदन के अन्दर एक अवरोधक है। माननीय सदन के नेताजी से मैं अनुरोध करूंगा....

श्री सभापति : नहीं, नहीं, आप बीच में कहां से आ गये ?

श्री जगदीप धनखड़ : प्रतिपक्ष के नेता और सदन के नेता के बीच में जो टेबल के ऊपर किताबें पड़ी हैं। ये किताबें इनके बीच में बाधक बनी हुई हैं। बड़ा अजीब लगता है, माननीय सभापति महोदय, यह बड़ा कंस्ट्रक्टिव सजेशन है कि प्रतिपक्ष के नेता यहां बैठे हैं, सदन के नेता वहां बैठे हैं, बीच में इस प्रकार का अवरोधक आने से इनमें तालमेल की सदन के अन्दर कमी आ जाएगी, बाहर तो है ही। मैं समझता हूं कि यदि सचिव आदेश देंगे तो अवरोधक हट जाएगा।

(18.50)

(श्री शांतिलाल चपलोत, अध्यक्ष, पदासीन)

अध्यक्ष महोदय, मेरा यह सुझाव है प्रतिपक्ष के नेता यहां बैठते हैं, सदन के नेता वहां बैठते हैं। बीच में अवरोधक है। इसको हटा दिया जाए।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये, आप बिराजिये।

श्री जगदीप धनखड़ : इससे तालमेल बढ़ेगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हमारा तो तालमेल बढ़ा हुआ है। अब कितना बढ़ाओगे ?

श्री जगदीप धनखड़ : मैं भी कुछ सहायक रहा हूं इस तालमेल को बढ़ाने में।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने जो संशोधन विधेयक पेश किया है, उससे सम्बन्धित मैंने अपना यह संशोधन पेश किया है कि इसको जनमत जानने हेतु 3 माह के लिए परिचालित कर दिया जाए। इसलिए पेश किया है, श्रीमन् जिन संशोधनों का ताल्लुक सीधा समाज से होता है, मानव जीवन की प्रक्रिया से होता है, जन-जन से होता है, व्यक्ति से होता है, समाज की परिकल्पना से होता है, उस विधेयक को या उस संशोधन को जनमत जानने के लिए भेज देना चाहिए। यहां विधान सभा के अन्दर हो यह रहा है कि बहुत जल्दबाजी में विधेयक पेश होते हैं, फटाफट पास कर दिये जाते हैं। उनका नतीजा यह होता है कि एक साल के अन्दर, उन्हीं एक्ट्स के अन्दर 6–6 बार संशोधन लाते है। पंचायत एक्ट बना बाद में, आर्डिनेंस पहले निकालने की तैयारी शुरू हो गयी और वही अब हो रहा है।

अब यह जो संशोधन विधेयक आपके

(श्री हरिसिंह)

सामने लाया गया है इसमें तीन-चार बातें हैं। एक तो यह है कि 23. 4. 95 को जो डेट फिक्स हुई थी कि 2 से ज्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए उसमें आप बढ़ोतरी करना चाहते हैं। दूसरा, यह कि जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको इलेक्शन कमीशन के सुपरिन्टेंडेंस में रखना चाहते हैं। तीसरा, आप यह ला रहे हैं कि चुनाव के सम्बन्ध में कोई भी कार्यवाही अदालत के अन्दर नहीं होनी चाहिए। अब ये तीनों ही बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। क्योंकि अब तक सरकार ने काम यह किया है कि पंचायतों के चुनाव में जितनी दखलंदाजी सरकार कर सकती थी, उसके करने के लिए भी आपने कानून बनाये। आपने भारतीय संविधान के खिलाफ नियम बनाये हैं।

अब मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं, श्रीमन्, कि क्या इस प्रकार की कार्यवाही जनता के सामने नहीं जानी चाहिए। आप मुलाहिजा करें, पंचायत मंत्री महोदय, आपने कानून बनाया, पंचायत एक्ट यह बनाया कि प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स इलेक्शन कमीशन के सुपरिन्टेंडेंस में बनेंगे। श्रीमन्, भारत का संविधान यह कहता है, इसमें तेहतरवां अमेंडमेंट जो बनकर आया था जिसके तहत पंचायत एक्ट बना था। उसका स्पेसिफिक प्रोविजन यह है कि--

"Elections to the Panchayats : 243 (a) : The superintendence, direction and control; the preparation of electoral rolls for and the conduct of all elections in the Panchayats shall be vested in State Election Commission consisting of a State Election Commissioner to be appointed by the Governor"

प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स और उनका सुपरिन्टेंडेंस इलेक्शन कमीशन के अन्तर्गत रहेगा। कोई आदमी इसके अन्दर दखल नहीं देगा। यह संविधान कहता है। इस संविधान के अन्दर आपने.... (व्यवधान) ठहरो, मैं अमेंडमेंट लाया हूं। उसके तहत आपने सेक्शन 18 बनाया पंचायत एक्ट का—'Elector's, electoral rolls and right to vote —(1) For each of the wards or constituencies into which the area of a Panchayati Raj Institution is divided under this Act. there shall be prepared and maintained in the prescribed manner by or under the supervision of the State Election Commission a list of the voters there of.'

इलेक्शन कमीशन के अलावा, राज्य सरकार के लिए प्रिपरेशन ऑफ दी वोटर लिस्ट के अन्दर हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आपने क्या किया, नियम बनाया 21, जिसको आप और आगे ले जाना चाहते हैं। श्रीमन्, 21 में आपने यह कर दिया कि रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, जो कि वोटर लिस्ट बनाएगा, उसकी अपील आपने कहां रख दी, "नियम 14 व 20 के अधीन किसी रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के द्वारा किये गये किसी आदेश की अपील कलक्टर को, आदेश की तारीख के 15 दिन की कालावधि के भीतर हो जाएगी।" अब आप देखिये, कहां, किस

(श्री हरिसिंह)

ढंग से इन्होंने इलेक्शन कमीशन को किस षड़यंत्र के साथ बाइ-पास किया है प्रिपरेशन ऑफ वोटर लिस्ट बनाकर के अधिकारी, कलक्टर को आपने अपील के पावर दे दिये। कलक्टर जो कि राज्य सरकार का एक प्रशासनिक अधिकारी है और वह जिस तरह से जो चाहे दखल-अंदाजी करते हैं। यानि जो सबसे बड़ी तोप है दखल-अंदाजी करने की जिले के अन्दर कलक्टर, उसको आपने टांग दिया चुनाव के मामले में। कलक्टर चाहे किसी का नाम वोटर लिस्ट में से हटा सकता है, चाहे किसी का नाम वोटर लिस्ट में जोड़ सकता है। श्री अमर सिंह राठौड़ भी चाहें तो, श्रीमन्, वोटर लिस्ट के अन्दर न किसी का नाम बढ़ा सकते हैं न किसी का नाम घटा सकते हैं मगर कलक्टर घटा सकता है और कलक्टर बढ़ा सकता है उसमें। आपने इस षड़यंत्र के साथ में इस पाक चुनाव को नापाक करने की कार्यवाही की। राजस्थान के अलावा किसी भी प्रदेश के अन्दर इस प्रकार का कानून आपको नहीं मिल सकता कि कलक्टर इंचार्ज बना दिया जाए इलेक्टोरल रोल्स बनाने के लिए। फिर कलक्टर की अपील इलेक्शन कमीशन के यहां नहीं है। इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं कर सकता है उसके अन्दर। आपने इस प्रकार की कार्यवाही की और अब जो एक्ट ला रहे हैं आप, उसमें भी यही हरकत कर रहे हैं। अब आप यह कर रहे हैं देखिये आप, यानि कलक्टर को हर जगह आप जोड़ रहे हैं। जो अधिकारी इलेक्शन कमीशन के मातहत दिये जा रहे है उनकी गलती करने पर कोई मुकदमा चलाने की इजाजत जो देगा, या कम्पलेंट जो करेगा, उसमें आप देखिये, इसमें खण्ड 2 में आप कर रहे हैं—'जब तक कि राज्य निर्वाचन आयोग या मुख्य निर्वाचन अधिकारी या सम्बन्धित कलक्टर के आदेश द्वारा या अधिकारी के अधीन परिवाद न किया जाए।' यहां भी कलक्टर को आप जोड़ रहे हैं। यानि इलेक्शन कमीशन परिवाद कर सकता है या मुख्य निर्वाचन अधिकारी कर सकता है या सम्बन्धित कलक्टर कर सकता है। कलक्टर क्यों आ रहा है? यानि जो कर्मचारी इलेक्शन कमीशन के सुपरिन्टेंडेंस में है, जो इलेक्शन कमीशन के पास लीयन पर जा रहे हैं उन पर मुकदमा चलाने की पावर आप कलक्टर को देने चाह रहे हैं। किस लिये आप देना चाह रहे हैं? यानि आप निष्प्रभावी करना चाहते हैं इलेक्शन कमीशन के लिए। राजस्थान में इलेक्शन कमीशन को चुनाव के मामले में निष्प्रभावी कर दिया है। श्रीमन्, पंचायती राज मंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि इस प्रकार का कानून आप बनाना चाह रहे हैं, यहां की अदालतों से भी हटाना चाह रहे हैं। इस प्रकार का कानून बनाने से पहले तीन माह के लिए जनमत के लिये उसको भेजना चाहिये। यह मेरा आपसे निवेदन है। धन्यवाद। जयहिन्द।

श्री अध्यक्ष : माननीय, बिराजिये। आप तो हैं ही नहीं इसमें। श्री माधवसिंह जी दीवान, श्री लक्ष्मणसिंह जी, श्री भीमसेन जी चौधरी, सदस्य, विधान सभा विधेयक को प्रवर समिति को निर्दिष्ट किये जाने का संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

श्री रतनलाल ताम्बी : इसमें जनरल बोल सकते हैं, श्रीमन्।

श्री अध्यक्ष : नहीं, बिराजिये । बिराजिये आप ।

श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर) : मैं, मेरा प्रस्ताव पेश नहीं करना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष : आप प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं ? आप पेश नहीं कर रहे हैं । वापस लेने की अनुमति दी जाती है ।

श्री भीमसेन चौधरी : मैं प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

श्री अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री जी ।

(19.00)

श्री नाथूसिंह (राज्य मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज) : अध्यक्ष महोदय, दो तीन मामले उठाये गये हैं, जिनका मैं सूक्ष्म में, छोटे रूप में...(व्यवधान) सेक्शन 125 की बात कही कि यह क्यों बाद में एड किया गया । इसमें जो प्रोविजन्स हैं, वह रिप्रजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट के एज इट इज जो प्रोविजन्स थे, वे हमने इलेक्शन कमीशन की राय से इसमें जोड़े हैं, उसमें अमेंडमेंट है और एक सीधा-साधा वह दो बच्चों वाला है, जो म्यूनिसिपैलिटी में और इसमें सिमिलरिटी रहे । दूसरा, अक्टूबर, 1992 में अमेंडमेंट हुआ था, एक साल की छूट दी थी, इसमें भी एक साल की छूट देने के लिए वह प्रोविजन डाला है । यह दो मुख्य अमेंडमेंट इसमें हैं ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 1995 को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाए ?

(अस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया ।

प्रश्न यह है कि राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 1995 को विचारार्थ लिया जाए ?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया ।

विधेयक पर खण्डशः विचार

खण्डशः विचार । श्री विष्णुजी मोदी, श्री हरिसिंह जी (कुम्हेर) सदस्य विधान सभा संशोधन प्रस्तुत करेंगे ।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह संशोधन प्रस्तुत कर रहा हूं कि इसके खण्ड दो में जो प्रोविजन्स इसमें दिये गये हैं, मिथ्या घोषणा करने के सम्बन्ध में या निर्वाचक नामावलियों की तैयारियां, इस सम्बन्ध में कर्तव्यों के पालन भंग करने में, उसमें आपने परिवाद करने का अधिकार दिया है, "जब तक कि राज्य निर्वाचन आयोग का मुख्य निर्वाचन अधिकारी या सम्बन्धित कलक्टर के आदेश द्वारा प्राधिकार के अधीन परिवाद नहीं किया जाए ।" मैं इसमें से सम्बन्धित कलक्टर को लोपित करवाना चाहता हूं और वह किसलिये करवाना चाहता हूं उसका मैंने आपको बताया, श्रीमन् यह जो भी कर्मचारी हैं वे सुपरिटेंडेन्स ऑफ इलेक्शन कमीशन के अन्दर, उनकी सर्विसेज जो हैं वह इलेक्शन कमीशन के अन्दर दी गयी हैं, जिसके तहत वे कर्मचारी हैं, उनके खिलाफ कोई कार्यवाही करने का साधारणतया अधिकार उसी

(श्री हरिसिंह)

व्यक्ति को होता है जिसके तहत वह काम करता है । आप यहां पर कलक्टर को और उसके खिलाफ, एक और हौवा बैठाना चाहते हैं कि अगर आप कोई भी कार्यवाही गलत करेंगे, इलेक्शन कमीशन के कर्मचारी कोई गलती करेंगे तो इलेक्शन कमीशन को देखना चाहिये, उसमें आप कलक्टर का हौवा बैठाना चाहते हैं । कलक्टर की आप क्या कार्यवाही करेंगे ? कार्यवाही करनी चाहिये इलेक्शन कमीशन को । मैं आपको निवेदन करूं कि कहीं भी यह नहीं है । आपने जो रिप्रजेंटेशन आप पीपुल एक्ट है, जहां से आपने यह सब लिये हैं, उसका भी आप मुलाहिजा कर लीजिये । उसमें भी जो पावर्स हैं, breach of official duty in connection with the preparation etc जिसकी आपने नकल की है । नकल करते-करते आपने कलक्टर को जोड़ दिया इसके अन्दर — "No court shall take cognizance of any offence punishable under sub section (1) unless there is a complaint made by order of or under authority from the Election Commission or the Chief Electoral Officer of the state concerned." यानि स्टेट कंसर्न का चीफ इलेक्शन आफिसर करेगा या इलेक्शन कमीशन करेगा, कलक्टर यहां भी नहीं है । काम सब वो ही करते हैं, अफसरी करते हैं । लेकिन यहां कलक्टर का ही क्यों जोड़ रहे हैं ? यानि इसलिए जोड़ रहे हैं आप कलक्टर के लिए आपका हौवा, आपका जो आफिसर बैठा हुआ है दखल देने के लिए उसमें पहले तो आपने इलेक्टोरल लॉज को नापाक कर दिया । आपने इलेक्टोरल लॉज को पाल्यूट किया है । I charge it, Sir that the Panchayat Minister has polluted the whole election machinery. इलेक्शन का जो पार्ट निष्पक्षता है, उसको आपने नापाक कर दिया । कलक्टर को इसके अन्दर पॉवर देकर अपील सुनने के लिए और फिर आप उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए कलक्टर को और जोड़ रहे हैं । कहीं भी नहीं मिलेगा आपको यह....

श्री अध्यक्ष : बिराजिये ।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : जिस रिप्रजेंटेशन आफ पिपुल एक्ट में से आपने नकल की है उसमें भी नहीं है यह....

श्री अध्यक्ष : माननीय, बिराजिये आप ।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : आप कलक्टर को क्यों जोड़ रहे हैं इसके अन्दर ?

श्री अध्यक्ष : यह बात पहले भी आप फरमा चुके हैं । बिराजिये आप ।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : जी ?

श्री अध्यक्ष : पहले भी फरमा चुके हैं, बिराजिये ।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : नहीं-नहीं, मैं कह रहा हूं, पहले तो मैं बोला जनरल डिबेट पर, अब मैं निवेदन कर रहा हूं कि कलक्टर शब्द को इसमें से लोपित किया जाए ।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह दो कारण से रखा गया। यह केवल इतना सा है कि ब्रीच ऑफ ड्यूटी के लिए कम्पलेंट कौन करेगा और ब्रीच ऑफ ड्यूटी अगर कोई सरकारी कर्मचारी, नीचे के लेवल पर करता है तो उसके लिए चीफ इलेक्शन ऑफिसर या चीफ इलेक्शन कमीशन करेगा या कलक्टर करेगा? हमने कलक्टर को इसलिए पावर दी है कि फिर for all purposes....(interruptions).. अभी आ जाएगा, आप सुन लीजिये। Let me finish. इसलिये कलक्टर ही होता है। दूसरा, जो प्रधान और प्रमुख के इलेक्शन हुए हैं, राजस्थान में ही नहीं कई स्टेट्स में, उनमें प्रधान और प्रमुखों के इलेक्शन कराने का अधिकार स्टेट गवर्नमेंट को है, इलेक्शन कमीशन के बजाय।.... (व्यवधान).... आप पहले सुन लीजिये, स्टेट गवर्नमेंट के पास है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : हरियाणा में हैं, मध्य प्रदेश में हैं....(व्यवधान)....

श्री रामनारायण चौधरी : कलक्टर और राजस्थान सरकार के हाथ में रखें तो कमीशन बनाने की जरूरत क्या थी? उसको प्रमुख बना दिया आपने। कमीशन किसलिये बनाया फिर?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : राजस्थान में भी अपन ने जो कानून पास किया है, राजस्थान का कानून अपन ने पास किया और सर्वसम्मति से किया। सरकार ने नहीं किया यह काम....(व्यवधान)....

हमने पास किया है कानून को यहां। एक मिनट नाथूसिंह जी। श्री रामनारायण जी, यह कानून राजस्थान की विधान सभा ने सर्वसम्मति से पास किया है.... (व्यवधान)....

श्री रामनारायण चौधरी : कमीशन बना दिया, कलक्टर को प्रमुख कर दिया। प्रधान का चुनाव उसके हाथ में नहीं है; प्रमुख का उसके हाथ में नहीं, उप प्रमुख का उसके हाथ में नहीं है, उप प्रधान का उसके हाथ में नहीं है, सारे चुनावों को, कानूनों को इतना डिस्टोर्शन किया है कि आपको कोई उदाहरण नहीं मिलेगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यह किसी ने नहीं किया है, राजस्थान की विधान सभा ने पास किया है। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, सबके एम. एल. एज. बैठे हुए थे प्रवर समिति में सर्वसम्मति से पास किया हैं, फिर विधान सभा में सर्वसम्मति से पास किया। सरकार ने पास किया है इस कानून को.... (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : इसमें कहां है? इसमें कहीं व्यवस्था ही नहीं है प्रधान की, यह तो सब नियम बनाये हैं मुख्य मंत्री जी ने....(व्यवधान)

श्रीमती कमला : माननीय तिवाड़ीजी आप गलतबयानी कर रहे हैं। यह एक्ट के अन्दर कहीं नहीं है। नियमों में बाद में रखा गया है, गलत बयानी है।

श्री रामनारायण चौधरी : नियमों में कहीं भी नहीं है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : एक्ट के अनुसार ही नियम बनाये हैं....(व्यवधान)

श्रीमती कमला : अगर हरियाणा और

(श्रीमती कमला)

मध्य प्रदेश में किया है तो गलत किया है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप।

श्री रामनारायण चौधरी : हरियाणा के मुर्दे हरियाणा में जलेंगे और राजस्थान के मुर्दे राजस्थान में जलेंगे....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये, बिराजिये।

श्री रामनारायण चौधरी : यह राजस्थान की विधान सभा है.... (व्यवधान) आपने बड़ा इसका डिस्टोर्शन किया है। पंचायती राज में उसका कोई वर्णन नहीं हो सकता....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सरकार ने कोई डिस्टोर्शन नहीं किया इसमें....

श्रीमती कमला : कलक्टर को नहीं लिखकर के डिस्ट्रिक्ट रिटनिंग आफिसर लिख दे तो कोई हर्ज नहीं परन्तु कलक्टर शब्द को मत लिखिये क्योंकि वह एडमिनिस्ट्रेटिव कैटेगरी में आते हैं और यह जो इलेक्शन आफिसर की कैटेगरी में आते हैं डिस्ट्रिक्ट रिटनिंग आफिसर, यह आप शब्द बदल दीजिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : वैसे भी आपका भाषण बेकार हो गया। फिर भी मेरा निवेदन करना है कि सदन की समिति बनायी जा सकती है, आप लोग बैठ सकते हैं, इसमें संशोधन कर सकते हैं, एंटीडिफेक्शन का लॉ ला सकते हैं; आपने पास किया था इसको....(व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) पता ही नहीं है नियम कब बने हैं। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : आपको पता ही नहीं है, नियम कब बने, आप किस सलेक्ट कमेटी की बात करते हैं....(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मुझे पता है और आपको भी पता है।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये, माननीय सदस्य।

श्री रतनलाल ताम्बी : यह नियम तो बाद में बने हैं। उसमें एक्ट के समय यह सारी बातें नहीं थीं, 243....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, पहले माननीय मंत्रीजी को पूरा सुनें।

श्री नाथूसिंह : अगर आप पूरा सुन लेंगे तो यह गलतफहमी दूर हो जाएगी.... (Interruptions)Let me finish, please. मैं तो इसलिए कह रहा हूं....(व्यवधान)

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : गलतफहमी नहीं है, माननीय अध्यक्ष महोदय, किस बात की गलतफहमी है ?

श्री शिवनाथ सिंह : माननीय सदस्य जो चौमूं से आये हैं, उनको करेक्ट करना चाहते हैं, वह अपनी × × × के हिसाब से देखें। न तो एक्ट में यह था, न सलेक्ट कमेटी में यह प्रोविजंस थे, न हमने इनको पास किया है और यह तो रूल्स में बाद में लगे हैं, जिनको आप....(व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी : रूल्स में

× × × शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपोलोपित किया गया।

(श्री रतनलाल ताम्बी)

मनमाने संशोधन किये गये हैं और संविधान के अनुच्छेद 243 के अन्तर्गत आपका यह सारा काम हुआ है, यह गलत हुआ है.... (व्यवधान)....और इतने अमेंडमेंट आ चुके हैं इसमें ।....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय मंत्रीजी को सुनें आप । माननीय सदस्य बिराजिये आप ।

श्री रतनलाल ताम्बी : बार-बार संशोधन किये गये हैं और 243 के अन्तर्गत सारे अमेंडमेंट गलत किये गये हैं.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप । मंत्रीजी को पूरा सुनें ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : पिछले चुनाव में आप बराबरी नहीं कर सके इसलिए आपको बेचैनी है । यह आपने कभी भी नहीं करवाये और जो चुनाव हुए हैं, यह पहले आपने नहीं करवाये, इसलिए आपको बड़ी बेचैनी है, वरना चार बार मेरे इलाके में बाड़ाबंदियां देखी हैं आपकी । उठा-उठा कर ले जाते थे । आपको बेचैनी इस बात की है कि आप कर नहीं सके ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : 1980 में पंचायतों के चुनाव, जिला परिषदों और प्रधानों के चुनाव तीन महीने तक कराते रहे, आपको+ + +नहीं आयी, एक-एक जिले में बन्द करके, उस समय क्या हो गया था ? आजन+ + +हीं आ रही आपको बोलते हुए । तीन महीने तक आपने प्रधानों के चुनाव लगातार बाड़ाबंदी करके करवाये, उस समय आपको + + +नहीं आयी ।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आज+ + + आ रही है आपको । आज डिस्टोर्शन लग रहा है आपको ।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये ।

श्रीमती कमला : तो + + + यह जवाब नहीं है कि + + + आप दूसरी बात बोलें । यह इसका कोई जवाब नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये, माननीय मंत्रीजी को बात पूरी करने दें अब । माननीय मंत्रीजी ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : जब-जब आपने चुनाव करवाये आपने बाड़ाबंदियां नहीं की हैं क्या ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : छाती पर अपना हाथ रख कर बताओ ।

श्रीमती कमला : आपने जो किया पहले आप दोनों हाथ छाती पर रखें तब भी कम पड़ेंगे ।....(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : हम छाती पर नहीं लें और आप + + + तो भी ठीक नहीं होगा इसका ।....(व्यवधान)

श्री रामपाल उपाध्याय (सहाड़ा) : माननीय तिवाड़ीजी, आपको ऐसे शब्द शोभा नहीं देते । आप इतने शालीन व्यक्ति

+ + + शब्द अभिव्यक्ति अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलपित की गयी ।

(श्री रामपाल उपाध्याय)

हैं, इतने सीनियर व्यक्ति हैं और इस तरह राजस्थान की जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं आप ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये आप।

श्री रामपाल उपाध्याय : तपस्वी आदमी हैं, आप थोड़ा इस तरह की बात नहीं करें।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजें आप। माननीय मंत्रीजी की बात पूरी सुनें आप। ....(व्यवधान) माननीय, बोलने दें, मंत्रीजी की बात आने दें आप।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, अगर माननीय सदस्य ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो यह बात क्लियर हो जाएगी। यह दो का सब-सेक्शन 3 इसलिए जोड़ा गया है. यह नहीं जोड़ते तो कम्प्लेंट कोई भी कर सकता था। इसलिए कम्प्लेंट रेस्ट्रिक्ट करने के लिए 3 उसमें अल्टरनेटिव दिये हैं। इसमें चीफ इलेक्शन आफिसर भी लिखा है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी लिखा है और कलक्टर भी लिखा है। यह इसलिए लिखा है कि यदि कलक्टर एज डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन आफिसर एक्ट करता है तो वह करेगा चीफ इलेक्शन कमीशन या चीफ इलेक्शन आफिसर के अण्डर में....(व्यवधान) यस। तो वह उसमें कवर होता है, उसमें कवर हो रहा है और प्रधान और प्रमुख के चुनाव में जो कि हरियाणा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र सारी जगह वह इलेक्शनों के तहत कलक्टर एक्ट करेगा इसलिए यह सारा कवर उसमें हो जाएगा। इसलिए कलक्टर और चीफ इलेक्शन आफिसर यह रखा गया है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 2 में जो संशोधन प्रस्ताव श्री हरिसिंह (कुम्हेर) ने प्रस्तुत किया उसको स्वीकार किया जाए ?

(अस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 स्वीकार किया गया।

खण्ड 3 से कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 3 से 7 स्वीकार किये जाएं ?

(स्वीकृत)

खण्ड 3 से 7 स्वीकार किये गये।

खण्ड–1, अधिनियमन सूत्र, नाम आदि। कोई संशोधन नहीं।

श्री शिवनाथ सिंह : आपने खण्ड–3 के लिए कहा स्वीकार, 5 के लिए नहीं कहा। 3 से 7 नहीं कहा है आपने सिर्फ 3 के लिए कहा....

श्री अध्यक्ष : 3 से 7 कहा है मैंने।

श्री शिवनाथ सिंह : सिर्फ 3 के लिए कहा है।

श्री अध्यक्ष : 3 से 7। (व्यवधान)

श्री शिवनाथ सिंह : नहीं, अध्यक्षजी।

श्री अध्यक्ष : विराजें आप, माननीय सदस्य।

खण्ड–1, अधिनियमन सूत्र, नाम आदि। कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड–1, अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये जाएं ?

(स्वीकृत)

खण्ड–1, अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये गये।

श्री नाथूसिंह जी, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 1995 को पारित किया जाए।

विधेयक का पारण

श्री नाथूसिंह (राज्य मंत्री, पंचायती राज) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 1995 पारित किया जाए।.... (व्यवधान)....

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मुझे मालूम है कि बहुमत है आपका और उस आधार पर आप इसको पास करेंगे और जो अमेंडमेंट है वह भी फेट अकम्प्ली है, उसका कोई असर नहीं होने वाला है। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत और इस सदन के मार्फत यह कहना चाहता हूं कि इन चुनावों के अन्दर एक जगह नहीं, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने पंचायती राज मंत्री महोदय को कह कर के ऐसे नियम बनवाये हैं चुनावों के इस एक्ट के तहत जिसका कोई वर्णन नहीं हो सकता। प्रधान का चुनाव कलक्टर करायेगा, प्रमुख का चुनाव कलक्टर करायेगा, चुनाव कमीशन से कोई लेना-देना नहीं उसके परव्यू से निकाल लिया। और अब आगे देखिये, उस प्रधान के और उप प्रधान के और उप प्रमुख के चुनाव के लिए प्रक्रिया क्या अपनायी ? प्रधान और प्रमुख यह लिख कर भी देंगे उनको कि वह कब करवाना चाहते हैं। अब इसमें क्या लोजिक है ? इतना डिस्टोर्शन है नियमों के अन्दर, ऐसे नियम बनाये हैं पंचायती राज एक्ट के तहत जिसका कोई वर्णन नहीं हो सकता। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस बिल को किसी भी सूरत में पास नहीं किया जाए। मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। माननीय मंत्रीजी।

श्री शिवनाथ सिंह : मुझे एक मिनट कहना है, अध्यक्षजी।

श्री अध्यक्ष : चौधरीजी, आपने भी काफी फरमा दिया, अब क्या रह गया इसमें ?....(व्यवधान)....

श्री शिवनाथ सिंह : मैंने जो बात शुरू में कही थी....(व्यवधान)....आपका फरमाना सही है, आपने कहा मैंने पहले कहा था। मैंने अपनी बात पहले भी कही थी और अब भी कहना चाहता हूं कि आप सैक्शन 117 ए के पार्ट (सी) को देखिये। आपने यह कहा है—

"117–A, No civil court shall have jurisdiction–

(c) to question the legality of any action taken or of any decision given by the returning officer or

(श्री शिवनाथ सिंह)

by any other person appointed under this Act in connection with an election."

मेरा सबमिशन इतना ही है, लीगल पाइंट है, माननीय अध्यक्ष महोदय, और माननीय मंत्रीजी को भी इसमें कोई जिद करने की आवश्यकता नही हैं, अपने ला एक्सपर्ट से इसकी ओपीनियन ले लीजिये। इलेक्शन के लिए रिटर्निंग आफिसर होता है और उसकी गलती के लिए हमने इलेक्शन पिटीशन का एक प्रावधान रखा है और वह डिस्ट्रिक्ट जज के लिए रखा है, वह एक सिविल कोर्ट है। इस कोर्ट के माध्यम से आप कोई भी रिटर्निंग आफिसर के एक्शन को सिविल कोर्ट में जाने से डिबार करते हैं। इसलिए दोनों प्रोविजन आपके कण्ट्राडिक्टरी हैं। या तो आप इलेक्शन पिटीशन रखना नहीं चाहते हो या इलेक्शन पिटीशन जब रखते हो, तो यह जो क्लॉज हैं वह इलेक्शन पिटीशन वाले क्लॉज को खतम करेगा, इसलिए दोनों सैल्फ कण्ट्राडिक्टरी हैं। आप लीगल एक्सपर्ट से राय ले लीजिये, मुझे उसमें कोई एतराज नहीं है लेकिन दो कण्ट्राडिक्टरी प्रोविजंस हैं इसलिए, माननीय मंत्रीजी, इसमें कोई दोष हो तो बताइये क्या-क्या हैं?

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी। अब आपको क्या बोलना रह गया है?

श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़) :अध्यक्ष महोदय, दो मिनट। दो सुझाव हैं। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की अकेली ऐसी व्यवस्था है पंचायत चुनावों के सम्बन्ध में जहां पर चुनाव याचिका वही आदमी प्रस्तुत कर सकता है जो उम्मीदवार था। जबकि सांसद और विधायक के चुनावों में चुनौती देने के लिए कोई भी वोटर चुनौती दे सकता है। इसके अलावा इतनी कमियां हैं कि माननीय मंत्री महोदय को गम्भीरता से सब बातों पर अध्ययन करके और इस बात का विचार कर के कि जैसा सत्तारूढ़ दल ने किया है, दल बदल की कितनी आवश्यकता इस कानून में है अध्यक्ष महोदय, मेरा अनुरोध है कि इस स्टेज के ऊपर भी राजस्थान पंचायत एक्ट में इतनी खामियां हैं और एक ऐसी व्यवस्था है, कि भारत के संविधान के बिलकुल विपरीत चले गये। जहां चुनाव व्यवस्था का जिम्मा चुनाव आयोग को दिया गया था और माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जगह-जगह घोषणा कर के कार्यपालिका को यह जिम्मा दे दिया और चुनाव आयोग ने अ्‌ दी बैटन इन दी एयर....

श्री अध्यक्ष : माननीय, बिराजिये। कई माननीय सदस्य विचार कर चुके हैं।

श्री जगदीप धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह अनुरोध है कि इस पंचायत एक्ट में क्या हम लगातार संशोधन करते जाएंगे? क्या हम उन नियमों के बिना काम करेंगे? तो जैसा सुझाव आया है, काम्प्रीहैंसिवली इसको करने के लिए इस लेट स्टेज पर भी इस मामले को गम्भीरता से विचार कर दूसरा रास्ता अख्तियार कर जनमत के पास भेजें। काम्प्रीहैंसिव.... (व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। माननीय मंत्रीजी।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मंत्री महोदय,

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

एक मिनट। अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा, इन चुनावों की सर्वत्र प्रशंसा की गयी है। गांव-गांव में मैं समझती हूं कि इतनी महिला और पिछड़े प्रतिनिधि चुन कर आये हैं लेकिन परिवार नियोजन सम्बन्धी जो एक गड़बड़ रह जाती है उसके सम्बन्ध में भी निर्णय ले लिया जाए। मैं नहीं समझ पाती हूं, आप लोगों को क्या इस तरह की परेशानी यहां पर उत्पन्न हो रही है। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि इनको सहर्ष स्वीकार किया जाए।

यहां पर विष्णु मोदीजी ने जो बात कही थी, मैं निवेदन करना चाहूंगी कि भुगतभोगी मेरी बहन यहां बैठी हैं सूर्यकान्ताजी व्यास, जिनकी लड़की के एक ही लड़की थी और दूसरा बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ, उसका ओपरेशन टेबल पर ही कर दिया। इस तरह की कमियां हम लोग रखने वाले नहीं। आपको समझना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : विराजिये। माननीय मंत्रीजी।....(व्यवधान) अब क्या रह गया बाकी?

श्री रामपाल उपाध्याय : एक मिनट निवेदन तो सुन लें, अध्यक्ष महोदय। बात तो करने दीजिये। मुझे मालूम है बहुमत के आधार पर आप अब इसको पास करवा लेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक संवैधानिक व्यवस्था के अन्तर्गत यह पंचायत राज का एक्ट बना है और जितने भी संशोधन रखे जा रहे हैं, माननीय मंत्री महोदय और सौभाग्य से मुख्य मंत्री महोदय बिराजमान हैं, मैं आप से निवेदन करना चाह रहा हूं कि जो गलतियां शायद हमने कभी की थीं वह गलती आप मत दोहराइये। हमने भी यह समझ लिया कि "यावत् चन्द्र दिवाकरो"। जब तक सूर्य और चन्द्रमा....

श्री भैरोंसिह शेखावत : एक मिनट। आप बता दीजिये क्या गलती है? इनकी बातों को छोड़ दीजिये, क्या गलती रह गयी? क्या बतायी गलती?

श्री रामपाल उपाध्याय : मैं निवेदन कर रहा हूं, "यावत् चन्द्र दिवाकरो", जब तक सूर्य और चन्द्र है राज रहेगा। न राज आपका रहना न, हमारा रहना....

श्री भैरोंसिह शेखावत : वह ठीक है, गलती क्या है?

श्री रामपाल उपाध्याय : इसलिए क्यों आप इस प्रकार एक+++से इसको करना चाहे रहे हैं जैसी संविधान में....

श्री भैरोंसिह शेखावत : क्या है गलती?

श्री रामपाल उपाध्याय : मुख्य मंत्री महोदय, आप एक मिनट मेरा अनुरोध सुन लें। जो संविधान व्यवस्था की पवित्रता है कृपा कर के उस पवित्रता को आप कायम रखिये। जहां पर न्यायालय का क्षेत्र है उस न्यायालय के क्षेत्र में जाने की, आप कम से कम जो आपका पीपुल रिप्रजेंटेशन एक्ट है उसके खिलाफ कैसे जा सकते हैं? आप थोड़ा बताने का कष्ट

+++ शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री रामपाल उपाध्याय)

करें। नाथूसिंह जी, आप तो सबसे बड़े कानून के विद्वान व्यक्ति हैं इस हाउस में। एलएल. एम. हैं। आप मेहरबानी करके इस कानून का गला क्यों घोट रहे हैं और लोकतंत्र का गला क्यों घोटें? इसलिये आप इस पर विचार करने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष : बिराजें, मंत्रीजी।

श्री नाथूसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय जहां तक इस एक्ट का सवाल है, हिन्दुस्तान में राजस्थान का एक्ट ऐसा है जिसकी सर्वत्र प्रशंसा हुई है, राज्य सभा में भी। किसी स्टेट का एक्ट इतना बढ़िया नहीं बना है। राज्य सभा में आदरणीय रामेश्वर जी ठाकुर ने भूरि-भूरि प्रशंसा की है। सारी स्टेट्स में प्रशंसा की और जहां तक यह अमेंडमेंट....(व्यवधान) अब जब आप बोल रहे थे, I didn't interfere (Interruptions) अब आप सुन लीजिये। When you were speaking, I didn't interfere.

श्री अध्यक्ष : माननीय फरमायें।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, जहां तक आपने कहा, इसका कोई एक भी प्रोविजन रिप्रजेंटेशन आफ पीपुल एक्ट के खिलाफ नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने, जो चार-पांच संशोधन बता रहे हैं, यह जो संशोधन आये हैं, जो बता रहे हैं आप, यह सब के सब रिप्रजेंटेशन आप पीपुल एक्ट में इलेक्शन कमीशन ने सुझाये हैं कि इलेक्शन की दृष्टि से उसमें यह थे, जो टैस्टेड हैं और जैसा माननीय सदस्य ने कहा 117 ए का ए. यह सैक्शन थर्टी रिप्रजेंटेशन आफ पीपुल एक्ट, 1950 से लिया हुआ है। बी सैक्शन थर्टी सिक्स का एज इट इज लिया है और यह रिप्रजेंटेशन आफ पीपुल एक्ट, 1951 का सैक्शन 170 लिया गया है, इसलिये सब टैस्टेड हैं और वही प्रोविजन लिये हैं जो रिप्रजेंटेशन आफ पीपुल एक्ट में हैं। इसलिये यह किसी भी तरह से रिप्रजेंटेशन आफ पीपुल्स एक्ट के खिलाफ नहीं है।

श्री अध्यक्ष : माननीय बिराजें। प्रश्न यह है कि राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 1995 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 1995 पारित किया गया।

विधेयक पर विचार

राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 1995

राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 1995 श्री भंवर लालजी शर्मा, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 1995 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत्त शासन मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 1995 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री अध्यक्ष : विधेयक को जनमत

(श्री अध्यक्ष)

जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

श्री माधव सिंह दीवान। (अनुपस्थित)। श्री लक्ष्मण सिंह जी (अनुपस्थित)। श्री भीमसेन जी चौधरी (अनुपस्थित)।

प्रश्न यह है कि राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 1995 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

माननीय मंत्रीजी प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 1995 को पारित किया जाए।

विधेयक का पारण

श्री भंवर लाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 1995 को पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 1995 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 1995 पारित किया गया।

सदन की बैठक बुधवार, दिनांक 19 अप्रेल, 1995 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 19.24 बजे बुधवार, दिनांक 19 अप्रेल, 1995 के 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई।)

परिशिष्ट–1

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर)

ग्राम गुंजोत (नाथद्वारा) को आबंटित भूमि प्रकरण

363. श्री शिवदान सिंह चौहान (नाथद्वारा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) ग्राम गुंजोत, तहसील नाथद्वारा के खसरा नं. 6 में 13 बीघा भूमि दिनांक 14-2-1949 को किसको आबंटित की गयी थी तथा उस वक्त प्रार्थी की उम्र क्या थी ?

(2) क्या सरकार द्वारा उक्त भूमि का आबंटन निरस्त किया गया है ? यदि हां, तो सहायक भू-प्रबन्धक अधिकारी, उदयपुर द्वारा मिसल नं. 601/70 द्वारा दिनांक 4-5-1970 को उक्त भूमि किस नियम के अन्तर्गत पुनः दर्ज कर ली गयी है ?

(3) उपरोक्त आबंटी कृषक हैं या राजकीय कर्मचारी ? यदि उक्त भूमि राजकीय कर्मचारी को आबंटित की गयी है, तो किस नियम के अन्तर्गत ?

(4) भूमि की वर्तमान स्थिति क्या है तथा सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

उत्तर

(1) यह सही है कि खसरा नं. 6 ग्राम गुंजोत तहसील नाथद्वारा की 13 बीघा भूमि दिनांक 14-2-59 को श्री कृष्णकुमार पिता फतहलाल शर्मा नि. उदयपुर को आबंटन हुई थी। उनकी आयु वक्त आबंटन 14 वर्ष 7 माह 13 दिन थी।

(2) भूमि आवंटन निरस्तीकरण से सम्बन्धित रिकार्ड उपलब्ध नहीं होने से भूमि आबंटन निरस्तीकरण की पुष्टि नहीं हो सकी है। यह सही है कि उक्त भूमि को सहायक भू-प्रबन्धक अधिकारी, उदयपुर द्वारा मिसल नं. 601/70 दिनांक 4-5-70 से उक्त व्यक्ति के नाम अभिलेख में दर्ज कर दी गयी। इससे सम्बन्धित रिकार्ड भी उपलब्ध नहीं होने से दर्ज करने का कारण ज्ञात नहीं हो सका है।

(3) उपरोक्त आबंटी वक्त आबंटन राज्य कर्मचारी नहीं था। श्री कृष्णकुमार की राजकीय सेवा में प्रथम नियुक्ति दिनांक 28.4.67 को हुई।

(4) वर्तमान में भूमि बिकाव से हस्तांतरित हो चुकी है, मौके पर पड़त है। प्रकरण में जांच के आदेश दिये जा रहे हैं।

जवाहर रोजगार योजना राशि के भुगतान की प्रक्रिया

364. श्री हीरालाल सहरिया (किशनगंज) : क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा एवं विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार जवाहर रोजगार योजना

(श्री हीरालाल सहरिया)

की राशि का भुगतान ग्राम पंचायतों के जरिये चैक से करने के प्रावधान हैं ? यदि हां, तो परिपत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि पंचायत समिति, शाहाबाद जिला बारां में अब तक यह भुगतान चैक से किया गया है ? यदि हां, तो वित्तीय वर्ष 1994-95 में किये गये भुगतान की दिनांक व चैक नम्बर सूचना सदन की मेज पर रखें।

(3) भुगतान यदि चैक द्वारा नहीं किया गया तो क्या यह केन्द्रीय सरकार व विभाग के निर्देशों की अवहेलना नहीं है ? यदि अवहेलना है तो सरकार सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

(4) कार्यरत नॉन बैंकिंग ट्रेजरी के माध्यम से यदि जरिये चैक भुगतान सम्भव है तो पंचायत समिति, शाहाबाद द्वारा भुगतान नगद में क्यों किया गया ? क्या सरकार इसकी जांच कराने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी नहीं। केन्द्रीय सरकार द्वारा जवाहर रोजगार योजना की नियमावली में योजनान्तर्गत राशि का ग्राम पंचायतों के जरिये चैक से भुगतान के सम्बन्ध में कोई निर्देश नहीं हैं। परन्तु राज्य सरकार के वित्तीय एवं लेखा-नियमों के अनुसार जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों द्वारा ग्राम-पंचायतों को राशि चैक से हस्तान्तरित की जाती है और ग्राम पंचायतों द्वारा कार्यों पर भुगतान सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों तथा राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994 में निहित प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। इस सम्बन्ध में भारत सरकार के आदेशों की प्रति संलग्न कर प्रस्तुत है।

(2) पंचायत समिति, शाहाबाद जिला बारां द्वारा वर्ष 1994–95 में विभिन्न योजनान्तर्गत 327 भुगतान चैक द्वारा किये गये (विवरण संलग्न परिशिष्ट 2 पर प्रस्तुत है) तथा 30 भुगतान ज. रो. यो. (जिला रक्षित राशि) अंतर्गत सचिव/प्रशासक ग्राम पंचायत को वाउचर के द्वारा किये गये।

(3) जवाहर रोजगार योजना की मार्गदर्शिका में ऐसा प्रावधान नहीं है कि पंचायत समिति/ग्राम पंचायत द्वारा भुगतान केवल चैक से ही किया जाय। विकास अधिकारी, पंचायत समिति, शाहाबाद ने 30 भुगतान वाउचर के द्वारा किये हैं। राज्य सरकार का इस मामले की जांच कराकर उचित कार्यवाही कराने का विचार है।

(4) नॉनबैंकिंग ट्रेजरी के माध्यम से किसी प्रकार का भुगतान नहीं किया जाता है। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार पंचायत समिति, शाहाबाद द्वारा वाउचर से किये गये भुगतान की जांच करने का विचार रखती है।

(आदेशों की प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

पैक्स समितियों की निर्वाचन पद्धति

365. श्री रामपाल उपाध्याय (सहाड़ा) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि पैक्स समितियों के निर्वाचन पंचायत समिति मुख्यालय पर कराये जायेंगे ? यदि हां, तो इससे ग्रामीण कृषकों को क्या लाभ होंगे ?

(2) क्या निर्वाचन की नयी पद्धति से ग्राम कृषक की सहभागिता समाप्त नहीं होगी ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि ऐसी पद्धति से समितियों पर व्यक्ति विशेष का एकाधिकार स्थापित हो जायेगा ?

(4) पुरानी पद्धति एवं नयी पद्धति के गुण-दोष की सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं।

(4) राजस्थान सहकारी संस्था नियम, 1966 के नियम 32(23) के अधीन पैक्स के चुनाव हेतु अनुदेश जारी किये जाने होते हैं। चुनाव घोषणा के समय ही अनुदेश जारी होते हैं। स्थायी अनुदेश नहीं है। अतः तुलनात्मक ब्यौरा दिया जाना संभव नहीं है।

जिला सवाई माधोपुर में वन विकास कार्य

366. श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जिला सवाई माधोपुर में वर्ष 1993 से 1995 तक वन विभाग में कितनी राशि पेड़ लगाने एवं वन विकास के लिए दी गयी उसका उपयोग किस प्रकार किया गया ? मदवार जानकारी सदन की मेज पर रखें।

(2) तहसील नादौती एवं टोडाभीम में कितने प्लांटेशन वर्ष 1990 से 1995 तक किये गये ? उनमें कितने वृक्ष लगे, कितने जीवित एवं मृत हैं ? इन प्लांनटेशन में वर्ष 1992 में तहसील नादौती के ग्राम गोठड़ा में मजदूरों का भुगतान किया गया या नहीं ? यदि नहीं, तो सरकार कब तक भुगतान कर देगी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सवाई माधोपुर जिले में पेड़ लगाने एवं अन्य वन विकास कार्यों के लिये वर्ष 1993-94 में 203.03 लाख एवं 1994-95 में 220.33 लाख,कुल 423.36 लाख रुपये आबंटित किये गये, जिसके उपयोग का मदवार विवरण सदन की मेज पर परिशिष्ट'क'के अनुसार रख दिया गया है।

(2) तहसील नादौती एवं टोडाभीम में वर्ष 1990 से 1995 तक 45 वृक्षारोपण क्षेत्रों में 12.25 लाख पौधे लगाये गये जिसमें से अनुमानतः 60 प्रतिशत पौधे जीवित हैं। वर्ष 1992 में तहसील नादौती

(वन मंत्री)

के ग्राम गोठड़ा में करवाये गये वन विकास कार्य का भुगतान मजदूरों को कर दिया गया है ।

जिला झुन्झुनूं के आयुर्वेदिक औषधालय

367. श्री शीशराम ओला (झुन्झुनूं) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) झुन्झुनूं जिले में कितने राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय स्वीकृत हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) उक्त औषधालयों में कितने औषधालय ऐसे हैं जहां स्वीकृत पदों के हिसाब से पदस्थापन किया हुआ है और कितने ऐसे हैं जिनमे स्वीकृत पदों के हिसाब से स्टाफ नहीं लगा हुआ है ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या सरकार रिक्त पदों पर शीघ्र वैद्यों/कम्पाउन्डरों की नियुक्ति करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) झुन्झुनूं जिले में वर्तमान में 150 आयुर्वेद औषधालय व चिकित्सालय स्वीकृत हैं, जिनकी सूची (परिशिष्ट–1 पर) सदन की मेज पर रख दी गयी है ।

(2) झुन्झुनूं जिले में संचालित विभागीय आयुर्वेद औषधालयों/चिकित्सालयों में वीकृत पदों, पदस्थापित स्टाफ एवं रिक्त पदों का विवरण (परिशिष्ट–1 पर) सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

(3) जी हां । आयुर्वेद चिकित्सकों के पदों पर नवीन नियुक्ति हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा दिनांक 22.3.95 को विज्ञप्ति प्रसारित की जा चुकी है । आयोग द्वारा चयनित व्यक्ति उपलब्ध होने पर रिक्त पद भरने की. कार्यवाही की जा सकेगी ।

नर्स/कम्पाउण्डर पद पर नवीन नियुक्ति हेतु सम्भागीय आयुक्तों से अनुपलब्धता प्रमाण पत्र प्राप्त किये जा रहे हैं । अनुपलब्धता प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर रिक्त पद भरने की कार्यवाही की जा सकेगी ।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया ।)

डेगाना क्षेत्र के पशु चिकित्सालय

368. श्री रिछपालसिंह (डेगाना) : क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र डेगाना (नागौर) में वर्तमान में कितने पशु चिकित्सालय कार्यरत हैं ?

(2) क्या वर्ष 1995–96 में सरकार अतिरिक्त पशु चिकित्सालय खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो डेगाना विधान सभा क्षेत्र में कितने औषधालय खोले जाने प्रस्तावित हैं ?

(3) नये पशु औषधालय खोलने के क्या मानदण्ड निर्धारित हैं ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र डेगाना में वर्तमान में 9 पशु चिकित्सालय कार्यरत हैं।

(2) पशु चिकित्सकों की कमी के कारण नई पशु चिकित्सा संस्थाएं खोलने के लिए वर्ष 1995–96 में बजट प्रावधान स्वीकृत नहीं है। अब 410 पशु चिकित्सकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति आदेश प्रसारित किये जा चुके हैं, शेष रिक्त पद भरने के बाद नई चिकित्सा संस्था खोलने पर विचार किया जा सकेगा।

(3) नये पशु चिकित्सा संस्था खोलते समय जनसंख्या, पशु संख्या, क्षेत्र में पूर्व से कार्यरत पशु चिकित्सा संस्था से दूरी एवं आवश्यक सुविधाएं जैसे भवन, डाक व्यवस्था आवागमन के साधनों को ध्यान में रखा जाता है।

राज्य के तेल एवं प्राकृतिक गैस के भण्डार

369. **श्री विष्णु मोदी** (पुष्कर) : क्या मुख्य (सामान्य प्रशासन) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या सरकार ने केन्द्र सरकार से यह जानकारी प्राप्त की है कि राज्य में तेल एवं प्राकृतिक गैस के कितने-कितने भण्डार किस-किस क्षेत्र में हैं ? यदि हां, तो राज्य में उपलब्ध तेल एवं प्राकृतिक गैस की उपलब्धि सम्बन्धी जानकारी का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार ने भारत सरकार से राज्य में उपलब्ध तेल एवं प्राकृतिक गैस के एक्सप्लोरेशन एवं एक्सप्लाइटेशन के लिए गत एक वर्ष में कोई पत्र व्यवहार किया है ? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। विवरण परिशिष्ट–1 पर संलग्न है।

(2) जी, हां। पत्र-व्यवहार परिशिष्ट-2 से 7 तक संलग्न है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

पर्यटक मेलों का आयोजन

370. **श्री खेतसिंह राठौड़** (शेरगढ़) : क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जोधपुर से जैसलमेर, सड़क मार्ग द्वारा वर्ष 1994-95 में कुल कितने पर्यटक गये ?

(2) इन पर्यटकों की सुविधा के लिये पर्यटन विभाग द्वारा कहां-कहां मिडवे तथा अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की योजना है ?

(3) देचू में बनने वाले मिडवे को क्या सतराव में बनाने की योजना है अथवा अन्य किसी स्थान पर ?

(4) जैसलमेर पर्यटक मेले पर कुल कितना खर्च होता है, देशी व विदेशी पर्यटकों की उक्त मेले में कितनी संख्या होती है ? क्या ऐसे मेले बाड़मेर, शेरगढ़, केराडू व ओसियां में भी आयोजन करने की सरकार की योजना है ?

उत्तर

(1) वर्ष 1994-95 में जैसलमेर में (फरवरी 95 तक) कुल 103637 पर्यटक गये। विभिन्न साधनों एवं मार्गों से आने वाले पर्यटकों के आंकड़े पृथक से एकत्रित नहीं किये जाते हैं।

(2) पोकरण में मिडवे कार्यरत है। जोधपुर से जैसलमेर सड़क मार्ग पर देचू में मार्गस्थ सुविधा बनाने की योजना है।

(3) जी नहीं।

(4) पर्यटन विभाग द्वारा वर्ष 1994-95 में जैसलमेर पर्यटक मेले पर कुल रु. 4.40 लाख व्यय किये गये। इस मेले के अवसर पर आने वाले देशी एवं विदेशी पर्यटकों के आंकड़े पृथक से एकत्रित नहीं किये जाते हैं। वर्ष 1994-95 में केराडू तथा बालोतरा जिला बाड़मेर में 21 से 23 मार्च 95 तक थार महोत्सव आयोजित किया गया है। अन्य स्थानों पर इस प्रकार के मेले आयोजित करने की अभी कोई योजना नहीं है।

कृषि भूमि मिट्टी की जांच हेतु चल इकाई

371. **श्री भीमसेन चौधरी** (लूणकरणसर) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) कृषकों के खेतों पर मिट्टी की जांच करने हेतु किन-किन जिलों में चल इकाई कायम की हुई है ?

(2) क्या यह सही है कि इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में बीकानेर मुख्यालय पर चल इकाई कायम करने की काश्तकारों की मांग है ?

(3) क्या बीकानेर जिले में इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र के लिये फील्ड जांच प्रयोग शाला पूर्व में स्वीकृत हुई थी ? यदि हां, तो उक्त इकाई को किन कारणों से रद्द किया गया ? सरकार उक्त इकाई को पुनः चालू करने का कब तक विचार रखती है ?

उत्तर

(1) यह सही है कि राज्य सरकार ने मिट्टी की जांच के लिये चल इकाईयां कायम की हुई हैं। वर्तमान में इनकी संख्या बारह है और यह जयपुर, सवाई माधोपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, टोंक, भरतपुर, पाली, नागौर, सिरोही एवं सीकर में स्थापित हैं।

(2) जी, हां। इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में मिट्टी परीक्षण की जांच करने की काश्तकारों की मांग है।

(3) यह सही है कि इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में कृषकों के खेतों पर मिट्टी की जांच करने हेतु चल इकाई कायम करने की स्वीकृति वित्तीय वर्ष 94–95 में हुई थी। राज्य सरकार द्वारा वाहन क्रय करने पर प्रतिबन्ध लगाने के कारण उक्त इकाई कायम नहीं हो सकी। इस हेतु अब बजट स्वीकृत हो चुका है।

जिला उदयपुर में जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के छात्रावास

372. **श्री चुन्नीलाल गरासिया** (उदयपुर ग्रामीण) : क्या जनजाति क्षेत्रीय

220

(श्री चुन्नीलाल गरासिया)

विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विभाग द्वारा उदयपुर जिले में कहां-कहां छात्रावास एवं माडा योजना के अन्तर्गत कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं ? गांववार पृथक-पृथक सूचना सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि उक्त छात्रावासों में दैनिक वेतन भोगी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एवं रसोइये कार्यरत हैं ? यदि हां, तो कौन-कौन, किस-किस छात्रावास में कब से तथा प्रत्येक को प्रतिदिन कितनी राशि का भुगतान किया जाता है ?

(3) क्या सरकार उक्त दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित/स्थाई कर निर्धारित वेतनमान देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा उदयपुर जिले में संचालित किये जा रहे छात्रावासों की सूचना परिशिष्ट–अ पर एवं माडा योजना के अन्तर्गत चलाये जा रहे कार्यक्रमों का विवरण परिशिष्ट–ब पर उपलब्ध है । वर्ष 1994–95 में लिये गये कार्यक्रमों की ग्रामवार सूचना परिशिष्ट–स पर उपलब्ध है ।

(2) उक्त छात्रावासों में संविदा अनुबन्ध पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एवं रसोइये रखे जाते हैं । छात्रावासों में कार्यरत अनुबन्धित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एवं रसोइयों की सूची परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है । चौकीदार/रसोइया/सफाई कर्मचारियों को प्रतिमाह 572/– रुपये की दर से भुगतान किया जाता है ।

(3) इन अनुबन्धित कर्मचारियों के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा पारित निर्णय के विरुद्ध राज्य सरकार ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एस. एल. पी. दायर करने का निर्णय लिया है ।

(सूचना विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई ।)

तहसील अनूपगढ़ में कृषकों पर लगाया गया तावान

373. **श्री अमरचन्द मिड्ढा** (सूरतगढ़): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

1 जुलाई, 1993 से आज तक तहसील अनूपगढ़ में किन-किन काश्तकारों पर तावान लगाया गया ? प्रत्येक मामले में कितना-कितना तावान कम किया गया तथा इसके क्या-क्या कारण रहे ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

1 जुलाई, 1993 से आज तक तहसील अनूपगढ़ में कुल 542 काश्तकारों (अतिक्रमियों) पर रुपये 9,01,396/– तावान आरोपित किया गया ।

प्रत्येक मामले में कितना-कितना तावान कम किया गया की सूची संलग्न है जिसमें तावान कम करने के कारण भी दिये गये हैं ।

221

(राजस्व मंत्री)

निम्न काश्तकारों को उनके नाम के सामने अंकित अनुसार तावान कम किया गया तथा तावान कम करने के कारणों का विवरण अंकित है।

क्र. सं.	नाम अतिक्रमी	पूर्व में आरोपित तावान मय फसल नीलामी	बाद में संशोधित आरोपित तावान क्रय फसल नीलामी	तावान कम करने के कारण
1.	श्री जंगीरसिंह 1 के. ए. एम.	8260.00	570	अप्रार्थी के आवेदन पर पूर्व आदेश को पुनरावलोकन किया जाकर तावान कम किया गया।
2.	श्री रामचन्द्र 2 के. ए. एम.	5180.00	2590.00	,, ,,
3.	श्री रामप्रताप 5 एन. डी.	3700.00	750.00	,, ,,
4.	श्री मेहरसिंह 1 के. ए. एम.	2328.00	407.00	,, ,,
5.	श्री मनीराम 1 एन.डब्ल्यू.एम.	800.00	400.00	,, ,,
6.	श्री भेराराम 5 एन. डी.	6500 00	150.00	रकबा अन्य को आबंटन होने के कारण
7.	श्री प्रतापसिंह 2 के.ए.एम.	7520.00	700.00	स्व-विवेक (स्यूमोटो) के आधार पर पूर्व आदेश को पुनरावलोकन किया जाकर तावान कम किया गया।

अपना गांव-अपना काम योजना अन्तर्गत कार्यों की कार्यावधि

374. श्री आर. पी. शर्मा (भरतपुर) : क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) 'अपना गांव अपना काम योजना' के अन्तर्गत पंचायत समिति सेवर जिला भरतपुर में वर्ष 1993-94 एवं 1994-95 में कितनी राशि ग्राम पंचायत अनुसार जमा की गई ?

(2) क्या 'अपना गांव-अपना काम योजना' अन्तर्गत पंचायत समितियों में जमा राशि के कार्य प्रारम्भ करने की अवधि निर्धारित है ?

(3) क्या सरकार की जानकारी में है कि समय पर कार्य प्रारम्भ नहीं होने से मूल्य वृद्धि से निर्धारित कार्य पूरे नहीं हो पाते हैं ?

उत्तर

(1) पंचायत समिति सेवर जिला भरतपुर में अपना गांव अपना काम योजनान्तर्गत वर्ष 1993-94 एवं 1994-95 में ग्राम पंचायतवार क्रमशः 2,15,600/– रुपये एवं 53,400/– रुपये की राशि जमा की गई, जिसका विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न कर प्रस्तुत है ।

(2) अपना गांव अपना काम योजनान्तर्गत पंचायत समितियों में जमा राशि के कार्य तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर शीघ्र ही प्रारम्भ करने के जिला ग्रामीण विकास अभिकरण को निर्देश हैं, इसके लिये कोई अवधि निर्धारित नहीं है ।

(3) निर्धारित समयावधि में स्वीकृत कार्य क्रियान्वित नहीं होने से मूल्य वृद्धि होने की सम्भावना हो सकती है परन्तु इस सम्बन्ध में परियोजना निदेशक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, भरतपुर ने सूचित किया है कि मूल्य वृद्धि के सम्बन्ध में कार्यकारी संस्थानों/विभाग से अभी तक कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है ।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया ।)

33 के. वी. विद्युत, लाइन, सज्जनगढ़ (बांसवाड़ा)

375. श्री फतेहसिंह (कुशलगढ़) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ (बांसवाड़ा) की पंचायत समिति सज्जनगढ़ क्षेत्र को 33 के. वी. विद्युत लाइन से जोड़ने की स्वीकृति जारी हो चुकी है ? यदि हां, तो अभी तक कार्य प्रारम्भ क्यों नहीं किया गया ?

(2) अब कब तक सरकार इसे पूर्ण कराने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी नहीं, पंचायत समिति सज्जनगढ़ क्षेत्र को 33 के. वी. विद्युत लाइन से जोड़ने हेतु प्रस्ताव तकनीकी साध्यता की जांच हेतु विचाराधीन है ।

(2) चूंकि प्रस्ताव पर परीक्षण हो रहा है । अतः अभी इसके बारे में निश्चित रूप से कुछ कहना सम्भव नहीं है ।

सिकराय क्षेत्र के आयुर्वेदिक औषधालय

376. श्री महेन्द्र कुमार मीणा (सिकराय) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) सिकराय विधान सभा क्षेत्र में कितने और किन-किन गांवों में आयुर्वेदिक औषधालय हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सिकराय तहसील मुख्यालय पर आयुर्वेदिक औषधालय नहीं हैं ?

(3) क्या सरकार इस वर्ष सिकराय एवं ग्राम गेरोदा में आयुर्वेदिक औषधालय खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) सिकराय विधान सभा क्षेत्र में 20 विभागीय आयुर्वेद औषधालय स्वीकृत/संचालित हैं, उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) दौसा ज़िले की सिकराय तहसील मुख्यालय पर विभाग का कोई आयुर्वेदिक औषधालय/चिकित्सालय स्वीकृत/संचालित नहीं है।

(3) जी नहीं। दौसा जिले की सिकराय तहसील मुख्यालय एवं ग्राम गेरोदा में नवीन आयुर्वेदिक औषधालय खोलने का फिलहाल कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

सिकराय विधान सभा क्षेत्र में स्वीकृत/संचालित विभागीय आयुर्वेद औषधालय की सूची।

क्र.सं.	स्थान औषधालय
1.	करौडी
2.	कालवान
3.	कलाखो
4.	गण्डराश्र
5.	घूमणा
6.	गुमानपुरा
7.	छोकरवाड़ा
8.	चान्देरा
9.	टोरडा
10.	ठीकरिया
11.	निहालपुरा
12.	भानपुर
13.	भण्डारी
14.	सिकन्दरा
15.	दुब्बी
16.	गीजगढ़
17.	जौपाडा
18.	माण्डारेज
19.	श्यालावास
20.	बैरावण्डा

डालमिया डेयरी, भरतपुर

377. श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : क्या पशुपालन (डेयरी विकास) राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करें :–

(1) क्या भरतपुर शहर के पास डालमिया डेयरी उद्योग स्थापित है ?

(श्री हरिसिंह)

(2) क्या उद्योग की स्थापना के समय स्थानीय जनता को सही कीमत पर दूध उपलब्ध कराये जाने हेतु सरकार ने उक्त डेयरी से कोई करार या शर्तें तय की थीं ?

(3) क्या भरतपुर क्षेत्र में स्थानीय जनता को सही कीमत पर दूध उपलब्ध कराने हेतु सरकार उक्त उद्योग को बाध्य करने का विचार रखती है ?

(4) यह उद्योग प्रतिदिन कितना दूध एकत्रित करता है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं।

(4) इकाई द्वारा दुग्ध संकलन एवं उत्पादन का विवरण राज्य सरकार को प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है न ही यह इकाई दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद आदेश, 1992 (एम.एम.पी.ओ.) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड है।

20 सूत्री कार्यक्रम की बैठकें

378. **श्री भरत सिंह** (खानपुर): क्या मुख्य (आयोजना) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या 20 सूत्री कार्यक्रम की प्रथम स्तर की बैठक हर जिले में प्रतिमाह आयोजित होती है ? यदि हां, तो झालावाड़ जिले में वर्ष 1994–95 में कुल कितनी प्रथम स्तर की बैठकें आयोजित की गईं ?

(2) क्या संवेदनशील प्रशासन भी 20 सूत्री कार्यक्रम का एक सूत्र है ? यदि हां तो क्या जन प्रतिनिधियों तथा प्रशासन के अधिकारियों के बीच फासला व अविश्वास बढ़ता जा रहा है ?

उत्तर

(1) जी नहीं। इस समिति का अभी गठन नहीं हुआ है क्योंकि समिति के सदस्यों–सांसद तथा विधायक हेतु लोकसभा अध्यक्ष तथा अध्यक्ष, विधान सभा महोदय से अनुमति अपेक्षित है। यद्यपि अधिकारी स्तर की समिति, जिसके कि जिला कलक्टर अध्यक्ष हैं, की बैठकें निरन्तर आयोजित की जा रही हैं।

(2) जी हां। राज्य सरकार के पास ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है कि जनप्रतिनिधियों तथा प्रशासन के अधिकारियों के बीच फासला व अविश्वास बढ़ता जा रहा है।

महिला एवं बाल विकास विभाग की महिला पर्यवेक्षक

379. **श्री दलीचन्द** (दानपुर) : क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) महिला एवं बाल विकास विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों में मंत्रालयिक, अधीनस्थ सेवा के कुल कितने पद सृजित हैं, कितने भरे हुए एवं कितने रिक्त हैं ?

(2) क्या विभाग में कार्यरत सभी पात्र महिला पर्यवेक्षकों को चयनित वेतनमान का लाभ दे दिया गया है ? यदि नहीं, तो सरकार कब तक लाभ देने का विचार रखती है ?

(श्री दलीचन्द)

(3) क्या सरकार सहायक बाल विकास परियोजना अधिकारी के पदों पर योग्य एवं पात्र महिला पर्यवेक्षकों को पदोन्नति देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों में मंत्रालयिक सेवा के 207 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 176 पद भरे हैं शेष 31 खाली हैं। इस प्रकार अधीनस्थ सेवा के कुल 2532 पद स्वीकृत हैं जिनमें से 1589 भरे पद हैं, शेष 943 पद रिक्त हैं।

(2) जी हां।

(3) सहायक बाल विकास परियोजना अधिकारी के पदों पर महिला पर्यवेक्षकों को तदर्थ आधार पर पदोन्नति दिये जाने का प्रकरण विचाराधीन चल रहा है। इस हेतु कार्य मूल्यांकन सम्बन्धी सूचना प्राप्त कर शीघ्र ही योग्य एवं पात्र महिला पर्यवेक्षकों को पदोन्नति दे दी जावेगी।

फसल बीमा योजना

380. **श्री मदनमोहन** (खैरथल) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या यह सही है कि सरकार फसल बीमा योजना लागू करने का विचार रखती हैं ? यदि हां, तो उसका क्या स्वरूप होगा ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

राज्य सरकार के समक्ष फसल बीमा योजना राज्य के एक जिले में पायलेट बेसिस पर प्रारम्भ करने के बाबत भारत सरकार से प्रस्ताव प्राप्त हुआ था, जिसके बाबत भारत सरकार से कुछ बिन्दुओं पर स्थिति स्पष्ट करने हेतु निवेदन किया गया है। स्थिति स्पष्ट होने पर इस बाबत अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

स्वच्छता, जल एवं सामुदायिक परियोजनान्तर्गत कार्यरत वाहन

381. **श्री भीमराज मीणा** (आसपुर) : एवं **श्री महावीर भगोरा** (गोगुन्दा) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) स्वच्छता, जल एवं सामुदायिक परियोजना, उदयपुर के अधीन कितने वाहन, कितनी मोटर साइकिलें आदि उपयोग में ली जा रही है ?

(2) क्या यह सही है कि इस योजना के अन्तर्गत वाहनों के दुरूपयोग के लिये किसी प्रकार का कोई सर्वेक्षण किया गया था ? यदि हां, तो किस-किस के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी और कितने वाहनों को सम्बन्धित पूल में जमा करवाया गया ?

उत्तर

(1) स्वच्छता, जल एवं सामुदायिक परियोजना के अधीन उदयपुर मुख्यालय एवं 4 क्षेत्रीय कार्यालयों में वर्तमान में 21 वाहन एवं 15 मोटर साइकिलें उपयोग में ली जा रही हैं।

(2) वाहनों की उपयोगिता के सम्बन्ध में निरीक्षण जुलाई, 1994 में करवाया

(226)

(जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री)

गया था। निरीक्षण में उठाये गये बिन्दुओं की पालना स्वच्छ, उदयपुर द्वारा की जा रही है। 6 जीप व 7 मोटर साइकिलों को अनुपयोगी घोषित किया जा चुका है, जिन्हें मोटर गैराज में जमा कराने की कार्यवाही चल रही है। किसी के विरुद्ध कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

विभागीय चित्रकला शिक्षक

382. **श्री शिवकिशोर सनाढ्य** (उदयपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि शिक्षा विभाग की पाठशालाओं में चित्रकला विषय पढ़ाया जाता है ? यदि हां, तो किस किस कक्षा तक किस-किस श्रेणी के अध्यापक चित्रकला विषय पढ़ाते हैं तथा किस-किस स्तर तक की पाठशालाओं में चित्रकला पढ़ाने वाले अध्यापकों की क्या-क्या योग्यता निर्धारित है ?

(2) क्या यह सही है कि चित्रकला अध्यापकों की पदोन्नति नहीं होती है ? यदि हां, तो क्यों और यदि पदोन्नति हुई है तो कब-कब ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि शिक्षा विभाग में कार्यरत तृतीय श्रेणी के चित्रकला अध्यापकों को निर्धारित योग्यता व वरिष्ठता के उपरान्त भी पदोन्नति नहीं दी जाती है ? यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इन्हें पदोन्नति देने का विचार रखती है ?

(4) राज्य में द्वितीय श्रेणी चित्रकला के कितने पद हैं और कितने भरे हुए हैं तथा कितने रिक्त हैं ? क्या सभी पदों पर चित्रकला अध्यापक ही कार्यरत हैं ? जयपुर जिले के रिक्त पदों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) गत पांच वर्षों में जयपुर जिले में कितने तृतीय श्रेणी चित्रकला अध्यापकों को पदोन्नति दी गई ?

उत्तर

(1) जी हां। कक्षा 11वीं एवं 12वीं में ऐच्छिक विषय के रूप में राज्य के सभी विद्यालयों जहां कला संकाय स्वीकृत है एवं जिनमें चित्रकला स्वीकृत विषयों में से एक विषय के रूप में है, व्याख्याताओं द्वारा पढ़ाया जाता है। चित्रकला विषय के व्याख्याताओं की भर्ती 50 प्रतिशत सीधी भर्ती से व 50 प्रतिशत पदोन्नति के माध्यम से होती है। सीधी भर्ती की योग्यता "स्नातकोत्तर चित्रकला में एवं चित्रकला में स्नातक मय पांच वर्ष पढ़ाने का अनुभव" है तथा पदोन्नति से योग्यता "स्नातक चित्रकला में एवं पांच साल का द्वितीय श्रेणी अध्यापक के रूप में पढ़ाने का अनुभव" है।

(2) वर्ष 1988–89 से पदोन्नति नहीं दी गई है। इससे पूर्व में दी गई पदोन्नति का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(3) जी हां। क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 लागू होने के साथ कक्षा 6 से 10 तक सभी अनिवार्य विषय है जिनमें चित्रकला विषय नहीं है।

(शिक्षा मंत्री)

(4) द्वितीय श्रेणी के अध्यापकों के पद विषयवार स्वीकृत नहीं किये जाते हैं। अतः द्वितीय श्रेणी के चित्रकला के अलग से पद स्वीकृत नहीं है।

(5) जयपुर जिले में गत 5 वर्षों में तृतीय श्रेणी के चित्रकला के अध्यापकों को पदोन्नति नहीं दी गयी है।

द्वितीय श्रेणी चित्रकला अध्यापकों के डी. पी. सी. की मण्डलवार स्थिति

(संकलित सूचना के आधार पर)

क्र. सं.	मण्डल का नाम	डी. पी. सी. का वर्ष	चित्रकला में पदोन्नति अध्यापक
1	2	3	4
(1)	जयपुर मण्डल (पुरुष)	81-82	01
		83-84	01
		84-85	05
		86-87	01
		87-88	01
(2)	जयपुर मण्डल (महिला)	79-80	01
		80-81	01
(3)	उदयपुर मण्डल (पुरुष)	—	शून्य
(4)	उदयपुर मण्डल (महिला)	—	शून्य
(5)	कोटा मण्डल (पुरुष)	80-81	01
		81-82	02
		82-83	02
(6)	कोटा मण्डल (महिला)	—	शून्य
(7)	अजमेर मण्डल (पुरुष)	—	शून्य
(8)	अजमेर मण्डल (महिला)	—	शून्य

शेष मण्डल की सूचना संकलित की जा रही है।

ग्राम लोसल (सीकर) में उप तहसील खोलना

383. श्री अमराराम (धोद) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या सरकार धोद विधान सभा क्षेत्र के दांतारामगढ़ तहसील की एक मात्र नगरपालिका, लोसल में उप तहसील खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

पंचायत समिति रायपुर एवं सोजत में किये गये कार्य

384. श्री सुखलाल सेंणचा (रायपुर) : क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विगत वर्ष में रायपुर एवं सोजत पंचायत समिति (जिला पाली) में किन-किन योजना के अन्तर्गत किस-किस पंचायत को कितनी-कितनी राशि आबंटित की गयी ?

(2) उपरोक्त पंचायत समिति की पंचायतों में किन-किन योजनाओं में क्या-क्या निर्माण कार्य स्वीकृत हुए ?

(3) स्वीकृत निर्माण कार्यों में से आज तक कितने कार्य पूर्ण हो चुके हैं एवं कितने अधूरे हैं तथा कितने चालू होना शेष है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या पूर्ण किये गये कार्यों में जगह-जगह घटिया सामग्री प्रयोग में ली गई है ? यदि हां, तो किन-किन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की गयी ?

उत्तर

(1) विगत् वर्ष 1994-95 में रायपुर एवं सोजत पंचायत समिति (जिला पाली) की ग्राम पंचायतों को जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत क्रमशः 15.16 लाख एवं 17.75 लाख राशि आबंटित की गयी थी। अन्य योजनाओं में ग्राम पंचायतों को राशि आबंटित नहीं जाती है तथा कार्यों की स्वीकृतियां जिला स्तर पर ही की जाती है। पंचायतवार आबंटित राशि की सूचना परिशिष्ट–1 (अ एवं ब) पर संलग्न कर प्रस्तुत है।

(2) उपरोक्त पंचायत समितियों में ग्राम पंचायतवार विभिन्न योजनाओं में स्वीकृत निर्माण कार्यों की सूचना परिशिष्ट 2 (अ एवं ब) पर संलग्न कर प्रस्तुत है।

(3) पंचायत समिति रायपुर में अब तक विभिन्न योजनान्तर्गत कुल 109 कार्य स्वीकृत किए गये थे, जिसमें से 53 कार्य पूर्ण हुए, 44 कार्य अपूर्ण रहे तथा 12 स्वीकृत कार्य प्रारम्भ नहीं हुए। पंचायत समिति सोजत में विभिन्न योजनान्तर्गत अब तक 170 कार्य स्वीकृत किये गये जिसमें से 101 कार्य पूर्ण हुए 54 कार्य अपूर्ण रहे तथा 15 स्वीकृत कार्य प्रारम्भ नहीं हुए।

(4) इन कार्यों का विवरण परिशिष्ट-2 (अ एवं ब) पर अंकित है। परियोजना-निदेशक, जि. ग्रा. वि. अभिकरण, पाली ने सूचित किया है कि स्वीकृत निर्माण कार्यों पर घटिया सामग्री प्रयोग के सम्बन्ध में कोई

(विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री)

सूचना प्राप्त नहीं हुई है। अतः किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं है।

(सूचना विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

ट्रान्सफार्मर्स फ्यूज बांधने की व्यवस्था

385. श्री गोपीराम जाट (आमेर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र आमेर में दिन या रात्रि के समय ट्रांसफार्मर्स के फ्यूज उड़ जाने पर फ्यूज बांधने की कोई कारगर व्यवस्था की गयी है ? यदि हां, तो वह व्यवस्था क्या है ?

(2) क्या यह सही है कि ट्रान्सफार्मर के फ्यूज बांधने की ग्रामों में रात्रि के समय कोई व्यवस्था नहीं है ? यदि हां, तो इसके लिये सरकार क्या कारगर व्यवस्था करने का विचार रखती है ?

(3) क्या यह भी सही है कि ग्रामों में 8 घण्टे बिजली सप्लाई के समय फ्यूज बांधने के अभाव के कारण किसान बिजली से वंचित रहता है ? यदि हां, तो इसके लिये कौन दोषी है ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र आमेर में दिन व रात्रि के समय ट्रांसफार्मरों के फ्यूज उड जाने पर फ्यूज बांधने के लिये जगह-जगह पर शिकायत निवारण केन्द्र चौकियां स्थापित कर रखी हैं, जहां पर शिकायत प्राप्त होने पर कर्मचारियों द्वारा शिकायत का निराकरण किया जाता है।

(2) जी नहीं, जहां-जहां पर शिकायत निवारण केन्द्र की चौकियां स्थापित कर रखी हैं, वहां-वहां पर कर्मचारियों को लगाकर यह व्यवस्था कर रखी है कि जब भी फ्यूज उड़ने की शिकायत प्राप्त हो यथा संभव अतिशीघ्र फ्यूज वापिस लगाने की व्यवस्था की जावे। बिजली की जोखिम को देखते हुए कई बार रात्रि में पोल आदि पर चढ़ने में व्यावहारिक कठिनाइयां भी आती हैं।

(3) जी नहीं, किसी अपवाद को छोड़ कर मण्डल आदेशानुसार ग्रामों में ब्लाकों के अनुसार बिजली सप्लाई की जाती है और फ्यूज उड़ने की शिकायत मिलने पर उसे वापिस बांधने की व्यवस्था की जाती है तथा उपभोक्ता को बिजली उपलब्ध करवाई जाती है। अतः कोई व्यक्ति दोषी नहीं है।

जिला राजसमन्द में आयुर्वेद विभाग के रिक्त पद

386 श्री शान्तिलाल खोईवाल (राजसमन्द) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजसमन्द जिले में विभाग के विभिन्न कार्यालयों/औषधालयों में कहां-कहां पर किस-किस श्रेणी के कितने-कितने पद किस-किस तिथि से रिक्त चल रहे हैं ?

(2) उक्त रिक्त पदों को भरने के लिये विभाग द्वारा क्या प्रयास किये जा रहे हैं ?

(श्री शान्तिलाल खोईवाल)

अब-कब तक यह पद भरने का सरकार विचार रखती है ?

उत्तर

(1) राजसमन्द जिले में आयुर्वेद विभाग के कार्यालय एवं औषधालयों/चिकित्सालयों में निम्न पद वर्तमान में रिक्त है—

आयुर्वेद चिकित्सक	11 पद
कनिष्ठ लेखाकार	1 पद
नर्स/कम्पाउडर	5 पद
वरिष्ठ लिपिक	1 पद
परिचालक	6 पद

रिक्त पदों का विवरण (परिशिष्ट–1 पर) सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) आयुर्वेद चिकित्सकों के पदों पर नवीन नियुक्ति हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन दिनांक 22–3–95 को प्रकाशित हो चुका है। आयोग द्वारा चयनित व्यक्ति उपलब्ध होने पर रिक्त पद भरने की कार्यवाही की जा सकेगी।

कनिष्ठ लेखाकार के पद पर नियुक्ति निदेशक, कोष एवं लेखा, जयपुर द्वारा की जाती है। विभाग द्वारा पद भरने हेतु दिनांक 20-9-94 एवं 13-2-95 को लिखा जा चुका है।

नर्स/कम्पाउण्डर के रिक्त पदों पर नवीन नियुक्ति देने हेतु सम्भागीय आयुक्तों से अनुपलब्धता प्रमाण पत्र प्राप्त किये जा रहे है। अनुपलब्धता प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर रिक्त पद भरने की कार्यवाही की जा सकेगी।

वरिष्ठ लिपिक के पद विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित कर शीघ्र ही भरने की कार्यवाही की जा रही है।

परिचालक के पदों पर नवीन नियुक्ति के लिए फिलहाल राज्य सरकार का प्रतिबन्ध है।

राजसमन्द जिले में आयुर्वेद विभागान्तर्गत संचालित
चिकित्सालयों/औषधालयों एवं कार्यालय में रिक्त पदों का विवरण

क्र. सं.	औषधालय/चिकित्सालय/कार्यालय का नाम	अवधि जब से पद रिक्त हैं
1	2	3
आयुर्वेद-चिकित्सक		
1.	जेतगढ़	जुलाई, 1986
2.	दिवेर	जुलाई, 1994

1	2	3
3.	महासिंह का खेड़ा	जनवरी, 1994
4.	जूणदा	अगस्त, 94
5.	समेलिया	जुलाई, 94
6.	गोवल	अगस्त, 92
7.	बडगुल्ला	जुलाई, 94
8.	नेडच	अक्टूबर, 93
9.	घोडच	अगस्त, 94
10.	मूरडा	अगस्त, 91
11.	फरारा	जुलाई, 1994
कनिष्ठ-लेखाकार		
1.	जिला आयुर्वेद अधिकारी कार्यालय	अप्रेल, 1994
वरिष्ठ-लिपिक		
1.	जिला आयुर्वेद अधिकारी कार्यालय	मई, 1994
नर्स/कम्पाउन्डर		
1.	देवगढ़	नवम्बर, 1992
2.	विलोता	मार्च, 1994
3.	सालोर	मार्च, 93
4.	नाथद्वारा (दो पद रिक्त)	अक्टूबर, 1994
परिचालक		फरवरी, 1994
1.	बडगुल्ला	मार्च, 93
2.	बरदडा	जुलाई, 94
3.	जूणदा	जुलाई, 94
4.	गोवल	जनवरी, 1995
5.	पनोतिया	मार्च, 1995
6.	बामनिया	मार्च, 1995

अनुसूचित जाति/जन जाति के लोगों को जायदाद की खरीद व बेचान में स्टाम्प ड्यूटी में छूट

387. **श्री हीरालाल इन्दौरा** (केसरीसिंहपुर) : क्या मुख्य (वित्त) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या अनुसूचित जाति एवं जन जाति के लोगों द्वारा जायदाद खरीद एवं बेचान पर अन्य वर्गों के मुकाबले स्टाम्प शुल्क में छूट दी जाती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार भविष्य में अनुसूचित जाति एवं जन जाति के लोगों के जायदाद की खरीद एवं बेचान पर स्टाम्प शुल्क में छूट देने सम्बन्धी कोई नीति बनाने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

(2) जी नहीं। वर्तमान में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों को मुद्रांक शुल्क की छूट देने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

समेकित बाल विकास कार्यक्रम

388. **श्री मोहनलाल मोदी** (नीमकाथाना) : क्या महिला बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) समेकित बाल विकास कार्यक्रम पर वर्ष 1994–95 में प्रदेश में कुल कितनी राशि खर्च की गई ?

(2) इस योजना के अन्तर्गत अब तक कितनी महिलाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराया गया है ?

(3) नीम का थाना तहसील में आंगनबाड़ी कार्यक्रम में गत वर्ष कितनी राशि प्रदान की गई एवं कितनी महिलाओं को किस-किस प्रकार का रोजगार उपलब्ध कराया गया ?

उत्तर

(1) समेकित बाल विकास योजना कार्यक्रम पर वर्ष 1994-95 में 3351.02 लाख रुपये की राशि खर्च की गई।

(2) चूंकि यह योजना केवल माताओं व बच्चों के स्वास्थ्य एवं स्कूल पूर्व शिक्षा से सम्बन्धित हैं। अतः इस योजना के अन्तर्गत महिलाओं को कोई स्व-रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाता है।

(3) नीम का थाना आंगनबाड़ी कार्यक्रम के अन्तर्गत बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु 18.53 लाख रुपये की राशि प्रदान की गई। कुल 288 महिलाओं को मानदेय पर रोजगार उपलब्ध कराया गया, जिनमें से 144 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं 144 सहायिकाएं हैं।

कृषि उपज मण्डी समिति, अलवर की अपूर्ण सड़कें

389. **श्री जुबेर खान** (रामगढ़) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि कृषि उपज मण्डी समिति, अलवर द्वारा ग्राम मन्नाथ से लोहखाड़ी चोरोटीपहाड़ की सम्पर्क

(श्री जुबेर खान)

सड़क स्वीकृत की गयी थी ? यदि हां, तो कब ?

(2) क्या इस सड़क का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है ? यदि नहीं, तो कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ?

(3) विभाग द्वारा निर्मित सम्पर्क सड़कें जो कि अधूरी पड़ी हैं, को पूर्ण कराने की सरकार की क्या योजना है ?

उत्तर

(1) जी हां, इस सम्पर्क सड़क की स्वीकृति राज्य सरकार के आदेश दिनांक 13.3.91 द्वारा 3 कि. मी. 7.50 लाख रुपये की लागत से की गयी।

(2) जी नहीं, इस सम्पर्क सड़क का 2 कि. मी. सड़क का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। शेष लम्बाई में निर्माण हेतु विवाद न्यायालय में विचाराधीन है। निपटारा होने पर निर्माण कार्य कराया जाना सम्भव हो सकेगा।

(3) राज्य सरकार द्वारा सड़कों के निर्माण के सम्बन्ध में घोषित नवीनतम नीति अनुसार तथा सम्बन्धित मण्डी समिति के वित्तीय संसाधनों के उपलब्ध होने पर निर्माण कार्य, कराया जाना सम्भव होगा।

राजकीय शारीरिक शिक्षण महाविद्यालय, जोधपुर

390. श्री राजेन्द्र चौधरी (बिलाड़ा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य में शारीरिक शिक्षा की ट्रेनिंग के लिये कोई सरकारी एवं मान्यता प्राप्त ट्रेनिंग केन्द्र है ? यदि हां, तो कब से एवं किस-किस श्रेणी के पाठ्यक्रम कब-कब से चल रहे हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) राजकीय शारीरिक शिक्षण महाविद्यालय जोधपुर में कौन-कौन से प्रशासनिक एवं अध्यापन के किस-किस श्रेणी के पद कब-कब से स्वीकृत हैं तथा वे कब-कब से रिक्त चल रहे हैं ?

(3) क्या यह सही है कि राजकीय शारीरिक शिक्षण महाविद्यालय, जोधपुर में प्रधानाचार्य एवं उप प्रधानाचार्य के पद रिक्त चल रहे हैं ? यदि हां, तो कब से एवं किन-किन कारणों से ?

(4) राजकीय शारीरिक शिक्षण महाविद्यालय जोधपुर में प्रधानाचार्य एवं उप-प्रधानाचार्य के पदों की क्या-क्या पात्रता है ? क्या विभाग ने उक्त पदों को भरने का कभी प्रयास किया ? यदि हां, तो क्या-क्या एवं कब-कब ?

(5) क्या उक्त पदों के भरने में विभाग एवं लोक सेवा आयोग के पास निर्धारित योग्यता के आशार्थी उपलब्ध नहीं हैं ? यदि हां, तो क्या ये पद सदैव रिक्त रहेंगे? यदि नहीं तो क्या सरकार निर्धारित योग्यता में परिवर्तन करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक एवं नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। विवरण निम्नानुसार है :—

(शिक्षा मंत्री)

क्र. सं.	विद्यालय/महाविद्यालय का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	कब से पाठ्यक्रम चल रहा है
1.	राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय जोधपुर	डिप्लोमा कोर्स प्रमाण पत्र कोर्स (सी.पी.एड.)	1957 1957
2.	सनातन धर्म शारीरिक शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय, केकड़ी (अजमेर)	प्रमाण-पत्र कोर्स	86-87
3.	गांधी शारीरिक शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय, गुलाबपुरा (भीलवाड़ा)	प्रमाण-पत्र कोर्स	89-90
4.	राणाप्रताप शारीरिक शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय हीन्ता, भीण्डर।	प्रमाण-पत्र कोर्स	89-90

(2) राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, जोधपुर में प्रशासनिक एवं अध्यापकों के पद निम्नानुसार स्वीकृत एवं रिक्त हैं :–

क्र. सं.	पद का नाम	स्वीकृत पदों की सं.	रिक्त पदों की सं.	कब से रिक्त हैं
1.	प्रधानाचार्य	1	1	वर्ष 1983 से
2.	उप-प्रधानाचार्य	1	1	वर्ष 1983 से
3.	व्याख्याता	3	2	2/92 से
4.	शारीरिक व्यायाम संशिक्षक	6	—	
5.	प्रशिक्षक	7	1	वर्ष 1991 से

(3) जी हां। गत 12 वर्षों से पद रिक्त चल रहे हैं। पद योग्यताधारी प्रत्याशी उपलब्ध नहीं होने के कारण रिक्त चल रहे हैं।

(4) प्रधानाचार्य, शारीरिक शिक्षा की पात्रता निम्नानुसार है:- शारीरिक शिक्षा में स्नातकोत्तर डिग्री या डिप्लोमा के साथ ऐसे शारीरिक शिक्षा संस्थानों में जो कि अभ्यर्थियों को डिग्री अथवा डिप्लोमा के लिये तैयार कर रही हैं को दस साल का शिक्षण अनुभव एवं तीन वर्ष का नीचे के पदों का (शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय में उप प्रधानाचार्य का) प्रशासनिक अनुभव।

प्रधानाचार्य का पद सीधी भर्ती से भरा जाना है, अतः पद के उपयुक्त योग्यताधारी प्रत्याशी उपलब्ध करवाने हेतु समय-समय पर राजस्थान लोक सेवा आयोग को अर्थना प्रस्तुत की गयी। योग्यताधारी चयनित प्रत्याशी उपलब्ध नहीं होने के कारण नियुक्ति दिया जाना सम्भव नहीं हो पाया है।

उप प्रधानाचार्य के पद की पात्रता निम्नानुसार है:—

शारीरिक शिक्षा में स्नातकोत्तर डिग्री अथवा डिप्लोमा एवं कुल 5 वर्ष का शिक्षण अनुभव जिसमें से 3 वर्ष का शिक्षण अनुभव

(शिक्षा मंत्री)

ऐसी शारीरिक शिक्षा संस्थाओं का हो जो कि अभ्यर्थियों को डिप्लोमा के लिये तैयार करती हो ।

उप प्रधानाचार्य का पद पदोन्नति से भरा जाता है योग्यताधारी प्रत्याशी उपलब्ध नहीं होने के कारण पदोन्नति देना सम्भव नहीं है, तथा पदोन्नति के अभाव में पद रिक्त चल रहा है । समस्या के समाधान के लिये प्रथम श्रेणी के शारीरिक शिक्षकों के पद नियमों में जोड़े जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है ।

(5) जी, हां । सीधी भर्ती हेतु योग्यताधारी अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने के कारण नियमों में संशोधन कर, इन पदों को नीचे के पदों पर तीन वर्ष का अनुभव होने के आधार पर, पदोन्नति से भरे जाने का प्रकरण विचाराधीन है । नियम संशोधन होने पर पदोन्नति से रिक्त पद भरे जा सकेंगे ।

कृषि कुओं के विद्युत सम्बन्ध में आरक्षित वर्ग

391. **श्री लक्ष्मण सिंह (भीम)** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1988-89 में कुओं के विद्युत कनेक्शन देने के लिये पूर्व सैनिकों तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के किसानों के लिये कोटा आरक्षित किया गया था ? यदि हां, तो तत्सम्बन्धित सरकारी निदेश/नीति के प्रपत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या सरकार ने कुओं के कनेक्शन देने की नीति में परिवर्तन किया है ? यदि हां, तो वर्ष 1990–91 से आज तक पारित आदेशों की प्रतियां सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या सरकार पूर्व सैनिकों तथा अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों को विद्युत कनेक्शन देने में प्राथमिकता अथवा आर्थिक छूट देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) वर्ष 1988–89 में कुओं के विद्युत कनेक्शन देने के लिये पूर्व सैनिकों तथा अनुसूचित जाति जनजाति के किसानों के लिये अलग से कोटा आरक्षित किया गया था । तत्सम्बन्धित निर्देश नीति के प्रपत्र की प्रतिलिपि परिशिष्ट 1 (अ), 1 (ब) सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(2) कृषि कनेक्शन देने की सामान्य नीति/प्राथमिकताओं में कोई परिवर्तन नहीं किया है । 1990–91 से 1994-1995 तक नीति सम्बन्धित आदेशों की प्रतिलिपि परिशिष्ट 2 (अ), 2 (ब), 3, 4, 5 (अ) (ब), 6 सदन के पटल पर रख दी गयी है ।

(3) विद्युत मण्डल द्वारा पूर्व सैनिकों तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों को कृषि कनेक्शन देने में विशेष प्राथमिकता दी जाती है, जिसके लिये प्रतिवर्ष अलग से कोटा आरक्षित किया जाता है । कृषि कनेक्शन देने में अलग से अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों को आर्थिक छूट देने का मामला विद्युत मण्डल के विचाराधीन नहीं है । वैसे कृषि श्रेणी के सभी उपभोक्ताओं से लागत से काफी कम राशि वसूल की जाती है प्रारम्भ में भी तथा प्रति यूनिट के उपभोग पर भी ।

परिशिष्ट–2

अतारांकित प्रश्न संख्या–541 की प्रति

कार्यालय जिला कलक्टर, बून्दी

संख्या : दिनांक

आदेश

राजस्थान भू–राजस्व (सिनेमा घर व होटलों तथा पेट्रोल पम्प स्थापित करने हेतु कृषि भूमि का आवंटन तथा परिवर्तन, नियमन) नियम 1978 के अन्तर्गत आराजी खसरा संख्या 508 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा, खसरा संख्या 509 रकबा 3 बिस्वा, ख. सं. 510 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा, खसरा संख्या 511 रकबा 1 बीघा, 6 बिसवा, ख. सं. 512 रकबा 10 बिस्वा, ख. सं. 523 रकबा 7 बीघा 15 बि.; ख. सं 524 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा, खसरा संख्या 507 रकबा 5 बिस्वा (देवस्थान की जगह छोड़ते हुये) सड़क से 10 फीट छोड़ते हुये कुल किता 8 रकबा 14 बीघा 17 बिस्वा वाके बून्दी सिटी तहसील बून्दी की दी गेटवे होटल्स एण्ड गेटवे रिसोर्स लि. मंडलिक हाउस, मंडलिक रोड, अपोलो बदर बोम्बे–400039, को होटल स्थापित हेतु निम्नलिखित अनुबन्धों, शर्तों एवं लीज पर आबंटित की जाती है :—

1– उक्त भूमि का क्रय मूल्य 40,000/– (शब्दों में चालीस हजार रुपये मात्र) प्रति बीघा एवं उक्त भूमि पर बने हुये मकानों की कीमत 33200/– रु. वन विभाग की नर्सरी अनुमानित लागत 20000/– रु. उक्त के अनुसार राशि राजकोष में जमा करवाया जायेगा।

2– पट्टेदार उक्त नियमों के नियम 8 श्रेणी द्वितीय में उल्लेखित 4000 वर्गगज मानक आकार भूखण्डों के लिए 1250/– रु. प्रतिमास के अनुपात में लीज राशि जमा करवाई जायेगी। यदि उक्त अनुपात से भूमि का मानक आकार कम या अधिक हो तो उसी के अनुपात में राशि गणना की जाकर राजकोष में जमा करवाई जायेगी।

3. पट्टेदार शर्त संख्या 1 व 2 में वर्णित धनराशि जमा कराने तथा लीजडीड निष्पादित कराने के पश्चात ही आवंटित भूमि पर कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी होगा एवं इस भूमि का उपयोग केवल होटल स्थापित करने हेतु किया जायेगा।

4– इस भूमि का आबंटन 20 वर्षीय लीज में वर्णित शर्तों के अधीन होगा।

5– राज्य सरकार पट्टे का नवीनीकरण कर सकेगी जो प्रत्येक 20 वर्ष के नवीनीकरण के लिए 50% राशि बढ़ायी जा सकने के अधीनस्थ रहेगा। पट्टेदार

लीजडीड–निर्धारित प्रपत्र 'ग' में निष्पादित करवाना होगा और उसमें उल्लेखित समस्त शर्तों का पालन करना होगा।

6– प्रत्येक ऐसी लीज का अग्रिम 20 वर्षीय काल के लिए पट्टेदार के विकल्प पर नवीनीकरण होगा।

7– पट्टेदार इस आबंटन शुदा भूमि को बेचान, रहन या किसी अन्य प्रकार से भूमि स्थानान्तरित करने हेतु सक्षम नहीं होगा एवं इस लीज के अन्तर्गत उसके स्वत्व केवल लीज की अवधि तक सीमित रहेंगे।

8– पट्टेदार होटल स्थापित हेतु राज्य सरकार द्वारा होटल निर्माण के सम्बन्ध में समय–समय पर दिये गये निर्देशों की पालना करेगा तथा होटल निर्माण के सम्बन्ध में लक्ष्य का अनुमोदन इस कार्यालय द्वारा करवायेंगे।

उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर यह आबंटन स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा और जमा करायी गयी राशि राज्य सरकार में स्वतः ही जप्त मानी जायेगी।

ह०
जिला कलेक्टर, बून्दी

परिशिष्ट-3

अतारांकित प्रश्न संख्या 546 की सूची

क्र. सं.	नाम अतिक्रमी	खसरा नम्बर	रकबा	शास्ति वसूली		वि. वि.
			बीघा–बि.	राशि (रुपये)	दिनांक	
1	2	3	4	5	6	7
1.	रेवड पुत्र रामपाल गुर्जर नि. खैरवाल	112 103	0.04	50.00	19.11.91	
2.	पूरा, रामजीलाल पुत्र गोवर्धन छाज्या पुत्र पांचू, रामसहाय पुत्र श्रवण गुर्जर सा. खैरवाल	103	0.03	37.50	05.03.92 10.02.92	
3.	पूरा, रामजीलाल पुत्र गोवर्धन छाज्या पुत्र पांचू, रामसहाय पुत्र श्रवण गुर्जर सा. खैरवाल	104	0.03	37.50	13.03.92	
4.	रामसहाय पुत्र श्रवण गुर्जर सा. खैरवाल	90	0.04	50.00	25.11.91	
5.	नाथू पुत्र राधाकिशन गुर्जर	90	0.01	13 00	18.11.91	
6.	बदरी पुत्र लक्ष्मीनारायण गुर्जर	103	0.02	25.00	20.03.92	
7.	रामसिंह, गिर्राज पुत्र रेवड गुर्जर सा. खैरवाल	103	0.05	63.00	18.11.91	

ह०

जिला कलेक्टर,

दौसा ।

परिशिष्ट–4

अतारांकित प्रश्न संख्या 547 की सूची

पंचायत समिति, बेगूं की प्राथमिक शालाएं जिनकी छतें टपकती हैं :–

क्र. सं. 1	नाम विद्यालय 2	क्र. सं. 1	नाम विद्यालय 2
1.	प्रा. वि. चेची	30.	प्रा. वि. गिरड़िया
2.	,, ,, गोविन्दपुरा	31.	,, ,, उत्थीन कलां
3.	,, ,, सौदर्शनपुरा	32.	,, ,, बागपुरा
4.	,, ,, सेमलिया	33.	,, ,, पीपल्दा
5.	,, ,, हरिपुरा (T)	34.	,, ,, हरिपुरा (TT)
6.	,, ,, कुलाटिया	35.	,, ,, देवलछ
7.	,, ,, राजगढ़ तालाब	36.	,, ,, अमरपुरा
8.	,, ,, रूपपुरा	37.	,, ,, सापरोका खेड़ा
9.	,, ,, जयनगर	38.	,, ,, खरड़ी
10.	,, ,, बानोड़ा	39.	,, ,, अनोपपुरा (TT)
11.	,, ,, पालनपुर	40.	,, ,, माधोपुर (TT)
12.	,, ,, बलवन्त नगर	41.	,, ,, डा. खेड़ी
13.	,, ,, राजपुरा (चैनसिंह)	42.	,, ,, पीपली खेड़ा
14.	,, ,, आमल्दा	43.	,, ,, सोनगर
15.	,, ,, जालमपुरा	44.	,, ,, पाछन्दा
16.	,, ,, शिवपुरा	45.	,, ,, सुवानिया
17.	,, ,, रायती	46.	,, ,, पाड़ावास
18.	,, ,, भंवरिया	47.	,, ,, नन्दवाई
19.	,, ,, श्रीनगर	48.	,, ,, माधोपुर
20.	,, ,, चन्दाखेड़ी	49.	,, ,, नरसिंहपुरा
21.	,, ,, धारला	50.	,, ,, तुरकड़ी
22.	,, ,, खेड़ी	51.	,, ,, बामनहेड़ा
23.	,, ,, चावण्डिया	52,	,, ,, मारणा
24.	,, ,, खेरपुरा	53.	,, ,, सामरियांकलां
25.	,, ,, हमेपुर	54.	,, ,, तारापीपली
26.	,, ,, किलीवास	55,	,, ,, रावड़दा
27.	,, ,, सहाड़ा	56.	,, ,, नाल
28.	,, ,, लुहारिया	57.	,, ,, झड़ोल
29.	,, ,, मक्खनपुरा	58.	,, ,, लक्ष्मीपुरा

1	2	1	2
59.	प्रा. वि. चौसला	65.	प्रा. वि. नाहरगढ़
60.	,, ,, सारण	66.	,, ,, चरछा
61.	,, ,, चावण्ड़िया (TT)	67.	,, ,, अनोपपुरा (T)
62.	,, ,, आकोड़िया	68.	,, ,, मुरौली
63.	,, ,, वड़ा वड़ा	69.	,, ,, बीनाकाखेड़ा
64.	,, ,, सांखा	70.	,, ,, गोपालपुरा

पंचायत समिति, भैंसरोड़गढ़ की प्राथमिक शालाएं जिनकी छतें टपकती हैं :–

क्र. सं.	नाम प्राथमिक शाला	क्र. सं.	नाम प्राथमिक शाला
1.	प्रा. वि. बोरदा	10.	प्रा. वि. रौड़ी
2.	,, ,, मोहना	11.	,, ,, बरखेड़ा
3.	,, ,, मालीपुरा	12.	,, ,, बावड़ी खेड़ा
4.	,, ,, कोटड़ा	13.	,, ,, बुवादा
5.	,, ,, घारड़ी	14.	,, ,, जावरा खुर्द
6.	,, ,, पतलोई	15.	,, ,, जावराकलां
7.	,, ,, आगरा	16.	,, ,, खातीखेड़ा
8.	,, ,, नीली	17.	,, ,, धी लाई ।
9.	,, ,, बहेलियां		

241

परिशिष्ट–5

अतारांकित प्रश्न संख्या 557 की प्रति

राजस्थान सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

(कार्मिक–क–ग्रुप–II)

सं. एफ. 3(45) डी. ओ. पी./ए–II/84 दिनांक 28 जून, 1985

अधिसूचना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय स्टाफ सेवा नियम, 1957 में इसके द्वारा निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों के नियम 12 के विद्यमान उपनियम (2) में अभिव्यक्ति "पास किया हुआ होना चाहिये" के पश्चात् पूर्ण विराम चिन्ह लगाया जायेगा तथा उसके पश्चात् की अभिव्यक्ति "या उसे हिन्दी या संस्कृत की ऐसी अर्हताएं जिन्हें सरकार द्वारा मैट्रिक के समतुल्य मान्यता दी गयी हो।" विलोपित की जायेगी और सदैव 1.4.1985 से विलोपित की गयी समझी जायेगी।

राज्यपाल के आदेश और नाम से

ह०

(ओ. पी. जोशी)

विशिष्ट शासन सचिव

242

परिशिष्ट-6

अतारांकित प्रश्न संख्या 562 की प्रति

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

JUDICIAL DEPARTMENT

NOTIFICATION

F. 3(11) Jaipur, February, 14, 1950

In pursuance of Clause (2) of article 348 of the Constitution of India. His Highness the Rajpramukh is pleased to authorise, with the previous consent of the President of India, the use of the Hindi Language in proceeding in the High Court of Rajasthan to the extent permissible under the provisions of the said clause.

By order of H. H. the Rajpramukh
Secretary to the Government
of Rajasthan
Judicial Department

परिशिष्ट-7

अतारांकित प्रश्न संख्या 563 की सूचना

सहकारी विभाग, राजस्थान
जयपुर।

सहकारी समितियों के आडिट का वर्तमान संगठन

		अधिकारी	निरीक्षक (आडिट)		टिप्पणी
			प्रथम ग्रेड	द्वितीय ग्रेड	
1	2	3	4	5	6
(क)	प्रधान कार्यालय स्तर पर				
	मुख्य अंकेक्षक	1	—	—	मुख्य अंकेक्षक राज.
	उप मुख्य अंकेक्षक	2	—	—	लेखा सेवा के सुपर
	विशेष लेखा परीक्षक	2	—	—	टाइम स्केल के
	निरीक्षक (आडिट) प्रथम ग्रेड	—	24	—	अधिकारी हैं।
	निरीक्षक ग्रेड द्वितीय (आडिट)	—	—	21	
	निरीक्षक ट्रेनिंग रिजर्व (आडिट)	—	—	20	
	निरीक्षक (आडिट) प्रतिनियुक्ति हेतु	—	61	—	
(ख)	खण्डीय स्तर पर				
1.	क्षेत्रीय अंकेक्षक, स. स. जयपुर	1	1	1	उप मुख्य अंकेक्षक
2.	,, ,, अजमेर	1	1	3	एवं क्षेत्रीय अंकेक्षक
3.	,, ,, उदयपुर	1	3	2	राजस्थान सहकारी
4.	,, ,, जोधपुर	1	1	3	सेवा के उप रजि.
5.	,, ,, बीकानेर	1	2	2	स्केल के अधिकारी
6.	,, ,, कोटा	1	1	1	हैं।
7.	,, ,, भरतपुर	1	1	—	

244

1	2		3	4	5	6
(ग) जिला स्तर पर						
1.	स्पेशल आडिटर, स. स.	जयपुर	1	30	36	स्पेशल आडिटर सहायक रजिस्ट्रार स. स. स्तर के अधिकारी हैं।
2.	,, ,,	दौसा	1	3	6	
3.	,, ,,	सीकर	1	7	9	
4.	,, ,,	झुन्झुनू	1	5	6	
5.	,, ,,	अजमेर	1	10	39	
6.	,, ,,	भीलवाड़ा	1	8	22	
7.	,, ,,	टोंक	1	3	11	
8.	,, ,,	नागौर	1	5	14	
9.	,, ,,	भरतपुर	1	4	18	
10.	,, ,,	धौलपुर	—	2	8	
11.	,, ,,	अलवर	1	12	26	
12.	,, ,,	स.माधोपुर	1	4	15	
13.	,, ,,	जोधपुर	1	8	32	
14.	,, ,,	बाड़मेर	1	3	12	
15.	,, ,,	जैसलमेर	—	1	4	
16.	,, ,,	पाली	1	3	19	
17.	,, ,,	सिरोही	1	2	4	
18.	,, ,,	जालोर	1	3	6	
19.	,, ,,	कोटा	1	5	18	
20.	,, ,,	बून्दी	1	2	9	
21.	,, ,,	झालावाड़	1	2	8	
22.	,, ,,	बारां	—	1	6	
23.	,, ,,	उदयपुर	1	6	27	
24.	,, ,,	चित्तौड़गढ़	1	5	10	
25.	,, ,,	बांसवाड़ा	1	—	8	
26.	,, ,,	डूंगरपुर	—	—	7	

1	2	3	4	5	6
27.	स्पेशल आडिटर स. स. बीकानेर	1	5	19	
28.	,, ,, चूरू	1	4	11	
29.	,, ,, गंगानगर	1	11	22	
			244	485	

(घ) समवर्ती अंकेक्षण हेतु :

1. रीजनल आडिटर, राजफैड जयपुर 1
2. रीजनल आडिटर रा. राज्य सह. भूमि विकास बैंक 1
3. रीजनल आडिटर शीर्ष सह. बैंक लि. जयपुर 1
4. रीजनल आडिटर उपभोक्ता संघ 1

शीर्ष तथा केन्द्रीय सहकारी संस्थाओं में सीमावर्ती अंकेक्षण हेतु आडिट अधिकारियों के साथ लगे हुए निरीक्षक (आडिट) प्रधान कार्यालय तथा विशेष लेखा परीक्षकों की स्वीकृति स्ट्रेन्थ में से हैं।

विशेष लेखा परीक्षक

1. समवर्ती अंकेक्षक राज. बुनकर संघ जयपुर 1
2. समवर्ती अंकेक्षक राज. तिलम संघ जयपुर 1
3. समवर्ती अंकेक्षक राज. आवासन संघ जयपुर 1
4. समवर्ती अंकेक्षक राज. को. डेयरी फैड. लि. जयपुर 1
5. ,, के. सह. बैंक लि. जयपुर 1
6. ,, ,, जोधपुर 1
7. ,, ,, उदयपुर 1
8. ,, ,, गंगानगर 1
9. ,, ,, कोटा 1

1	2	3	4	5	6
10.	के. सह्. बैंक लि. भरतपुर	1			
11.	,, ,, अजमेर	1			
12.	,, दुग्ध उत्पा. सह. संघ जयपुर	1			
13.	,, ,, अजमेर	1			
14.	,, ,, जोधपुर	1			
15.	,, ,, बीकानेर	1			
16.	,, ,, अलवर	1			
17.	,, ,, भीलवाड़ा	1			
18.	,, गुलाबपुरा को-आप. स्पिनिंग मिल्स लि.	1			
19.	,, राज. ट्रायल ऐरिया डव्लप-मेंट को-आप. उदयपुर	1			
20.	,, भूमि विकास बैंक लि. अलवर	1			
21.	,, मार्केटिंग सोसायटी, कोटा	1			
22.	,, शुगर मिल केशोरायपाटन	1			

247

परिशिष्ट-8

अतारांकित प्रश्न संख्या 565 की सूचना

गंगापुरसिटी क्रय विक्रय सहकारी समिति लि. की आडिट रिपोर्ट जारी करने की सूचना।

क्र. सं.	वर्ष	रिपोर्ट जारी करने का दिनांक	विशेष विवरण
1.	1980–81	29. 6. 83	
2.	1981–82	21. 1. 85	
3.	1982–83	21. 12. 85	
4.	1983–84	21. 12. 85	
5.	1984–85	24. 1. 87	
6.	1985–86	8. 7. 88	
7.	1986–87	25. 2. 89	
8.	1987–89	12. 3. 90	
9.	1989–90	1. 2. 91	
10.	1990–91	28. 7. 92	
11.	1991–92	30. 1. 93	
12.	1992–93	—	आडिट रिपोर्ट तथ्य सत्यापन हेतु संस्था को दिनांक 21. 3. 95 को उपलब्ध करवाई गयी है।
13.	1993–94	—	आडिट सम्पन्न हो चुका है। आडिटर से आडिट रिपोर्ट प्राप्त होनी है।

परिशिष्ट-9

अतारांकित प्रश्न संख्या 572 का विवरण

ग्रामवार राशि जमा करायी गयी तिथियों का विवरण

क्र. सं.	गांव का नाम	कुल आवेदन	मांग पत्र जमा तिथि
1.	जमेरा	48	9. 5. 94
2.	खेड़ा	68	15. 7. 92
3.	सूरतपुरा	26	24. 2. 94
4.	मालनीपंवार	33	16. 1. 95
5.	विपरपुर	13	23. 6. 93
6.	बिछिया	11	1. 7. 94
7.	कोकाली	16	30. 6. 93
8.	नगलाभगत	32	8. 6. 94
9.	देयरीकापुरा	17	28. 1. 95
10.	नागला,भदोरिया	36	6. 9. 93
11.	चंदू का नंगला	23	7. 7. 93
12.	दलेलपुर	14	18. 4. 94
13.	बरेठा	48	16. 5. 94
14.	कोटरा	20	11. 11. 94
15.	शहरोन	30	11. 11. 94
16.	सांदरा	44	8. 11. 94
17.	शास्तनगर	10	21. 1. 92
18.	अजयपुरा	37	7. 2. 94
19.	करीमपुर	18	8. 11. 94
20.	कोलारी	27	19. 10. 92
21.	नन्दपुरा	19	29. 10. 94
22.	टहरी	16	17. 12. 91
23.	खारगपुर	146	18. 2. 94
	कुल योग	746	

परिशिष्ट-10

अतारांकित प्रश्न संख्या 575 का विवरण

गत पांच वर्षों में वन विभाग द्वारा रोपित पौधों एवं व्यय का वर्षवार विवरण

वर्ष	रोपित पौधों की संख्या (लाखों में)	व्यय राशि (लाख रुपयों में)
1990–91	433.14	3432.53
1991–92	464.69	3995.84
1992–93	373.77	4115.22
1993–94	509.71	5537.37
1994–95	634.60	6679.53

परिशिष्ट-11

अतारांकित प्रश्न संख्या 588 की प्रति

No. R. 20013/5/92-IRD I
Government of India
Ministry of Rural Development
Krishi Bhawan, New Delhi.

Dated the 31st January, 1994

To

The Secretary,
Special Schemes & IRDP Department
Government of Rajasthan;
JAIPUR

Subject: —Regarding various demands of DRDAs employees pension facilities.

Sir,

I am directed to refer to your letter No. F. (17) Agri./Gr. 5/83 dated the 27th March, 1993 on the subject cited above and to say that the State Government is competent to take a decision in the matter. No concurrence from this Ministry is necessary.

Yours faithfully.

Sd/–

(Sanjay Mitra)

Dy. Secretary of the Govt of India.

परिशिष्ट-12

अतारांकित प्रश्न संख्या 589 का विवरण

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण बीकानेर की ग्रामीण विकास कार्यक्रमों हेतु वर्ष 1993–94 एवं 1994–95 में आवंटित राशि एवं व्यय तथा अवशेष राशि की स्थिति

(रु० लाखों में)

कार्यक्रम	वर्ष 1993–94 आवंटित राशि	व्यय राशि	अवशेष राशि	वर्ष 1994–95 आवंटित राशि	व्यय राशि	अवशेष राशि
1	2	3	4	5	6	7
एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम	85.8	82.90	2.18	74.44	81.97	(–) 7.53
ट्राइसम	5.40	6.99	(–) 1.59	9.50	6.43	3.07
जवांहर रोजगार योजना	378.31	342.40	35.91	330.55	351.14	(–) 20.79
सुनिश्चित रोजगार योजना	134.25	53.47	80.78	410.00	513.59	(–) 103.59
अपना गांव अपना काम	23.55	23.55	—	42.27	49.45	(–) 7.18
मरू विकास कार्यक्रम	723.96	667.30	56.66	803.13	878.39	(–) 75.26
तीस जिला तीस काम	71.72	72.20	(–) 0.48	96.05	88.61	7.44

1	2	3	4	5	6	7
निर्बन्ध राशि	53.80	52.21	1.59	71.72	71.80	(–) 0.08
बायोगैस	2.75	6.40	(–) 3.65	4.80	4.81	(–) 0.01
माडा योजना	0.70	1.107	(–) 0.407	0.50	0.355	0.145
मैसिव	9.00	7.955	1.045	0.46	11.99	(–) 11.53
सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम + (माह फरवरी, 95 तक)				289.04	267.59	21.45
योग :–	1488.52	1316.482	-172.038	2132.26	2326.125	(–) 193.865

टिप्पण + सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम तहत वर्ष 1994–95 के स्वीकृत कार्यों हेतु भारत सरकार द्वारा माह मार्च, 95 में 606.11 लाख रु० की राशि और उपलब्ध करवाई गई ।

परिशिष्ट-13

अतारांकित प्रश्न संख्या 590 की सूची

पंचायत समिति–फागी :

वर्ष 1990 में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को इन्द्रा आवास स्वीकृति की सूची :–

क्र. सं.	नाम मय वल्दियत	जाति	ग्राम	पंचायत
1.	श्री गोपीराम/देवीलाल	मीणा	डाबिच	डाबिच
2.	श्री कालूराम/बोदूराम	,,	,,	,,
3.	श्री चोथमल/नारायण	,,	,,	,,
4.	श्री श्रीकिशन/नारायण	,,	,,	,,
5.	श्री मुवाना/रूपा	,,	,,	,,
6.	श्री मोठु/हरदेव	,,	,,	,,
7.	श्री मनोहर/राधाकिशन	,,	,,	,,
8.	श्री मदनलाल/रामकरण	,,	,,	,,
9.	श्री रामचन्दर/माना	,,	,,	,,
10.	श्री जगराम/श्योनारायण	,,	,,	,,
11.	श्री सीताराम/अरजना	,,	,,	,,
12.	श्री नन्दराम/मांगू	रैगर	,,	,,
13.	श्री कजोड़/बजरंग	बलाई	रतनपुरा	मांदी
14.	श्री बजरंगा/भीवां	,,	,,	,,
15.	श्री कल्याण/भीवां	,,	,,	,,
16.	श्री राधाकिशन/प्रताप	,,	हथेली	,,
17.	श्री काना/धन्ना	,,	,,	,,
18	श्री भैरू/धन्ना	,,	,,	,,
19.	श्री तीजा/रामसहाय	बैरवा	,,	,,
20.	श्री रूपा/चौथू	हरिजन	,,	,,
21.	श्री सीताराम/धन्ना	बैरवा	,,	,,

(254)

1	2	3	4	5
22.	श्री हनुमान/रामसहाय	बैरवा	हथेली	मांदी
23	श्री धापू/घासी	,,	,,	,,
24.	श्री गोपाल/बीजा	बलाई	मांदी	,,
25.	श्री पांचू/बीजा	,,	,,	,,
26.	श्री कालू/गोगाराम	,,	,,	,,
27.	श्री जगदीश/पांचू	,,	,,	,,
28.	श्री गोपाल/सुखदेव	बागरिया	,,	,,
29.	श्री सुखाराम/कालूराम	,,	,,	,,
30.	श्री सुखदेव/भूरा	,,	,,	,,
31.	श्री घासी/कालूराम	,,	,,	,,
32.	श्री शैतान/सुन्दरा	मीणा	रतनपुरा	,,
33	श्री केसरलाल/जुवारा	,,	,,	,,
34.	श्री सुन्दरलाल/जुवारा	,,	,,	,,
35.	श्री गोरधन/सुन्दरा	,,	,,	,,
36.	श्री सरवण/भूराराम	बलाई	,,	,,
37.	श्री भूरा/रामू	नायक	पीपला	पीपला
38.	श्री रामदयाल/ग्यारसीलाल	बैरवा	,,	,,
39.	श्री लाडा/नानगा	,,	,,	,,
40.	श्री बाबूलाल/भूरा	,,	,,	,,
41.	श्री प्रेम/भूरा	सांसी	,,	,,
42.	श्री पांचू/श्योबक्स	बैरवा	,,	,,
43.	श्री छीतर/कानाराम	,,	,,	,,
44.	श्री रामेश्वर/बोदू	,,	,,	,,
45.	श्री लादु/काना	,,	,,	,,
46.	श्री बोदू/देवा	,,	,,	,,
47.	श्री नन्दकिशोर/तेजा	रैगर	,,	,,
48.	श्री धन्ना/भूरा	सांसी	,,	,,

255

1	2	3	4	5
49.	श्री रमेश/जगन्नाथ	बैरवा	बरमपुरा	पीपला
50.	श्री हरिराम/किशना	"	"	"
51.	श्री मोती/श्योबक्स	'	"	"
52.	श्री रंगलाल/रामु	"	"	"
53.	श्री रामेश्वर/गोपी	"	"	"
54.	श्री रूगा/बोदू	"	पीपला	"
55.	श्री रामचन्दर/रूगा	'	"	"
56.	श्री लाला/नारायण	सांसी	"	"
57.	श्री चन्दा/गोखला	रैगर		"
58.	श्री मैरू/गोखला	"	"	'
59.	श्री भूरा/लादू	"	"	"
60.	श्री सूजा/गिरधारी	बैरवा	"	"
61.	श्री भूरा/मैरू	रैगर	"	"
62.	श्री भूली/सुवा	बैरवा	"	"
63.	श्री लादु/नानगा	"	"	"
64.	श्री रामेश्वर/सुखा	रैगर	गोहन्दी	गोहन्दी
65.	श्री गंगाराम/गोपी	"	"	"
66.	श्री रूगनाथ/मंगला	"	"	"
67.	श्री घासी/बिरदा	"	"	"
68.	श्री मन्ना/मंगला	"	"	"
69.	श्री भेमा/मंगला	"	"	"
70.	श्री गोपाल/गुल्ला	"	"	"
71.	श्री मोटयारा/कालू	"	"	"

1	2	3	4	5
72.	श्री लाला/रामकिशन	रैगर	गोहन्दी	गोहन्दी
73.	श्री नाथू/बिरदा	"	"	"
74.	श्री रामदेव/रतना	"	"	"
75.	श्री राजेन्द्र/चौथू	हरिजन	"	"
76.	श्री बोदू/भुवाना	"	"	"
77.	श्री जगदीश/काना	रैगर	"	"
78.	श्री बोदू/कालु	"	"	"
79.	श्री रामधन/गुल्ला	"	"	"
80.	श्री नारायण/बिरदा	"	"	"
81.	श्री मोलू/बालु	"	"	"
82.	श्री छोटू/सुखा	"	"	"
83.	श्री सुरजकरण/रामपाल	"	"	"
84.	श्री श्रवण/धन्ना	"	"	"
85	श्री तेजा/किशना	बैरवा	छमेलिया	किशोरपुर
86.	श्री धन्ना/नानगा	"	"	"
87.	श्री रोडू/हरदेव	"	"	"
88.	श्री छीतर/बीजा	"	"	"
89.	श्री छीतर/रामनाथ	"	"	"
90.	श्री बिरदा/रिदेव	"	"	"
91.	श्री केसरा/रामनाथ	"	"	"
92.	श्री नाथू/पांचू	"	"	"
93.	श्री नाथू/कल्याण	"	"	"
94.	श्री पोखर/चन्दा	"	"	"
95.	श्री छोगा/भीला	"	"	"
96.	श्री रामनाथ/नानगा	"	"	"
97.	श्री रामजी/मोहरू	बलाई	"	"
98.	श्री मदन/रामदेव	"	"	"

1	2	3	4	5
99.	श्री हरनाथ/रामधन	बलाई	बमेलिया	किशोरपुरा
100.	श्री लादु/रामनाथ	"	"	"
101.	श्री बजरंग/नन्दा	"	"	"
102.	श्री धन्ना/रामनाथ	"	"	"
103.	श्री सीताराम/जंगला	"	"	"
104.	श्री प्रभू/सोन्या	"	"	"
105.	श्री लक्ष्मण/पांचू	"	"	"
106.	श्री जगन्नाथ/गिरधारी	"	"	"
107.	श्री हरजी/प्रभू	"	"	"
108.	श्री मोहन/लाला	"	"	"
109.	श्री गोपाल/प्रभात	हरिजन	"	"
110,	श्री भैरू/रघुनाथ	रैगर	"	"
111.	श्री बदरी/गुल्ला	गवारिया	"	"
112.	श्री देवा/गंगाराम	बलाई	"	"

ह०

अति. कलेक्टर (विकास)